खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-02) / अंक-35

सोमवार 22 अगस्त, 2016 / 31 श्रावण, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-02) में अंक 35 से अंक 38 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 भाग (2) सोमवार 22 अगस्त, 2016/31 श्रावण, 1938 (शक) अंक–35

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री कैलाश गहलोत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री नितिन त्यागी
46. श्री एस.के. बग्गा
47. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
48. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
49. श्रीमती सरिता सिंह
50. मो. इशराक
51. श्री श्रीदत्त शर्मा
52. चौ. फतेह सिंह
53. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–04 सोमवार, 22 अगस्त, 2016/31 श्रावण, 1938(शक) अंक–35

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।
माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।
(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः आज के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

माननीय सदस्यगण, यह अत्यंत दुःख का विषय है कि दिल्ली विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री चरती लाल गोयल जी का गत 16 अगस्त, 2016 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। श्री गोयल लम्बे समय तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया तथा गम्भीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

वे दिल्ली नगर निगम में डेसू, शिक्षा तथा हिंदी समिति के चेयरमैन रहे तथा उप महापौर भी रहे। श्री गोयल जी वर्ष 1977 से 1979 तक महानगर परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट, कार्यकारी परिषद और वित्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए उन्होंने कई बार गिरफ्तारियां भी दीं। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान वे 19 माह तक जेल में रहे। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कर विशेषज्ञ के रूप में वकालत भी की।

वे वर्ष 1993 में दिल्ली विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गये। अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय परम्पराओं तथा नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। विधान सभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल प्रेरणादायक रहा। प्रथम विधान सभा का सदस्य रहते हुए मुझे उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी कार्यप्रणाली से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रम के कारण वे विख्यात थे। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति।

अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण)

रियो ओलम्पिक, 2016 के संदर्भ में बधाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, रियो ओलम्पिक खेलों का सफलतापूर्वक समापन...

विजेन्द्र गुप्ता जीः आपने सत्तारूढ़ दल के...

अध्यक्ष महोदयः मैं अभी ये विषय पूरा कर लूं दो मिनट में?

माननीय सदस्यगण, रियो ओलम्पिक खेलों का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इन खेलों में पी.वी.सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य

पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उनके इस प्रदर्शन से देश में उत्साह और उम्मीद की लहर पैदा हुई है। ऐसे खिलाड़ी जितनी अधिक संख्या में खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, देश के खेल जगत के लिए यह उतना ही अच्छा रहेगा। दीपा करमाकर लक्ष्य के करीब पहुंच गईं लेकिन पदक नहीं ले पाईं परंतु इससे उनकी उपलब्धि कम नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त ललिता बाबर, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जैसे खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन पदक नहीं ले पाये। साक्षी और सिंधु की सफलता तथा दीपा और अन्य खिलाड़ियों के उल्लेखनीय प्रयासों को केवल इस बात से नहीं आंका जाना चाहिए कि उन्होंने क्या हासिल किया बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि उनसे देश के हजारों प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली होगी। पी.वी. सिंधु और साक्षी की सफलता वास्तव में देश की सभी बेटियों की भी जीत है। पदक विजेता ओलम्पिक खिलाड़ियों के साथ–साथ इनके प्रशिक्षकों – श्री कुलदीप सिंह और श्री पी.गोपीचंद तथा अन्य उन सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। देश की खेल संस्थाओं और विभिन्न संगठनों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे देश में खेल संस्कृति का विकास करें तथा इस बात का आकलन करें कि खेलों की दुनिया में देश को आगे ले जाने के लिए किस स्तर पर कौन से प्रयास किये जाने चाहिए।

यह स्वागत योग्य तथा प्रशंसनीय बात है कि दिल्ली सरकार ने इस दिशा में तत्परतापूर्वक कदम उठाया है तथा पी.वी.सिंधु को दो करोड़ तथा साक्षी मलिक को एक करोड़ रूपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। दिल्लीवासियों के लिए यह भी गर्व की बात है कि साक्षी के पिता श्री सुखबीर दिल्ली सरकार के प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं और दिल्ली सरकार ने उनको पदोन्नति देने की घोषणा की है।

इसके अलावा इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को दिल्ली में विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। क्योंकि दिल्ली पूरे देश का केंद्र बिंदु है और प्रत्येक राज्य के लोग यहां रहते हैं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ओलम्पिक पदक विजेता खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को उनकी सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। इसके अतिरिक्त रियो ओलम्पिक खेलों के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मेजबान देश ब्राजील को भी हार्दिक बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदयः हां, विजेन्द्र जी, क्या कह रहे हैं बताइए?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी, हमारी ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था।

अध्यक्ष महोदयः हां, मुझे प्राप्त हुआ है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे उस विषय को जोड़ दें। मान्यवर, आपने जब ध्यानाकर्षण सत्तारूढ़ दल का एक्सेप्ट किया है तो हमारे वाला भी एक्सेप्ट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः हां–हां ठीक है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दोनों को जोड़कर के इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। आपको उस समय, समय दे देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः समय नहीं, मैं अध्यक्ष जी हमारा विषय है ये बिल्कुल....

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मेरी बात सुनिए...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः समय तो आप देंगे ही, वो तो मुझे मालूम है। आप मना नहीं करते।

अध्यक्ष महोदयः मेरी बात सुनिए। रूलिंग में एक ही सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विषय एक है दृष्टिकोण दो हैं।

अध्यक्ष महोदयः हां, सदस्य दो हैं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक विषय पर लिया जाता है पर एक सदन के दोनों सदस्यों के उस विषय को जोड़ना, ये अति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए मैं देख लेता हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने इसलिए विषय उठाया है क्योंकि जब विषय एक है तो...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी मेरे सामने आ गया है मैंने देख लिया है। मैं देख लेता हूं अभी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप रूलिंग दे दीजिए ना।

तरांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदयः मैं कर लूंगा अभी बाद में। अभी तो उसका समय आने दो। प्रश्नकाल स्टार्ड क्वेश्चन श्री सुखबीर सिंह दलाल जी। बोलिए आप प्रश्न संख्या–एक

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–एक प्रस्तुत हैः

(क) क्या यह सत्य है कि मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कक्षों की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखें, बिजली इत्यादि की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलों में खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं;

(घ) इन स्कूलों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में नए मॉडल स्कूल खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदयः उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक के संदर्भ में मुझे कहना हैः

(क) जी नहीं, मुंडका विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी नहीं है। छात्रों एवं शिक्षकों का अनुपात संतोषजनक है;

(ख) इन स्कूलों में खेलों की पर्याप्त सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त इस विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में खेलों के लिये 20,000/– रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं। ये विद्यालय अपनी जरूरत के हिसाब से खेल सामग्री व बच्चों को जोनल खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये समय–समय पर वाहन सुविधा एवं खानपान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं;

(ग) प्रतिलिपि (क) पर संक्षिप्त विवरण संलग्न है;

(घ) इन विद्यालयों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत हेतु जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनका विवरण (ख) पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त इस विधानसभा क्षेत्र के 6 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है; और

(ड.) सरकार की कोशिश है कि सभी स्कूलों को बेहतरीन सुविधायें प्रदान की जायें ताकि सभी विद्यालय मॉडल स्कूल के समतुल्य हो जायें।

विवरण "क"

	विद्यालय का नाम	(क)	(ख)	(ग)
1.	राज्यकीय उच्चतर बा.वि. टीकरी कलां (1617001)	इस विद्यालय में 68 नये कमरों तथा 8 नये शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। पीने का पानी एवं शौचालय, बिजली एवं पंखों की सुविधा भी विद्यालय के लिये पर्याप्त है।	छात्रों एवं शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की सभी पर्याप्त सुविधायें है, लेकिन मैदान में भवन निर्माण की सामग्री होने के कारण खेलना कूदना संभव नहीं हो पा रहा है। बच्चों के लिये खेलने कूदने की पर्याप्त सुविधायें है।
2.	सर्वोदय विद्यालय सह शिक्षा हिरना कूदना (1617006)	इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए कमरों की संख्या प्रर्याप्त है, पीने का पानी एवं शौचालय, बिजली एवं पंखें की सुविधा भी विद्यालय के लिये पर्याप्त है, अन्य सभी सुविधायें ठीक है।	छात्रों एवं शिक्षकों का अनुपात सही है।	बच्चों के लिये खेलने कूदने की पर्याप्त सुविधायें है।
3.	सर्वोदय कन्या विद्यालय टीकरी कलां (1617002)	इस विद्यालय में कमरों की संख्या पर्याप्त है तथा पीने का पानी शौचालय एवं बिजली पंखों की सुविधा पर्याप्त है।	छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात सही है।	बच्चों के लिये खेलने कूदने की पर्याप्त सुविधायें है।
4.	सर्वोदय कन्या विद्यालय मुंडका गांव (1617018)	इस विद्यालय में नये भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, विद्यालय में पीने का पानी, शौचालय एवं बिजली पंखों की पर्याप्त सुविधा है।	छात्राओं एवं अध्यापिकाओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की सभी पर्याप्त सुविधायें है, लेकिन मैदान में भवन निर्माण की सामग्री होने के कारण खेल कूद होना संभव नहीं हो पा रहा है।

	विद्यालय का नाम	(क)	(ख)	(ग)
5.	राजकीय उच्चतर वरिष्ठ बाल विद्यालय मुंडका गांव (1617018)	इस विद्यालय में नये भवन का निर्माण कार्य चल रहा है विद्यालय में पीने का पानी शौचालय एवं बिजली, पंखों की पर्याप्त सुविध ा है।	छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की सभी पर्याप्त सुविधायें है, लेकिन मैदान में नये भवन निर्माण कार्य की सामग्री होने के कारण खेल कूद होना संभव नहीं हो पा रहा है।
6.	सर्वोदय कन्या विद्यालय (1617026)	विद्यालय में कमरों की भारी कमी नहीं है, विद्यालय में पीने का पानी शौचालय एवं बिजली, पंखों की पर्याप्त सुविधा है।	छात्राओं एवं अध्यापिकाओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की सभी पर्याप्त सुविधा है।
7.	राजकीय उच्चतर वरिष्ठ बालिका विद्यालय नागलोई, जे.जे. कॉलोनी (1617035)	विद्यालय में कमरों की भारी कमी नहीं है विद्यालय में पीने का पानी एवं शौचालय, बिजली, पंखों की पर्याप्त सुविधा है।	छात्राओं एवं अध्यापिकाओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त सुविधा है।
8.	राजकीय उच्चतर वरिष्ठ बाल विद्यालय नागंलोई (1617037)	विद्यालय में कमरों की भारी कमी नहीं है, विद्यालय में पीने का पानी एवं शौचालय, बिजली, पंखों की पर्याप्त सुविधा है।	छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त सुविधा है।
9.	सर्वोदय बाल विद्यालय निलोठी (1617219)	विद्यालय में कमरों की भारी कमी नहीं है, विद्यालय में पीने का पानी एवं शौचालय बिजली, पंखों की पर्याप्त सुविधा है।	छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेल कूद की पर्याप्त सुविधा है।

क्र. सं.	स्कूल का नाम व आईडी	क	ख	ग
1	2	3	4	5
1.	सर्वोदय सह–शिक्षा विद्यालय, रानी खेड़ा–1412095	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की भारी कमी नहीं है, परंतु कक्षाओं की थोड़ी कमी है और उसे दूर करने के लिये विद्यालय में 102 कमरों के निर्माण कार्य का प्रावधान विचारधीन है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
2.	सर्वोदय विद्यालय, एच–ब्लॉक, सावदा (धेवरा कॉलोनी)–1413267	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है। फिर भी 100 नये कमरों के निर्माण का आकलन पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्द ही प्रेषित किया जायेगा।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद के मैदान की कमी है परंतु वालीबाल व बैडञमटन खेलने की सुविधाएं है।
3.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, ए–ब्लॉक, सावदा (धेवरा)–1413266	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद के मैदान की कमी है परंतु वालीबाल व बैडञमटन खेलने की सुविधाएं है।

1	2	3	4	5
4.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, ए–ब्लॉक, सावदा (धेवरा)–1413266	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
5.	राजकीय (सह–शिक्षा), उच्चतर मा. विद्यालय, निजामपुर–1413009	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
6.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, कराला–1413078	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है। विद्यालय में 44 कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
7.	सर्वोदय कन्या विद्यालय, कंझावला–1413025	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
8.	राजकीय बाल उच्चतर मा., लाडपुर–1413022	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।

9.	राजकीय बाल उच्चतर मा. विद्यालय, कराला–1413079	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है। विद्यालय में 44 कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
10.	सर्वोदय विद्यालय, जौंती–1413181	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे कक्षाओं की कमी, पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की कमी नहीं है।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।
11.	सर्वोदय बाल विद्यालय, सावदा, बी–ब्लॉक–1413323	इस विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पंखे, बिजली इत्यादि की भारी कमी नहीं है, परंतु कक्षाओं की थोड़ी कमी है और उसे दूर करने के लिये विद्यालय के 4 सेक्शन नजदीकी स्कूल सर्वोदय कन्या विद्यालय, ए–ब्लॉक, सावदा (धेवरा)– 1413266 में स्थानांतरित कर दिये गये है अपितु कमरों की कमी को दूर करने के लिये 36 नये कमरों के निर्माण का आकलन पीडब्ल्यूडी द्वारा जल्द ही प्रेषित किया जायेगा।	छात्रों एवम् शिक्षकों का अनुपात सही है।	विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं है।

DIRECTORATE OF EDUCATION
(Government of NCT, Delhi)
Amount sancationed for repair/Revonaction in r/o Schools of Assembly No. 8-Mundka

Sl.No	Year	Amount	No. of Shools Buildings
1	2015-16	9701722	11
2	2014-15	63489984	20
	Total	73191706	

The details of sanctions for last two years, i.e. 2015-16 and 2016-17 is as below:

EOR Report for Session 2015-16

Sl. No.	Schid	Schname	Amount	Sanction Date	Purpose
1	2	3	4	5	6
1.	1431025	Kanjhawala-SKV	1272164	14.05.2015	Providing concertina coil fencing and repair of Internal boundary wall at S.K.V. at Kanjhawala, Delhi. (School I.D. 1413025) (Building I.D. 14131514). Design and Scope:- The following provision have been taken in this estimate. 1. Provision has been made for missing grill over boundary wall and concertina coil with "Y" shaped angle iron posts. 2. Washed dgrit plaster in side the

					boundary wall. 3. All connected/related items have been included in this estimate. 1. Providing verified floor tiles, false ceiling and wall panelling in MP Hall. 2. Providing Aluminium door with necessary shutter and aluminium windows along with all necessary fittings. 3. Dismantling of existing damaged plaster ourside of the walls and replacetering the same. 4 Disposal of malba received from the dismantling. 5. All other connected items incorporated in this estimate.
2.	1413025	Kanjhawala-SKV	1578845	14.05.2015	Renovation of MP Hall at Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Khanjhawla, Delhi. (School I.D. 1413025) (Building I.D. 14131514). Design and Scope:- The following provision have been taken in this estimate. 1. Providing verified floor tiles, false ceiling and wall panelling in MP Hall. 2. Providing Aluminium door with necessary shutter and aluminium windows along with all necessary fittings. 3. Dismantling of existing damaged plaster ourside of the walls and replacetering the same. 4. Disposal of malba received from the dismantling. 5. All other connected items incorporated in this estimate.
3.	1617014	Mundka Village-SKV	2135120	27.05.2015	EOR to SKV, Mundaka, Delhi (School Building I.D. No. 16171462), SH: Renovation of M.P. Hall Design and Scope:- 1. Providing

1	2	3	4	5	6
					and fixing glass mosaic tiles. 2. Providing and laying integral cement based water proofing treatment. 3. P/F teak parquet wooden flooring tiles of size 140×35×8. 4. Demolishing mud phaska in terracing and disposal of material.
4.	1413025	Kanjhawala-SKV	727200	12.06.2015	Renovation of MP Hall including providing electrical installation and air conditioning.
5.	1413025	Kanjhawala-SKV	607293	12.06.2015	SITC of 2 nos. High Mast Lights.
6.	1413022	Ladpur-GBSS	917300	12.06.2015	Grit wash plaster on the external surface of existing sps rooms.
7.	1413078	Karala-SKV	558900	03.08.2015	Fixing of grill in verandah openings at first floor.
8.	1412095	Rani Khera-S (Co-Ed) V	941300	29.10.2015	Renovation of boys toilet.
9.	1413009	Nizam Pur-G (Co-Ed) SSS	435000	18.11.2015	Provision of concertina coil fencing on boundary wall.
10.	1413009	Nizam Pur-G (Co-Ed) SSS	393200	18.11.2015	Repair of wall of school garden/park and footpath.
11.	1413009	Nizam Pur-G (Co-Ed) SSS	135400	16.12.2015	Providing and laying water line for making connection to Pyaau.

EOR Report for Session 2014-15

Sl. No.	Schid	Schname	Amount	Sanction Date	Purpose
1	2	3	4	5	6
1.	1412095	Rani Khera-S (Co-ed) V	863316	08.12.2014	Installation of one bore well with R.O. water metering system.
2.	1413003	Ghevra-SV	1230049	16.05.2014	Repairing of existing boundary wall and C/o new boundary on the right side and back side and concertina coil over the boundary wall of school at S.V. Ghevra, Delhi (School I.D. 14131294) (Building I.D. 14131294).
3.	1413181	Jaunti-SV	2637012	15.09.2014	C/o Girls toilet block (2 Nos.) at Sarvodaya Jaunti, Delhi (School I.D. 1413181) (Building I.D. 14131283). Design and Scope: The estimate provides for the construction of toilet blocks 2 Nos., the construction shall be semi permanent structure. 1. Foundation and plinth: The foundations shall be of load bearing brick work spread footings over the cement concrete 1:5:10 (1 Cement: 5 Coarse sand: 10 Graded stone aggregated 40 mm nominal size), flooring in ground floor shall be laid over 100 mm thick cement concrete 1:5:10 (1 Cement: 5 Coarse sand: 10 Graded stone aggregate 40 mm nominal size), over

1	2	3	4	5	6
					100 mm thick Jamuna scand filling. Plinth band of RMC M-25 shall be provided at plinth level. 2. Superstructures: The Superstructures of the building shall be load-bearing construction. Provision has been made for RCC bands at lintel level and roof level. Brick work in superstructure shall be with bricks of class designation 75 in cement mortar 1:6 (1 cement: 6 coars sand) 65×65×8mm M.S. Angle welded back to back (2.5 cm long top and bottom @ 30 cm centre to centre) supported over M.S. R.S. Joists of required X-Section shall be provided to support stone roofing and R.S. Joists shall be supported over 10 mm thick gusset plate placed over RCC band of appropriate size. 3. Doors and Window: Frames of the doors shall be with T-iron frames (40×40×6 mm), all the doors except for internal WC doors of toilet shall be of 1 mm thick mild steel doors shutters (single) leaf) with frame of 25×25×4mm M.S. angle iron having five partitions and one lock rail comprising of MS plate 50×4 mm with necessary fixtures such handles, oxidized M.S. butt hinges, oxidized MS sliding door bolts, tower bottles etc as per approved drawing and direction of Engineer-In-cherge.

The internal WC door of toilet shall be 30 mm thick fiber glass Reinforced plastic (FRP) panelled doors shutter and FRP door frame of required shade of approved brand and manufacture. 4. Windows: Windows/ Ventilators shall be factory made ISI marked standard rolled steel sections and M.S. grills shall be provided with welding over the steel windows/ventilator. 5. Flooring: Flooring in toilet and verandah shall be provided with Antiskid tiles with skirting. The floor base at ground level shall be 100 mm (average) thick cement concrete 1:5:10 (1 cements:5 coarse sand: 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) over 100 mm Jumuna Sand. Dados in the veerandah and toilet shall be finished with 300×450 mm size rectified ceramic glazed tiles up-to a height of 2:1 meter. 6 Roofing: Roofing shall consist of following items. The terrace roof shall be as under: 47-50 mm thick one side fine chiselled red sand stone stabs of size 90x60 shall be placate on ISMB of appropriate size and two angle iron of section 65×65×8 mm welded together shall rest on RCC roof band of RMC M-25 of appropriate size. Grading with cement concrete 1:2:4 (1 cement; 2 coarse sand; 4 graded stone aggregate 20 mm nominal

1	2	3	4	5	6
					size) will be laid over the red sand stone. Terrace will be finished with integral base water proofing treatment (Kota treatment). 7. Finishing All internal walls shall be plastered with 12 mm thick cement plaster on even sides and 15 mm thick cement plaster on other side. The external wall shall be plastered with washed stone grit plaster. Internal wall shall be finished with acrylic washable distemper. All the doors, windows, ventilators shall be painted with synthetic enamel paint of approved brand, shade and manufacture over a coat of approved primer. 8. Miscellaneous: 50 mm thick plinth protection consisting of cement 1:3:6 (1 cement: 3 coarse sand: 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) over 75 mm thick brick ballast rammed and grouted with sand. Brick edging shall be provided along the edges of plinth protection. Surrounding area shall be filled water load on the drainage service, 9. Water supply and Sanitary Installation: Provision has been made for internal water supply and sanitary installation and also for connecting sewer line to the nearest manhole. Provision has also been made for water connection form the nearest available source. 10. development works:

					Provision for Sewer and storm water drain has been taken. 11. Electrical installation works: Provision of Electrical installation have been made as per plinth area rates 2012.
4.	1617026	Nilothi-SKV	2889757	21.11.2014	EOR to SKV, Nilothi,The following provision has been made in this estimate:— 1. Earth work. 2. steel work. 3. flooring work. 4. P/L vitrified tiles in floor with different sizes. 5. P/F 15mm thick densified tegular edged eco friendly light light weight calcium silicate; false ceiling. 6. P/L 60 mm thick factory made cement concrete interlocking payer block of M-30. 7. P/L factory made green board.
5.	1413078	Karala-SKV	2315086	31.03.2015	C/o cement Concrete path from main entrance to both side of both Principal's offices at S.K.V. Karala, Delhi.. (School I.D. 1413078) (Building I.D. 4131568).
6.	1413022	Ladpur-GBSS	2330431	16.09.2014	Renovation of boundary wall of Government Sr. Sec. School, Ladpur, Delhi. (School I.D. 1413022) (Building I.D. 14131335). Design and Scope:— The following provision have been taken in this estimate. 1. Brick work for missing walls. 2. Angle Iron "Y" shaped post size 50×50×6 mm. 3. Concertina coil fencing over existing boundary walls. 4. Washed stone grit plaster on both sides of boundary wall.

1	2	3	4	5	6
7.	1413022	Ladpur-GBSS	744500	27.12.2014	Providing tiles on the walls of existing corridor, stairs, etc.
8.	1413003	Ghevra-SV	1659447	12.11.2014	Repair and Renovation of 2 Nos. Boys and 2 Nos. Girls Toilet of Sarvodaya Vidhalaya, Ghevra, Delhi, (School I.D. 1413003) (Building I.D. 14131294). Design and Scope:- The following provisions have been taken in this estimate. 1. Replacement of floors/wall tiles along with all broken MS doors shutters/ chowkhats. 2. All broken W.C. Seats, wash basins etc. 3. Replacement of broken FRP door shutters. 4. Water supply lines and drainage lines to be improved 5. Independent staging for placement of water tanks. 6. And other Misc. repair works.
9.	1413078	Karala-SKV	529341	19.02.2015	Major repair of electrical installation and replacement of defective fans fittings and MCBDB alongwith repairing of security lights.
10.	1617035	Nangloi, J.J.	1310112	01.08.2014	EOR to GGSSS, J.J. Colony, Nangloi, Delhi Design and Scope:- 1. P/F Kota stone flooring in school courtyard. 2. Brick work. 3. P/L CC (1:5:10) (1 cement: 5 coarse sand : 10 graded stone aggregates under kota stoe courtyard and CC payemnt. 4. Steel work welded in built up section/fremed work in vehicle parking.

11.	1413022	Ladpur-GBSS	999900	24.07.2014	Installation of Borewell with RO water metering system
12.	1413265	Swada (Ghevra) J.J. Colony B-Block, SV	22459977	22.07.2014	C/o 20 Nos. SPS Rooms Classrooms (D/S) two toilet block and two staircase at Sarvodaya Vidyalaya Sr. Secondary School, B-Block, J.J. Coloony, Swada (Ghevra) Delhi, (School I.D. 1413265) (Building I.D. 14131734). Design and Scope: Following main provision have been taken in this estimate:- 1. The foundation shall be spread footing in crick work over layer of CC 1:5:10. 2. The wall shall be of brick work in cement, ortar with proivision of plinth, lintel and roof RCC bands considering seismic requirements. 3. The roof shall be constructed with sand stone slabs shall be provided with cement soncrete grading with integral cement based water proofing treatment with brick koba over it. The floor shall be kota stone flooring. 4. Doors and Window. Doors of the class rooms shall be M.S. Sheet and those of toilet of FRP door shutters. Whindow shall be of ISI marked M.S. Section. 5. Finishing: The walls shall be plastered with cement 6 mortar. The corridors shall be finished with glass mosaic tiles upto door hight and above the 1st quality acrylic distemner and external walls with grit wash plaster.

1	2	3	4	5	6
13.	1412095	Rani Khera-S (Co-ed)V	2771283	26.09.2014	Providing Kota Stone Flooring in the existing class rooms (32 Nos.) corridor and replacement of broken windows and chajja etc. at Government School (Co-Ed), Ranikhera, Delhi, (School I.D. 1412095) (Building I.D. 14121339). Design and Scope:- The following provisions have been in this estimate. 1. Prvision for 25 mm thick Kota Stone flooring in all 32 Nos. class rooms and corridor. 2. Replacement of Old Broken windows with M.S. windows and grills. 3. All damaged chajjas be dismantled and Red sand Stone chajjas provided over the windows. 4. Provision for C.C. Payement in front and side of school have been taken. 5. All connected items have been taken in this estimate.
14.	1617026	Nilothi-SKV	987616	18.03.2015	EOR to SKV at Nilothi, New Delhi (Sh: Improvement of entrance grill in corridor opening at first floor and staircase etc.) Design and Scope:- 1. Earth work. 2. Brick work. 3. Steel work. 4. P/F UV stablished fiberglass reinforced plastic sheet roofing etc.
15.	1413025	Kanjhawala-SKV	1517842	20.01.2015	Providing and fixing probile sheet roofing over the existing SPS (S/S) class rooms at

					SKV, Kanjhawala, Delhi (School I.D. 1413025) (Building I.D. 14131514). Design and scope:- The following provisions have been taken in this estimate. 1. Provision of Angle iron of size 40×40×5 mm to be provided to hold profile sheet roofing. 4. All connected/related items have been included in this estimate.
16.	1617035	Nangloi, J.J. Colony-GGSSS	920933	09.02.2015	Renovation of Electrical Installation.
17.	1617001	Tikri Kalan-GBSSS	15254042	01.08.2014	C/O 12 Nos. SPS type class rooms (D/S) I/C 02 Nos. staircase and 01 no toilet block for GBSS, Tikri klan, Delhi (School I.D. No. 1617001 and School building I.D. No. 16171590) Design and Scope:- 1. Superstructure, Foundation, Floors and roof, Doors and window rooms size 6.37×6.37 m.
18.	1617026	Nilothi-SKV	965906	01.07.2014	For Installation of R.O.
19.	1413265	Sawada (Ghevra) JJ Colony B-Block, SV	339764	05.02.2015	Repair and modification of electricity with single button system, repair of fans and tube lights.
20.	1617006	Hiran Kudna-SV (Co-ed)	763670	18.06.2014	Improvement of Electrical Installation at Sarvodaya Co-ed Sr. Sec. Schol Hiran Kudna.

List of school where Additional Classrooms are being Constructed by PWD in Mundka Assembly Constituency

Sl. No.	District	Zone	School ID	School Name
1.	North West B	12	1412095	Rani Khera-S (Co-ed) V
2.	North West B	13	1413078	Karala-SKV
3.	West B	17	161700:	Tikri Kalan-GBSSS
4.	West B	17	1617012	Tikri Kalan-SKV
5.	West B	17	1617014	Mundka Village-SKV
6.	West B	17	1617035	Nangloi, J.J. Colony-GGSSS

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंटरी दलाल जी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी विधान सभा में ही दो बच्चे रियो में पार्टिसिपेट करने के लिए गए। लेकिन सुविधाओं के नाम पर वो खेतों में प्रैक्टिस करते हैं। ना कोई स्टेडियम है, ना कोई अच्छी सुविधा है। आपसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे बच्चे तैयार करने के लिए आप मेरी विधान सभा की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दें। ताकि अगली बार जब ओलम्पिक होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अभी कराला से दो बच्चे गए हैं। भले ही वो गोल्ड मैडल नहीं जीत पाए, मैडल नहीं जीत पाए लेकिन रियो तक पहुंचना भी एक छोटे सी विधान सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदयः दलाल जी, क्वेश्चन करिए।

श्री सुखबीर सिंह दलालः सर, मैं वो ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं इन्होंने कहा है कि

एक–दो सुविधाएं हैं। सुविधा अभी नहीं हैं हमारे पास। इसके लिए गुजारिश करूंगा मैं थोड़ी सी कि हमें एक माडर्न स्कूल दिया जाए और स्पोर्टस का स्टेडियम भी।

उप मुख्यमंत्री : माननीय विधायक जी का प्रस्ताव अच्छा है पर मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि खेल का, शिक्षा का इसकी योजनाएं किसी विधान सभा परिसर के परिसीमन में रखकर के बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक विधान सभा में आज ये है 5 साल बाद 10 साल बाद परिसीमन होगा तो इनकी आधी विधान सभा या चार कालोनी इधर निकल जायेंगी फिर कहेंगे कि मेरे में रह गया या मेरे में दो आ गए। परिसीमन होता रहता है परन्तु पूरी दिल्ली के संदर्भ में इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमें संज्ञान में रखने की जरूरत है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं और मेरा ये भी मानना है अध्यक्ष महोदय सरकार का भी ये मानना है कि ओलम्पिक्स की तैयारी तब नहीं होगी जब हमें ये पता चलेगा अब हमें ओलम्पिक्स में भेजने हैं या आज 1 साल या 2 साल बाद में मुझे लगता है कल ओलम्पिक्स खत्म हुए हैं तो आज से ही ओलम्पिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आज से ही करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या–दो सरिता सिंह जी।

श्रीमती सरिता सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि प्रश्न संख्या–दो का जवाब देने का कष्ट करें।

(क) विद्यालय प्रबन्धन समितियों की क्या जिम्मेदारियां एवं कर्त्तव्य है;

(ख) क्या प्रत्येक स्कूल में हर महीने अभिभावक अध्यापक बैठक आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) टैंटों में चल रहे स्कूलों जैसे रोहताश नगर और मंडोली रोड पर विवादित भूमि पर बने नेहरू मैमोरियल स्कूल की दशा सुधारने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) सरकार द्वारा रोहताश नगर में स्थित स्कूल का पुनर्निर्माण का कार्य कब शुरू करने की योजना है; और

(ङ) 20000 गेस्ट टीचर के पद कब तक भर दिए जायेंगें ?

अध्यक्ष महोदयः उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या दो के संदर्भ में मुझे कहना है किः

(क) विद्यालय प्रबन्धन समितियों की जिम्मेदारियों एवं कर्त्तव्य के निर्वहन हेतु शिक्षा निदेशालय द्वारा इससे सम्बन्धित दिनांक 06.11.2015 तथा 01.08.2016 को जारी परिपत्रों की प्रतिलिपियॉ (क) व (ख) पर संलग्न हैं;

(ख) अभिभावक व अध्यापक बैठक आयोजित करने का विवरण 'ग' व 'घ' पर संलग्न हैं;

(ग) एवं (घ) नेहरू मेमोरियल स्कूल एक सहायता प्राप्त विद्यालय है, जो विवादित भूमि में स्थित है। अतः इसमें कोई भी सुधार का कार्य फिलहाल नहीं हो सकता। फिर भी, इस स्कूल के छात्र/छात्राओं को मानसरोवर पार्क नं. 1 के सरकारी स्कूल मे लड़कियों के पाली में लड़कियॉ तथा लड़कों की पाली में लड़के स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में 16747 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त नये शिक्षकों की भर्ती के लिये सन् 2012 में 3685 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई गई, जिनमें से 1596 डोजियर्स शिक्षा विभाग में आ चुके है। 2013 में 4535 शिक्षकों की भर्ती के लिये परीक्षा करवाई गई जिसमें से 959 डोजियर्स शिक्षा विभाग में आ चुके हैं तथा सन् 2014 में 3824 शिक्षकों की भर्ती के लिये परीक्षा करवाई गई जिनमें से 238 डोजियर्स शिक्षा निदेशालय में आये है तथा इनकी जॉच प्रक्रिया जारी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड शीघ्र ही शिक्षा विभाग का 699 डोजियर्स और भेजने वाला है। अन्य डोजियर्स के लिए कार्रवाई की जा रही है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH OLD SECRETARIAT, DELH1-I10054, PHONE NO. 23890097

F.DE.23 (6)/RTE/Pt.file/2011/311-319 Dated: 06.11.2015

CIRCULAR

Sub: Roles and Responsibilities of School Management Committees.

Reference our circular dated 25.03.2013 on the subject, 'Guidelines for composition of School Management Committee under RTE Act and its functions' vide which functions of School Management Committee were mentioned. In order to consolidate the functions of SMC as per the relevant provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act, 2009) and Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, the functions of School Management Committee are reiterated below:—

1. Monitor the working of the School.
2. Prepare and recommend the School Development Plan.
3. Monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government or Local Authority or any other source.
4. Communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the right of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the Government. Local Authority. School. Parents and Guardians.
5. Ensure that teachers maintain regularity and punctuality in attending the school.
6. Ensure that teachers hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn,

progress made in learning and any other relevant information about the child.

7. Ensure that no teacher shall engage himself or herself in private tuition or private teaching activity.

8. Monitor that teachers are not burdened with non-academic duties other than those specified in Section 27 of RTE Act. 2000 i.e. decennial population census, disaster relief duties or dudes relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament, as the ease may be.

9. Ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school.

10. Monitor the maintenance of the norms and standards specified in the schedule.

11. Bring to the notice of the Government or local authority, as the case may be, any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission and timely provision of free entitlements as per section 3(2) of RTE Act. 2009 which States that no child shall be liable to pay any kind, of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education.

12. Identify the needs, prepare a plan, and monitor the implementation of the provisions of Section 4 of the Act which states that, 'where a child above six years of age has not been admitted in any school or though admitted could not complete his or her elementary education, then, he or she shall be admitted in a clas appropriate to his. or her age'.

13. Shall identify children requiring special training and organise such trainings. These trainings would be:—

    (a) Based on age-appropriate learning material approved by the SCERT.

(b) Organised in the premises of the school or in classes organised in sale residential facilities.

(c) The said training shall be provided by teachers working in the school, or by teachers specially appointed for the purpose.

(d) The duration of the said training shall lie for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

14. Monitor the Identification and enrolment of, and facilities for education of children with disabilities and ensure their participation in, and completion of elementary education.

15. Monitor the implementation of the Mid-Day-Meal in school.

(Dr. ASHIMA JAIN, IAS)
Addl. DE (RTE)

All Addl. DEs/RDEs/DDEs/EOs/Branch Incharges/HOS of Govt. /Govt, aided schools of DOE through DEL-E for strict compliance.

Copy to:-

1. Secretary to Hon'ble Minister of Education, GNCT of Delhi
2. P.S. to Secretary (Education), GNCT of Delhi.
3. P.S. to Director of Education, DOE, GNCT of Delhi.
4. Director(s) of Education, MCDs (East/North/South)
5. Bisector of Education (NDMC), CEO (DCB).
6. Addl. DE (School).
7. OS (IT) to upload on the website of DOE.
8. Guard file.

(SHRUTI BODH AGARWAL)
OSD (RTE)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION RIGHT TO EDUCATION BRANCH ROOM NO. 252, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054: Ph. 23890097

No. F.DE. 23(6)/RTE/2012-13/847-854 Dated: 01.08.2016

CIRCULAR

Sub: Enhancement of powers of School Management Committees.

Reference circular No. F.DE.23 (6)/RTE/Pt.file/2011/3T1-319 dated 06.11.2015 on the subject, 'Roles and Responsibilities of School Management Committee'. The following guidelines are hereby issued for enhancement of powers of School Management Committees:—

1. Overall development of the school

The SMC shall be empowered to take any decision for the overall development of the school and the welfare of the students and teachers, and shall be empowered to get these decisions implemented.

2. Meetings

- There shall be two meetings in a month. Meetings will be held on the first and third Saturday of the month. The SMC may change meeting days as per their convenience.
- Preferably meetings of SMC should be hold before/after school hours, so as to avoid teacher absence from the classroom.
- Meeting shall he-notified by the Convener or the Chairperson telephonically, at least 24 hours in advance of the meeting,
- Normally, the Chairperson shall convene the meetings. However, if the Chairperson fails to do so for whatever reason, the Vice-Chairperson may also call a meeting.

- In case of schools which are running in buildings that run in two shifts, every alternate month, this meeting shall be a combined meeting of the SMCs of both the morning and the evening shift, lo ensure coordination. The two shifts can have combined meetings whenever they so desire.
- An unscheduled meeting can be requested if at least l/3rd of the members do so in writing, with a clearly specifying agenda. The Chairperson is bound to convene this meeting of the Committee within 7 days of the request.

3. SMC Visits to Schools

- SMC members are entitled to visit the school during working hours, without (Sousing disturbance to the working of the school. On coming to the school they must sign in the SMC Register. Student's activities in the classroom, laboratory, playground or any other assembly place will not be disrupted.
- In a Girls' School, rounds of the school shall only be taken by female members of the SMC. In Co-ed schools, rounds may be taken by the male members, when accompanied by a female members of the SMC.
- No SMC members will enter into a classroom where the teacher is present, unless the SMC so decides; in which there must be at least 3 SMC members.
- The Assembly can be addressed by SMC members with prior approval of the Head of the school, Sri the interest of discipline of the school.

4. Inspection of Records

- Any member can ask for any records related to the school by requesting in Writing, The HOS must acknowledge the receipt of

request on a duplicate copy and return the acknowledgement to the SMC member. It is the duty of the HOS to make the records available within 3 days. Any SMC member can demand the photocopy of any document. However, the concerned SMC member shall have to bear the cost of photocopying.

- During the monthly SMC meetings, all records, as decided by the SMC, related to the school have to be presented to the SMC. this includes (but is not limited to) financial records, bills, attendance register of teachers and students, etc. request for photocopies to be recorded in the minutes of the meeting and mentioned in the Action Taken Report including the amount paid by the concerned SMC member towards photocopy charges.

5. Checking of Expenses

- The report of ail expenses made since the last SMC meeting have to be presented in the SMC meeting. In an SMC meeting, when bills of expenses on school building and maintenance are presented, the members of the SMC are authorized to physically examine the repair, maintenance or asset that has been purchased. However, this has to be done without disturbing the functioning of the school. The comments/feedback of the SMC members should be recorded in the minutes.

- If the SMC suspects any irregularity in the utilization of funds, they shall recommend the formation of an inquiry committee, to the Deputy Director (District), who shall have to act within the next 15 days. If the Deputy Director (District) chooses not to act on the recommendation of the SMC, he/she would have to explain the reasons in writing:

6. Social Audit

All the activities and funds of School must be annually presented before the General Body comprising of parents and teachers once every year,

and guidelines shall be issued for the same by the Directorate of Education.

7. Learning

- SMC has the power to identify the children requiring special training and remedial education by means of organizing diagnostic learning level assessments on periodic basis. These would be based on assessment tools created by the Directorate of Education, SCERT or NGOs empanelled by SCERT. This would require a resolution passed by SMC with minimum if half total Strength of the Committee.
- SMC has the power to organize special training and remedial education program in school premises to support academically deficient students. The special training can be conducted by trained/qualified community volunteers or revised, leathers or teachers from' the school on a pro bono basis. For girl schools, only lady teachers will be deployed. This would require a majority resolution by the SMC.

8. Teachers

- Parents and students have repeatedly complained about teachers' absence from schools; teachers leaving school before the end of school hours, as well as they are not taking classes despite being present in the school. The SMC shall set up a sub-committee of parent members (only lady members in case of girls' schools, and having at least one lady member in a Co-ed school) for monitoring the teachers' absence from die school, and from the classroom. This sub-committee shall visit the school at least once a week and shall be authorized to make surprise visits to the school (but will make entry in the SMC register on their arrival), visit the classrooms, speak to the students. The sub-committee is

authorized to go through the teachers' attendance register, as well as the online attendance record.

- In case of unsanctioned absences from the school or the classroom by the teacher, the member of the SMC sub-committee is authorized to note (he absence in the attendance register. Further, the SMC has the power to summon the teacher to the SMC meeting. In ease of repeated absence by the teacher or inadequate explanations given for the same, the SMC may recommend to the HOS to issue a show cause notice to the teachers. The HQS shall act on recommendations of the SMC or give his/her reasons in writing to the SMC, within 7 working days, if he/she does not act in accordance with the recommendation of the SMC.

9. Non-Cooperation of flic HOS to the SMC

- In case, the Head of the School does not despite repeated requests by the SMC-hold meeting of the SMC or implement the decisions taken in the SMC meetings which are within the purview of the legal duties and powers of the Head of the School, then the SMC can recommend show cause notice to he issued to the Head of the School.

- The SMC by 2/3rd strength (of the non-employee members of the SMC) can pass a resolution recommending show cause against n Principal to the DDE (District). The DDE (District) shall act on the recommendation in 15 days, in case, the recommendation is not accepted, DDE (District) shall give reasons for the same in writing to the SMC, within 3 weeks.

10. Capacity Building

- SMC has the power to collaborate on pre-bond by means of an MOU with any NGO from amongst the government empanelled NGOs for meeting any of its deficiencies in academics, sports,

music, or In any other field. This would require a resolution passed by the SMC with a minimum of half of the total strength of the Committee. SMCs shall inform the SCERT and DDE Zone regarding the same.

- SMC has the power to terminate any MOU it signed with any NGO from amongst the government empanelled NGOs for meeting any of its deficiencies in academics, sports, music, or in any other-field by serving notice as agreed in the MOIL A common -template of the MOD to be used for this purpose shall be prepared by the Litigation Branch of DOE and would be uploaded on the Edu del website. This would require a resolution passed by SMC- with minimum of half of total strength of the Committee, SMCs shall inform the SCERT and DDE Zone regarding the same.

11. Estate Manager

The Estate Manager of the school shall be a Special Invitee into the SMC. and shall attend all the SMC meetings to report on infrastructure and maintenance related issues.

12. Student Participation

A Student Suggestion Box must be put up in a prominent place in the school, which must be opened in the presence of SMC members. SMC in any particular case, when it deems fit, might invite certain students for discussion, but cannot force children to do so.

13. Parents Suggestions/Complaints

A Parents Suggestion and Complaints Box must be put up in a prominent place in the school, which must be opened in presence of SMC members. Any Complaints received by the parents shall be discussed in the SMC meetings. If heeded, the concerned parent may be invited to the SMC meeting.

14. Removal of Members

- A person shall be liable to be held disqualified if he/she is convicted by the court of law for offences involving moral turpitude or any other offence under Section 302/363/366/276/395/409/465/468/477 (A)/493M94 of IPC. The Deputy Director (Zone) or above is competent authority to issue this order.
- An SMC member shall be liable to be held disqualified if:

  (a) He/she is found guilty of misconduct or negligence of duty.

  (b) He/she fails to attend three consecutive meetings without approval from SMC.

  The SMC, by a resolution passed by at least half of the total strength, may remove member(s) from the Committee.
- On receipt of a complaint of negligence of duties/responsibilities/any misconduct against any one or more SMC members the DDE (Zone) can initiate an Inquiry and DDE (District) am pass a speaking order for removal of that member(s) including Chairperson of the SMC.

15. Removal of Vice-Chairperson

The Vice-Chairperson shall be liable to be held disqualified if:

(a) He/she is found guilty of misconduct or negligence of duty

(b) He/she fails to attend three consecutive meetings without approval from SMC. The SMC by passing a resolution of 2/3 of total members (including employee members) can remove the SMC Vice-Chairperson from Vice-Chairpersonship.

16. Dissolution of SMC

The SMC may be dissolved, if found negligent of its duties and responsibility as assigned in these rules, non-compliant to Government

Orders or and non-co-operative towards the implementation of the Government funded schemes for the improvement of the schools and the academic environment in the school, by an order of a Deputy Director (District) on the basis of –

- a resolution adopted in a meeting of the parents - at least hundred or thirty percent (30%) of total parents of students of the school to the effect that the School Management Committee has failed to discharge its duties and responsibility effectively or has been inactive or indifferent in the matter of implementation of Government funded schemes for the improvement of schools and the academic environment in the schools;
- an inquiry/inspection into the-complaints of negligence of duties and responsibility, non-compliance with Government Orders and Instructions or a non-co-operative attitude towards the implementation of the Government funded schemes for the improvement of the school and the academic enrolment of the schools;
- while receiving a complaint against the SMC from the community/ organization/Govt. officials regarding non-compliance of Govt. order/instruction, negligence of duties and responsibilities, non-cooperative to implement Govt. funded schemes for the improvement of the school, the Deputy Director of Education (District) will institute an inquiry into the matter arid subject to the authenticity of the complaint shall pass a reasoned order for dissolution of the SMC concerned.
- The Deputy Director (District) shall take steps for Constitution of a new SMC within a month of dissolution of SMC concerned.

This issues with the prior approval of the competent authority.

(SHASHI KAUSHAL)
SPL. DIRECTOR OF EDUCATION (RTE)

Copy to all Addl. DEs/Spl. DEs/Jt. DEs/Distt. DDEs/Zonal DDEs/Branch In-charges/HOS of Government/Aided Schools of DoE through DEL-E for strict compliance.

Copy to:-

1. OSD to Hon'ble Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi
2. P.S. to Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi
3. P.S. to Director of Education, Govt. of NCT of Delhi
4. Spl. DE (ACT-11)
5. Addl. D.E. (School)
6. OS (IT) with a request to upload a copy of this circular on the website of the department.
7. Guard File

(SHRUTI BODH AGARWAL)
OSD (RTE)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No. DE.23 (21)/Sch.Br./2016/1169 Dated: 13.07.2016

CIRCULAR

Sub: Parents Teachers Meeting.

Besides the regular Parents Teachers Meetings, the Directorate of Education intends to increase its interaction with parents' of children in Government Schools. Therefore, all officers mentioned below will set public hearing hour on every Friday, exclusively for parents of children in Government Schools:

- Director (Education)
- Addl. Director (School/Exam)
- Deputy Director of Education (District)

- Deputy Director of Education (Zone)
- Heads of Government Schools

The parents of students of Govt. Schools can meet concerned Head of Govt. School/above mentioned Officers of the Directorate of Education on every Friday, during the scheduled time of the meeting as under:

For Morning Shift schools	08:00 AM to 09:00 AM
For Evening Shift schools	05:00 PM to 06:00 PM
For Offices of Zone/District/RDE/ HQ of Directorate of Education	12:00 Noon to 01:00 PM

All the Heads of Govt. Schools and Officers of Directorate of Education are requested to ensure that a metal plate depicting the 'Time of Meeting the Officers' (as above) is displayed at a prominent place outside every Govt. School and Offices of Zone/District/RDE/HQof the Directorate of Education.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

(Dr. (Mrs.) Sunita S. Kaushik)
Addl. DE (School)

All Heads of Govt. Schools under Directorate of Education through DEL-E

No. DE.23 (21)/Sch.Br./2016/1169 Dated: 13.07.2016

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDEs/ DDEs (District/Zone)/DEOs for information and necessary action.
4. OS (IT) to please paste it on the website.
5. Guard File.

(Tapeshwar)
DEO (School)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No DE.23(555)/Sch.Br./20l5/1007 Dated: 30.07.2015

CIRCULAR

Sub: Making Parents-Teachers Meeting compulsory in every Quarter.

In continuation to instructions issued vide earlier circular No. DE.23(555)/ Sch.Br./2014/788 Dated: 13-6-2014 all the Heads of Govt./Govt. Aided School under Directorate of Education are once again reminded that Parents Teacher Meeting is a very important measure for improving, teaching learning process as-they provide a platform for the parents and teachers to discuss about the student.

Following instructions/directions are hereby issued for compliance, by all Heads of Govt./Govt. Aided Schools:

- It Is compulsory to have Parents Teacher Meeting after SA-I to discuss the learning levels and before SA-II to discuss the strengths and weaknesses of their wards.
- All the Heads of Govt. School tinder Directorate of Education are directed to ensure that "At least one Parents Teacher Meeting must be held in every quarter to discuss the issues relating their wards."
- A record of Parents attendance must be kept in the register maintained by Class Teacher and Subject Teacher.
- Parents must be informed about shortage of attendance of their wards if any and also obtain their signatures for the same.
- All the parents from Class VI onwards must be informed that getting 15 marks out of 50 is a must for passing Class IX examination.
- Second half of the last working day of the month may also be utilized for meeting with Parents, if so required by the teacher.

- Faculty Meeting, and Group discussion among subject teachers shall also be held .during second half on every last working day of the month. The minutes of the meeting and discussion must be recorded.

This issue with the prior approval of the competent authority.

[Dr. (Mrs,) Sunita Kausshikj)
Add]. D.E. (School)

All Heads of Govt. and Govt. Aided Schools through DEL-E

No. DE.22(555)/Sch.Br./20I5/1007 **Dated: 3o.7.2015**

Copy to:

1. PS to Secretary (Education).
2. PS.to Director (Educations).
3. All RDEs/DDEs (District/Zone)/DEQs for necessary action.
4. OS (IT) to please paste it on the Website.
5. Guard file for record.

(Usha Rani)
D.D.E (School)

अध्यक्ष महोदयः हां, सरिता जी सप्लीमेंटरी ?... प्रमिला टोकस जी। श्री वेद प्रकाश जी प्रश्न संख्या–चार।

श्री वेद प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–चार प्रस्तुत हैः

(क) क्या यह सत्य है कि 9वीं कक्षा से छात्रों को मूलभूत कानूनी शिक्षा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों एवं दायित्वों के विषय में जागरूक हों;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या चार का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) यद्यपि सरकारी स्कूलों में मूलभूत कानूनी शिक्षा का कोई औपचारिक पाठ्यक्रम 9वीं कक्षा में नहीं है, लेकिन शिक्षा निदेशालय और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा समय–समय पर 'मेगा लीगल लिटरेसी' प्रोग्राम चलाया जाता है। सभी सरकारी विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब भी बनाये गये हैं;

(ख) इसका विवरण (क) पर संलग्न है; और

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

No. DE.23(344)/Sch.Br./882 Dated: 25.8.2011

CIRCULAR

Sub: Creation of Legal Literacy Clubs in Schools

Please find enclosed herewith-a letter received from Sh. Dig Vinay Singh, Delhi State Legal Services Authority, Central office, Patiala House, New Delhi regarding creation ot Legal Literacy Clubs in schools as per list enclosed

Delhi State Legal Services Authority will also organize effective Legal Awareness Programmes in these schools. Heads of these schools are requested to cooperate the above authority in creating these clubs and organizing awareness programmes in schools.

End : As above

[DR. (MRS.) SUNITA KAUSHIK)
ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (SCHOOL)

All concerned HOSs through Del-E

No. DE.23(344)/Sch.Br./882 Dated 25.8.2011

Copy to:

1. PS to Pr. Secretary (Education)
2. PS to Director(Education)
3. Shri Dig Vinay Singh, Project Office, Delhi Slate Legal Services Authority, Patiala House Courts, Mew Delhi
4. OS(IT) to please paste it on the website
5. Guard File

[DR. (MRS.) SUNITA KAUSHIK)
ADDL. DIRECTOR OF EDUCATION (SCHOOL)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No.DE.23(547)/Sc.h.Br/ **Dated: 31.07.2014**.

CIRCULAR

Subject: Mega "Legal Literacy Programme and Drive for opening of Legal Literacy Club" in all Schools in Delhi in July-August, 2014.

Delhi State Legal Services Authority is going to organize a Mega Legal Literacy Drive on a single dedicated day in all schools of Delhi in July-August, 2014 by involving Serving and retired Judges from the Delhi High Court. The purpose of the programme is to impart awareness of Administration of Justice and teaching 'Fundamental Duties' to students of class XI.

The proposed programme is scheduled to be held early in the morning shift schools from 7.30 a.m. to 9.30a.m. and for the schools in the after noon session from 2.00 p.m. to 3.30 p.m. targeting at least 40 to 100 students of class IX to XI selected by the School Authorities, in each school. District DDEs will coordinate activities at District level.

Action to be taken by the District DDE:-

(i) To get the details filled in the format by Heads of Government schools under their jurisdiction within five days.

(ii) To be in contact with the Nodal Officer assigned for their District by the DSLSA for proper coordination of the programme.

(iii) To ensure that proper place is provided where 40-100 students can be accommodated.

(iv) To assess the need if flip charts are required for training in designated schools where projector is not available.

(v) To convey the requirement of Hip charts to the Nodal Officer of DSLSA.

(vi) To ensure successful completion of the programme.

Action to be taken by HoS:—

(i) To fill the formal correctly indicating status about useable mike and projector.

(ii) To select librarian or any other teacher to act as nodal person for the programme.

(iii) To provide a suitable room/hall with furniture in which the Legal Literacy Programme is to held.

(iv) According to the size and infrastructure of the room, select 40 to 100

students of class IX to XI. A few students of class XII can also be included.

(v) To ensure a proper neat, clean and well lit room with projector, black board and mike facility for the programme.

(vi) To inform the students about the programme well in advance.

(vii) Keep liaison with District DDE for successful implementation of the programme.

This issues with the prior approval of the competent authority.

End:- As above.

(Dr. (Mrs) Sunita Kausliik)
Addl. D.E. (SchooIs)

All HOSs of Govt. schools through DEL-E.

No. DE.23 (547)/Sch.Br./ Dated 25.8.2011

Copy to for information and necessary action:-

1. PS to Principal Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. The Addl. District and Sessions Judge and Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, lst Floor, Central Office, Patiala Mouse Courts, New Delhi-110 001.
4. All RDEs for information
5. All DDEs/EOs for information
6. OS (IT) to please paste it on the website.

(Usha Rani)
ADE (School)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT: DELHI-110054.

No. DE.23 (547)/Sch. Br./20l4/1760 Dated: 21.10.2014

CIRCULAR

Sub: Regarding Mass Legal Literacy Campaign and Opening of Legal Literacy Clubs in the schools on 28.10.2014.

In continuation of earlier Circular No. DE.23 (547)/Sch.Br./l 003 dated 31.07.2014 Delhi Stale Legal Services Authority is organizing Mega Legal Literacy Drive on 28/10/2014 in all Government schools of Delhi. Persons expert in the field of law serving and retired judges and advocates of Hon'ble Courts will be visiting the schools. They will interact with the already selected 40 to 100 students of class IX to XII about the duties and legal processes and create awareness about law.

- The timings of the programme in the morning shift schools will he from 8.00 A.M. to 9.30 A.M. and for evening schools from 2.00 P.M. to 3.30 P.M.
- **The Nodal Person already selected by the HOS will ensure success of the programme.**
- A proper neat, clean and well lit room/hall with projector, blackboard and mike facility for the programme should be available.
- Photographs may be taken about the programme.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl. As above

Dr. (Mrs.) SUNITA S. KAUSH1K
Addl. Director of Education (School)

All Heads of Govt. schools

No. DE-23 (547)/Sch.Br./2014/1760 Dated: 21.10.2014

Copy for information to:-

1. P.S. to Principal Secretary (Education).
2. P.S. to Directed Education).
3. Shri Dharmesh Sharma, Addl. District and Sessions Judge and Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority.
4. All DDEs/EOs/DEOs tor necessary action.
5. OS (IT) to Please paste it on the Website.
6. Guard File

(Usha Rani)
A.D.E. (School)

Report on Legal Literacy Awareness in Schools of Directorate of Education

A Mega Literacy drive was held in association with Delhi State Legal Services Authority in which prominent jurists, counsellors, panel lawyers and retired Judges/judicial officers shared their views with the students of Classes IX to XII. There after such sessions are going on from time to time in ail the schools. To create awareness among the students/children about their rights and duties 'legal literacy clubs' were created in all Secondary/Senior Secondary Schools under Directorate of Education in the year 2013. Legal literacy deals with the topics such as POCSO Act, Fundamental Rights and duties, Structure of Courts in India, Cyber Laws and Crimes, Traffic Laws, Anti Ragging Laws, Child Labour (Prohibition) Act, Law Enforcement Mechanism in Delhi and Women. Rights etc. during awareness programme. Books and literature concerning legal awareness were also made available in the library of schools.

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंटरी वेद जी।

श्री वेद प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल छोटे बच्चे 9वीं में, 10वीं, 11वी में पढ़ने जाते हैं और उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता कि हमें कोई दुखी करे तो हम क्या बताएं... डरते है अपने मां–बाप तक को भी नहीं बता पाते। उनके साथ–साथ शिक्षक महिलाएं भी हैं जिनका शोषण भी होता है। बाल मजदूरी भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूगा अगर कोई ऐसा प्रावधान हो जाए 9वीं क्लास से ही कोई 8–10 पेज का कोई ऐसा चैप्टर लग जाए सरकारी स्कूलों में दिल्ली के सभी स्कूलों में जिससे कि बच्चा जैसे बाल–शोषण से संबंधित मोटी–मोटी जो जानकारी है जिससे की किसी भी शोषण से छुटकारा पाया जा सकें। क्या ऐसा भी प्रावधान हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर हम कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम को ध्यान से देंखें तो सामाजिक विषयों से जुड़े हुए कई अलग–अलग कैरिकुलम में अलग–अलग उसमें चेप्टर्स हैं जो बच्चों को लीगल या सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी देने का काम करते हैं लेकिन फिर भी कानूनी कहीं कुछ उसमें कमी रह जाती है और कानूनी जागरूकता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना कानूनों की जानकारी दे दी जाये, उतना कम ही रहता है। किस वक्त कौन से कानून की जानकारी बच्चे को, किसी आदमी को जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए... पर फिर भी जो बेसिक कानून हैं जिसको रोजमर्रा की जिन्दगी में आवश्यकता पड़ती है या कम–से–कम बच्चों को अपने तात्कालिक विषयों से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दें ताकि उनके अन्दर कान्फिडेन्स भी रहे कि मेरे ये–ये अधिकार बनते हैं, अगर मुझे कोई इस तरह से परेशान करता हैं। अगर मेरे किसी अधिकार का वायलेशन होता हैं। इसीलिए ये दिल्ली

लीगल सर्विस अथारिटी द्वारा जो मेगा लीगल लिटेरेसी कैम्प लगाया जाता है, इसीलिए है। मेरी हाल ही में अभी लीगल लिटरेसी सेल के लोगो के साथ में जो माननीय जज साहिबान हैं, उन सबके साथ में भी दो हफ्ते पहले उनसे चर्चा भी हुई थी मेरे कार्यालय में और अभी तक जिस इस तरह से चलता था उसको और अग्रेसिव तरीके से, और प्रभावशाली तरीके से हम स्कूलों तक कैसे ले के जा सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री वेद प्रकाश जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा, बहुत ही रिलेवेन्ट और बहुत इम्पार्टटेन्ट मैटर उठाया। ऑनरेबल डिप्टी सी0एम0 साहब, उसमें पहले मैंने एक अपनी कॉस्टीट्यून्सी के अन्दर 'आपका अधिकार' नाम की एक बुकलेट निकाली थी। वो 'आपका अधिकार' बकायदा आम आदमी का अधिकार क्या है पुलिस के प्रति और क्या राईट्स हैं और क्या ड्यूटीज है, अगर ये करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाये। डेवलप कन्ट्रीज के अन्दर जो भी राईट्स हैं और जो भी ड्यूटीज हैं, इन दोनों का बकायदा वहां पर सिलेबस में पढ़ाया जाता हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया। अगर आप इसमें कुछ कर सकें तो दिल्लीवासी बड़े आपके अनुग्रहीत रहेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इम्पोर्टटेन्ट बात है और खासकर जो बच्चे कल के नागरिक बनने वाले हैं। कभी कोई एक्सीडेन्ट हो जाये तो उनको क्या करना चाहिए। कभी पुलिस में जायें या थाने में चले जायें, क्या उनके अधिकार बनते हैं। कास्ट क्रीड आजकल दलितों के साथ कुछ होता है तो उनके क्या अधिकार बनते हैं। कैसे उससे बचा जा सकता है। सिटीजन चार्टर, सरकार हमारी करने जा रही है। उन नाईन–टेन्थ के बच्चों को पता होना चाहिए। मां–बाप को

बतायेंगे। भई, सिटीजन चार्टर है। इस तरह के कुछ बेसिक कानूनों के बारे में अगर एक चेप्टर... उसकी परीक्षा न ली जाये लेकिन बच्चों को अगर जानकारी दी जाये तो वो अच्छे नागरिक कल बन सकेंगे अगर ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे ... क्योंकि बहुत इन्नोवेटिव उप मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का कुछ करेंगे तो बहुत बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदयः दोनों का ।

उप मुख्यमंत्रीः जैसा कि मैंने पहले भी कहा, माननीय विधायक जी के प्रश्न के जवाब में कि सरकार इस बात को लेकर काफी संवेदनशील है कि बच्चों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी हो और खासतौर से एक सामान्य नागरिक के रूप में जिस तरह की कानूनी जानकारियॉं, अधिकारों की जानकारी उनके पास होनी चाहिए। इसीलिए जो लीगल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं और दिल्ली लीगल लिटरेसी क्लब्स बना रहे हैं। उन सब के माध्यम से इन्हीं को करने का प्रयास है। मैं माननीय तमाम सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अगर लीगल लिटरेसी को बहुत इफेक्टिवली बच्चों तक पहुंचाने के लिए अगर उनके पास भी कोई सुझाव है जैसा कि माननीय विधायक सोमनाथ जी ने दिया तो उसको भी हमारे विभाग को उपलब्ध करा दें। उसको भी हम अपने क्लब्स में, कैम्पेन्स में शामिल करने की इच्छा रखते हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती प्रमिला टोकस जी आ गयी हैं। महिला सदस्य हैं इसलिए उनको समय दे देते हैं। श्रीमती प्रमिला टोकस जी। प्रश्न संख्या तीन।

श्री प्रमिला टोकसः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या तीन प्रस्तुत है :

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्कूली छात्रों को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) स्कूलों में खेलों एवं पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों में और अधिक शामिल करने एवं उनमें जागरूकता फैलाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार की अधिक से अधिक बच्चों को दाखिला देने हेतु और अधिक क्लासरूम बनाने की कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदयः उप मुख्यमंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. तीन का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लेब्स की स्थापना की गई है जिसके द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा कम्प्यूटर द्वारा प्रदान की जाने की सुविधा उपलब्ध है;

इसमे हम लोग अलग से साफ्टवेयर भी बनाते हैं जो कम्प्यूटर्स में वहां पर लोड किये गये हैं जो बच्चे को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है इस विषय में। कम्प्यूटर लैब में हम उसी चेप्टर को हाईटेक तरीके से उस साफ्टवेयर के जरिए उसको विज्युअलाईज करके साफ्टवेयर के जरिए उसको हम पढ़ाते हैं।

(ख) 1. स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष 20,000/– रुपये दिये जाते हैं। यह अच्छी बात है अध्यक्ष महोदय कि ओलम्पिक्स के समय में माननीय सदस्यों ने खेलों से सम्बन्धित प्रश्न काफी पूछे हैं और ये बात सबको पता होनी भी चाहिए कि स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष बीस हजार रूप्ये दिये जाते हैं;

2. शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को खेल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्राइवेट एकेडमी को अनुमति प्रदान की गयी है;

3. जो भी विद्यालय खेलों के लिये मैदान बनाने के लिये आवेदन/प्रार्थना करते हैं, शिक्षा निदेशालय द्वारा उनको लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किया जाता है;

4. स्कूलों द्वारा अतिरिक्त खेल सामग्री के लिये जो भी आवेदन दिये जाते हैं उनकी पूर्ति की जाती है;

(ग) मेगा पी.टी.एम./एस.एम.सी.द्वारा अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों में और अधिक शामिल करने एवं उनमें जागरूकता फैलाने हेतु शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र की प्रतिलिपि (क) पर संलग्न है;

(घ) और (ङ) जी, हॉ। दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों में लगभग 8000 नये कक्ष बनाने का कार्य प्रगति पर है। सूची (ख) पर संलग्न है। इसके अलावा 4200 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य दूसरे चरण में किया जाएगा उसकी भी योजना बनायी जा रही है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION RIGHT TO EDUCATION BRANCH ROOM NO. 252, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054: Ph. 23890097

No. F.DE. 23(6)/RTE/2012-13/847-854 Dated: 01.08.2016

CIRCULAR

Sub: Enhancement of powers of School Management Committees.

Reference circular No. F.DE.23 (6)/RTE/Pt.file/2011/3T1-319 dated 06.11.2015 on the subject, 'Roles and Responsibilities of School Management

Committee'. The following guidelines are hereby issued for enhancement of powers of School Management Committees:—

1. Overall development of the school

The SMC shall be empowered to take any decision for the overall development of the school and the welfare of the students and teachers, and shall be empowered to get these decisions implemented.

2. Meetings

- There shall be two meetings in a month. Meetings will be held on the first and third Saturday of the month. The SMC may change meeting days as per their convenience.
- Preferably meetings of SMC should be hold before/after school hours, so as to avoid teacher absence from the classroom.
- Meeting shall he-notified by the Convener or the Chairperson telephonically, at least 24 hours in advance of the meeting,
- Normally, the Chairperson shall convene the meetings. However, if the Chairperson fails to do so for whatever reason, the Vice-Chairperson may also call a meeting.
- In case of schools which are running in buildings that run in two shifts, every alternate month, this meeting shall be a combined meeting of the SMCs of both the morning and the evening shift, lo ensure coordination. The two shifts can have combined meetings whenever they so desire.
- An unscheduled meeting can be requested if at least l/3rd of the members do so in writing, with a clearly specifying agenda. The Chairperson is bound to convene this meeting of the Committee within 7 days of the request.

3. SMC Visits to Schools

- SMC members are entitled to visit the school during working hours, without cousing disturbance to the working of the school. On coming to the school they must sign in the SMC Register. Student's activities in the classroom, laboratory, playground or any other assembly place will not be disrupted.
- In a Girls' School, rounds of the school shall only be taken by female members of the SMC. In Co-ed schools, rounds may be taken by the male members, when accompanied by a female members of the SMC.
- No SMC members will enter into a classroom where the teacher is present, unless the SMC so decides; in which there must be at least 3 SMC members.
- The Assembly can be addressed by SMC members with prior approval of the Head of the school, in the interest of discipline of the school.

4. Inspection of Records

- Any member can ask for any records related to the school by requesting in Writing, The HOS must acknowledge the receipt of request on a duplicate copy and return the acknowledgement to the SMC member. It is the duty of the HOS to make the records available within 3 days. Any SMC member can demand the photocopy of any document. However, the concerned SMC member shall have to bear the cost of photocopying.
- During the monthly SMC meetings, all records, as decided by the SMC, related to the school have to be presented to the SMC. this includes (but is not limited to) financial records, bills, attendance register of teachers and students, etc. request for photocopies to be recorded in the minutes of the meeting and

mentioned in the Action Taken Report including the amount paid by the concerned SMC member towards photocopy charges.

5. Checking of Expenses

- The report of all expenses made since the last SMC meeting have to be presented in the SMC meeting. In an SMC meeting, when bills of expenses on school building and maintenance are presented, the members of the SMC are authorized to physically examine the repair, maintenance or asset that has been purchased. However, this has to be done without disturbing the functioning of the school. The comments/feedback of the SMC members should be recorded in the minutes.
- If the SMC suspects any irregularity in the utilization of funds, they shall recommend the formation of an inquiry committee, to the Deputy Director (District), who shall have to act within the next 15 days. If the Deputy Director (District) chooses not to act on the recommendation of the SMC, he/she would have to explain the reasons in writing:

6. Social Audit

All the activities and funds of School must be annually presented before the General Body comprising of parents and teachers once every year, and guidelines shall be issued for the same by the Directorate of Education.

7. Learning

- SMC has the power to identify the children requiring special training and remedial education by means of organizing diagnostic learning level assessments on periodic basis. These would be based on assessment tools created by the Directorate of

Education, SCERT or NGOs empanelled by SCERT. This would require a resolution passed by SMC with minimum of half total Strength of the Committee.

- SMC has the power to organize special training and remedial education program in school premises to support academically deficient students. The special training can be conducted by trained/qualified community volunteers or revised, leathers or teachers from' the school on a pro bono basis. For girl schools, only lady teachers will be deployed. This would require a majority resolution by the SMC.

8. Teachers

- Parents and students have repeatedly complained about teachers' absence from schools; teachers leaving school before the end of school hours, as well as they are not taking classes despite being present in the school. The SMC shall set up a sub-committee of parent members (only lady members in case of girls' schools, and having at least one lady member in a Co-ed school) for monitoring the teachers' absence from die school, and from the classroom. This sub-committee shall visit the school at least once a week and shall be authorized to make surprise visits to the school (but will make entry in the SMC register on their arrival), visit the classrooms, speak to the students. The sub-committee is authorized to go through the teachers' attendance register, as well as the online attendance record.

- In case of unsanctioned absences from the school or the classroom by the teacher, the member of the SMC sub-committee is authorized to note (he absence in the attendance register. Further, the SMC has the power to summon the teacher to the SMC meeting. In ease of repeated absence by the teacher or inadequate

explanations given for the same, the SMC may recommend to the HOS to issue a show cause notice to the teachers. The HQS shall act on recommendations of the SMC or give his/her reasons in writing to the SMC, within 7 working days, if he/she does not act in accordance with the recommendation of the SMC.

9. Non-Cooperation of HOS to the SMC

- In case, the Head of the School does not despite repeated requests by the SMC-hold meeting of the SMC or implement the decisions taken in the SMC meetings which are within the purview of the legal duties and powers of the Head of the School, then the SMC can recommend show cause notice to fe issued to the Head of the School.
- The SMC by 2/3rd strength (of the non-employee members of the SMC) can pass a resolution recommending show cause against Principal to the DDE (District). The DDE (District) shall act on the recommendation in 15 days, in case, the recommendation is not accepted, DDE (District) shall give reasons for the same in writing to the SMC, within 3 weeks.

10. Capacity Building

- SMC has the power to collaborate on pre-bond by means of an MOU with any NGO from amongst the government empanelled NGOs for meeting any of its deficiencies in academics, sports, music, or in any other field. This would require a resolution passed by the SMC with a minimum of half of the total strength of the Committee. SMCs shall inform the SCERT and DDE Zone regarding the same.
- SMC has the power to terminate any MOU it signed with any NGO from amongst the government empanelled NGOs for

meeting any of its deficiencies in academics, sports, music, or in any other-field by serving notice as agreed in the MOU a common -template of the MOD to be used for this purpose shall be prepared by the Litigation Branch of DOE and would be uploaded on the Edu. del website. This would require a resolution passed by SMC- with minimum of half of total strength of the Committee, SMCs shall inform the SCERT and DDE Zone regarding the same.

11. Estate Manager

The Estate Manager of the school shall be a Special Invitee into the SMC and shall attend all the SMC meetings to report on infrastructure and maintenance related issues.

12. Student Participation

A Student Suggestion Box must be put up in a prominent place in the school, which must be opened in the presence of SMC members. SMC in any particular case, when it deems fit, might invite certain students for discussion, but cannot force children to do so.

13. Parents Suggestions/Complaints

A Parents Suggestion and Complaints Box must be put up in a prominent place in the school, which must be opened in presence of SMC members. Any Complaints received by the parents shall be discussed in the SMC meetings. If needed, the concerned parent may be invited to the SMC meeting.

14. Removal of Members

- A person shall be liable to be held disqualified if he/she is convicted by the court of law for offences involving moral turpitude or any other offence under Section 302/363/366/276/395/409/465/468/477 (A)/493M94 of IPC. The Deputy Director (Zone) or above is competent authority to issue this order.

- An SMC member shall be liable to be held disqualified if:

  (a) He/she is found guilty of misconduct or negligence of duty.

  (b) He/she fails to attend three consecutive meetings without approval from SMC.

  The SMC, by a resolution passed by at least half of the total strength, may remove member(s) from the Committee.

- On receipt of a complaint of negligence of duties/responsibilities/ any misconduct against any one or more SMC members the DDE (Zone) can initiate an Inquiry and DDE (District) can pass a speaking order for removal of that member(s) including Chairperson of the SMC.

15. Removal of Vice-Chairperson

The Vice-Chairperson shall be liable to be held disqualified if:

(a) He/she is found guilty of misconduct or negligence of duty

(b) He/she fails to attend three consecutive meetings without approval from SMC. The SMC by passing a resolution of 2/3 of total members (including employee members) can remove the SMC Vice-Chairperson from Vice-Chairpersonship.

16. Dissolution of SMC

The SMC may be dissolved, if found negligent of its duties and responsibility as assigned in these rules, non-compliant to Government Orders or and non-co-operative towards the implementation of the Government funded schemes for the improvement of the schools and the academic environment in the school, by an order of a Deputy Director (District) on the basis of –

- a resolution adopted in a meeting of the parents - at least hundred or thirty percent (30%) of total parents of students of the school

to the effect that the School Management Committee has failed to discharge its duties and responsibility effectively or has been inactive or indifferent in the matter of implementation of Government funded schemes for the improvement of schools and the academic environment in the schools;

- an inquiry/inspection into the-complaints of negligence of duties and responsibility, non-compliance with Government Orders and Instructions or a non-co-operative attitude towards the implementation of the Government funded schemes for the improvement of the school and the academic enrolment of the schools;
- while receiving a complaint against the SMC from the community/ organization/Govt. officials regarding non-compliance of Govt. order/instruction, negligence of duties and responsibilities, non-cooperative to implement Govt. funded schemes for the improvement of the school, the Deputy Director of Education (District) will institute an inquiry into the matter arid subject to the authenticity of the complaint shall pass a reasoned order for dissolution of the SMC concerned.
- The Deputy Director (District) shall take steps for Constitution of a new SMC within a month of dissolution of SMC concerned.

This issues with the prior approval of the competent authority.

(SHASHI KAUSHAL)
SPL. DIRECTOR OF EDUCATION (RTE)

Copy to all Addl. DEs/Spl. DEs/Jt. DEs/Distt. DDEs/Zonal DDEs/Branch In-charges/HOS of Government/Aided Schools of DoE through DEL-E for strict compliance.

Copy to:-

1. OSD to Hon'ble Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi

2. P.S. to Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi
3. P.S. to Director of Education, Govt. of NCT of Delhi
4. Spl. DE (ACT-11)
5. Addl. D.E. (School)
6. OS (IT) with a request to upload a copy of this circular on the website of the department.
7. Guard File

(SHRUTI BODH AGARWAL)
OSD (RTE)

List of Government Schools where sanction for additional class rooms has been given during 2015-16 to PWD

Sl. No.	School ID	School Name	No. of additional rooms being constructed
1	2	3	4
1.	1310005	Tikri Khurd-SKV	40
2.	1310014	Alipur-GBSSS	65
3.	1310030	Holambi Kalan-G (Co-ed) SSS	36
4.	1310166	Narela-GBSSS (Mussadi Lal)	30
5.	1310169	Holambi Kalan, B-Block GGSSS	20
6.	1310170	Narela, No. 2-SKV	24
7.	1310399	Holambi Kalan, Metro Vihar, A-Block G (Co-ed) SSS	30
8.	1310430	Narela, Sect. A-6, Pkt-2 – GBSSS	20
9.	1207036	Burari-SKV	124

1	2	3	4
10.	1207117	Burari-GGSS	57
11.	1207004	Nehru Vihar-SKV	61
12.	1309003	Dr. Mukharjee Nagar-GBSSS	39
13.	1309027	Guru Teg Bahadur Nagar-SKV	72
14.	1309031	Adarsh Nagar-SKV	81
15.	1309034	Adarsh Nagar-GGSSS	76
16.	1413023	Rohini, Sector 11-G (Co-ed) SSS	24
17.	1413268	Begampur, GGSSS	40
18.	1412095	Rani Khera-S (Co-ed) V	20
19.	1413078	Karala-SKV	14
20.	1617001	Tikri Kalan-GBSSS	85
21.	1617012	Tikri Kalan-SKV	63
22.	1617014	Mundka Village-SKV	80
23.	1617035	Nangloi, J.J. Colony-GGSSS	9
24.	1412093	Nithari-SKV	17
25.	1412253	Mubarakpur Dabas, No-2,GGSS	10
26.	1412258	Nithari Village- GGSS	20
27.	1412029	Sultanpuri, Block H-SKV	120
28.	1412035	Sultanpuri, Block BC-GGSSS	96
29.	1412086	Sultanpuri, E-Block, GBSSS	20
30.	1412088	Sultanpuri, D-Block, GGSSS	20
31.	1412089	Sultanpuri, Block F, GGSSS	10
32.	1617004	Nangloi, Kavita Colony-G (Co-ed) SSS	20

1	2	3	4
33.	1617010	Nangloi-SKV	76
34.	1617015	Amalwas, Jawalapuri-GBSSS	18
35.	1617021	Nangloi-GGSSS	17
36.	1412031	Mangolpuri, Block O-SKV	25
37.	1412033	Mangolpur Kalan-G (co-ed) SSS	18
38.	1617137	Paschim Vihar, B 3-G (Co-ed) SSS	62
39.	1411034	Wazirpur, J.J. Colony-SKV	24
40.	1411035	Wazirpur Village-SV	36
41.	1411027	Ashok Vihar, Phase-II-SKV	28
42.	1516030	Prem Nagar-GGSSS	9
43.	1516142	West Patel Nagar-SKV	9
44.	1516002	Ramesh Nagar-SBV	48
45.	1514011	Chand Nagar, No. 1-SKV	71
46.	1618003	Janakpuri, Possangipur B1-SV (Co-ed)	60
47.	1618018	Janakpuri, Block A-SKV	24
48.	1617029	Bakkarwala-G (Co-ed) SSS	74
49.	1617030	Baprola-G (Co-ed) SSS	98
50.	1617211	Baprola Vihar-G (Co-ed) SS	10
51.	1618016	Vikas Puri, Block- F-G (Co-ed) SS	66
52.	1618019	Vikas Puri, Block G-SKV	100
53.	1618062	Vikas Puri, Block A-SKV	58
54.	1618193	Shiv Vihar-GGSS	48
55.	1618060	Bindapur-GGSSS	32

1	2	3	4
56.	1618191	Bindapur-G (co-ed) SSS	80
57.	1618192	Rajapur Khurd-G (Co-ed) SS	5
58.	1821017	Sagarpur, No. 2-SKV	101
59.	1618020	Kakrola-SKV	110
60.	1618070	Matiala-SKV	92
61.	1821031	Dwarka, Sector-VI, G (Co-ed) SSS	48
62.	1822176	Deendar Pur-Sarvodaya Kanya Vidalaya	69
63.	1822002	Najafgarh-S (Co-ed) V	32
64.	1720032	Mahipal Pur-Amar Shaheed Major Sehrawat SKV	66
65.	1821005	Samalka, No. 1-GBSSS	87
66.	1821022	Samalka-SKV	36
67.	1720022	Naraina-SKV	43
68.	1924044	Jungpura-G(Co-ed)SS	53
69.	1106023	Dilshad Garden, Block J&K-SKV (St. Eknath)	20
70.	1923010	MalviyaNagar-GBSSS	43
71.	1720028	Rajokari-GBSSS	60
72.	1923014	Fatehpur. Beri-SBV	24
73.	1923026	Bhatti Mines-G (Co-ed) SSS	69
74.	1923033.	Maidan Garhi-G (Co-ed) SS	28
75.	1923048	Chattarpur-GGSSS	76
76.	1923059	Fatehpur Beri-SKV (Priya Darshani)	70
77.	1923063	Aya Nagar-SKV	88

1	2	3	4
78.	1923081	Chattarpur, Acharya Tulsi SBV	73
79.	1923050	Dr. Ambedkar Nagar, Sector-V, No. 2-GGSSS	85
80.	1923005	Dr. Ambedkar Nagar, Sector-IV-SBV (Yogi Arvind)	25
81.	1923045	Dr. Ambedkar Nagar, Sector-IV, No. 2-GGSSS	25
82.	1923060	Dr. Ambedkar Nagar, Sector-IV, No. 3-GGSSS	23
83.	1925048	Tuglakabad Extn.-GGSS	77
84.	1925056	Tughlakabad Extn.-SBV	40
85.	1925061	Tughlakabad Extn., No. 1-SKV (Aruna Asif Ali)	101
86.	1925045	Kalkaji, DDA Flats, Phase-II-GGSS	100
87.	1925027	Tekhand-GGSSS	93
88.	1925031	Tuglakabad, Railway Colony-SKV (Rani Jhansi)	50
89.	1925040	Tuglakabad Village-SKV	93
90.	1925046	Tuglakabad, Railway Colony, No. 2-GGSSS	104
91.	1925054	Badarpur, No.2-GGSSS	73
92.	1925250	Tughlakabad Extn.-GGSSS No. 2	85
93.	1925341	Harkesh Nagar GGSSS	117
94.	1925037	Molar Band-SKV	45
95.	1925042	Badarpur, No. 1-GGSSS	64
96.	1925053	Molar Band, No. 2-GGSSS	18
97.	1925190	Molar Band-GGSS No. 3	120
98.	1925248	Badarpur, No. 3-GGSSS	88
99.	1925062	Madanpur Khadar-SKV	112

1	2	3	4
100.	1925340	Madanpur Khadar Extn. J.J. Colony GGSS	92
101.	1925345	Jasola Village, GGSSS.	110
102.	1002025	Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen)	15
103.	1002031	Patparganj-SKV	32
104.	1002175	Trilokpuri, Block 27-GGSS	21
105.	1002182	Mayur Vihar, Phase-I, Chilla Gaon-G (Co-ed) SSS	15
106.	1002183	New Ashok Nagar-SKV	28
107.	1002022	Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa)	8
108.	1002026	Kondli-SKV(Jeeja Bai)	26
109.	1002027	Dallupura-SKV	7
110.	1002185	Vasundhra Enclave-GGSSS	78
111.	1002190	Mandawali, No. 3-SKV	80
112.	1002368	Mandawali, No. 2-SKV	55
113.	1001022	Vivek Vihar-GGSSS	54
114.	1106018	New Seemapuri-SKV	12
115.	1106022	Nand Nagri, Block B-SKV (Raja Ravi Verma)	48
116.	1106025	Dilshad Garden, Block C-GGSSS	41
117.	1106026	Nand Nagri Extn., F-1, F-2, GGSS	95
118.	1106113	Nand Nagri, Block E-SKV	72
119.	1106115	Nand Nagri, Janta Flats-GGSSS	74
120.	1106264	Sunder Nagri, G (co-ed) SSS	72
121.	1105024	Shahadara, G.T. Road-SKV	16
122.	1106024	East of Loni Road, DDA Flats-SKV	48

1	2	3	4
123.	1106114	Shahdara, Mansarover Park, No.2-SKV	79
124.	1105026	Brahampuri-GGSSS	43
125.	1105108	Welcome Colony-GGSS	32
126.	1104012	Bhajanpura-G(Co-ed)SSS (RDJK)	48
127.	1104023	Yamuna Vihar, Block B, No.1-GGSSS	25
128.	1104024	Yamuna Vihar, Block C, No.2-SKV	88
129.	1105229	Brahmpuri.GGSSS Block-X	24
130	1104019	Ghonda, No.2-SKV	32
131.	1104029	Vijay Park-GGSSS	44
132.	1105114	Jafrabad Extn.-GGSSS	48
133.	1105239	New Jafrabad-G (Co-ed) SSS	24
134.	1104017	Joharipur-G (Co-ed) MS	12
135.	1104400	Loni Road, East Gokulpur, GGSSS	8
136.	1106019	Mandoli-SKV	20
137.	1106117	Saboli-GGSSS	24
138.	1106259	Mandoli Extension-GGSSS	20
139.	1104028	Mustufabad-GGSS	32
140.	1104262	Tukhmirpur-GGSSS	44
141.	1104419	Tukhmirpur, No. 2-GGSSS	32
142.	1104011	Sabhapur-GGSSS	2
143.	1104022	Khajoori Khas-SKV	64
144.	1104142	Karawal Nagar-GGSSS	29
145.	1104153	Khajoori Khas-GGSSS	5
146.	1104335	Sonia Vihar-GGSSS	46
		Total	7289

अध्यक्ष महोदयः हॉ प्रमिला जी। कोई सप्लीमेन्ट्री? श्री गुलाब सिंह जी। सप्लीमेन्ट्री पूछिए?

श्री पंकज पुष्करः माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आपने प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में सूचना दी की तीस हजार रुपए प्रति विद्यालय दिये जाते हैं। आपने ये भी सूचना दी कि अतिरिक्त खेल सामग्री के लिए जो भी आवेदन दिये जाते हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। तो मेरा इसमें अनुरोध और प्रश्न ये है कि ये जो प्रारम्भिक राशि है, यही अगर बढ़ा दी जाये तो वो सभी विद्यालयों के लिए... क्योंकि विद्यालयों के लिए ये डिस–इन्सेन्टिव का काम करता है कि वो फिर से फाईल बनाके आवेदन करें। तो बहुत सारे विद्यालय नहीं कर पाते हैं। बीस हजार रूपये प्रतिवर्ष का अर्थ ये है कि अगर एक हजार छात्रों का विद्यालय है तो बीस रूपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष आता है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि इस प्रारम्भिक राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाये।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय ये एक्चूअली खेल पर खर्च हाने वाली राशि का कैलकुलेशन... इस तरह से प्रत्येक विद्यालय के हिसाब से और विद्यालय के छात्रों के सिम्पल मैथमेटिक्स से हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि खेल एक जीवन का हिस्सा भी है और प्रतिभा के लिए भी इम्पार्टटेन्ट है। जो प्रस्ताव आपका है, उसका स्वागत है, अच्छा है कि उसकी राशि और बढ़ा दी जाये। बजट में इसको कन्सीडर किया जा सकता है। मैं अगर, धन की उपलब्ध्ता होगी या अगले वित वर्ष में उसको बढ़ाया जा सकता है, जैसा भी समुचित होगा लेकिन साथ–साथ कुछ स्कूल बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनको हम कितना ही पैसा रख लें, उनको शायद कभी भी अपनी प्रतियोगिताओं के लिए और ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। वो राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में अपने बच्चों को भेजते हैं। उनके लिए विशेष धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए सरकार की एक खेल नीति अलग से है। खेल

में किस तरह से पैसा दिया जाता है स्कूलों को। कैसे और खिलाड़ियों को पैसा दिया जाता है। उसके लिए एक समुचित नीति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी। नहीं हैं। श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या छः प्रस्तुत है:

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने 500 नये स्कूल भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इनमें से अधिकांश भवन सैकंडरी एवं सीनियर सैकंडरी स्कूलों के लिए हैं;

(ग) निर्मित हो चुके स्कूल भवनों का विवरण क्या है;

(घ) वर्तमान वित वर्ष में इस कार्य हेतु आबंटित फंड एवं वास्तव में इस्तेमाल हो चुके फंड का विवरण क्या है;

(ड.) जिन स्कूलों के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है एवं जिन स्कूलों के लिए यह कार्य अभी प्रक्रिया में है, उनकी अलग–अलग संख्या क्या है;

(च) अपने वर्तमान कार्यकाल में सरकार द्वारा कितने स्कूलों का निर्माण कर दिए जाने की संभावना है; और

(छ) जिन स्कूलों में शौचालय नहीं है, उनकी संख्या क्या है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या छः का उत्तर निम्नानुसार हैः

(क) शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान में नये स्कूल भवनों का निर्माण करने हेतु हेतु निम्न प्रयास जारी हैः

1. 25 नए विद्यालयों का निर्माण कार्य अगले कुछ महीनों में पूरा होने व शिक्षा विभाग को सौंपने का अनुमान है। इन भवनों में आवश्यकता पड़ने पर दो पाली में 50 नये विद्यालय शुरु किए जा सकेंगे। इन पच्चीस नये भवनों की सूची (क) पर संलग्न है;

2. 28 भूमि स्थलों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है। सूची (ख) पर संलग्न है;

3. पहले चरण में लगभग 8000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में लगभग 4200 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का कार्य किया जाना है;

4. दिल्ली सरकार ने 54 विद्यालयों को पायलेट स्कूल बनाने का प्रस्ताव पिछले वर्ष स्वीकृत किया था जिसमें से अधिकांश में नवीकरण का कार्य प्रगति पर है;

5. इसके अतिरिक्त लगभग 46 भूखण्ड हैं जिन पर नये विद्यालय बनाने का प्रस्ताव और भी विचाराधीन है;

(ख) जितने भी पक्के विद्यालय बनाये जा रहे हैं, वे सभी सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों के लिए बनाये जा रहे हैं;

(ग) निर्मित हो चुके या अतिशीघ्र निर्मित होने वाले 25 विद्यालयों की सूची (क) पर संलग्न है;

(घ) कुल बजट (रुपये) = 1464 करोड़

कुल व्यय (रुपये) = 234.53 करोड़

प्रतिशत = 16.02:

(ङ) जिन स्कूलों के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा अभी प्रक्रिया में है, वे निम्न हैं :

1. 28 भूमि स्थलों का निर्माण कार्य का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है। सूची (ख) पर संलग्न है;

2. 18 भूमि स्थलों का ग्राम सभा से हाल ही में आबंटन के बाद कब्जा ले लिया गया है। सूची (ग) पर संलग्न है;

3. 16 भूमि स्थलों का आबंटन ग्राम सभा से शिक्षा विभाग को हो चुका है, जिनका कब्जा लेने की प्रक्रिया जारी है। सूची (घ) पर संलग्न है;

4. इसके अतिरिक्त 12 अन्य स्थलों पर नए विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। सूची (ङ) पर संलग्न है;

(च) दिल्ली सरकार के विद्यालयों में लगभग 16 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यालयों में कक्षाओं की कमी के कारण 100 से भी ज्यादा बच्चे प्रति कक्षा में बैठ रहे हैं और स्कूलों को दो पाली में भी चलाया जाता है। सरकार की कोशिश है कि और अधिक नए विद्यालयों का निर्माण व वर्तमान में चल रहे विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाकर 35 से 40 बच्चे प्रति कक्ष में बैठने की व्यवस्था कराई जाए व दो पाली में चल रहे अधिक से अधिक विद्यालयों को सुबह की पाली में स्थानांतरित किया जाए।

(छ) दिल्ली सरकार के सभी विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था है।

सूची "क"

25 Pucca School Buildings in Progress

Sl.No.	Name of Site
1.	Sr. Sec. School, Sector-17, Dwarka
2.	Sr. Sec. School, Sector-22, Dwarka
3.	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-II
4.	Sr. Sec. School, Madanpur Khadar, Phase-III
5&6	School Buildings Two, Hastsal Village
7.	Sr. Sec. School, Sector-1, Rohini
8.	Sr. Sec. School, Sector-4, (Extn.) Rohini
9.	Sr. Sec. School, Sector-6, Rohini
10.	Sr. Sec. School, Sector-17, Rohini
11.	Sr. Sec. School, No. 3, Kalkaji
12.	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-II, Rohini
13.	Sr. Sec. School, Sector-3, Rohini
14.	Sr. Sec. School, Sector-23, Rohini
15.	Sr. Sec. School, Sector-22 Phase-III, Rohini
16.	Sr. Sec. School, Sector-21 Phase-III, Rohini
17.	Sr. Sec. School, Sector-3, Site-II, Dwarka
18.	Sr. Sec. School, Sector-5, Dwarka
19.	Sr. Sec. School, Sector-13, Dwarka
20.	Sr. Sec. School, Sector-19, Dwarka
21.	Sr. Sec. School, Khicharipur
22.	Sr. Sec. School, Outram Lane, GTB Nagar
23.	Sr. Sec. School, Vipin Garden
24.	Sr. Sec. School, IP Extention b/w CB5E & Mayo School
25.	Sr. Sec. School, IP Extention, Near CGHS Kothari Aptt.

सूची "ख"

28 Vacant Sites, for Construction of Pucca Govt. Sr. Sec. School

Sl. No.	Name of the Sites	Area	Name of Assembly
1	2	3	4
1.	Dwarka Sector-18, Near Excellance Apartment	8000 Sqm.	34-Matiala
2.	Dwarka Sector-11 adj. LBS Institute	1.6 Hect.	34-Matiala
3.	Goela Khurd		34-Matiala
4.	Baprola Village	4669 Sqm.	31-Vikaspuri
5.	Mahipalpur (Old Site)	19302.13 Sqm.	Bijwasan
6.	Sarita Vihar	4050 Sqm.	49-Sangam Vihar
7.	Lal Kuan, Tehkhand Village	8996.87 Sqm.	Tughalkabad
8.	Sector-1, Pkt-5, Dwarka	4000 Sqm.	34-Matiala
9.	Sector-28, Rohini	6000 Sqm.	Bawana
10.	Garhi Rindala	10 Bigha 15 Biswa	Mundka
11.	Sector-18, Rohini	8691 Sqm.	13-Rohini
12.	2nd Pusta, New Usmanpur	3014 Sq. Yds	65-Seelampur

1	2	3	4
13.	Sector-5, Rohini	39 Bigha 61 Biswa	13-Rohini
14.	Sector-2, Rohini	13004.46 Sqm.	06-Rithala
15.	Libaspur	12582 Sqm.	Badli
16.	Holambi Khurd	04 Bigha 12 Biswa	1-Narela
17.	Mungeshpur	04 Bigha 05 Biswa	7-Bawana
18.	Nizampur	07 Bigha 13 Biswa	Mundka
19.	Dwarka Sector-12, HAF Near SAM International School	4000 Sqm.	34-Matiala
20.	Dwarka, Sector-16 near Presidium	8000 Sqm.	34-Matiala
21.	Dwarka Sector-19, Phase-I	8000 Sqm.	34-Matiala
22.	Rohini Sector-27	8035 Sqm.	Bawana
23.	Dariyapur Kalan	6683 Sqm.	7-Bawana
24.	Qutabapur Village	10 Bigha 10 Biswa	Tughalkabad
25.	Ladpur	8015 Sqm.	Mundka
26.	Ghoga Village	5565 Sqm	1-Narela
27	Sunder Nagari	10000 Sqm	North East
28.	Sec. 25 Rohini		

सूची "ग"

Possession of the following 18 Gram Sabha sites which have been handed over to Date of Education

Sl. No.	Site	Kh. No.	Measurement	District	Date of possession
1	2	3	4	5	6
1.	Shafipur Ranhola	14/10/1/2	01 Bigha 05 Biswa	West	26.08.2015
2.	Jaunapur	29/1(3-10), 29/2/1(2-0) 29/10(4-9), 29/9/2(2-10) 29/11(4-16), 29/12/1(2-3) 29/21/1(3-14), 29/20(5-10) 30/16(2-18), 30/25(3-10) 3/5 min (2-19), 31/7(1-10)	39 Bigha 08 Biswa	South	20.08.2015
3.	Jaunapur	124	06 Bigha 09 Biswa	South	20.08.2015
4.	Kadipur	903, 904, 905, 906, 914, 915, 916, 917, 918, 925, 926, 927, 928, 929, 930	62 Bigha 06 Biswa	North	16.07.2015
5.	Bakarwala	69/13/1 69/18	06 Bigha 08 Biswa	West	26.08.2015
6.	Kadipur	1304	05 Bigha 08 Biswa	North	06.10.15

1	2	3	4	5	6
7.	Kadipur	450	04 Bigha 16 Biswa	North	06.10.15
8.	Kadipur	39, 40, 41, 42, 521	24 Bigha	North	06.10.15
9.	Kadipur	495, 496	09 Bigha 12	North	06.10.15
10.	Deendarpur	102/1	03 Bigha 10 Biswa	South West	07.08.2015
11.	Bankner	16/8/1(3-5) and 16/23(4-16)	08 Bigha 01 Biswa	North	06.10.15
12.	Ibrahimpur	47(5-19) 48/1(2-16)	05 Bigha	North	06.10.15
13.	Goyala Khurd	24/15/2,16,25/11,19, 20/1, 20/2	14 Bigha 15 Biswa	South West	30.11.2015
14.	Jaffarpur Kalan	345, 346, 488	10 Bigha04 Biswa	South West	03.11.2015
15.	Shafipur Ranhola	9/20/2 &9/21	08 Bigha 15.5 Biswa	West-E	03-02-2016
16.	Village Karawal Nagar	36/25		North East	29-02-2016
17.	Village Jaunti	67/9 (1-16), 10(4-8), 11(4 16) & 12 (4-16)	15 Bigha 16 Biswa	North West	06-06-2016
18.	Nangli Shakrawati	16/21 (4-46,16/22 (4-16), 16/23 (4-16)	14 Bigha 08 Biswa	South West-B	09-08-2016

सूची "घ"

Possession to be taken by Dte. of Education

1.	Village Jatkhore	08 Bigha 10 Biswa	Panchyat
2.	Village Nizampur Rashidpur	05 Bigha 15 Biswa	Panchyat
3.	Village Nizampur Rashidpur	05 Bigha 12 Biswa	Panchyat
4.	Village Nizampur Rashidpur	07 Bigha 15 Biswa	Panchyat
5.	Village Nizampur Rashidpur	04 Bigha 16 Biswa	Panchyat
6.	Village Jatkhore	06 bigha 12 Biswa	Panchyat
7.	Village Punjab Khore	11 Bigha 04 Biswa	Panchyat
8.	Village Punjab Khore	07 Bigha	Panchyat
9.	Village Madanpur Dabas	24 Bigha 09 Biswa	Panchyat
10.	Village Jaunti	14 Bigha 05 Biswa	Panchyat
11.	Village Jaunti	12 Bigha 14 Biswa	Panchyat
12.	Village Garhi Randhala	30 Bigha 11 Biswa	Panchyat
13.	Village Garhi Randhala	46 Bigha 09 Biswa	Panchyat
14.	Village Ladpur	11 Bigha 02 Biswa	Panchyat
15.	Village Kair	87 Bigha 04 Biswa	Panchyat
16.	Village Samaspur Kalsa	159 Bigha 16 Biswa	Panchyat

सूची "ङ"

Other vacant sites on which schools are to be constructed

Sl.No.	Name of Site
1.	Jaitpur Extention Part-II
2.	Meera Bagh
3.	Geeta Colony, Opposite Chacha Nehru Hospital
4.	Dakshinpuri
5.	Hastsal, J.J. Colony
6.	N-Block Raghubir Nagar
7.	Sawda Ghewra E-Block
8.	Sawda Ghewra H-Block
9.	Jahangirpuri K-Block
10.	Sangam Vihar
11.	Janakpuri D-Block (DTL)
12.	Rana Partap Bagh (DTL)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, कोई सप्लीमेंट्री?

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों के अंदर तीन–तीन घंटे बैठने के लिए बच्चों को कक्षा मिलती है, उनके लिए क्या किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष जी, दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि कई जगह नये कमरे बन रहे हैं और कई जगह नई बिल्डिंग बन रही है लेकिन माननीय सदस्य जगदीश जी का प्रश्न जो केन्द्रित है, वो जिस क्षेत्र के संदर्भ में है, वहां पर जमीन की भारी कमी के कारण और बच्चों का लोड बहुत होने के कारण सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं कि कुछ विद्यालयों को, उनका समय सीमित करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यह बहुत मेक शिफ्ट अरेंजमैन्टस है क्योंकि जहां भी हमें जमीन नहीं मिल पा रही है वहां ऑपटिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड अवेलेबल उसको यूज करके अधिक से अधिक कमरे बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से, समयबद्ध तरीके से जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है समय की, उसके अनुसार पढ़ाया जा सके। उसमें वो विद्यालय भी शामिल है, जिसमें हमें तीन घंटे के लिए करना पड़ रहा है। अभी मैंने जैसे पहले प्रश्न के जवाब में कहा कि इसमें वो विद्यालय भी शामिल हैं। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि दिल्ली के सारे विद्यालय एक समय में मॉर्निंग शिफ्ट में चलें और हरेक शिफ्ट में 35 से 40 बच्चे हरेक क्लास रूम में, लेकिन यह एक युटोपियन की परिकल्पना नहीं है, जरूरत है इसकी और हमें अगली पीढ़ी को पढ़ाना है तो इसी उस पर लाना पड़ेगा। लेकिन यह भी है कि जैसे–जैसे हम सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देते जा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बनता जा रहा है, वैसे–वैसे हमारे पास में बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इनको एडजस्ट करने के लिए और जितने बच्चे आ रहे हैं, सरकार की बेसिक फिलॉस्फी है कि किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए न नहीं करना है। वैसे में हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके, हम पूरी शिफ्ट चलायें उन स्कूल्स में, जहां मजबूरी में यह छोटी शिफ्ट चलानी पड़ रही है और उसके बाद में उनमें सुबह की शिफ्ट में सभी को पढ़ायें और नये कमरे बनाने के बाद यह काम काफी हद तक आसान हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः जगदीश प्रधान जी, कहीं कुछ कमरे बनने भी तो शुरू हुए हैं। कितना बनने शुरू हुए हैं?

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष महोदय, 76.

अध्यक्ष महोदयः 76 कमरे बनने शुरू हुए हैं। कोई और सप्लीमेंट्री? पवन जी, हां बताइये।

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस भी स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल पर खेलते हैं, जैसे ओलंपिक्स में गये या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, ऐसे में जो उनके स्पोर्ट्स टीचर्स है, पी.टी. टीचर्स, क्या उनको प्रोत्साहन के रूप में कोई प्रमोशन या कोई प्राइज़ ऐसा कुछ सरकार द्वारा दिया जाता है या नहीं?

अध्यक्ष महोदयः आज जागरूक हैं सारे सदस्य!

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अच्छा है, खेल के लिए। ओलंपिकमय माहौल बना दिया है और इस देश की विधान सभाओं में अगर खेल पर चर्चा हो रही है तो यह अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस काम के लिए जनता ने हमें नौकरी दी है, चाहे वो मिनिस्टर के रूप में या अधिकारी के रूप में या टीचर के रूप में, वो करना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो करने की अपॉर्च्युनिटी मिलना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर किसी खेल शिक्षक को उसके स्कूल में बच्चे को खिलाने का, बच्चों के जीवन में खेल को उतारने का अवसर मिला है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसी के लिए उनको वेतन भी मिल रहा है, उसी की जिम्मेदारी का वो हिस्सा है। मुझे तो लगता है, ऐसे लोग जिनकी टीम्स और ऐसा मैं व्यक्तिगत सोच के आधार पर कह रहा हूं... कोई अधिकारिक बयान नहीं है कि सरकार की पॉलिसी के रूप में

मैं इसको रख रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के स्कूल्स में स्पोर्ट्स टीचर्स की जिनकी टीम्स बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि भई, आप स्पोर्ट्स टीचर है, आपकी टीम्स का क्या हुआ? और जिनकी अच्छी कर रही है, वो अपनी सेवाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जो हमारी पॉलिसीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उसकी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी, प्रश्न संख्या सात।

श्री सोमनाथ भारतीः Hon'ble Education Minister Sir, could you please respond question No. सात ?

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिह्नित एवं उपलब्ध सीटों का विवरण क्या है;

(ख) विभिन्न कक्षाओं हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा एवं इसमें छूट देने हेतु सक्षम अथॉरिटी का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का नौवीं कक्षा में फेल होने के कारण अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के आधार पर दाखिला न दिए जाने वाले बच्चों की सहायता का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों की कार्य प्रणाली का कोई ऑडिट किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(च) क्या छात्र के माता–पिता के जीवित होते हुए भी उसके अभिभावक को छात्र प्रबंधन समिति का सदस्य बनाने का कोई प्रावधान है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या सात का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी वर्ग के छात्रों का प्रवेश सम्भव है और उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीटों का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये चिह्नित एवं उपलब्ध सीटों का विवरण संलग्नक–क पर है;

(ख) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 3 व नियम 43 के तहत् दिल्ली के उप–राज्यपाल दिल्ली में शिक्षा के नियमन के लिए प्राधिकृत हैं। यह अधिकार दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 28 के तहत् जारी परिपत्र सं. 4863–92 दिनांक 4.09.2001 के द्वारा निदेशक (शिक्षा) को हस्तांतरित किया गया है। प्रतिलिपि (ख) पर संलग्न है। अतः विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं हेतु अधिकतम व न्यूनतम आयु सीमा एवं इसमें छूट देने हेतु शिक्षा निदेशक सक्षम अथॉरिटी है;

(ग) जी हां। नौवीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में फैल होने वाले बच्चों के लिये चुनौती स्कीम 2018 लागू की गई है। परिपत्र की प्रतिलिपि (ग) पर संलग्न है;

(घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आडिट शाखा द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों की कार्य प्रणाली का कोई ऑडिट नहीं किया गया है;

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं; और

(च) किसी छात्र का अभिभावक, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो, को छात्र प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2007 की धारा, 2(छ) की सत्यापित प्रतिलिपि (घ) पर संलग्न है;

संलग्नक–'क'

Distt. South (Zone)

Assembly constituency Malviya Nagar

Details of Admission at Entry Level Session 2016-17. As per data updated on Website of Deptt. by the School (Updated)

Sl. No.	Schools Id	Name of the Schools	Entry Level	School Address	Total Declared Seat	Total Declared EWS/ DG	Admitted/ Filled EWS/ DG	Vacancy EWS/ DG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1719113	Ambience Public School	Pre - Sch/Nursery	A-l, SAD Enclave, New Delhi	125	31	31	0
2.	1719116	Delhi Police Public School	Pre - Sch/Nursery	B-4 SAD End New Delhi	90	23	23	0
3.	1719120	Green Fields School	Class 1st	A-2 Block, Safdarjung Enclave, New Delhi	140	35	35	0
4.	1923249	Laxman Public School	Pre - Sch/Nursery	Hauz Khas Enclave, New Delhi-16	184	46	46	0
5.	1923255	General Raj's School	Class 1st	Balbir Sexena Marg Hauz Khas-16	136	34	33	1
6.	1923259	Manav Bharti India International School	Pre - Sch/Nursery	Panchsheel Park (South), New Delhi -17	120	30	30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	192.3264	Mother's International School	Pre - Sch/Nursery	Sri Aurobindo New Delhi-16	120	30	30	0
8.	1923269	Mirambika Free Progress School	Pre - Sch/Nursery	Sri Aurobindo Education Society, Sri Aurobindo Marg New Delhi-16	20	5	5	0
9.	1923282	Arya Public School	Pre - Sch/Nursery	Arya Samaj, Malviya Nagar, New Delhi-17	70	18	18	0
10.	1924147	The Waulden School	Pre - Sch/Nursery	A-Block Niti Bagh New Delhi-49	32	8	8	0
11.	1925279	DAV Model School	Pre - Sch/Nursery	Yusuf Sarai New Delhi-16	80	20	20	0
12.	1923372	Swam Public School	Pre - Sch/Nursery	171 A, Khirki Main Road, Malviya Nagar	30	7	2	5
13.	1925365	Jain Modern Public School	Pre - Sch/Nursery	Green Park Extn. New Delhi-16	40	10	10	0
14.	1923391	Sant Nirankari Public School	Pre - Sch/Nursery	M-Block, Ratiya Marg, Sangam Vihar, New Delhi-62	40	10	10	0
15.	1925398	NGF. Khirki Extn.	Pre - Sch/Nursery	Malviya Nagar T-21, Khirki Extn., Malviya Nagar, New Delhi	105	27	27	0

ANNEXURE "B"

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F.DE/Act/27/PB/Delegation/2001/4863-92 Dated: 04.09.2001

CIRCULAR

Enclosed chart spells out the statutory powers of Director, Regional Directors, Deputy Directors and Education Officers.

All the concerned officers may please take note of this for necessary action.

(GYANENDRA SRIVASTAVA)
DIRECTOR OF EDUCATION

Encl : As above

All Regional Directors/
Deputy Directors of Education
Directorate of Education
Delhi

No. F.DE/Act/27/PB/Delegation 2001/4863-92 Dated: 04.09.2001

Copy along with a copy of the chart referred to above for information to:

1. Secretary of Minister of Education, Government of NCT of Delhi.
2. PS to Secretary (Education, Government of NCT of Delhi.

(GYANENDRA SRIVASTAVA)
DIRECTOR OF EDUCATION

Encl : As above

Onwers under the Delhi Education Act and Rules, 1973 and their Delegation and Authorisation

Sl. No.	Section/ Rule	Power/Function	Vested in	Delegated to	Officer authorised	Officer further authorised
1	2	3	4	5	6	7
40.	Section 3(1)	Regulation of education in all the schools	The Administrator	The Director of Education [except for rules 6(2), 22(1) and 26(1)(c)]		As specified in the Rates from 1 to 43
41.	Section 3(2)	Establishing and maintaining schools in Delhi	The Administrator	The Director of Education		
42.	Section 3(2) and Rule 44(3)	Permitting any person to establish and maintain any school in Delhi	The Administrator	The Director of Education		
	Section 3(2)	Permitting a local authority to establish and maintain any school in Delhi	The Administrator			
43.	Section 4(1) and Rule 50	Recognising private schools	The appropriate authority i.e., the Administrator		The Director Education	
44.	Section 4(6) and Rule 56(1)	Withdrawing recognition of a private school	The appropriate authority		The Director Education	
45.	Section 4(3) and 1(7) and rule 56(4) and rule 58(C)	Hearing appeals against refusal or withdrawal of recognition of schools	The Administrator			

46.	Section 5(1) and Rule 59(3)	Approval of the scheme of management except of unaided minority schools.	The appropriate authority i.e., the Administrator		The Director Education
47.	Section 6(1)	Distribution of aid to recognised schools except primary schools	The Administrator	The Director of Education	
48.	Section 6(2) and Rule 69	Stoppage, reduction or supension of grant-	The Administrator	The Director of Education	
49.	Rule 40	Specifying registers and records to be maintained and returns to be sent by a school	The Director of Education		
50.	Rule 41(1)	Issuing detailed instructions regarding evaluation and promotion of students from one class to another	The Administrator	The Director of Education	
51.	Ruel 41(2)	Issuing instructions for programmed learning and non-formal system of education	The Administrator	The Director of Education	
52.	Rule 42	Issuing instructions regarding maintenance and use of school libraries	The Administrator	The Director of Education	
53.	Rule 43	Issuing instructions in relation to any matter not covered by the DSER, 1973	The Administrator	The Director of Education	

1	2	3	4	5	6	7
54.	Rule 44(1)	Arranging for the planed development of school education in Delhi and receiving intimations of opening new non-minority schools	The Administrator	The Director of Education		
55.	Rule 44(3)	(a) Informing the persons by whom the intimation to open a school was given whether or not opening of the school would be in public interest	The Administrator	The Director of Education		
		(b) Indicating any other Zone where the proposed school is needed, in case a new school is not needed in the proposed Zone.	The Administrator	The Director of Education		
56.	Rule 45(1)	Granting approval to non-minority recognised schools for opening new classes	Appropriate authority i.e., the Administrator		The Director of Education	
57.	Rule 45(2)	Specifying norms for opening new classes in unaided minority schools	Appropriate authority i.e. the Administrator		The Director of Education	

ANNEXURE "C"

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. PS/DE/2016/230 Dated: 29.6.2016

CIRCULAR

Subject: Chunauti - 2018: New Academic Plan to Support Class IX.

During the in-depth discussions with Heads of Schools (while conducting Result Analysis Sessions at Chattarsal Stadium), one thing that emerged as a matter of consensus amongst all is that some concrete steps are urgently required to be taken in order to support our students of class 9th. A glance at the Table below is sufficient to give an idea of how serious the challenge is:—

Result of Class IX 2013-14 to 2015-16

Year	Appeared	Passed	Pass %	No. of students placed in EIOP	Fail %
2013-14	209533	117265	55.96	92268	44.04
2014-15	246749	127667	51.74	119082	48.26
2015-16	269703	136962	50.78	132741	49.22

A bare perusal of the above table shows that the pass percentage in class IX has been declining constantly. Even more disturbing is the fact that the failure rate Is almost touching 50% now.

On further discussions with other stake holders like teachers, trainers, Principals etc., the main reasons for this enormous systemic failure in class IX could be identified as under:—

- No Detention Policy
- Years of accumulated learning deficit
- Pressure on the teachers to complete the syllabi leading to inability to bring weaker children to the desired level, and above all,
- Huge variances in basic skills like reading/writing within a single classroom.

1. Re-grouping of Children on the basis of their Achieved Levels of Learning.

The problem having thus been defined and the reasons behind the problem having thus been analyzed, it has been decided to regroup the students of classes 6th, 7th, 8th and 9th according to the levels of the basic learning skills which these students have, so far, acquired. This kind of re-grouping will facilitate the teachers as they will not have to tackle huge variances in learning levels of students in the same class. Students will also benefit because teachers will be afre to focus more and directly on those students whose learning levels need to be upgraded most, thus reducing the accumulated learning deficit.

2. How to do Re-Grouping of Children.

a. Regrouping of Students of Class 6th.

For class 6, a Base Line Assessment of all students of class 6m shall be conducted by all schools between 14th and 16th July in order to assess the learning levels acquired, so far, by these children and group them for specific

learning interventions. A Circular along with the assessment tools (developed by the Special Task Force on learning outcomes) to be used for each class of students will be issued by the Examination Branch latest by 5th July, 2016.

The outcomes of these assessments to be held for classes VI, VII, VIII and IX will be tabulated latest by 20th July, 2016 by the teachers.

- Principals have to ensure that by 11th July, 2016 sufficient number of copies of Assessment Sheets (as per number of children in each class) are printed/photocopied and made ready for distribution to the students on the day of Assessment.
- DDEs to monitor the whole project within their respective districts and give compliance report on printing/photocoping and planning process latest by 12th July, 2016 to the Addl. D.E. (Exam.).

b. Regrouping of Students of Classes 7th, 8th and 9th.

Importantly, Base Line Assessment of students of classes 7th, 8th and 9th shall also be conducted simultaneously with class 6tn between 14th and 16th July, yet the re-grouping of students of 7th to 9th classes will not be done on the basis of their scores in the Base Line Assessment.

For classes 7th, 8th and 9th, the combined scores of Summative Assessment-1 and Summative Assessment-2 of the previous class (i.e. of 2015-16) will be the criteria for regrouping children for targeted learning interventions. For those students who are repeating class IX, their SA-I and SA-II scores of the session 2015-16 will constitute the basis for the regrouping.

Children of classes 7th and 8th may be divided basically into two categories: (a) those who scored less than 33% marks in SA-I and SA-II exams during the previous sessions and (b) those who secured more than 33% in the SA-I and SA-II exams during the previous sessions so that targeted efforts

can be made to improve the reading, writing and basic maths skills of these children. More details about the interventions with both categories of children across different grades is mentioned in the table on subsequent pages.

c. Illustration for Re-grouping in Class 9th:

Whereas students studying in standard 7th and 8th have to be divided into two categories, all the students studying In standard 9th (either by having been promoted from class 8th or detained in standard 9th) may broadly be divided into the following three categories:—

- First category would be of students who could not clear standard 9th examination twice or more in the past. These students are eligible for the 'Modified Patrachar Scheme of Examination 2017'. This section can, for an instance, be called 'VlSHWAS'.
- The second category would be of these children who (i) appeared for standard 9th examination for the first time in 2015-16 and could not be promoted to std. 10 and (ii) those who have been promoted from std. 8th to std. 9th despite not being able to score 33% passing marks in SAs I.e. those children who have been "PROMOTED' from class 8th to the next grade i.e. class 9th in 2016 under %No Detention Policy'. This section, for an instance, can be called 'MISHTHA'.
- The last category would be of children of grade 9 who have managed to clear grade 8 exams by virtue of their combined SA-l and SA-2 scores and upgraded to class 9th without having to add their FA scores. This section, for an instance, can be called "PRATIBHA'.

d. Proper Utilization of 29th and 30th June for Re-Grouping students:

HOSs to ensure that all teachers utilise the precious time between 29th June,

2016 and 30th June, 2016 to study the results of last year and re-group the children of the classes 7th' 8th & 9th (and not of class 6th) based on results of the two Surnmative Assessments of the previous year so that on 1st July, 2016, the children of these classes can be directed to their respective new (re-grouped) classes, putting up the lists of names of children from 7th to 9th classes in front of each section.

e. After tabulating the results of Baseline Assessment and having re-grouped all the students of classes VI to IX, Heads of all govt. schools shall submit a detailed report to their respective Zonal DDEs by 25.07.2016 giving details of Rooms available for classes 6th to 8th. class-wise numbers of students in each category and their division into different sections, availability of teachers to be deployed for each section and plan for remedial coaching for students with minimum learning levels etc.

All Zonal DDEs, in turn, will do close scrutiny of Reports submitted by schools taking into consideration the numbers of children in each category as mentioned above, number of rooms available, shift of schools i.e. single or double and availability of teachers and to ensure that the school has a viable strategy in place to address the learning needs of all the three groups of children.

3. Modified Patrachar Scheme of Examination in 2017.

Another salient feature of the New Academic Plan is its pointed focus on helping the 56,077 children who failed in 9th class for two or more times. After serious deliberations, the department has decided to allow them an opportunity to appear for 10th standard exams through Modified Patrachar Scheme of Examination in 2017.

Under this Scheme, the Department would give the option to children who have failed twice or more in 9th standard to enroll with the Patrachar Vidyalaya. Under this arrangement, these students do not require the Pass Certificate of 9th standard to appear for class 10th examination in 2017 through Patrachar Vidyalaya.

Importantly, for all practical purposes, these children will be treated as regular students of class 10th of our schools and would be placed in a specially focused learning section, to be preferably called 'VISHWAS'. The Modified Patrachar Scheme of Examination 2017 (MPSE) is especially proposed to ensure retention of children who have failed in class 9th repeatedly and to minimise the possibility of their dropout. These students will be taught by the usual teachers in our schools and they will be provided with all usual benefits like Books, Uniforms etc. (for which they are eligible as per rule). They will participate in all regular cultural and sports activities of the schools. However, they will appear in class 10th CBSE Exam 2017 through the Patrachar Vidyalaya of this Directorate and not through the school where they are being given classes. They will have the flexibility of dropping of subject like Maths. As per Patrachar Vidyalaya/CBSE Norms, students of MPSE will be taught only SA-II syllabus (and not SA-I). On passing class 10th exam, they be enrolled in the parent school in class 10th, as per eligibility.

The HOSs must ensure that only the most motivated teachers are deployed for the weakest students.

4. Teaching Learning Approach

In view of the focused re-grouping of these children, a special Teaching Learning Approach has been devised for different groups of children, which can be seen in the table below:

Content and Assessment for Different Categories of Children in Std. 6-9 during the Year 2016-17

Class 9

Sl. No.	Criteria Categories	Content	Duration	Status and source of Material	Assessment tool for baseline
1	2	3	4	5	6
1.	Children who could not clear Std. 9 exams twice or more in the past (direct enrolment with Patrachar 1 for Std. 10).	Basic reading, writing and maths primer of Std. 5-6 level (optional based on reading assessment).	July	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER on one tool-Hindi, Maths and English.
		LEP Material	Aug.-Sep.	Available with schools,	
		Question bank and practice material for all subjects.	Oct.-Feb.	To be prepared with the help of DoE teachers and external resource agencies and printed by DBTB.	
		Support material all subject by Exam Branch. Only SA-II syllabus of CBSE.			

1	2	3	4	5	6
2	Children who appeared for Std. 9 exam for the first time in 2015-16. and could not be promoted to Std. 10 even after EIOP and those who have been promoted to Std. 9 from Std. 8 for the academic session 2016-17 despite not being able to score 33% passing, marks in Summative Assessment in the combined assessments: (without FAs).	Basic reading, writing and maths primer of Std. 5-6 level optional based (on reading assessment).	July	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	
		LEP Material	Aug.-Sep.*	Available with schools.	
		Question bank and practice material for all subjects.	Oct.-Feb.	To be prepared with the. help of DoE teachers and external resource agencies and printed by DBTB.	
		Support material all subject by Exam Branch.			
3	Children of grade 8	LEP material.	July	Available with	Pen and paper tool

who have managed to clear the combined SA-I and SA-II and promoted to 9.	Question bank and practice material for all subjects for first 20% of the syllabus.	Aug.-Sep.	schools To be prepared/ reviewed with the help of DoE teachers and external resource agencies by 20th July. Uploaded on the website for the schools to download as per their requirement.	with 5 questions each
	Question bank and practice material of all subjects for remaining 50% of the syllabus. Support material all subject by Exam Branch.	Oct-Feb	To be prepared/ reviewed with the help of DoE teachers and external resource agencies by 20th August. Printed and distributed by DBTB by 30th September.	

*Children to take Summative Assessment-I based on focussed content of the syllabus covering first 20% of the syllabus.

Class 6th, 7th and 8th

Sl. No.	Level/ Categories	Content	Duration	Status and source of Material	Assessment tool for baseline
7 & 8	Children who have secured less than 33% marks in combined SA-I and II in the previous class.	Reading and Maths primer of Std. 3-5 level in Hindi and Maths class. STC material of Science, SST and English (of Std. 7&8 respectively)	July-Sep.	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER one on one toll-Hindi, Maths and English.
		Pragati Phase-2 Material	Oct.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETS subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
	Children who have secured more than 33% marks in combined SA-I & II in the previous class.	Pragati Phase-1 Material	July-mid Aug.	Available with Schools	Pen and paper tool with 5 questions each (Std. 7-8) — Hindi, English and Maths.
		Pragati Phase-2 Material	Mid Aug.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETs subject expert by	

				July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
6.	Children who cannot read fluently and cannot do subtractions and borrowing.	Reading and Maths primer of Std. 3-5 level in Hindi and Maths class. STC material of Science, SST and English (of Std. 6)	July-Sep.	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER one on one tool-Hindi, Maths and English.
		Pragati Phase 2 Material	Oct.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETS subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
	Children who can read fluently and do subtractions with borrowing.	Pragati Phase-1 Material	July-Aug	Available with Schools.	
		Pragati Phase 2 Material	Sep.-March	Being reviewed by MTs and DIETs subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	

Also textbooks, Pragati Phase-1 material, material of STCs, material of 54 pilot schools, Learning Enrichment Programme material and the material being created during TGTs workshop (to be referred to as Pragati Phase-2) are being suggested as range of choices for study material for the regrouped classes. It is for the schools to decide which material is more effective in their context with the goal that children should be able to understand the concepts.

For English and Maths, Workbooks are to be created by the teachers of Directorate in coordination with external resource agencies. These Workbooks of 9th, 10th, 11th and 12th classes will give enough practice material for the students of the respective classes.

Examination Branch has also prepared Support Material for different subjects in Hindi, English and Urdu Mediums. DBTB to make efforts to supply this to all schools at the earliest. Science material for all classes will be provided in four colours.

While transacting the study material in classes for all the categories of children, the teachers are expected to follow the spirit of the TGT workshop (which is to ensure learning with understanding among children). They may also refer to any additional materials that help children in better understanding of the concept, rather than merely completing the prescribed syllabus/topic.

5. Efforts to Prevent Dropout of Children who fail Repeatedly.

The single objective behind this exercise is to provide effective support to students who cannot cross the hurdle of class 9th despite more than one attempt and, ultimately, drop out.

The New Academic Plan aims at working with the children right from the class 6th. Teachers will be working intensively on different groups of children exactly as per the specific requirements of the different groups.

The strategy may be to:

a. Deploy the best teachers of the school to work with the weakest students.

b. HoS are free to organise as many remedial/additional classes as needed for any category of children.

c. Admin. Branch to issue a Circular latest by 1st July, 2016, as to how the power to deploy additional teachers (for remedial classes) can be delegated to HOS in conformity with rules.

6. Convincing all the Stake Holders.

At this juncture, it is important to convince all the stakeholders, namely the students, the parents and the teachers that this concept of re-grouping is in the long term interest of the children.

For this purpose, HDSs shall map all children who have not cleared the standard 9 exam in 2016 (whether in first or subsequent attempts) and organise **One To One Sessions Between Students And Teachers** so that the latter can encourage the former to come to school regularly and dissuade them from dropping out. Students who failed in class IX twice or more will be counselled about the benefits of the Modified Patrachar Scheme of Class 10th Exam in 2017.

A **Special SMC Meeting** must be called by all HoSs for this purpose preferably in the first week of July during which, the HOS will explain the entire concept of New Academic Plan (including the Modified Patrachar Scheme of Examination 2017) to the members of SMC in order to ensure their cooperation for the implementation of the New Academic Plan.

Further, all HOSs shall hold a **Special PTA Meeting** in July for which a detailed Circular will be issued by the School Branch (along with the fixed

date and budget) by 05.07.2016 in which parents would be counseled by HOS and respective teachers. Last year's result of the children and the efforts of the DoE in raising their learning levels this year will have to be explained to the concerned parents. Special focus will be to on convince parents about the merits of Modified Patrachar Scheme of Examination 2017.

7. Tools for further Summative Assessments.

Summative Assessments of children in different groupings for the academic year 2016-17 will be done using different assessment tools so as to achieve the twin objectives of motivating the children and giving relevant feedback on the learning achievement to students and their parents. The question whether common or separate tools for Summative Assessment-2 should be used will be decided later.

8. SCERT shall design a descriptive Report Card for Standard 6-9 children as well. This report card would be in easy to understand form for the parents. Also, SCERT will re-design the Assessment Tools for 6th, 7th and 8th standard using a lively and analytical form in booklet format as used in Special Training Centres. The preparation of Assessment Tools is to be completed by SCERT by 31.7.2016.

9. Autonomy to HOS.

For all categories of children, HoS are free to (i) hold as many additional classes as needed, (ii) re-design the time table, (iii) fix the duration of periods, (iv) decide frequency of periods, (v) hold the classes before or after the school hours (subject to availability of rooms) on pro bono basis by regular teachers or through NGOs or volunteers in coordination with their SMCs, (vi) or deploy the guest teachers with additional payments (as per the norms prescribed by the Planning Branch of the Directorate).

Further, the HoS are directed to take upon themselves responsibility of

teaching one subject to, at least, one section on daily basis and sit through, at least, six classes of different teachers by advising them about better techniques to teach in a week for half an hour each and encourage the teachers.

Also, the Mentor Teachers would support the teachers and HoS through guided observations and by giving regular inputs/feedback for improved class room transactions. They will also help the teachers in finding and using relevant teaching learning materials and explain the assessment tools and the process of their administration.

It is further clarified here that the proposed grouping of children based on their learning level is solely for the purpose of enabling the teachers to address the learning needs of different sets of children in a more systematic and effective manner. In fact, on many occasions, teachers have themselves reported that it is difficult to give the desired results as they have to cater to students who are at such diverse levels of achievements within the same class and within a short span of 30-40 minutes.

10. Turn Around Awards for Teachers:

It is very well appreciated that the task that we embark on warrants a lot of hard work on the part of our teachers and HOSs, But we cannot stand as helpless witnesses and watch our 131,581 students of class 9th fail - attempt after attempt! Therefore, this endeavour, although quite daunting and demanding in itself, is worth it.

The Directorate is seriously working on the ways and means to incentivize those teachers who successfully turn around the performance of their IX standard students. A separate Circular to this effect will be issued shortly.

For the convenience of concerned branches, an indicative Timeline for various activities been drawn as under:—

Date	Action Required to be Taken by Different Branches
29 and 30 June	Teachers to Regroup students of classes 7th, 8th and 9th.
1st July	Admn. Branch to issue a Circular delegating power to deploy additional teachers.
5th July	School Branch to issue Circular for SMC meeting and Mass PTM in all schools.
5th July	Exam Branch to issue circular regarding Assessment Tools for the Baseline Survey.
11th July	HoSs to ensure sufficient no. of copies of Assessment Sheets are got ready.
12th July	Distt. DDEs to give compliance Report to Addl. DE (Exam) about preparations.
14-16 July	Base Line Assessment.
20th July	Teachers to tabulate the results of Baseline Assessment.
25th July	HoS to submit complete Report to Zonal DDE about completion of Regrouping exercise.
31st July	SCERT to design Assessment Tools.

(SAUMYA GUPTA)
DIRECTOR (EDUCATION)

Heads of All Govt. Schools

Copy to:

1. PS to Hon'ble Dy. CM/Minister of Education

2. Secretary (Education)
3. Director (SCERT)
4. All Spl. DEs/Addl. DEs/JDEs
5. All Distt. DDEs
6. OS (IT) with the direction to upload on DoE's website.
7. Guard File.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. DE.23(363)/Sch.Br./2016/683 Dated: 29.04.2016

CIRCULAR

Subject: Admission for Age Bar for Admission in Govt. School for the session 2016-17.

In reference to Circular No/DE.23(263)/Sch.Br./452 dated 04.04.2014, all the Heads of Government Schools are hereby informed that relaxation is being granted in minimum age, criteria only for 2016-17 for all those students who have passed Class X in 2015-16 and are seeking admission in class XI in the Government Schools under Directorate of Education.

Also minimum age relaxation is granted for 6 months to all students seeking admission from class VI to IX in Government Schools under Directorate of Education for the session 2016-17 only.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

DR. (MRS.) SUNITA KAUSHIK
ADDL. D.E. (School)

All HOS/EOs/DDEs through DEL-E6

No. DE.23(363)/Sch.Br./2016/683 Dated: 29.04.2016

1. PS to Secretary (Education)
2. to Director (Education)
3. All RDEs
4. All DDES./EOs
5. OS(IT) to please paste it on the website

(USHA RANI)
D.D.E. (School)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, सप्लीमेंट्री।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष जी, चूंकि हमारे कार्यालय में बहुत लोग आते हैं कि हमारी 17 साल उम्र हो गई, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी उम्र का बच्चा हो, अगर वो क्लास 9th में जाना है, क्लास 10th में जाना है, किसी में जाना है, किसी भी नियम के कारण, किसी भी कानून के कारण, किसी भी ऐसे रूल्स के कारण, जो कि उसको प्रोहिबिट करता हो, कोई बच्चा रह न जाए क्योंकि अगर उस वर्ग का बच्चा बगैर एजुकेशन के रह गया तो बहुत मुसीबत हो सकती है। कई ऐसे केसेज मेरे पास आये क्लास 9th के कि इसकी उम्र 17 साल है, अब इसको एडमिशन सम्भव नहीं है। अब वो हमारे दतरों के चक्कर लगाता रहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई स्कीम सरकार फारर्म्युलेट कर रही है कि irrespective of the age of child he or she will be given admission in the progress class that is one आपकी जो चुनौती स्कीम है, वो बहुत ही बेहतरीन है और वो बहुत ही अच्छे शब्दों में और मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, लेकिन ऐसा एक प्रावधान आपने किया है, जो आने वाले समय में, अभी तो उसका इमिजिएट रिजल्ट नहीं

दिखेगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा दिखने वाला है। लेकिन मैंने आपसे जो यह पहली गुजारिश की है कि irrespective of the age बच्चा स्कूल में जाये, यह बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी ने जो सवाल उठाया है, बड़ा सवाल है शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे देश और पूरी दुनिया में इस पर बहुत चर्चा होती है, बहुत तरह के प्रयोग होते हैं कि पढ़ाई में क्लास रूम्स में बच्चों के बैठने की व्यवस्था लर्निंग लेवल के हिसाब से हो या कई जगह में मैं पढ़ता हूं इस बारे में, उसमें कई जगह तो बहुत कटाक्ष करके इसको कहा गया है या बच्चों को क्लास रूम में उनकी मैन्युफेक्चरिंग डेट के हिसाब से बिठाया जाये। यह थोड़ा तंज है उस दिशा में, लेकिन किसी को मैं पढ़ रहा था कि मैन्युफेक्चरिंग डेट के हिसाब से क्या बच्चों को क्लास रूम में बिठाया जाना चाहिए या लर्निंग के हिसाब से कि उनका लर्निंग लेवल अभी क्या है? इस पर पूरी दुनिया में... सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत चर्चा चल रही है, अलग–अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं, अलग–अलग स्कूल इसको मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, करके देख रहे हैं सफलता, विफलता मिल रही है। हमने भी दिल्ली सरकार में आकर अभी थोड़ा सा लिबरल व्यू इस पर लिया है कि एज लिमिट को हम लगभग साढ़े तीन साल जो एप्रोपिएट लर्निंग की एज डिफाइन की गई है, लेकिन उसमें अभी विंडो हमने साढ़े तीन साल दी है कि साढ़े तीन साल की फलैक्सिबिलिटी में कोई बच्चा किसी क्लास रूम में बैठ सकता है। अगर एज एप्रोपिएट लर्निंग के हिसाब से देखें, क्लास रूम के हिसाब से देखें तो मान लीजिए किसी कक्षा में जाने की उम्र छह साल है तो उसके साढ़े तीन साल इर्द–गिर्द कुल मिलाकर बच्चे को अभी एडमिशन उस क्लास में मिल सकता है। अभी तो है, लेकिन मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें कई बार लगता है कि यह एप्रोपिएट नहीं है, इतना पूर्ण नहीं है, जितनी कि आवश्यकता

है समाज में, पर उसमें कई सवाल और खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय, अनुभव में जो आया है कि कुछ पेरेंट्स की ओर से फिर ये शिकायत आती है इसके दोनों पक्ष हैं। जैसा मैंने कहा हम मेन्युफेक्चरिंग डेट के हिसाब से क्लासरूम में बैठने वाले लोगों के बारे में तय करें, ये भी हार्डशिप है। लेकिन ये भी हार्डशिप है कि पांच साल जिस कक्षा की उम्र है एवरेज लगभग पांच–छह साल के बच्चे जिस कक्षा में बैठ रहे हैं, वहां हम बारह–पंद्रह साल के बच्चों को बैठाएंगे तो उनके लर्निंग स्किल्स में और कई और तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं बच्चों के बीच में/आपस में, अंतरसंबंधों में जो एक व्यवहार होता है, उसमें भी समस्याएं हो सकती है। कई पेरेंट्स की इस तरह की बातें आईं कि हमारे बच्चे को आपने बहुत छोटे बच्चों के साथ बैठा दिया है या हमारी क्लास में आपने चार बड़े बच्चे बैठा रखें हैं ऐसी भी शिकायतें पेरेंट्स की ओर से मिली हैं तो मैं अभी माननीय सदन को इस दिशा में कोई पालिसी का आश्वासन नहीं दे पाऊंगा कि इस दिशा में हम कोई ओपन पालिसी बना रहे हैं लेकिन सरकार जितना लिबरल हो सकती है इस दिशा में और जितना व्यवहारिक हो सकती है, उतना होने की कोशिश कर रही है अगर इसमें और संभावनाएं होंगी और करेंगे और जितना हद तक होगी क्योंकि इन–प्रिंसिपल हम भी यकीन नहीं करते इस बात को कि किसी बच्चे को इसलिए पढ़ने का अवसर न दिये जाएं। इसीलिए जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही है, चुनौती...चुनौती है ही इस लिए कि एक बच्चा जिसको सामान्यतः हम मानते हैं कि उसकी उम्र निकल गई है और वो फेल होता चला जा रहा है उसको हम न सिर्फ पढ़ायें बल्कि उसके अंदर वो पढ़ने का कान्फिडेंस भी पैदा करें। एक बच्चा दो साल फेल हो गया उसके अंदर से सबसे पहले नियम, कायदे और कानून तो बाद में आड़े आते हैं उसके अंदर का कान्फिडेंस टूटता है, उसको लगता है मेरी जिंदगी में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं बची है। मैं पढ़ नहीं सकता। इसलिए हमने चुनौती 2018 बनाया कि उसको ये लगे... भले ही उसको हम थोड़ा सा उसके सब्जेक्ट की जो

करिकुलम की हार्डशिप है, उससे नीचे लेकर आयें, उसको जितना वो पढ़ सकता है, उसके सब्जेक्ट उसकी च्वाईस के हिसाब से रखें। चाहे वो अगर रेगुलर एग्जाम नहीं दे सकता तो पत्राचार में दे लेकिन पत्राचार के साथ–साथ वो स्कूल में रेगुलर आये। अभी तक पत्राचार का मतलब था स्कूल से बाहर गये। हमने कहा कि नही, हम उस बच्चे को मंडे टू सेटरडे बकायदा क्लासरूम में बैठाके उसको युनिफार्म देकर, उसको मिड–डे मील अगर वहां उस क्लास में है, तो मिड–डे मील देकर, बाकी सारी फेसिलिटी देकर, उसको किताबें देकर, उसको क्लासरूम में डिगनिटी के साथ पढ़ाना चाहते हैं। भले ही उसके सब्जेक्ट कम करके हम उसको चाहे हल्का वाला एग्जाम देकर पास करें। एक बार पास होगा, नवीं कक्षा पास करेगा, दसवीं कक्षा पत्राचार के माध्यम से पास करेगा तो कम से कम उसके अंदर एक कान्फिडेंस जनरेट होगा और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये महत्वपूर्ण है, मुझे खुशी है कि सोमनाथ भाई ने उसको एप्रिशिएट किया है कि हमने अभी अपने विद्यालयों में एक सर्वे करवाया था। अभी तक ये सर्वे जो होते थे, वो आउटसोर्स एजेंसीज से होते थे। चाहे 'प्रथम' जैसी एजेंसीज से हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'तीसा' जैसी एजेंसी से कि हमारी क्लास में बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है? हमनें अपने टीचर्स के माध्यम से ये सर्वे करवाया कि अपनी ही क्लास में आप लोग सर्वे करके दीजिए और बहुत ईमानदारी से हमारे शिक्षकों ने वो सर्वे करके दिया जिसके रिजल्ट्स परेशान करने वाले तो हैं लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि टीचर्स ने बहुत ईमानदारी से वो सर्वे करके दिया है अपने ही बच्चों का। उसमें आपमें से कुछ सदस्यों ने वो पढ़ा भी होगा 74 परसेंट बच्चे हमारी क्लास सिक्स में ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट की टेक्स्टबुक क्लास सिक्स की नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये चिन्ता की बात है। दो लाख बच्चे हैं, उनमें से 74 परसेंट बच्चे हमारे पास क्लास सिक्स में ऐसे हैं जो अपने क्लास की सिक्स की हिन्दी की टेक्सटबुक नहीं पढ़ पा रहे हैं हिन्दी मीडियम के बच्चे और उसमें से 46 परसेंट बच्चे तो ऐसे हैं जो कक्षा

दो की टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसे में अब उनको हम क्लास सिक्स का करिकुलम पढ़ाने की जिद करके उनको वो रटाये जाएं तो उनको कुछ समय में नहीं आयेगा, इसलिए ये 'चुनौती' बनाया। चुनौती का ये वाला हिस्सा इसलिए तैयार किया कि अब हम उनको सबसे पहले पढ़ना सिखाएंगे, बच्चा पढ़ना सीख जाएगा तब उसको समझ पाएगा कि मेथमेटिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जा रहा है अगर पढ़ना ही नहीं सीखा अगर वो अपनी टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ पा रहा है तो कैसे काम चलेगा तो इसलिए ये 'चुनौती' का प्रोग्राम बनाया गया है जो हमारे अधिकारियों और सब लोगों ने मिलकर बनाया है। इससे देश के और मैं समझता हूं कि दुनिया के उस बड़े सवाल का उत्तर मिलेगा जहां ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ तक नहीं पाते हैं समीक्षाएं बहुत हैं, रिपोर्ट्स बहुत हैं लेकिन एक्शन क्या है? पहली बार हमने एक एक्शन प्लान बनाकर रखा है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः राजेन्द्र जी, सप्लीमेंटरी एक और, राजेन्द्र जी एक सेकेण्ड... सोमनाथ जी एक और पूछना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ भारतीः सर, आपने जो बात कही, वो हृदय को छूने वाली बात है और मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में आपको बहुत भाव से याद करेंगे क्योंकि आपने जो साढ़े तीन साल वाली बात कहीं, ये हो नहीं रहा है। मेरा ख्याल है जो आपने इसमें कोई नोटिफिकेशन लगाई but only say six months of relaxation आपने कहा साढ़े तीन साल कि हो नहीं रहा ऑन द ग्राउंड एक आपको ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है और सर ये (च) के जवाब में आपने जो कहा है, मेरा सवाल था क्या छात्र के माता–पिता के जीवित होते हुए भी उसके अभिभावक को छात्र प्रबंधन समिति का सदस्य बनाने का कोई प्रावधान है तो इसमें चूंकि ऐज पर द लॉ अगर वो पेरेंट्स जिंदा हैं और वो सक्षम हैं तो गार्जियन बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें बकायदा कहा गया है कि किसी छात्र का अभिभावक जो न्यायालय द्वारा

नियुक्त किया गया हो... तो मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था कि जब उसके माता–पिता जीवित हैं और सक्षम हैं क्योंकि बहुत से वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोग घुसे हुए हैं अभी भी इसके जरिए। जो पुरानी व्यवस्था के लोग थे, वो भी इसके जरिए घुसे हुए हैं। किसी बच्चे के अभिभावक बन गये और उसकी तरफ से... राइटिंग में आपको दे रहा हूं।

उप मुख्यमंत्रीः एग्जामिन कराके आपको जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः हां, राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः आदरणीय माननीय उप–मुख्यमंत्री जी, एक जो ईडब्ल्यूएस वाला अभी सवाल था, उसके संदर्भ में एक छोटा सा सवाल मुझे करना है। जो ईडब्ल्यूएस है, वो केवल एंट्री लेवल पर है और जो मेरा अपना सर्वे है, जो मैंने सर्वे किया है... एंट्री लेवल पर ज्यादातर पब्लिक स्कूल क्या करते हैं कि वो दो या तीन या मेक्सिमम चार सेक्शन दिखाते हैं और जैसे ही सेकेण्ड क्लास में हम देखेंगे... उसी स्कूल का रिकार्ड मांगते हैं तो सेकेण्ड क्लास में जहां वो चार या तीन सेक्शन, दो सेक्शन थे वो एकदम से आठ सेक्शन हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है आठ सेक्शन यहां एंट्री लेवल पर एक क्लास में वो बीस बच्चे दिखा रहे हैं, बीस से तीस के बीच और वहां जाते ही वहां पचास तक बच्चे हो जाते हैं। तो इस बीच कितना बड़ा अंतर आ जाता है। सेक्शन भी आपने दुगने से तिगुने कर दिये... चार की जगह आठ कर दिये। कुछ जगह दो की जगह छः कर दिये और उधर से बच्चों की संख्या भी बढ़ा दी तो वो डायरेक्ट एडमीशन फिर वो लेते हैं। वहां जिन बच्चों को हक मिलना चाहिए ईडब्ल्यूएस में, वो पीछे छूट जाता है। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए।

उप मुख्यमंत्रीः ये शिकायत हमें भी कई बार होती है और जब ऐसी शिकायत मिलती है किसी प्राइवेट स्कूल के बारे में कि वो ईडब्ल्यूएस में नियमों को धत्ता बताकर या इस तरह की विंडोज ढूंढ़कर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो हम उसकी जांच भी कराते

हैं। तो अगर माननीय सदस्य के पास में इस संबंध में कोई विशेष शिकायत है किसी पर्टीकुलर स्कूल की, तो वो हमें दे दें। उसका हम पूरा इन्सपेक्शन कराकर और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे लेकिन साथ–साथ अगर देखा जाए तो ये पूरा... जो ये सरकार कोशिश कर रही है; टीचिंग शॉप के शिकंजे से स्कूल शिक्षा को निकालने की कोशिश कर रही है ताकि प्राइवेट स्कूल काम भी करें। जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी दें लेकिन इस तरह की धांधलियां न करें। इसमें अगर माननीय सदस्य की तरफ से कोई विशेष स्कूल के बारे में शिकायत मिलेगी तो उसका पूरा इन्सपेक्शन होगा।

अध्यक्ष महोदयः विशेष रवि जी, बैठिये, सप्लीमेंटरी एडीशनल दो ही होते हैं, विशेष रवि जी, चलिए एक सेकेण्ड आपसे पहले विशेष रवि जी का हाथ उठा हुआ है एक सेकेण्ड।

श्री विशेष रविः मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि ये जो ईडब्ल्यूएस के बच्चों का एडमीशन होता है, उसमें शायद यह है कि उनको वहां पर किताबें, पुस्तकें और ड्रैस स्कूल से ही मिलती हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं कि वहां पर उनको किताबें, पुस्तकें और ड्रेसेज जो हैं, वो नहीं देते हैं स्कूल और उनसे कहते हैं कि वो खरीद कर उनको देना पड़ेगा उसका बिल उनको भरना पड़ेगा इस तरह की शिकायतों के लिए क्या हमारा डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता है या हमें कोई शिकायत आती है तो उसे कैसे लेना चाहिए ?

उप मुख्यमंत्रीः ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उसमें सरकार की ओर से बकायदा स्कूल्स को पैसा भी दिया जाता है... एक निर्धारित पैसा दिया जाता है। उसका एक फार्मूला है। अभी यह मामला माननीय उच्च–न्यायालय में भी है उच्च–न्यायालय में और वहां से भी सरकार को कहा गया था कि इसका एक प्रॉपर फोर्मेट बनाकर उसमें उचित मात्रा में ताकि पैसा दिया जा सके, उन बच्चों को

या स्कूल्स को और वो बच्चे वास्तव में व्यावहारिक तरीके से पुस्तकें भी खरीद सकें, ड्रेसेज भी खरीद सकें या उसमें उनको मदद की जा सके। उनको खरीदने में उसकी एक पूरी नीति बनाकर दें। उसकी एक पूरी नीति, अब सरकार उसका एक पूरा फार्मूला बनाकर माननीय उच्च–न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है अगर वहां से उसमें माननीय उच्च–न्यायालय को वो स्वीकार्य होता है तो उसके बाद वो नीति में शामिल हो जाएगा।

श्री विशेष रवि: शिक्षा विभाग से जो अमाउंट स्कूलों को दिया जाता है, शायद वो 15 सौ रूपये है और वो अपने आप में बहुत कम है। उस स्कूल से उस क्लास की किताबें लेने के लिए ड्रेसेज लेने के लिए और बाकी सामान लेने के लिए तो शायद उस अमाउंट में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है।

उप मुख्यमंत्री: ये जो माननीय उच्च–न्यायालय में केस है, उस संदर्भ में है। जैसे ही इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा, उसके बाद उसकी नीति बन जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: अनिल वाजपेयी जी।

श्री अनिल वाजपेयी: सर प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। यहां शिक्षा विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी का सराहनीय कदम भी रहा है। वैसे मेरी अपनी विधानसभा में आदरणीय मंत्री जी के द्वारा ये आडिटोरियम हमारे यहां बनाने की परिमिशन दे दी गई जिसका निर्माण शुरू हो गया। मेरी विधानसभा में उर्दू का सेन्टर एक भी नहीं था और काफी सालों से डिमांड थी, वो मेरे यहां शुरू होने जा रहा है और सबसे बड़ा काम जो ऐतिहासिक काम हुआ है, दिल्ली के अंदर जो हर स्कूल के अंदर पेरेंटस के साथ और जो टीचरों का एक सम्मिश्रण हुआ है और जो संवाद हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर इसका बहुत बड़ा मैसेज गया है। दस साल जो लोग मंत्री रहे, उन्होंने इस स्तर पर आज तक

कोई काम नहीं किया, मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मेज थपथपाकर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का स्वागत करें।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र गोयल जी। ये अंतिम प्रश्न है इस पर बस।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि स्कूलों के अदर जो दुकानें खुली हुई हैं जिनके अंदर कापी किताब और पेन्सिलें बेची जाती हैं, क्या ये स्कूल सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है या नहीं?

उप मुख्यमंत्रीः अभी इस बारे में कि कोई प्राइवेट स्कूल अपने यहां बच्चों को किताबें देने की क्या नीति अपनायेगा कि बच्चों को किताबें कहां से लेनी है, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं लेकिन जो सरकार का बेसिक प्रिंसीपल है कि ये टीचिंग शाप्स प्रॉफिट मेंकिंग शॉप्स नहीं हो सकती हैं। तो अगर स्कूल अपने यहां से... अपने यहां कोई शॉप चला रहा है या अपने यहां उसको प्रॉफिट मेंकिग में ले रहा है तो उसकी पूरी जांच करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदयः बस महेन्द्र जी अब...

श्री महेन्द्र गोयलः मैं चाहूंगा कि मतलब इसकी जांच होनी चाहिये। आप किसी भी स्कूल के अंदर देखें ये प्रॉफिट के अंदर ही **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, वो उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, ठीक है धन्यवाद।

प्रश्न संख्या आठ सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उप मुख्यमंत्री से है प्रश्न नं. आठ। धन्यवाद।

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दिल्ली में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने एवं उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) जिन क्षेत्रों में इन संस्थाओं को खोलने की आवश्यकता है, उन्हें चुनने का क्या मापदंड है;

(घ) क्या जीवन एवं शिक्षा के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में इन संस्थाओं को खोला जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार स्कूल के समय के बाद तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने हेतु मौजूदा आधारभूत संरचना का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या आठ का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी, हां।

(ख) इस विभाग के अंतर्गत पांच नये पोलिटेक्निक तथा तीन नये आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव है। एक पोलिटेक्निक वर्तमान सत्र 2016–17 से रजोकरी में खोला जा चुका है, दूसरा बक्करवाला में खोला जाना है और अन्य तीन पोलिटेक्निक के लिए झड़ोदा माजरा (बुराड़ी), कादीपुर (नरेला) एवं मंडोली गांव में जमीन चिन्हित की गई है। वहां जमीन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए भी प्रयासरत् हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं उसकी संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये

हैं – एक युनिवर्सिटी खोली गई है फार्मास्यूटिकल एंड फिजियोथेरेपी के शिक्षण हेतु वर्ष 2015–16 में 160 सीट के साथ Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University (DPSRU) नामक विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया गया है। दूसरा नए आई.टी.आई, पहला नन्द नगरी में महिलाओं के लिए 160 सीटों के साथ तथा दूसरा मंगोलपुरी में 500 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। ये अभी इसी वित्त वर्ष में शुरू हुआ। वर्ष 2016–17 में 120 सीटों के साथ रजोकरी गांव में 01 नया पॉलिटेक्निक प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में चल रहे 09 प्रौद्योगिकी संस्थानों में बी.वॉक कोर्स प्रारंभ किया गया है जिसमें 08 विभिन्न विषयों में 900 सीटें सर्जित की गयी हैं। IGDTUW में वर्ष 2015–16 में 40 सीटों के साथ बी आर्क का नया कोर्स प्रारम्भ किया गया है। IGDTUW में कम्प्यूटर साइंस के 60 सीटें बढ़ाये गए हैं।

बी.टेक एडमिशन के लिए DTU में कम्प्यूटर साइंस विभाग में 221 सीटें तथा आईटी विभाग में 25 सीटें बढ़ाई गई हैं। lllTD में कम्प्यूटर साइंस विभाग में 60 सीटें तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में 10 सीटें बढ़ाई गई हैं। GB Pant इंजीनियरिंग कॉलेज में एम.टेक के 02 नए कोर्स प्रारम्भ किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिये जानकारी दे रहा हूं मैं... क्योंकि हम बार बार कहते हैं, स्वयं भी कहा है दिल्ली के बच्चों को हायर ऐजुकेशन में जाने के अवसर बहुत कम हैं। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार नये संस्थान खोलने की कोशिश कर रही है, वहां नये अवसर मिल रहे हैं। वहां नये संस्थान भी खोल रही है। वो चाहे आईटीआई हो, पोलिटैक्नीक हो या नये वोकेशनल कालेजेस हों। लेकिन साथ साथ जो existing collages हैं, युनिवर्सिटीज हैं, वहां भी सीटें बढाने के काफी नये कोर्सिज शुरू करके नई सीटें इन्ट्रोडयूस करके कि बच्चों को अवसर मिल सकें और सबको विदित होगा शायद कि जब दिल्ली के इस तरह के इंस्टीटयूट्स में दिल्ली सरकार दवारा चलाये जा रहे इंस्टीटयूट्स में सीटें बढती हैं तो इसमें से 85 परसेंट सीटें दिल्ली के स्कूल से पास आउट बच्चों को मिलती

हैं। तो इस तरह से उनके अवसर बढ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 221 सीटें डीटीयू में बढ़ी, 25 सीटें आई टी डिपार्टमेंट में बढ़ गई कम्प्यूटर साईस के साथ साथ ट्रिपल आई टी में 60 सीटें बढ गई 70 सीटें कुल मिला के जीबी पंत में दो ढाई कोर्स चल रहे हैं इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के साथ कुल मिलाकर 11 MoU किये गए हैं ताकि प्रशिक्षुओं को उपक्रमों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकें। इसी तरह Aprenticeship (एप्प्रेन्टिसशिप) योजना को पुनः प्रारम्भ किया गया है ये 2006 में बंद कर दी गई थी ताकि प्रशिक्षु कार्य सीखने के साथ ही जीवन यापन के लिए धन भी अर्जित कर सकें और इसका बहुत अच्छा रिस्पोंस मिला है। कई हजार बच्चों को आगे आने का अवसर इसमें मिल रहा है।

वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर (WCSC) में बैंकिंग एंड फाइनेंस तथा आईटी एप्लीकेशन के 02 नए कोर्स 40 सीटों के साथ प्रारम्भ किए गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर का एक्सटैंशन सेंटर आंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रारम्भ किया गया है जिसमें आईटी एप्लीकेशन की पढ़ाई 40 सीटों के लिए होगी। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में नॉर्थ इस्टर्न काउन्सिल के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के 80 बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है... सदन का ध्यान चाहूंगा ईस्ट और नार्थ ईस्ट इंडिया के जो हमारे बच्चे आते हैं, वो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। उनको कई बार कई शिकायतें भी मिली हैं, उनके साथ हुए व्यवहार के संदर्भ में। यहां हमारे वर्ल्ड क्लास सिटी सेन्टर में बहुत अलग तरीके से काल करते हुए नार्थ ईस्ट इंडिया के बच्चों के लिये अलग से 80 बच्चों को सीट देने का एक कार्यक्रम चलाया। आज वो बहुत शानदार ट्रेनिंग हमारे वर्ल्ड क्लास सेन्टर में ले रहे हैं। ये पूरा एक solidarityAs a nation की तरफ एक बडा कदम है।

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015–16 में 06 शिक्षण संस्थानों में Incubation (इन्क्यूबेशन) सेंटर प्रारम्भ किया है ताकि छात्रों को entrepreneurship की तरफ आकर्षित किया जा सके।

(ग) पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई खोलने के लिए भूमि की उपलब्धता ही मुख्य मापदंड है। AICTE के नियम के अनुसार पॉलिटेक्निक खोलने के लिए 1.5 एकड़ की भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए जबकि DDA/DGET के नियमानुसार आई.टी.आई. के लिए 01 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

(घ) जमीन की उपलब्धता होने पर ये संस्थान अन्य क्षेत्रों में भी खोले जा सकते हैं।

(ङ) इस बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि मौजूदा मूलभूत सुविधाओं (Infrastucture) का सदुपयोग करने की दृष्टि से इस पर कई बार चर्चा हुई है।

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंट्री अलका जी।

सुश्री अलका लाम्बाः मेरा सवाल हटकर है

अध्यक्ष महोदयः सप्लीमेंट्री पूछना है ?

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, सप्लीमेंट्री क्वेशचन मेरे वाली इससे थोडा सा हटकर है पर शिक्षा खेल मंत्री से मेरा प्रश्न है, परसों हमारी एक खिलाडी पूजा जो है उसने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्महत्या का मामला तब हमारे सामने आया जब उसने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और उससे खुलासा हुआ कि वो बहुत गरीब थी और सुविधाओं के अभाव के कारण उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं खेल मंत्री से सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि हमारे जो दिल्ली

सरकार के खेल मंत्री... खास तौर से ऐसे बच्चे जो बहुत... क्योंकि वो भी नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी, ऐसे खिलाड़ियों के लिये या उनके जो अभाव हैं या निराशा जो आ रही है, उसके लिये क्या कोई ग्रीवानसीज की हमारे पास ऐसी सैल या बाडी है जहां पर कोई भी छात्र आकर खासतौर से इस स्तर पर अगर अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी अपनी बात को रख सके और समय रहते हम उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा सके और निराशा से दूर भी रख सकें। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः अलका जी, रेलीवेंट नहीं है इससे ये ।

उप मुख्य मंत्री : सारा खेल से रिलेवेंट है अध्यक्ष महोदय, आज तो सब खेल मय हैं अच्छी बात है। ये जो पूजा वाला जो एपिसोड है, काफी दुखद है। मैं भी उसको लेकर थोडा चिन्तित हुआ कि कैसे! मुझे भी दुख हुआ इसका लेकिन हमारी जो खेल नीति है अध्यक्ष महोदय, वो यही है कि प्रतिभाशाली बच्चों को स्पेस दिया जा सके और जो बच्चे फिर बेहतर प्रफार्म करें, उनको प्रोत्साहन और विशेष ट्रेनिंग के लिये जो भी मदद हो सके, उसकी पूरी हमारी खेल नीति है। पिछली बार जब हम सरकार में आये थे तो उस वक्त जो राशियां अलग अलग प्रफोरमेंस के लिये अलग अलग उपलब्धियों की राशि थी, उसको भी हमने बहुत बढा के रखा था, काफी उसमें वृद्धि की है और स्कूल स्तर से ही प्रतिभाओं को पहचाना जा सके, उनको आगे लाया जा सके और फिर उनको पूर्णतः खेल में समर्पित किया जा सके, इसके लिये सरकार की एक अभी तैयारी चल रही है क्योंकि यह अपने आप में एक पहला प्रयोग होगा स्पोटर्स यूनिवर्सिटी बनाने का। मुझे लगता है ये शुरू हो जायेगा तो पूजा जैसे छात्रों को फिर वहां उनकी प्रतिभा को पहचाना भी जा सकेगा और निखारा भी जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ भारती जी, सप्लीमेंटरी। इसके बाद लास्ट इसमें जरनैल सिंह का सप्लीमेंटरी रहेगा।

श्री सोमनाथ भारतीः मुझे याद आ रहा है कि पैनआईटी एक बॉडी है, उसमें आईआईटियन्स फॉर आईआईटीआईज करके एक प्रोग्राम चला था और हर आईटीआई को किसी न किसी इंडस्ट्री ने एडॉप्ट कर रखा है तो उसके स्टूडेंटस उन्हीं के करिकुलम्स पढ़ते हैं और उनको फिर नौकरी मिल जाती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हम कर रहे है क्या?

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे मालूम है माननीय विधायक जी आईआईटी एल्युमिनी के बहुत सक्रिय सदस्य भी हैं और उसमें उनके प्रमुख लोगों में से हैं जो आईआईटीस के टेलेंट को इस तरह के सोशल कॉजिज से जोड़ने का काम करते हैं अगर हमारी आईटीआईस में, पोलीटेक्निक्स में ईवन और भी स्कूल्स में अगर आईटीआई एल्युमिनी और आईआईटीस की तरफ से जितना सहयोग मिल सके और उसमें माननीय विधायक जी भूमिका निभा सकें तो मुझे खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन): अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिएगा मेरा सवाल जो है, थोड़ा व्यवस्था को लेकर है। मेरे भी इसमें स्टार्ड में दो क्वश्चन थे और एक घंटा पूरा हो गया है। मैं एक विनती करना चाहता हूं कि जब हमारे मंत्री महोदय रहते हैं, उनको पूरा का पूरा जवाब पढ़ना पड़ता है। अगर आप संसद में भी देखें तो वो कह सकते हैं कि इसका जवाब सदन के पटल पर पड़ा हुआ है और वो चाहें, उनके विवेक पर हैं, उसमें से कुछ हिस्सा पढ़ दें, वो चाहे तो छोड़ दें। तो उससे हम अगर बीस सवाल स्टार्ड में लेते है तो तभी आ पाएंगे, सामने सामने बात तभी वो कुछ निकल के आएगी अगर मंत्री महोदय को सब पढ़ना पड़ेगा, मनीश जी को पूरा (ग) से (ङ) तक पढ़ना पड़ा तो मुझे उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए, कुछ इंपोर्टेंट प्वाइंट उसमें से पढ़ ले या छोड़ दे या बाकी सदन के पटल पर सदस्यों के सामने पड़ा होता है, इस तरह से अधिक क्वेश्चन आ सकेंगे।

अध्यक्ष महोदयः क्वेश्चन ऑवर समाप्त हो रहा है..... विजेन्द्र जी एक सैकेंड मैं अभी लेता हूं। एक मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हमारे माननीय पूर्व सदस्य इस सदन के, चार बार सदस्य रहे हैं माननीय रामभज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका सदन की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पहले करवाना चाहिए था मैं रामभज जी से क्षमा चाहता हूं। हां बताइये विजेन्द्र जी, क्या कह रहे है?

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा तारांकित प्रश्न था। सवाल ये है कि.....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, तारांकित का तो यहां.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, उससे आगे की बात कर रहा हूं मैं। मैं तारांकित से आगे की बात कर रहा हूं। मेरे प्रश्नों का जवाब ही नहीं आया है। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है और ये इन्टेन्शनली हुआ है क्योंकि मैं इन प्रश्नों को पिछले चार महीने से सरकार से जानने की कोशिश.....

अध्यक्ष महोदयः आप मुझे लिखकर दीजिए कौन से.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, प्राइवेट वकील जो हॉयर किए गए अदालत में...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ऐसे नहीं विजेन्द्र जी.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप 12 नंबर प्रश्न निकालिये, मैं आपको पढ़ देता हूं .....

अध्यक्ष महोदयः क्वश्चन ऑवर अब पूरा हो चुका.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये मामला कि किसी प्रश्न का जवाब ही ना दिया जाए .....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिए जवाब से .....ये अलग बात है लेकिन जवाब ना आना .....

अध्यक्ष महोदयः अब मेरी बात सुन लीजिए एक बार। आपने उठाया ना? अब तक जिन सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं वो मुझे इंफोर्म करते हैं, मैं सख्ती से डिपार्टमेंट से..... आपने आज उठाया है, मुझे लिखकर दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, बताएं मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं आया?

अध्यक्ष महोदयः तो मुझे आपने इंफोर्म ही नहीं किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कहां इंफोर्म नहीं किया, ये आपने अभी दिया है मेरे को एक घंटे पहले।

अध्यक्ष महोदयः किसको?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जो मसौदा है, मैंने प्रश्न तो 12 दिन पहले से पूछा हुआ है जैसे जो समय सीमा थी उसमें मेरा ड्रा में प्रश्न भी आया...

अध्यक्ष महोदयः अच्छा आज जो लगाए हैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आज लगा हुआ है ...

अध्यक्ष महोदयः उसमें उत्तर नहीं आया है ...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उत्तर ही नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं ...

अध्यक्ष महोदयः चलिए, मैं देखता हूं इसको। ..... मैं इसको देखता हूं नहीं आया है.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मंत्री जी बताएं, इसका रिप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सिलसिलेवार बात बताना चाहूंगा पहले। पहले मैं अपनी बात कहना चाहूंगा ये मैंने 2 मई को.....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं ऐसे एलॉउ नहीं करता ..... मेरी रूलिंग सुन लीजिए अब प्लीज और सदन के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं।

श्रीमती सरिता सिंहः सर, 12 नंबर का जवाब है। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः वो बता रही हैं 12 नंबर का जवाब है...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप देखिए ना, उनको कहने दीजिए। मेरे आब्जैक्शन पर तो आप तय करिए।

अध्यक्ष महोदयः दो मिनट रूक जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 12 नंबर का आप बताइये?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य बैठ जाएं, बैठ जाएं। विजेन्द्र जी दो मिनट बैठिए अब आप। आपने अपना प्रश्न रख दिया ना, बैठिए। बैठिए मैं आग्रह कर रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं विरोध स्वरूप खड़ा हूं। मेरे प्रश्न के जवाब नहीं हैं और ये जानबूझकर सरकार इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे रही .....आपकी धांधली है, भ्रष्टाचार है **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदयः सरिता जी बैठिए दो मिनट, मैं देखता हूं अभी बैठिए दो मिनट .....

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः करोड़ो रूपया जनता के खून पसीने का यूज हो रहा है **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठ जाइये।...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये पेमेंट हो रही है वकीलों को....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जाएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बताइये आप... कैसे बोलू?

अध्यक्ष महोदयः आपने ये भाषा बोली अभी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर जान–बूझकर नहीं दिया जाता?... एक सैकेंड सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या अब तक सदन के सवा साल के कार्यकाल में आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं आया? मैं सीधी बात आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे नही चल पाएगा। आपको अगर इस पर कुछ आपत्ति है ...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विधान सभा के इतिहास में 12 दिन में ऐसा जवाब कभी नहीं आया होगा, जैसा पहली बार आया है ये! ये किसलिए आया है कि क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है**...(व्यवधान)**

सुश्री सरिता सिंहः जवाब है तो .....

अध्यक्ष महोदयः सरिता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जानकारी को छुपाया जा रहा है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपको ऐसा कुछ लगता है, आप लिखकर दीजिए, मैं कमेटी को दे दूंगा.....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन इसमें ....

अध्यक्ष महोदयः आप दीजिए इसको रैफरेंस कमेटी को ...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये जानबूझकर इस पूरे मामले को दबाया और छुपाया **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप अगर उत्तर से खुश नहीं है... विजेन्द्र जी, अब मेरे आर्डर सुनेंगे या बोलते रहेंगे? आप अगर अपने इस उत्तर से खुश नहीं है...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उत्तर है कहां? पढ़ दीजिए **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप लिखकर मुझे दे दीजिए। चलिए, बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उत्तर नहीं है इसलिए मैंने **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये अभी प्लीज। देखिये विजेन्द्र जी, आप समय खराब कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने 12 नंबर आने का इंतजार किया.....

अध्यक्ष महोदयः आप इस सदन के महत्वपूर्ण समय को खराब कर रहे है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राजेश जी, आप मत बोलिए। ये मैं बैठा हूं ना मुझे देखना है। आप बैठिये प्लीज।....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये देखिए (क) से (च) तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं ....

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, मैं इसमें रूलिंग दे रहा हूं, इसको करना है तो यहां डिसाइड कर लें।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जी बताइये?

अध्यक्ष महोदयः मैं इसमें रूलिंग दे रहा हूं। इसमें if you are not happy रैफरेंस कमेटी को मैं इसको रैफर कर दूंगा, ये निर्णय मैंने रूलिंग दे दी।... नहीं तो और क्या करूंगा मैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः xxx[1]

अध्यक्ष महोदयः 20 क्वैश्चन हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः xxx

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइये आप प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः xxx

अध्यक्ष महोदयः ये जितने भी शब्द हैं निकाल दीजिए। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं विजेन्द्र जी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ भी मेरी रूलिंग के बाद इन्होंने बोला है, उसको हटा दीजिए कार्यवाही से।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, ये अन्याय है!

अध्यक्ष महोदयः आप सदन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक रूलिंग दे दी है। मैंने कहा कि इसको कमेटी को रैफर कर देता हूं.. आपके प्रश्न का

---

[1](xxxचिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।)

उत्तर नहीं आया। रैफर कमेटी को..... आप समझने को तैयार नहीं हैं। आप सदन को हाईजैक करना चाहते हैं हर बार।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, वहां पर रिकार्डिंग हो रहा है बाहर....

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल सिंह जी, सरिता जी आप बैठिए, सोमनाथ जी आप बैठिए प्लीज...

श्रीमती सरिता सिंहः सर, वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी बैठिए। जरनैल जी, आपका जो सुझाव था, इसको मैं रूल्स कमेटी को रैफर कर रहा हूं एग्जामिन के लिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए...

अध्यक्ष महोदयः नहीं अब छोड़िए। नहीं होगा, ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप गलत काम कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए...

अध्यक्ष महोदयः मुझे कहना पड़ेगा माइक बंद कर दें।.....फिर आप कहेंगे मेरा माइक बंद... मैं बहुत सख्ती से कह रहा हूं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप मंत्री जी से ....

अध्यक्ष महोदयः मैंने रूलिंग दे दी। रूलिंग देने के बाद समझ नहीं रहे है...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरे तारांकित प्रश्न हैं, स्टार्ड क्वश्चन हैं, कहें तो ..... जवाब क्यों नहीं है?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए आप।

...(व्यवधान)...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं कड़े शब्दों में उप मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की निंदा करता हूं कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है... जनता के सामने ये सारे जवाब लेकर जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, बैठिए अब।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

05. श्री गुलाबसिंह : क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स जैसे चोपाल, बरातघर, सड़कें पुल इत्यादि का विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में सरकार द्वारा दायित्व लिए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स का विवरण क्या है;

(ग) पूर्ण होने के लक्ष्य की तिथि लेप्स हो जाने के बाद भी पूर्ण न होने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट का विवरण क्या है; और

(घ) क्या सरकार की इसके लिए दोषी ठेकेदारों/कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव हैं?

विकास मंत्रीः (क) वांछित अवधि में विभाग द्वारा 5 (पांच) मुख्य लेखा शीर्षों (एमएलए एलएडी, डीआरडीबी, प्लान वर्कस सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, पंचायत, अनुसूचित एवं सूचित जनजाति) में 113 (एक सौ तेरह) विभिन्न परियोजनाएं जैसे चोपाल, बारातघर, सड़कें, पुल इत्यादि कार्यान्वित की गई।

(ख) 44 (चवालिस) परियोजनायें स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं जिनकी स्वीकृति विभिन्न विभागों से अपेक्षित है।

(ग) इन 113 (एक सौ तेरह) परियोजनाओं में से

- 66 (छयासट) परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं।
- 7 (सात) परियोजनायें अग्रिमबंद की गई हैं।
- 3 (तीन) निरस्त की गई है।
- 3 (तीन) परियोजनायें अवार्ड/टेंडर स्टेज में हैं।
- 16 (सोलह) प्रगति पर हैं।
- 18 (अठारह) विलंबित व बाधित हैं जिनमें से 14 (चौदह) में मुख्य कारण डिमारकेशन न होना अथवा बरसाती मौसम हैं।
- 4 (चार) परियोजनायें ठेकेदारों द्वारा बाधित होने के कारण आवश्यक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

(घ) जी हां, संबंधित अनुबंधानुसार, अभी हाल में ही 4 (चार) अनुबंधों में ठेकेदारों को आवश्यक नोटिस जारी किये गये हैं।

09. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम सभा एवं पब्लिक लैंड का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार को बार–बार वजीराबाद क्षेत्र के राम घाट एवं संगम विहार में ग्राम सभा एवं पब्लिक लैंड पर अनाधिकृत कब्जे होने की शिकायतें मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उप मुख्यमंत्री : (क) तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में रामघाट वजीराबाद के पास खसरा नं. 64/02, 297/68, 298/68 मिन ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) (1) उपदंडाधिकारी, सिविल लाईन्स कार्यालय द्वारा रामघाट के पास स्थित ग्राम सभा जमीन की निशानदेही टोटल स्टेशन पद्धति से कराई गयी है।

तत्पश्चात् यह पता चला कि खसरा नंबर 64/02, 297/68, 297/68 मिन जो गांव सभा की जमीन हैं, में कुछ अतिक्रमण है रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाही की जाएगी।

(2) वजीराबाद गांव सन् 1982 में ही शहरीकृत गांव घोषित हो चुका है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संगम विहार अनाधिकृत कॉलोनी है इस कॉलोनी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोई कार्य नहीं करती परंतु पब्लिक लैंड पर अनाधिकृत अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होने पर दिल्ली पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है।

10. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार एवं भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य संस्था दिल्ली में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारत में कोई अन्य ऐसे राज्य हैं जहां भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एवं पुलिस केन्द्र सरकार के आधीन हैं;

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा दिल्ली पुलिस;

(ग) जब भ्रष्टाचार से संबंधित कोई सूचना या शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाती है। अगर कोई अहम सूचना/तथ्य उपलब्ध करवाए जाते हैं तो मामले को नियमानुसार उचित कार्रवाई हेतु भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को भेजा जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा पीजीएमएस नाम से एक वैब पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है जिस पर जाकर आम नागरिक भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायत आन–लाईन भी दर्ज कर सकता है। ऐसी शिकायतों पर समयबद्ध चरण में कार्रवाई की जाती है। जन–साधारण से प्राप्त शिकायतों पर मुख्यमंत्री के सलाहकार (भ्रष्टाचार निरोधक) द्वारा भी जांच की जाती है। सरकार द्वारा भी हर साल जन–साधारण में जागृति हेतु सर्तकता–जागरण सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में दिल्ली लोकपाल बिल–2015 भी पारित किया जा चुका है जिसे केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जा चुका है। यह बिल भ्रष्टाचार

से संबंधित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विशेष सर्तकता आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है।

(घ) जी नहीं।

11. श्री जरनैल सिंहः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दंगा पीड़ितों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्या है;

(ख) कितने लोगों को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने हेतु दिल्ली सरकार को कोई राशि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्रीः (क) वर्ष 1984 के सिक्ख दंगा पीड़ितों को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार समय–समय पर राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी अनुलग्नक 'क' में है।

(ख) 5 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि विभिन्न राजस्व जिलों द्वारा अब तक कुल 2049 लोगों को दी गयी है।

(ग) और (घ) जी हां, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 80.49 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा था जिसके उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दो बार में अबतक कुल 25 करोड़ की धनराशि दिल्ली सरकार को दी गयी है। शेष राशि 55.49 करोड़ कीर प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित है।

अनुलग्नक 'क'

अनुग्रह राशि देने का मानदंड	अनुग्रह राशि तथा आदेश
1	2
1984 दंगों के दौरान हुई मौत के मामलों में मृत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.11.1984 द्वारा रुपए 10,000/7 जिसे पत्र दिनांक 28.01.1986 में बढ़ाकर रुपए 20,000/– किया गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश दिनांक 05.07.1996 द्वारा बढ़ाकर 3.50 लाख किया गया। फिर दिनांक 16.01.2006 को गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त 3.50 लाख की अनुग्रह राशि स्वीकृत की। पुनः गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 16.12.2014 द्वारा रुपए 5 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी गयी।
चोट के प्रत्येक मामलों में अनुग्रह राशि	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.11.1984 द्वारा 2000/– रुपए की अनुग्रह राशि दी गयी थी जिससे दिनांक 16.01.2006 के पत्र द्वारा रुपए 1.25 लाख तक बढ़ाई गयी।
दंगों से प्रभावित परिवारों को जो अन्य राज्यों से पंजाब में पलायन कर गए थे।	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16.01.2006 के पत्र द्वारा 2 लाख रुपए प्रति परिवार को अनुग्रह राशि की स्वीकृति दी गयी है।

1	2
क्षतिग्रस्त रिहायशी संपत्तियों	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.11.1984 के अनुसार मकान की पूर्ण क्षति होने पर : 10 हजार रुपए प्रचुर क्षति होने पर : 5000/– रुपए कम क्षति होने पर : 1000/– रुपए की राशि स्वीकृत की थी जिसे दिनांक 18.06.1990 के पत्र द्वारा दुगना कर दिया गया था। जिसे दिनांक 16.01.2006 के पत्र द्वारा 10 गुणा तक बढ़ा दिया गया है।
वाणिज्य/औद्योगिक संपत्ति की क्षति	बीमा रहित क्षतिग्रस्त वाणिज्य/औद्योगिक संपत्ति की क्षति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक दिसंबर 1987 द्वारा 50,000/– रुपए की सीमा तक अनुमानित क्षति का 50 प्रतिशत तक देने का प्रावधान था जिसे गृह मंत्रालय ने पत्र दिनांक 16.01.2006 द्वारा 10 गुणा तक बढ़ाया गया।
दंगें में मारे गये व्यक्तियों की विधवाओं और वृद्ध माता पिता को समान दर से पेंशन। जो व्यक्ति 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो चुके हैं या 1984 से अब तक लापता है।	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.01.2006 द्वारा रुपए 2500/– प्रति माह की समान दर से पेंशन स्वीकृत की गयी।

12. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न न्यायालयों में दिल्ली सरकार की ओर से पेश होने हेतु निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा फरवरी 2015 से अब तक नियुक्त किए गए निजी अधिवक्ताओं की संख्या का विवरण क्या है;

(ग) इन अधिवक्ताओं को भुगतान की गई अथवा की जाने वाली फीस का विवरण क्या है;

(घ) इन अधिवक्ताओं को कितने केसों में नियुक्त किया गया है;

(ङ) यह भी सत्य है कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु बहुत से केसों में एक से अधिक अधिवक्ताओं को लगा गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्रीः (क) से (च) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग दिल्ली की विभिन्न अदालतों में उनके मामलों की पैरवी के लिए निजी अधिवक्ताओं को नियुक्त करते है। इस संबंध में सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। जानकारी एकत्रित होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

13. श्रीमती प्रोमिला टोकसः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा में सीसीटीवी कैमरा लगाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) इस कार्य में देरी होने के क्या कारण है?

उप मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा कैमरे लगाने से पहले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा। सीसीटीवी लगाने के कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ नीतिगत अनुमति के पश्चात् कैमरे लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(ग) दूसरी तरफ दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु एजेंसीयों को सूचीबद्ध करवाने का कार्य चल रहा है जोकि अग्रिम चरण में है। यह कार्य लगभग एक महीने में पूरा होने की अपेक्षा है।

14. श्रीमती सरिता सिंहः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नन्द नगरी सी–3 ब्लॉक में चौपाल/बारात घर निर्माण के संबंध में की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा जारी किए गए फंड का विवरण क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में चौपाल/बारात घर का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

उप मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को एक अनुरोध पत्र भेजा गया जिसमें सी–3 ब्लॉक, नन्द नगरी में बारात घर/चौपाल बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आग्रह किया गया है। इस संबंध में यह कहना उचित रहेगा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार को भूमि की कीमत वर्तमान सर्कल रेट के अनुसार अदा करने के पश्चात् आवंटित की जा सकती है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा आंकी गई राशि रुपए 99,56,604/– (भूमि किराया सहित @ 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रुपए 242844/–) 171.50 प्रतिवर्ग मीटर भूमि @ रुपए 56,640 प्रतिवर्ग मीटर की दर से देय है जिसका निर्णय दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा दिनांक 04.07.2012 को पारित किया गया था।

(ग) उपरोक्त उत्तर (क) और (ख) के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा अभी पैसा जारी नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

15. श्री सुखबीर सिंहः क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधानसभा क्षेत्र में स्थित तालाब, वाटर बाडिज और सिंचाई नाले दयनीय अवस्था में हैं;

(ख) इन तालाबों, वाटर बाडिज एवं नालों को साफ करने एवं इन्हें कूड़े एवं रूकावट से मुक्त करने हेतु सरकार की क्या योजना हैं; और

(ग) इन तालाबों, वाटर बाडिज एवं नालों के संरक्षण एवं रख–रखाव हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई एवं इस उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किए गए फंड का विवरण क्या हैं;

विकास मंत्रीः (क) तालाबों व जोहड़ों का स्वामित्व पंचायत विभाग के अंतर्गत आता है परंतु इस विभाग द्वारा राजस्व विभाग द्वारा सौंपे गये तालाबों का जीर्णाद्धार ग्रामीण विकास बोर्ड के बजट के द्वारा किया गया है मुंडका विधानसभा में सूची "क" में 37 (सैंतीस) पूर्ण की गई सूची "ख" में 1 (एक) प्रगति पर व सूची "ग" में 4 (चार) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तालाबों का विवरण संलग्न हैं।

(ख) इस विभाग द्वारा विकसित किये गये तालाबों/जोहड़ों में यदि कोई प्रस्ताव इनकी सफाई हेतु पंचायत विभाग द्वारा प्राप्त होता है तो यह ग्रामीण विकास बोर्ड के फंड से किया जा सकता है।

(ग) इस वर्ष 2016–17 में रख–रखाव हेतु टीकरी गांव में खसरा नं. 485 जोहड़ का रख–रखाव में लगभग रुपए 9000/– (नब्बे हजार रुपए) खर्च किया गया है।

सिंचाई नालों का रख–रखाव विभाग द्वारा समुचित रूप से किया जा रहा है, व वर्ष 2016–17 में रुपए लगभग 8.00 लाख रुपए (आठ लाख रुपए) की धनराशि खर्च की गई है।

सूची "क"

Detail of Water Bodies in Respect of MUNDKA (AC-8)

Status Report of Water Bodies Completed

Sl. No.	District	Name of Village/ Water Body	Kh. No.	Area (Bigha-Biswa)	Area (in Sqm)	Present position Wet/ Dry	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	North West	Garhi Rindhala	24	4-16	4048	Dry	Work completed 26.05.2008
2.	North West	Garhi Rindhala	165	9-11	8052	Wet	Work completed 02.07.2010
3.	North West	Ghewra/Gheora/ Ghewra	212	11-3	10820	Dry	Work of deepening, three side 26.05.2008
4.	North West	Jaunt/Jaunti/ Jonti	225	29-7	24754	Wet	Work completed 02.07.2010
5.	North West	Jaunt/Jaunti/ Jonti	28/7/2	1-9	1223	Dry	Work of deepening, three side of B/wall and Ghat completed on 05.01.2006
6.	North West	Jaunt/Jaunti/ Jonti	255	9-15	8223	Dry	Boundary wall, ghat, walkway, lining completed on 15.04.2008
7.	North West	Jaunt/Jaunti/ Jonti	86/4/2, 22/1	2-11	2151	Dry	Boundary wall, ghat, walkway, lining completed on 21.04.2008

8.	North West	Ladpur Kh.	80/14/2, 17/1	4-9	3752	Wet	Boundary wall ghat deepening completed 15.01.2005
9.	North West	Ladpur	77/22/2, 23/2 & 24/1	6-0	5120	Wet	Work completed 07.02.2012
10.	North West	Madan Pur Dabas	77/2	9-14	26441	Wet	Work completed 07.12.2003
11.	North West	Madan Pur Dabas	79	21-13		Wet	Work completed 07.12.2003
12.	North West	Madan Pur Dabas	76	10-16	9105	Wet	Work completed 27.08.2003
13.	North West	Nizampur	13/11, 12, 19, 20	19-2	16109	Dry	Work completed 19.06.2008
14.	North West	Nizampur	28/19	4-16	4048	Dry	Work completed 30.07.2005
15.	North West	Nizampur	335	3-19	3325	Dry	Work completed 28.06.2008
16.	North West	Nizampur	30/6, 31/10, 11	14-4	11976	Dry	Work completed 02.05.2008
17.	North West	Nizampur	49/6/1 & 50/10				Work completed DSIIDC
18.	North West	Rani Khera	89, 90	3-9	2910	Wet	Work completed 02.05.2007
19.	North West	Rani Khera	74/2	17-18	14966	Wet	Work completed 08.05.2007
20.	North West	Rasool Pur	29	5-10	4639	Wet	Work completed 11.02.2009

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	North West	Rasool Pur	33	5-9	4597	Dry	Work completed 12.08.2008
22.	North West	Rasool Pur	52	2-15	2319	Wet	Work completed 11.04.2008
23.	North West	Sawda/Saoda	229	38-18	32808	Dry	Work completed 05.01.2009
24.	North West	Tatesar	17/2, 3, 8, 9	19-4	16193	Wet	Work completed 20.11.2002
25.	West	Hirankundra	415	16-10	13915	Wet, Dirty water	Work completed on 30.12.2009
26.	West	Hirankundra	564	16-4	13698	Wet	Work completed on 15.12.2010
27.	West	Hirankundra	134	11-16	9950	Wet, Dirty water	Work completed in Feb.-2013
28.	West	Mundka	163	4-16	4048	Wet, Dirty Water	Privately well maintained water body
29.	West	Neelwal	55	14-7	12103	Wet, Clear water	Work completed in June-2009
30.	West	Quammruddin Nagar	38/1/2			Wet	Work completed in Feb.-2014

31.	West	Tikri Kalan	480 Min (Naina Palki)	10-7	8729	Dry	Work completed in Nov.-2006
32.	West	Tikri Kalan	478 min	5-6	4470	Dry	Work completed in July -2006
33.	West	Tikri Kalan	488	2-14	2277	Dry	Work completed in March-2009
34.	West	Tikri Kalan	486	4-16	4048	Wet, Clear water	Work completed in Oct.-2009
35.	West	Tikri Kalan	487/3	11-12	9783	Wet, Clear water	Work completed in Sep.-2009
36.	West	Tikri Kalan	484	6-14.5	5675	Wet, Dirty water	Work completed on 05.11.2012
37.	West	Tikri Kalan	482 Min				Work completed in Feb' 2016

सूची "ख"

Detail of Water Bodies in Respect of MUNDKA (AC-8)

Status Report of Water Bodies in Progress

Sl. No.	District	Name of Village/ Water Body	Kh. No.	Area (Bigha-Biswa)	Area (in Sqm)	Present position Wet/Dry	Remarks
1.	North West	Village Karala	267/1	19-01	16258		Tender to be invited

सूची "ग"

Detail of Water Bodies in Respect of MUNDKA (AC-8)

Status of Schemes Submitted, A/A & E/S Awaited

Sl. No.	District	Name of Village/ Water Body	Kh. No.	Area (Bigha-Biswa)	Area (in Sqm)	Present position Wet/Dry	Remarks
1.	North West	Mohammadpur Majri	18/26				Scheme amounting to Rs. 179.19 submitted on 17.04.2013. A/A & E/S awaited.
2.	North West	Kanjhawala (Khoja ka Pond)	142/127	9-0			Scheme amounting to Rs. 120.73 approved in DRDB Held on 20.08.2015 A/A & E/S awaited.
3.	North West	Jaunti/Jonti	330/20	14-16			Encroachment exist. Scheme amounting to Rs. 53.81 Lacs approved in D.R.D.B. meeting on dated 20.08.2015, A/A & E/S Awaited.
4.	West	Mundka	17/27				A/A & E/S awaited scheme approved in RDB meeting held on 09.01.2008 at No. 9.

16. श्री वेद प्रकाश : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जीजीएसएसएस शाहबाद डेयरी, जीबीएसएसएस शाहबाद डेयरी, उपदेश कौर कन्या विद्यालय दरियापुर कलां, जीबीएसएसएस कटेवड़ा एवं सर्वोदय बाल विद्यालय नांगल ठकरान जर्जर स्थिति में है;

(ख) इन स्कूलों की दशा सुधारने हेतु विभाग द्वारा कया कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इन स्कूल भवनों के पुनः निर्माण कार्य हेतु निविदाएं जारी की गई है; और

(घ) यह निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) बवाना विधान सभा क्षेत्र के निम्न विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैंः–

1. जीजीएसएसएस एवं जीबीएसएसएस शाहबाद डेयरी, (निर्माण वर्ष 1993)
2. उपदेश कौर कन्या विद्यालय दरियापुर कलां, (निर्माण वर्ष 1965)
3. जीबीएसएसएस कटेवड़ा (निर्माण वर्ष 1959)
4. सर्वोदय बाल विद्यालय नांगल ठकरान (निर्माण वर्ष 1948)

इस संदर्भ में निम्न कदम उठाये गये हैंः–

1. **रा.उ.मा. बालिका विद्यालय, शाहबाद डेयरी एवं रा.उ.मा.बाल विद्यालय शाहबाद डेयरीः–** इन दोनों विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण किया जाना है। अतः इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को क्रमशः सर्वोदय बाल विद्यालय, प्रहलादपुर एवं सर्वोदय कन्या विद्यालय, प्रहलादपुर में जुलाई 2016 में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. उपदेश कौर एस.के.व्ही. दरियापुर में एक ब्लॉक खतरनाक घोषित किया गया जबकि दूसरे ब्लॉक की मरम्मत कर दी गई है। इस विद्यालय में 10 अतिरिक्त कमरे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनकर तैयार हो गए हैं।

3. **रा.उ.मा. बाल विद्यालय, कटेवड़ाः–** इस विद्यालय में वर्ष 2012 में 21 अतिरिक्त कक्ष (SPS) बनाये गये हैं तथा वर्ष 2015–16 में विद्यालय की मरम्मत हेतु प्रशासनिक अनुमति व व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. जीबीएसएसएस नांगल ठाकरान का पुराना भवन जर्जर व खाली है। छात्रों के लिए सितंबर 2013 में 20 कमरों का भवन बनवाया व 2015 में एसएसए द्वारा 8 कमरों का निर्माण हुआ।

(ग) और (घ) हालांकि इन विद्यालयें में पुनर्निर्माण हेतु कोई निविदा आमन्त्रित नहीं की गई है, परंतु विद्यार्थियों के तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त कदम उठाए गए हैं।

17. श्री गुलाब सिंह : क्या **उपमुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नये शिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विवरण क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में प्राईमरी एवं सीनियर सैकंडरी स्कूल के लिए जमीन आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो जमीन आबंटित करने की तिथि एवं स्थान जहां इन स्कूल भवनों का निर्माण होना है, का विवरण क्या है; और

(ङ) जिन स्थानों पर आबंटित जमीन पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है उसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) नये शिक्षण संस्थान विधान क्षेत्र के हिसाब से नहीं बल्कि जमीन की उपलब्धता व स्कूल की आवश्यकता के हिसाब से खोले जाते हैं। किन्तु मटियाला विधान सभा क्षेत्र में निम्न स्थानों पर नये पक्के सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव हैः–

1. सेक्टर 18, द्वारका। (स्वीकृत)
2. सेक्टर 11, द्वारका।
3. सेक्टर 1, पॉकेट 5, द्वारका।
4. सेक्टर 12, द्वारका।
5. सेक्टर 16, द्वारका।
6. सेक्टर 19, द्वारका।
7. गोयला खुर्द।

(ग) इस क्षेत्र में उपरोक्त सभी स्थानों पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जमीन आबंटित की गई है।

(घ)	स्थान		तिथि
	1		2
	1. सेक्टर 18, द्वारका।	–	25.07.13
	2. सेक्टर 11, द्वारका।	–	25.07.13

1			2
3.	सेक्टर 1, पॉकेट 5, द्वारका।	—	26.07.07
4.	सेक्टर 12, द्वारका	—	06.05.03
5.	सेक्टर 16, द्वारका	—	27.12.11
6.	सेक्टर 19, द्वारका	—	27.12.11
7.	गोयला खुर्द	—	30.11.15

उपरोक्त स्थलों में से सेक्टर 18 द्वारका, सेक्टर 11 द्वारका व गोयला खुर्द के पक्के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण के लिये प्रशासनिक अनुमति एवं व्यय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है।

प्रतिलिपि (क) पर संलग्न है।

18. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यह लोन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या एवं जिस कोर्स के लिए यह लोन लिया गया है उसका विवरण क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राजस्व घाटे से बचने हेतु इस लोन की समुचित वापसी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है?

उपमुख्यमंत्री : (क) उच्च शिक्षा के लिए बैंकों द्वारा लोन पर दिल्ली सरकार द्वारा हायर एजूकेशन व स्किल डेवलॅपमेंट गारंटी योजना के तहत गारंटी दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा लोन की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी)/बैंकों से प्राप्त सूचनानुसार हायर एजुकेशन एवं स्किल डेवलॅपमेंट गारंटी योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या–78

जिस कोर्स के लिए यह लोन लिया गया है उसका विवरण

–बी.टेक, एम.टेक, बीएएलएलबी, बीबीए, डिप्लोमा नर्सिंग, वर्ल्ड क्लास स्की सेन्टर के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आदि।

दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वि./अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कुल 14 छात्रों को कुल 60.91 लाख रुपए लोन स्वीकृत किया गया है।

जिस कोर्स के लिए यह लोन लिया गया है उसका विवरण– बी.एड., डी.एड, बी. टेक, बी.ए, (आनर्स) बीबीए, एमसीए डिप्लोमा, बी.ए. बीएससी, एमएससी (नर्सिंग) आदि।

(ग) जी हां। विवरण संलग्न–I पर हैं।

संलग्न–I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
उच्च शिक्षा निदेशालय
बी–ब्लॉक, दूसरा तल, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–54

ऋण वापसी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैः–

1. दिल्ली क्षेत्र में स्थित एनएएसी और एनबीए द्वारा ए और बी श्रेणी प्राप्त स्वयं वित्त संस्थान तथा एसएफआरसी द्वारा प्राप्त ए व ए श्रेणी प्राप्त शिक्षण संस्थान इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

2. सिर्फ वही संस्थान इस योजना के अंतर्गत आते है, जिनकी फीस सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

3. माता/पिता यह अभ्यर्थी होंगें।

4. यदि ऋण को चुकाने में असमर्थ हुए तो, माता–पिता व प्रार्थी का क्रेडिट स्कोर/CIBIL स्कोर [क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो (लिमिटेड)] पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. इस स्कीम के तहत आधार कार्ड या पैन कार्ड के द्वारा प्रार्थी की मॉनिटरिंग की जाएगी।

6. इस स्कीम के तहत शैक्षिक ऋण के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नही है लेकिन ऋण की दूसरी किस्त के समय पैन कार्ड की विस्तृत जानकारी देना आवश्यक है।

7. जिन विद्यार्थियों ने ऋण लिया है, बैंक उनके संदर्भ में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु नियमित अंतराल पर कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान के अधिकारियों से संपर्क करेंगें।

8. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन संख्या के आधार पर ऋण लाभार्थी की मॉनिटरिंग की जाएगी। ऋण के गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनने के बाद व्यक्ति विशेष के आधार संख्या का प्रयोग कर उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की किसी भी योजना से वंचित किया जा सकता है।

19. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में चौपालों/सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की क्या नीति हैं;

(ख) इन भवनों के रख–रखाव के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है तथा इन्हें आरडब्ल्यूएज अथवा अन्य संगठनों को स्थानांतरित करने हेतु क्या नियम एवं शर्तें हैं;

(ग) अधचिनी में लंबे समय से लंबित पड़े सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या जिया सराय, हुंमायुपुर, युसुफ सराय, मस्जिद मोड़, मुजर डेरी में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण/पुनः निर्माण का कोई प्रस्ताव हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) पिछले 10 वर्षों में मालवीय नगर विधानसभा में विभाग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(छ) क्या एमएलए लेड फंड के अतिरिक्त किसी अन्य फंड से सड़कें शहरीकृत गांवों की गलियां एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य किए जा सकते हैं;

(ज) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं; और

विकास मंत्री : (क) इस विभाग द्वारा चौपालों का निर्माण दिल्ली सरकार के विधायक फंड शहरी विकास मंत्रालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की स्वीकृत के पश्चात प्राप्त धनराशि के अंतर्गत करवाये जाते हैं।

(ख) इन भवनों का निर्माण करने के उपरांत इनके रख–रखाव का कार्य संबंधित जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं समय–समय पर संबंधित विभाग द्वारा जारी किये गये

आदेशों के अनुसार एनजीओ/आरडब्ल्यूए एवं अन्य संगठनों को हस्तांतरित किये जाते हैं।

(ग) इस कार्य की कुल कीमत 153.44 लाख हैं परंतु शहरी विकास विभाग द्वारा केवल 50 लाख रुपए दिनांक 4.10.2013 को आबंटित किये गये शेष 103.44 लाख रुपए एमएलए एलएडी से मिलने थे जिनके प्राप्त नहीं होने के कारण यह कार्य शुरू नहीं हो सका। शहरी विकास विभाग की यह स्कीम अब बंद हो चुकी हैं।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) सूची "क" संलग्न हैं।

(छ) इस विभाग द्वारा इस तरह के कार्य नहीं कराये जा सकते।

(ज) उपरोक्तानुसार।

सूची "क"

मालवीय नगर विधानसभा में कार्यों की सूची

कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2
1. हौजरानी में चौपाल का निर्माण	चौपाल का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. हौजरानी के अंदर जहांपनाह कॉलोनी में गलियों एवं नालियों का निर्माण	चौपाल का कार्य पूर्ण हो चुका है।

1	2
3. हौजखास में चौपाल का निर्माण	कार्य एएसआई के द्वारा बन्द कराया जा चुका है।
4. अधिचिनी में चौपाल का निर्माण	फंड न होने के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।
5. हौजखास में अरविंदों मार्ग एसएफएस फ्लैट्स वार्ड नं. 164 में बांडरीवांल का निर्माण कार्य	कार्य प्रगति पर है।

20. श्री जरनैल सिंहः क्या **उप मुख्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा के अध्यापक नियुक्त करने एवं उनका वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विवरण क्या है; और

(ग) यह निर्णय कब तक लागू कर दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्रीः (क) जी हां। वर्तमान में इस संदर्भ में सरकार द्वारा दो निर्णय लिए गए हैं:–

1. केबिनेट निर्णय संख्या 2020 दिनांक 13.05.2013 के अनुपालन में दिनांक 06.06.2013 आदेश के द्वारा अकादमियों द्वारा तैनात पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू अध्यापकों के वेतन की वृद्धि की गई है तथा उक्त अध्यापकों के वेतन की वर्ष 2000 से 2013 तक की बकाया राशि के भुगतान के संदर्भ में केबिनेट में निर्णय (संख्या 2350 दिनांक 28.05.2016) लिया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 13.07.2016 के आदेश के द्वारा राशि 7,25,41,198/– के भुगतान

का आदेश कर दिए गए हैं, जिस की प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त केबिनेट निर्णय संख्या 2380 दिनांक 24.06.2016 के अनुपालन में आदेश दिनांक 17.08.2016 के द्वारा शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक विद्यालय में पंजाबी एवं उर्दू अध्यापक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(ख) उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि (क) पर संलग्न है।

(ग) इस संदर्भ में आदेश जारी हो चुके हैं। आगे की प्रक्रिया जारी है।

ANNEXURE "A"

DIRECTORATE OF EDUCATION
ESTABLISHMENT-III: OLD SECTT.
DELHI -110054

No. E.DE3(233)/E-III/2007/905-925 Dated: 6.6.2013

ORDER

In pursuance of the Cabinet Decision No. 2020 dated 13.05.2013 communicated vide letter No. F.3/2/2011-GAD/GN/PS File-I-2161-217 of General Administration Department, Govt. of NCT Delhi, all 282 teachers Sanskrit (50), Urdu (113) and Punjabi (119) deployed by the concerned Academies under the Government of Delhi working on full time basis as per the requirement of the Department for different categories of teachers i.e. PGTs & TGTs shall be paid consolidated monthly remuneration as shown below with immediate effect:—

Sl. No.	Category	Existing Remuneration	Enhanced Remuneration
1.	PGT	Rs. 13,160/-	Rs. 23,265/-
2.	TGT	Rs. 11,140/-	Rs. 22,935/-

The Dearness Allowance will be increased once in a year based on increase in the Dearness Allowance.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

(PAWAN KUMAR)
Assistant Director of Education
Establishment-III

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
2. Secretary to the Cabinet, GNCT of Delhi.
3. Pr. Secretary to the Chief Minister, GNCT of Delhi.
4. Secretary to the Minister of Finance GNCT of Delhi.
5. Secretary to the Minister of Education, GNCT of Delhi.
6. Secretary (Education) GNCT of Delhi.
7. O.S.D. to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
8. Controller of Accounts, GNCT of Delhi.
9. All Regional Directors, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
10. All Distt. DDEs, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
11. Secretary, Urdu Academy, Delhi.
12. Secretary, Punjabi Academy, Delhi.
13. Secretary, Sanskrit Academy, Delhi.
14 O.C.A. Dte. of Educational.
15 All IIOS through Distt. DDEs where the teachers deployed by Urdu, Sanskrit and Punjabi Academies are working.
16 DDE (IT) with the direction to unload the order on the web site of the department.

17. A.D.E. (E-IV), Dte. of Education.
18. A.D.E. (E-II), Dte. of Education.
19. DDO concerned.
20. P.A.O. concerned.
21. Guard file.

(PAWAN KUMAR)
Assistant Director of Education
Establishment-III

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION, POST FIXATION CELL
ROOM NO. 251, OLD SECTT., DELHI-110054

No. DE.22/11/PFC/2016/1098-1121 Dated: 17.08.2016

ORDER

Approval for the creation of 1379 teaching posts (In the pay scales and Grade pay plus usual allowances mentioned against each post) in the Directorate of Education has been accorded by Hon'ble Lt. Governor of Delhi vide U.O. No. 25695 dated 12.07.2016. The same has already been/approved by Delhi Cabinet vide Decision NO. 23B0 dated 24.06.2016:—

Sl. No.	Nomenclature of Post	Pay Band with Grade Pay	No. of Posts
1.	TGT Urdu	PB-2 (Rs. 9300-34800)+ GP Rs. 4600	610
2.	TGT Punjabi	PB-2 (Rs.9300-34800)+ GP Rs. 4600	769

The expenditure to this account shall be debitable to the Additional School Facilities (Plan) Salary Head-220202800980001.

(SAUMYA GUPTA)
DIRECTOR OF EDUCATION

No. DE.22/11/PFC/2016/1098-1121 Dated: 17.8.2016

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. PS to Lt. Governor, Raj Niwas, LC Sectt. Govt. of NCT of Delhi, Delhi-54.
2. Principal Secretary to-Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
3. Secretary to Minister of Education, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
4. O'SD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
5. Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
6. Principal Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt, Delhi.
7. Principal Secretary (AR), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
8. Principal Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi, Old Sectt., Delhi.
9. Principal Secretary (Planning), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
10. Principal Secretary (Art and Culture), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
11. Principal Secretary (Law and Justice), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.

12. Spl. Director (Admn.) Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
13. Addl. Director (Planning), Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
14. Controller of Accounts, Directorate of Education Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
15. AO (Budget/Cash/Audit), Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
16. ADE (Sectt. Br./GOC/E-II/E-IV). Dte. of Education.
17. Programmer, MIS, Directorate of Education, for uploading the order in the website of Directorate of Education and in the M.I.S. module also.
18. Guard File.

(SAUMYA GUPTA)
DIRECTOR OF EDUCATION

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION, ESTABLISHMENT-III,
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F.(86)/E-III/Misc./2013/1387-97 Dated: 13.07.2016

ORDER

In Compliance of the Cabinet Decision No. 2350 dated 28.05.2016 communicated vide GAD (Co-Ordination Branch), GNCT of Delhi letter No. F. 3/3/2016 /GAD/ CN/ dsgadiii/2540-2549 dated 01.06.2016, the proposal as contained in para 6 of the Cabinet Note has been approved for the payment of arrears of salary for the period with effect from **01.01.2000 to 30.04.201**3 to 169 teachers ***(TGT Sanskrit-50, TGT Punjabi-114 & PGT Punjabi-05)*** deployed by Sanskrit and Punjabi Academies in various schools

of the Directorate of Education, GNCT of Delhi as done in the case of teachers of Urdu Academy in compliance of Hon'ble High Court, Delhi Order dated 17.09.2010 in the matter of WPC-2221/2010 titled Ms. Ishrat Jamal & Ors. Vs. GNCT & Ors. And vide CCP No. 318/2012.

Further, the arrear would be paid to these teachers for the aforesaid period and the same would be calculated by determining the wages payable as per Rule 101 of the Delhi School Education Rules 1973 with reference to the pay scales applicable to the regularly appointed teachers and the entitlement of the applicants would be 50% of the wages payable.

For the purpose of calculation of 50% of wages, the following elements of pay and allowances shall be taken into consideration for the period w.e.f. 01.01.2000 to 30.04.2013.

(a) Basic Pay (b) Dearness Pay(DP)/Gr. Pay (c) Deftness Allowances (DA) (d) Travelling Allowances (TA) (e) House Rent Allowances (HRA)

This issues with the approval of Competent Authority.

(MANVINDER SINGH)
ASSITANT DIRECTOR OF EDUCATION
ESTABLISHMENT-III

No. F.(86)/E-III/Misc./2013/1387-97 Dated: 13.07.2016

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education), Dte. of Education, Delhi.
2. PS to Director (Education), Dte. of Education/Delhi
3. PS to Spl Director of Education, Dte. of Education, Delhi.
4. Secretary, Department of Art and Culture, Delhi Sachivalay, GNCT of Delhi for information and necessary action.

5. All RDEs/DDEs/HOS, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
6. Secretary (Punjabi Academy) Delhi for further necessary action.
7. Secretary (Sanskrit Academy) Delhi for further necessary action.
8. JDE (Planning), Dte. of Education, Delhi.
9. DCA, Dte. of Education, Delhi.
10. Applicant Smt. Pramila Khanna & Ors. Through Secretary (Sanskrit Academy) Delhi with reference to the Order dated 14.01.2016 passed by the Hon'ble Central Tribunal, New Delhi in OA No. 122/2016 in the matter of Smt. Pramiia Khanna and Ors. Vs. GNCT of Delhi and Contempt Petition No.268/2016 dated 20/05/2016.

(MANVINDER SINGH)
ASSITANT DIRECTOR OF EDUCATION
ESTABLISHMENT-III

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा में एक भी सरकारी आईटीआई, पोलिटेक्निक, तकनीकी कॉलेज अथवा यनिसर्विटी नहीं है; और

(ख) मुंडका विधान सभा में उक्त तकनीकी संस्थाओं में यूनिवर्सिटी खोलने की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्रीः (क) और (ख) शिक्षा संस्था खोलने का निर्णय विधान सभा की सीमाओं के अनुसार नहीं लिया जाता क्योंकि ये यथासमय परिवर्तित होती रहती है। जमीन की उपलब्धता होने पर ये संस्थान किसी भी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं।

मुंडका विधान सभा क्षेत्र के नजदीक विकासपुरी विधान सभा के अंतर्गत इस विभाग के द्वारा बक्करवाला में एक तकनीकी संस्थान खोलने की योजना है। इसके लिए विभाग ने लगभग 12 एकड़ जमीन ली है। इसके अलावा गांव रनहोला में तकनीकी संस्थान खोलने के लिए साढ़े पांच एकड़ जमीन विभाग के पास है। जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर मुंडका विधान सभा के अंतर्गत भी तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जा सकता है।

2. **श्री गुलाब सिंहः** क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग के पास दिल्ली की ग्राम सभा जमीनों का विस्तृत विवरण क्षेत्र व गांव सहित होता है;

(ख) यदि हां, तो मटियाला विधानसभा के अंतर्गत सभी गांवों की ग्राम सभा जमीन का ब्यौरा तीसरा नंबर, रकवा या नक्शे सहित दिया जाए; और

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015–16 मई में दिल्ली देहात के किसानों की फसल बर्बाद होने पर दिल्ली सरकार द्वारा 2000/– रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दिया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इनमें से कुछ किसानों को यह मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या विवरण क्या है; और

(च) शेष किसानों को यह मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) मटियाला विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांव के अंतर्गत ग्राम सभा जमीन का ब्यौरा संलग्न हैं। ग्राम मटियाला एक शहरीकृत गांव है उसके रिवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रामसभा की भूमि की सूची नक्शे सहित संलग्न हैं।*

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) रिकॉर्ड के मुताबिक कई खातों के जमींदारों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसलिए कुछ व्यक्तियों/किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चैको में नाम एवंम रकम में त्रुटि, जमीन के खाताधारक की मृत्यु मुख्य कारण है। कुछ किसानों के चैक सूची टाइप करते समय गलती से छूट गये थे जिन्हें बाद में दूसरी सूची में जोड़कर नए बजट 2016–17 के प्राप्त होने पर लेखा कार्यालय में चेक जारी करने हेतु भेज दिये गये हैं।

(च) वर्ष 2015–2016 का बजट समाप्त हो गया था बजट प्राप्त होने के बाद लेखा कार्यालय को चैक तैयार करने हेतु भेज दिये गये हैं।

चैक बनाने का काम जारी है वेतन एवं लेखाधिकारी से चैक प्राप्त होने के उपरांत चैकों का वितरण शेष किसानों को कर दिया जायेगा।

03. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वराज विधेयक कानून लाने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विधेयक लाया जा चुका है;

---

*पुस्तकालय में संदर्भ सं. R15585 पर उपलब्ध।

(ग) यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) मोहल्ला सभा और रेजीडेंस वेलफेयर एसोशिएशन्स की प्रशासन में सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है; और

(ङ) मोहल्ला सभाओं और रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन्स को चालू वित्त वर्ष में कितना फंड आवंटित करने की योजना है; और

(च) अब तक किन–किन सभाओं और एसोसिएशनों को कितना–कितना फंड जारी किया जा चुका है?

उप मुख्यमंत्री : (क) से (च) मंत्रिमंडल निर्णय के तहत शासन को निचले स्तर तक सुधारने हेतु दिल्ली में 2972 मोहल्ला सभा बनाने का प्रस्ताव है।

मोहल्ला सभाओं की मीटिंग करने के तौर तरीके तय किये जा रहे है जो आवश्यक प्रक्रियात्मक अनुमति के उपरान्त जारी कर दिये जायेंगे। इस बारे में जनता से राय भी मांगी गई है।

मोहल्ला सभाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सीएलएडी (CLAD) और डूडा (DUDA) के अंतर्गत रुपए 350 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (तारांकित प्रश्न संख्या 16
के रूप में पूछा गया।)

05. श्री पंकज पुष्करः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के कमरों का शिक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु प्रयोग किये जाने के कारण यह स्कूल कमरों एवं खेल के मैदान हेतु स्थान की भयंकर कमी से जूझ रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अन्य स्थानों जैसे आरपीवी सिविल लाईन तथा आरपीपीवी राज निवास मार्ग पर खाली कमरे उपलब्ध हैं;

(ग) लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विालय को और अधिक कमरे उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) प्रशासनिक कार्यालयों को लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट न किए जाने के क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं, विद्यालय की सुबह की पाली में छात्रों की संख्या लगभग 1500 है। तथा शाम की पाली में लगभग 1000 छात्र हैं। इस विद्यालय के मैदान में बालीबाल, खो–खो व कबड्डी के लिये खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) आरपीपीवी सिविल लाईन में कोई कमरा खाली नहीं है जबकि आरपीपीवी राज निवास में चार कमरे खाली हैं।

(ग) लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय को और अधिक कमरे उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

(घ) महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से प्रशासनिक कार्यालयों को लांसर रोड स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय में चलाया जा रहा है। इसका एक कारण शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय में जगह की कमी भी है।

06. श्री जगदीश प्रधानः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) गत शिक्षा सत्र में काफी संख्या में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने गत डेढ़ वर्षों में क्या–क्या कदम उठाये हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सरकार ने शिक्षा के कार्य को तीन पहलुओं में विभाजित किया हैः–

1. शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं एवं इंस्ट्रास्ट्रक्चर तैयार करना।
2. पर्याप्त संख्या में योग्य एवं ऊर्जावान शिक्षक उपलब्ध कराना।
3. अध्यापकों के जरिये छात्रों को ऐसा उत्कृष्ठ पाठ्यक्रम देना जिससे वो एक्सलेंट प्रोफेशनल "तो बने ही साथ में जिम्मेदार नागरिक और इंसान भी बने। इस हेतु कई प्रयास किए गए हैं जैसे किः– साफ–सफाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति, 25 नये स्कूलों का निर्माण, 54 पायलेट स्कूलों का नवीकरण, 8000 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण; सभी स्कूलों में कम्प्यूटर लेब्स की स्थापना, बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम कर उन्हें संगीत, नाटक इत्यादि का प्रशिक्षण देना, खेलों को बढ़ावा देना, कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों को उत्कृष्ट संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण आदि।"

(ख) सरकार ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिये कई कदम उठाये हैं। परंतु बच्चों के अनुत्तीर्ण होने के कई कारण हैं। जिनमें से मुख्य No Detention Policy है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में पढ़ने रूचि कम जो जाती है।

(ग) अतः शिक्षा निदेशालय ने चुनौती 2018 स्कीम बनाकर बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए प्रयास कर रही है, जिसकी प्रति (क) पर संलग्न है। इसके अलावा अन्य कदम भी उठाये गये हैं जैसे कि जीरो पीरियड आरंभ किये गये हैं। कमजोर

बच्चों को अध्यापक द्वारा अलग से समय दिया जाता है और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा निदेशालय सहायक सामग्री (सपोर्ट, मटेरियल) भी प्रदान करता है। बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिये उनके माता–पिता/अभिभावक का योगदान बढ़ाने के लिये मेगा पीटीएम/एसएमसी की भी मदद ली जा रही है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. PS/DE/2016/230 Dated: 29.6.2016

CIRCULAR

Subject: Chunauti - 2018: New Academic Plan to Support Class IX.

During the in-depth discussions with Heads of Schools (while conducting Result Analysis Sessions at Chattarsal Stadium), one thing that emerged as a matter of consensus amongst all is that some concrete steps are urgently required to be taken in order to support our students of class 9th. A glance at the Table below is sufficient to give an idea of how serious the challenge is:—

Result of Class IX 2013-14 to 2015-16

Year	Appeared	Passed	Pass %	No. of students placed in EIOP	Fail %
2013-14	209533	117265	55.96	92268	44.04
2014-15	246749	127667	51.74	119082	48.26
2015-16	269703	136962	50.78	132741	49.22

A bare perusal of the above table shows that the pass percentage in class IX has been declining constantly. Even more disturbing is the fact that the failure rate Is almost touching 50% now.

On further discussions with other stake holders like teachers, trainers, Principals etc., the main reasons for this enormous systemic failure in class IX could be identified as under:—

- No Detention Policy
- Years of accumulated learning deficit
- Pressure on the teachers to complete the syllabi leading to inability to bring weaker children to the desired level, and above all,
- Huge variances in basic skills like reading/writing within a single classroom.

1. Re-grouping of Children on the basis of their Achieved Levels of Learning.

The problem having thus been defined and the reasons behind the problem having thus been analyzed, it has been decided to regroup the students of classes 6th, 7th, 8th and 9th according to the levels of the basic learning skills which these students have, so far, acquired. This kind of re-grouping will facilitate the teachers as they will not have to tackle huge variances in learning levels of students in the same class. Students will also benefit because teachers will be afre to focus more and directly on those students whose learning levels need to be upgraded most, thus reducing the accumulated learning deficit.

2. How to do Re-Grouping of Children.

a. Regrouping of Students of Class 6th.

For class 6, a Base Line Assessment of all students of class 6m shall be

conducted by all schools between 14th and 16th July in order to assess the learning levels acquired, so far, by these children and group them for specific learning interventions. A Circular along with the assessment tools (developed by the Special Task Force on learning outcomes) to be used for each class of students will be issued by the Examination Branch latest by 5th July, 2016.

The outcomes of these assessments to be held for classes VI, VII, VIII and IX will be tabulated latest by 20th July, 2016 by the teachers.

- Principals have to ensure that by 11th July, 2016 sufficient number of copies of Assessment Sheets (as per number of children in each class) are printed/photocopied and made ready for distribution to the students on the day of Assessment.
- DDEs to monitor the whole project within their respective districts and give compliance report on printing/photocoping and planning process latest by 12th July, 2016 to the Addl. D.E. (Exam.).

b. Regrouping of Students of Classes 7th, 8th and 9th.

Importantly, Base Line Assessment of students of classes 7th, 8th and 9th shall also be conducted simultaneously with class 6tn between 14th and 16th July, yet the re-grouping of students of 7th to 9th classes will not be done on the basis of their scores in the Base Line Assessment.

For classes 7th, 8th and 9th, the combined scores of Summative Assessment-1 and Summative Assessment-2 of the previous class (i.e. of 2015-16) will be the criteria for regrouping children for targeted learning interventions. For those students who are repeating class IX, their SA-I and SA-II scores of the session 2015-16 will constitute the basis for the regrouping.

Children of classes 7th and 8th may be divided basically into two categories: (a) those who scored less than 33% marks in SA-I and SA-II exams during the previous sessions and (b) those who secured more than 33% in the

SA-I and SA-II exams during the previous sessions so that targeted efforts can be made to improve the reading, writing and basic maths skills of these children. More details about the interventions with both categories of children across different grades is mentioned in the table on subsequent pages.

c. Illustration for Re-grouping in Class 9th:

Whereas students studying in standard 7th and 8th have to be divided into two categories, all the students studying In standard 9th (either by having been promoted from class 8th or detained in standard 9th) may broadly be divided into the following three categories:—

- First category would be of students who could not clear standard 9th examination twice or more in the past. These students are eligible for the 'Modified Patrachar Scheme of Examination 2017'. This section can, for an instance, be called 'VlSHWAS'.
- The second category would be of these children who (i) appeared for standard 9th examination for the first time in 2015-16 and could not be promoted to std. 10 and (ii) those who have been promoted from std. 8th to std. 9th despite not being able to score 33% passing marks in SAs I.e. those children who have been "PROMOTED' from class 8th to the next grade i.e. class 9th in 2016 under %No Detention Policy'. This section, for an instance, can be called 'MISHTHA'.
- The last category would be of children of grade 9 who have managed to clear grade 8 exams by virtue of their combined SA-l and SA-2 scores and upgraded to class 9th without having to add their FA scores. This section, for an instance, can be called "PRATIBHA'.

d. Proper Utilization of 29th and 30th June for Re-Grouping students:

HOSs to ensure that all teachers utilise the precious time between 29th June, 2016 and 30th June, 2016 to study the results of last year and re-group the

children of the classes 7th' 8th & 9th (and not of class 6th) based on results of the two Surnmative Assessments of the previous year so that on 1st July, 2016, the children of these classes can be directed to their respective new (re-grouped) classes, putting up the lists of names of children from 7th to 9th classes in front of each section.

e. After tabulating the results of Baseline Assessment and having re-grouped all the students of classes VI to IX, Heads of all govt. schools shall submit a detailed report to their respective Zonal DDEs by 25.07.2016 giving details of Rooms available for classes 6th to 8th. class-wise numbers of students in each category and their division into different sections, availability of teachers to be deployed for each section and plan for remedial coaching for students with minimum learning levels etc.

All Zonal DDEs, in turn, will do close scrutiny of Reports submitted by schools taking into consideration the numbers of children in each category as mentioned above, number of rooms available, shift of schools i.e. single or double and availability of teachers and to ensure that the school has a viable strategy in place to address the learning needs of all the three groups of children.

3. Modified Patrachar Scheme of Examination in 2017.

Another salient feature of the New Academic Plan is its pointed focus on helping the 56,077 children who failed in 9th class for two or more times. After serious deliberations, the department has decided to allow them an opportunity to appear for 10th standard exams through Modified Patrachar Scheme of Examination in 2017.

Under this Scheme, the Department would give the option to children who

have failed twice or more in 9th standard to enroll with the Patrachar Vidyalaya. Under this arrangement, these students do not require the Pass Certificate of 9th standard to appear for class 10th examination in 2017 through Patrachar Vidyalaya.

Importantly, for all practical purposes, these children will be treated as regular students of class 10th of our schools and would be placed in a specially focused learning section, to be preferably called 'VISHWAS'. The Modified Patrachar Scheme of Examination 2017 (MPSE) is especially proposed to ensure retention of children who have failed in class 9th repeatedly and to minimise the possibility of their dropout. These students will be taught by the usual teachers in our schools and they will be provided with all usual benefits like Books, Uniforms etc. (for which they are eligible as per rule). They will participate in all regular cultural and sports activities of the schools. However, they will appear in class 10th CBSE Exam 2017 through the Patrachar Vidyalaya of this Directorate and not through the school where they are being given classes. They will have the flexibility of dropping of subject like Maths. As per Patrachar Vidyalaya/CBSE Norms, students of MPSE will be taught only SA-II syllabus (and not SA-I). On passing class 10th exam, they be enrolled in the parent school in class 10th, as per eligibility.

The HOSs must ensure that only the most motivated teachers are deployed for the weakest students.

4. Teaching Learning Approach

In view of the focused re-grouping of these children, a special Teaching Learning Approach has been devised for different groups of children, which can be seen in the table below:

Content and Assessment for Different Categories of Children in Std. 6-9 during the Year 2016-17

Class 9

Sl. No.	Criteria Categories	Content	Duration	Status and source of Material	Assessment tool for baseline
1	2	3	4	5	6
1.	Children who could not clear Std. 9 exams twice or more in the past (direct enrolment with Patrachar 1 for Std. 10).	Basic reading, writing and maths primer of Std. 5-6 level (optional based on reading assessment).	July	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER on one tool-Hindi, Maths and English.
		LEP Material	Aug.-Sep.	Available with schools,	
		Question bank and practice material for all subjects.	Oct.-Feb.	To be prepared with the help of DoE teachers and external resource agencies and printed by DBTB.	
		Support material all subject by Exam Branch. Only SA-II syllabus of CBSE.			

2	Children who appeared for Std. 9 exam for the first time in 2015-16. and could not be promoted to Std. 10 even after EIOP and those who have been promoted to Std. 9 from Std. 8 for the academic session 2016-17 despite not being able to score 33% passing, marks in Summative Assessment in the combined assessments: (without FAs).	Basic reading, writing and maths primer of Std. 5-6 level optional based (on reading assessment). LEP Material Question bank and practice material for all subjects. Support material all subject by Exam Branch.	July Aug.-Sep.* Oct.-Feb.	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement. Available with schools. To be prepared with the. help of DoE teachers and external resource agencies and printed by DBTB.	
3	Children of grade 8 who have managed to clear the	LEP material.	July	Available with schools	Pen and paper tool with 5 questions each

1	2	3	4	5	6
	combined SA-I and SA-II and promoted to 9.	Question bank and practice material for all subjects for first 20% of the syllabus.	Aug.-Sep.	To be prepared/ reviewed with the help of DoE teachers and external resource agencies by 20th July. Uploaded on the website for the schools to download as per their requirement.	
		Question bank and practice material of all subjects for remaining 50% of the syllabus. Support material all subject by Exam Branch.	Oct-Feb	To be prepared/ reviewed with the help of DoE teachers and external resource agencies by 20th August. Printed and distributed by DBTB by 30th September.	

*Children to take Summative Assessment-I based on focussed content of the syllabus covering first 20% of the syllabus.

Class 6th, 7th and 8th

Sl. No.	Level/ Categories	Content	Duration	Status and source of Material	Assessment tool for baseline
1	2	3	4	5	6
7 & 8	Children who have secured less than 33% marks in combined SA-I and II in the previous class.	Reading and Maths primer of Std. 3-5 level in Hindi and Maths class. STC material of Science, SST and English (of Std. 7&8 respectively)	July-Sep.	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER one on one toll-Hindi, Maths and English.
		Pragati Phase-2 Material	Oct.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETS subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
	Children who have secured more than 33% marks in combined SA-I & II in the previous class.	Pragati Phase-1 Material	July-mid Aug.	Available with Schools	Pen and paper tool with 5 questions each (Std. 7-8) — Hindi, English and Maths.
		Pragati Phase-2 Material	Mid Aug.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETs subject expert by	

1	2	3	4	5	6
				July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
6.	Children who cannot read fluently and cannot do subtractions and borrowing.	Reading and Maths primer of Std. 3-5 level in Hindi and Maths class. STC material of Science, SST and English (of Std. 6)	July-Sep.	Being compiled would be ready by 5th July. To be uploaded on the website for schools to download and use as per their requirement.	ASER one on one tool-Hindi, Maths and English.
		Pragati Phase 2 Material	Oct.-Feb.	Being reviewed by MTs and DIETS subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	
	Children who can read fluently and do subtractions with borrowing.	Pragati Phase-1 Material	July-Aug	Available with Schools.	
		Pragati Phase 2 Material	Sep.-March	Being reviewed by MTs and DIETs subject expert by July 4 and printed and distributed by DBTB by Aug. 15.	

Also textbooks, Pragati Phase-1 material, material of STCs, material of 54 pilot schools, Learning Enrichment Programme material and the material being created during TGTs workshop (to be referred to as Pragati Phase-2) are being suggested as range of choices for study material for the regrouped classes. It is for the schools to decide which material is more effective in their context with the goal that children should be able to understand the concepts.

For English and Maths, Workbooks are to be created by the teachers of Directorate in coordination with external resource agencies. These Workbooks of 9th, 10th, 11th and 12th classes will give enough practice material for the students of the respective classes.

Examination Branch has also prepared Support Material for different subjects in Hindi, English and Urdu Mediums. DBTB to make efforts to supply this to all schools at the earliest. Science material for all classes will be provided in four colours.

While transacting the study material in classes for all the categories of children, the teachers are expected to follow the spirit of the TGT workshop (which is to ensure learning with understanding among children). They may also refer to any additional materials that help children in better understanding of the concept, rather than merely completing the prescribed syllabus/topic.

5. Efforts to Prevent Dropout of Children who fail Repeatedly.

The single objective behind this exercise is to provide effective support to students who cannot cross the hurdle of class 9th despite more than one attempt and, ultimately, drop out.

The New Academic Plan aims at working with the children right from the class 6th. Teachers will be working intensively on different groups of children exactly as per the specific requirements of the different groups.

The strategy may be to:

a. Deploy the best teachers of the school to work with the weakest students.

b. HoS are free to organise as many remedial/additional classes as needed for any category of children.

c. Admin. Branch to issue a Circular latest by 1st July, 2016, as to how the power to deploy additional teachers (for remedial classes) can be delegated to HOS in conformity with rules.

6. Convincing all the Stake Holders.

At this juncture, it is important to convince all the stakeholders, namely the students, the parents and the teachers that this concept of re-grouping is in the long term interest of the children.

For this purpose, HDSs shall map all children who have not cleared the standard 9 exam in 2016 (whether in first or subsequent attempts) and organise **One To One Sessions Between Students And Teachers** so that the latter can encourage the former to come to school regularly and dissuade them from dropping out. Students who failed in class IX twice or more will be counselled about the benefits of the Modified Patrachar Scheme of Class 10th Exam in 2017.

A **Special SMC Meeting** must be called by all HoSs for this purpose preferably in the first week of July during which, the HOS will explain the entire concept of New Academic Plan (including the Modified Patrachar Scheme of Examination 2017) to the members of SMC in order to ensure their cooperation for the implementation of the New Academic Plan.

Further, all HOSs shall hold a **Special PTA Meeting** in July for which a detailed Circular will be issued by the School Branch (along with the fixed

date and budget) by 05.07.2016 in which parents would be counseled by HOS and respective teachers. Last year's result of the children and the efforts of the DoE in raising their learning levels this year will have to be explained to the concerned parents. Special focus will be to on convince parents about the merits of Modified Patrachar Scheme of Examination 2017.

7. Tools for further Summative Assessments.

Summative Assessments of children in different groupings for the academic year 2016-17 will be done using different assessment tools so as to achieve the twin objectives of motivating the children and giving relevant feedback on the learning achievement to students and their parents. The question whether common or separate tools for Summative Assessment-2 should be used will be decided later.

8. SCERT shall design a descriptive Report Card for Standard 6-9 children as well. This report card would be in easy to understand form for the parents. Also, SCERT will re-design the Assessment Tools for 6th, 7th and 8th standard using a lively and analytical form in booklet format as used in Special Training Centres. The preparation of Assessment Tools is to be completed by SCERT by 31.7.2016.

9. Autonomy to HOS.

For all categories of children, HoS are free to (i) hold as many additional classes as needed, (ii) re-design the time table, (iii) fix the duration of periods, (iv) decide frequency of periods, (v) hold the classes before or after the school hours (subject to availability of rooms) on pro bono basis by regular teachers or through NGOs or volunteers in coordination with their SMCs, (vi) or deploy the guest teachers with additional payments (as per the norms prescribed by the Planning Branch of the Directorate).

Further, the HoS are directed to take upon themselves responsibility of

teaching one subject to, at least, one section on daily basis and sit through, at least, six classes of different teachers by advising them about better techniques to teach in a week for half an hour each and encourage the teachers.

Also, the Mentor Teachers would support the teachers and HoS through guided observations and by giving regular inputs/feedback for improved class room transactions. They will also help the teachers in finding and using relevant teaching learning materials and explain the assessment tools and the process of their administration.

It is further clarified here that the proposed grouping of children based on their learning level is solely for the purpose of enabling the teachers to address the learning needs of different sets of children in a more systematic and effective manner. In fact, on many occasions, teachers have themselves reported that it is difficult to give the desired results as they have to cater to students who are at such diverse levels of achievements within the same class and within a short span of 30-40 minutes.

10. Turn Around Awards for Teachers:

It is very well appreciated that the task that we embark on warrants a lot of hard work on the part of our teachers and HOSs, But we cannot stand as helpless witnesses and watch our 131,581 students of class 9th fail - attempt after attempt! Therefore, this endeavour, although quite daunting and demanding in itself, is worth it.

The Directorate is seriously working on the ways and means to incentivize those teachers who successfully turn around the performance of their IX standard students. A separate Circular to this effect will be issued shortly.

For the convenience of concerned branches, an indicative Timeline for various activities been drawn as under:—

Date	Action Required to be Taken by Different Branches
29 and 30 June	Teachers to Regroup students of classes 7th, 8th and 9th.
1st July	Admn. Branch to issue a Circular delegating power to deploy additional teachers.
5th July	School Branch to issue Circular for SMC meeting and Mass PTM in all schools.
5th July	Exam Branch to issue circular regarding Assessment Tools for the Baseline Survey.
11th July	HoSs to ensure sufficient no. of copies of Assessment Sheets are got ready.
12th July	Distt. DDEs to give compliance Report to Addl. DE (Exam) about preparations.
14-16 July	Base Line Assessment.
20th July	Teachers to tabulate the results of Baseline Assessment.
25th July	HoS to submit complete Report to Zonal DDE about completion of Regrouping exercise.
31st July	SCERT to design Assessment Tools.

(SAUMYA GUPTA)
DIRECTOR (EDUCATION)

Heads of All Govt. Schools

Copy to:

1. PS to Hon'ble Dy. CM/Minister of Education

2. Secretary (Education)

3. Director (SCERT)

4. All Spl. DEs/Addl. DEs/JDEs

5. All Distt. DDEs

6. OS (IT) with the direction to upload on DoE's website.

7. Guard File.

07. श्री गुलाब सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की मटियाला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने नए विद्यालय भवन बनाने की योजना है;

(ख) इनमें से कितने भवनों के लिए राजस्व विभाग द्वारा आबंटित भूमि का कब्जा शिक्षा विभाग ने ले लिया है;

(ग) कितने विद्यालय भवनों के लिए अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है;

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की इस विधान सभा क्षेत्र में कोई कॉलेज या युनिवर्सिटी खोलने की भी कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उप मुख्यमंत्री : (क) नये विद्यालय विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नहीं बल्कि जमीन की उपलब्धता व स्कूल की आवश्यकता के हिसाब से खोले जाते हैं। सरकार की मटियाला विधान सभा क्षेत्र में 07 स्थानों पर नये भवन बनाने की योजना है।

(ख) सभी सातों जगहों का कब्जा ले लिया गया है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) उपरोक्त के संबंध में कोई विलंब नहीं है।

(ङ) से (छ) उपरोक्तानुसार, नये शिक्षा संस्थान विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नहीं बल्कि जमीन की उपलब्धता व आवश्यकता के हिसाब से खोले जाते हैं। वर्तमान समय में कॉलेज या युनिवर्सिटी खोलने की इस विधान सभा क्षेत्र में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। भूमि की उपलब्धता होने पर नये शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार हो सकता है।

08. श्री जरनैल सिंहः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विधानसभा द्वारा विगत एक वर्ष में कितने विधेयक पारित किये गए;

(ख) उनमें से कौन से विधेयक केन्द्र के पास लंबित है; और

(ग) कृपया सभी विधेयकों की मौजूदा स्थिति कारणों सहित उपलब्ध कराये?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली विधानसभा द्वारा विगत एक वर्ष (16 अगस्त, 2015 से 17 अगस्त, 2016) तक 21 विधेयक पारित किये गए।

(ख) और (ग) सभी विधेयकों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है (सूची संलग्न है)।

माननीय उप राज्यपाल की संस्तुति के लिए लंबित विधेयकों की सूची

क्र. सं.	राज्य	विधान सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की तिथि	विधि विभाग द्वारा विधेयक उपराज्यपाल महोदय को भेजा	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015	24.06.2015	03.07.2015	विधेयक की संस्तुति राष्ट्रपति महोदय ने रोक दी।
2.	दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 2015 का विधेयक संख्या 05)	24.06.2015	—	दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्व–विद्यालय विधेयक, 2015 विधानसभा दिल्ली द्वारा पारित किए जाने के बाद उपराज्यपाल महोदय को संस्तुति के लिए भेजा गया। वहां से विधेयक को गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति महोदय की संस्तुति के लिए भेज दिया गया। अब उप राज्यपाल महोदय के सचिव के द्वारा विधेयक के बारे में टिप्पणी मांगी गई हैं, जोकि गृह मंत्रालय ने उठाए है। फाईल शिक्षा विभाग को उनके टिप्पणी के लिए भेज दी गई है।
3.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015	24.06.2015	22.07.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।

4.	दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 09)	01.12.2015	14.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।
5.	दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10)	01.12.2015	14.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।
6.	दिल्ली (समयबद्ध (सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)	26.11.2015	14.12.2012	दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015 विधेयक दिल्ली विधानसभा से पास होकर माननीय उपराज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा गया था वहां से बिल को गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए भेज दिया गया बिल पर माननीय उपराज्यपाल के सचिव महोदय ने स्पष्टीकरण एवं टिप्पणी मांगी थी जोकि माननीय उपराज्यपाल के सचिव महोदय को 22.06.2016 को भेज दिए गए हैं।
7.	कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 10)	03.12.2015	11.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।

1	2	3	4	5
8.	दिल्ली न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 13)	03.12.2015	11.12.2015	दिल्ली न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 गृह मंत्रालय ने विधेयक के कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण एवं टिप्पणी मांगी हैं। श्रम विभाग को फाईल टिप्पणी के लिए भेजी गई थी। जोकी 18.08.2016 को इस विभाग में वापिस प्राप्त हो गई है। तथा इस विभाग में टिप्पणी एवंम स्पष्टीकरण हेतु विचाराधीन है।
9.	दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)	23.12.2015	11.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।
10.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 15)	01.12.2015	14.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।
11.	दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16)	04.12.2015	10.12.2015	फाईल अभी तक वापिस नहीं आई है।
12.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य के	03.12.2015	10.12.2015	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य के (वेतन, भत्ते, पेंशन

	(वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2015			इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2015, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015, दिल्ली
13.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के (वेतन, और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015	03.12.2015	10.12.2015	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के विपक्ष
14.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015	03.12.2015	10.12.2015	के नेता के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचेतक के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 सभी विधेयक विधानसभा
15.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के विपक्ष के नेता के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015	03.12.2015	10.12.2015	दिल्ली द्वारा पारित होने पर माननीय उप राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजे गए थे, वहां से विधेयकों को वापिस कर दिया गया इसके बाद बिल को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति
16.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचेतक के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015	03.12.2015	10.12.2015	के लिए भेजा गया था, गृह मंत्रालय ने सभी विधेयकों पर टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण मांगे हैं। सभी विधेयकों पर टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण तैयार किए जा रहे हैं।
17.	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23)	04.12.2015	11.12.2015	वित्त विभाग में आगे की कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

09. श्री सोमनाथ भारतीः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्यूनल/अर्धन्यायिक फोरम में नियुक्त/नामांकित वकीलों की नियुक्ति तिथि, कार्यकाल व नियुक्ति शर्तों सहित विवरण की सूची उपलब्ध कराई जाये;

(ख) क्या दिल्ली सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों/एनजीटी/अर्धन्यायिक फोरम में पेश होने वाले वकीलों का कोई परफोर्मेंस ऑडिट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो–विजुअल रिकॉर्डिंग शुरू करने की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) दिल्ली सरकार की ओर से पेश होने वाले प्रोसिक्यूटर्स व अन्य वकीलों की फीस बढ़ाये जाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि जिला न्यायालयों व हाई कोर्ट में स्टाफ की भारी कमी है;

(ज) जिला न्यायालयों व हाई कोर्ट में कितने केस लंबित पड़े है व इन लंबित केसों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उप मुख्यमंत्रीः (क) इस संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गए विभिन्न आदेश व अधिसूचनाएं विधि एवं न्याय विभाग की वेबसाइट *www.law.delhigovt.nic.in* पर उपलब्ध है। इनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. विधि एवं न्याय विभाग आदेश दिनांक 11.12.2015
2. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 6.01.2016
3. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 01.5.2015 (दो अधिसूचनाएं)
4. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 27.5.2015 (दो अधिसूचनाएं)
5. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 16.06.2015
6. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 5.8.2015
7. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 2.9.2015
8. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 24.06.2015
9. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 30.06.2016
10. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 21.7.2016
11. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 4.2.2011
12. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 20.03.2012
13. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 28.06.2013
14. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 4.2.2011
15. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 28.6.2013
16. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 13.8.2015
17. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 4.2.2011
18. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 28.6.2013
19. विधि एवं न्याय विभाग अधिसूचना दिनांक 27.4.2010
20. भूमि एवं भवन विभाग अधिसूचना दिनांक 11.3.2016 (संबंधित विभाग की वेबसाइट *www.land.delhigovt.nic.in* पर उपलब्ध है।)

(ख) और (ग) पैनल में शामिल वकीलों का निष्पादन लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

(च) गृह विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा नियमित कैडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का वेतन बढ़ाये जाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्री मंडल, दिल्ली सरकार द्वारा पारित किया गया जो की इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के फैसले संख्या 2200 दिनांक 01.09.2015 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायलय में दिल्ली सरकार के पैनल अधिवक्ताओं की फीस में संशोधन किया जो इस कार्यालय आदेश दिनांक 03.12.2015 द्वारा की गई जो कि माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के पूर्वव्यापी कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रक्रिया में है एवं वर्तमान में, अन्य अदालतों में वकीलों के पैनल की फीस बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(छ) दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय तथा दिल्ली जिला न्यायालयों में कर्मचारियों की भारी कमी है।

(ज) दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 31.07.2016 तक कुल 65,512 मामले लंबित हैं। जिनमें से 45,475 मामले पांच साल से कम अवधि के हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 8 डिवीज़न बेंच एवं 20 एकल बैंच का गठन किया है। 20 एकल बेंच में से, 5 बेंच आपराधिक मामलों के लिए, 9 बेंच दीवानी अपीलीय संबंधी, 1 बेंच कंपनी मामलों के लिए और 5 बेंच वास्तविक मामलों के लिए गठित की गई हैं। दीवानी एवं आपराधिक मामलों की कई श्रेणियों को विभिन्न बेंचो के रोस्टर में वर्षवार ढंग से युक्तिसंगत कर दिया गया है।

इस न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने महिलायों के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के लिए विशेषतौर पर दो बेंच नामित की हैं। जिनमें से एक बेंच महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में है। हिरासत में व्यक्तियों के मामले शीघ्र निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जा रहा है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 4 डिवीज़न बेंच वाणिज्यिक अपीलीय डिवीज़न पर एवं एकल न्यायाधीश की 4 बेंच वाणिज्यिक डिवीज़न पर गठित की हैं।

उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए तरीके एवं साधन सुझाने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तीन माननीय न्यायाधीशों की एक समिति का गठन भी किया है।

दिल्ली के जिला न्यायालयः–

अधीनस्थ न्यायालय एवं पारिवारिक न्यायालय में दिनांक 31.07.2016 तक लंबित मामले निम्नलिखित हैंः–

श्रेणी	31.07.2016 तक
अधीनस्थ न्यायालय	588125
पारिवारिक न्यायालय	29572

10. श्री जगदीश प्रधानः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने गांवों के साथ साझेदारी कर शहर के बाहरी इलाके में 20 नये डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां तो सरकार का ये डिग्री कॉलेज कहां कहां खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इनके लिए भूमि अधिगृहित की जा चुकी है;

(घ) इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है; और

(ङ) अब तक कितने नये कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है?

उप मुख्यमंत्री : (क) सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति नये विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान की स्थापना विश्वविद्यालयों के नये कैम्पस का विकास करके एवं शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड एवं क्षमता विस्तार करके कर रही है।

(ख) भूमि की उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण संस्थान खोलने के निर्णय लिए जाएगें।

(ग) आठ जगह जो कि उच्च शिक्षा निदेशालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास वर्तमान में उपलब्ध है उसमें कुछ पर नये शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालयों के नये कैम्पस बनाने की योजना प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त विभाग एवं शिक्षण संस्थान के पास पहले से ही मौजूद भूमि संसाधनों का अनुकुलतम उपयोग की योजना बनायी जा रही है।

साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने लगभग 15 जगहों पर ग्राम सभा भूमि की पहचान उच्च शिक्षण संस्थान खोलने के लिए की गयी है। भूमि की पहचान उच्च शिक्षण संस्थान खोलने के लिए की गयी है। भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू की है।

(घ) जी हां। 2015–16 में उच्च शिक्षा के लिए कुल बजट प्रावधान 278.14 करोड़ रुपए था एवं 2016–17 में 354.50 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किए गए है। इस प्रकार उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार ने इस वर्ष बजट में 27% की वृद्धि

की है। नए शिक्षण संस्थान खोलने एवं पहले से मौजूद शिक्षण संस्थानों की क्षमता विस्तार के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान किया गया है।

(ङ) (i) शैक्षणिक सत्र 2015–16 में दिल्ली फार्मास्यूटिकल सांईस व रिसर्च विश्वविद्यालय शुरू कर दी गयी है।

(ii) इसी शैक्षणिक सत्र से अंबेडकर विश्वविद्यालय का एक नया कैंपस कर्मपुरा में शुरू किया गया है।

(iii) इसके साथ ही 9 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी में 8 विभिन्न विषयों में 900 सीटों के लिए बी.वॉक. कोर्स शुरू कर दिए गए हैं।

(iv) इसी शैक्षणिक सत्र में निम्नलिखित तकनीकी संस्थानों में सीटें बढ़ाई गई है:–

(क) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय में कुल 250 सीटे;

(ख) आई.आई.आईटी.डी. में 70 सीटें; और

(ग) आईजीडीटीयूडब्ल्यू में 60 सीटें

(v) इसी शैक्षणिक सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय की 5 कॉलेज, जोकि 100% अनुदान दिल्ली सरकार से प्राप्त करते है, 643 सीटें बढ़ायी गयी हैं।

(vi) साथ ही इसी सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 4 नए नॉन कालेजिएट वुमेन सेंटर शुरू किए गए हैं जिसकी प्रवेश क्षमता 1880 हैं। ये नॉन कालेजिएट वीमेन सेंटर दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कॉलेज में शुरू हुए है। इसी के साथ 5% अनुदान प्राप्त करने वाले 5 कॉलेजों में भी नॉन कालेजिएट वुमेन सेंटर शुरू हुए है।

(vii) एससीईआरटी में इसी वर्ष बीएड कोर्स नियमित छात्रों के लिए शुरू किए गए है जिसकी प्रवेश क्षमता 70 है, जोकि पहले केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए था। अगले वर्ष इसे 200 तक ले जाने की योजना है।

(viii) गुरु गोविंद सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थानों में पिछले वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में कुल 724 प्रवेश क्षमता बढ़ी है।

11. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा में एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है;

(ख) यदि नहीं तो यहां गर्ल्स कालेज खोलने की सरकार की क्या येाजना है, पूरा विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि मैन रोहतक रोड पर स्थित घेवरा मोड पर स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस उद्देश्य हेतु दो दशक पूर्व भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ङ) यदि हां तो अब तक इस क्षेत्र में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी न खोले जाने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्रीः (क) शिक्षा संस्थान खोलने का निर्णय विधान सभा की सीमाओं के अनुसार नहीं लिया जाता क्योंकि ये यथासमय परिवर्तित होती रहती है। जमीन की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार संस्थान खोले जाते है। वर्तमान में मुंडका

विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कालोनियों अथवा गांवों में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है।

(ख) जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर मुंडका विधान सभा के अन्तर्गत भी कॉलेज खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण स्पोर्टस विद्यालय के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था।

(ङ) उपरोक्तानुसार। उपरोक्त भूमि का कुछ अंश न्यायालय में विचारधीन था। हाल ही में सरकारी अधिवक्ता द्वारा स्पष्टीकरण दिये जाने के बाद, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी स्थ्ज्ञापना हेतु उपकुलपति, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन कर दिया गया है जिसकी रिर्पोट अपेक्षित है।

2016–17 के बजट में स्पोर्टस यूनिवर्सिटी के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

12. श्री जनरैल सिंहः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन्टीकरप्शन ब्यूरो में पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार के कितने मामलों में कार्रवाई की है, और

(ख) इनमें से कितने मामलों में चार्जशीट फाईल की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) पिछले वर्ष (1/1/2015 से 31/12/2015 तक) कुल 31 मामले दर्ज किए गए।

(ख) इनमें से किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।

13. श्री जनरैल सिंहः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली नगर निगम के किन कर्मियों और पार्षदों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं, और

(ख) इनमें से किस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है?

उप मुख्यमंत्रीः (क)

वर्ष	दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों का ब्यौरा	पार्षदों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का ब्यौरा	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
2011	14	शून्य	मामले निपटाए गए 12 लंबित मामले 02
2012	13	02	मामले निपटाए गए 09 एफआईआर दर्ज की गई 02 लंबित मामले 04
2013	09	01	मामले निपटाए गए 08 लंबित मामले 02

1	2	3	4
2014	25	शून्य	मामले निपटाए गए 14 एफआईआर दर्ज की गई 01 लंबित मामले 10
2015	40	01	मामले निपटाए गए 05 लंबित मामले 36

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

14. श्री राजेश गुप्ताः क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के पास कुल कितनी निधि है;

(ख) क्या इस निधि से वजीरपुर से गुजरने वाली हैदरपुर नहर पर छट श्रद्धालुओं के लिए घाट बनाने की कोई योजना सरकार के विधाराधीन हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इससे पहले इस नहर पर विकास कार्य किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं; और

(ङ) इस नहर पर विकास कार्य किस एजेन्सी द्वारा करवाया जाता है?

विकास मंत्रीः (क) बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के पास दिल्ली सरकार द्वारा आंबटित कुल 61.50 करोड़ रुपए की निधि है।

(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं हैं यद्यपि विभाग द्वारा हरियाणा सिंचाई विभाग को इस कार्य के लिए लिखा जा रहा है।

(ग) इस विभाग द्वारा इस नहर पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) यह नहर हरियाणा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती हैं सामान्यतः वहीं विभाग इस पर कार्य करवाता है।

15. श्री जगदीशः क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत सिंचाई एवं नियंत्रण विभाग द्वारा नालों की सफाई की जाती है;

(ख) यदि हां, ता इसके लिए कितना बजट आबंटित किया गया है और इस वर्ष मानसून पूर्व साफ किए गए नालों एवं शेष रह गये नालों का विवरण;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि 8 फुट का एक प्रमुख लाला बुराडी पुस्ता से होते हुए झड़ौदा पुलिस चौकी के नीचे से होता हुआ नजफगढ़ नाले में गिरता है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस नाले की सफाई का दायित्व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का है;

(ङ) उपरोक्त नाले की सफाई के लिए चालू वित्त वर्ष में कितना बजट आबंटित किया गया;

(च) इस नाले को कब साफ किया गया और इस पर कितनी राशि व्यय की गयी;

(छ) यह भी बताएं कि इस नाले को मैन्युअली साफ किया गया अथवा मशीनों द्वारा?

विकास मंत्रीः (क) जी हां।

(ख) नालों की सफाई के लिए इस विभाग को अलग से बजट आबंटित नहीं किया जाता। नालों की सफाई 2711–नांन–प्लान (मैंनटैंनन्स ड्रैनेज) बजट के द्वारा कराई जाती हैं। इस मद में रुपए 110 करोड़ का बजट आंबटित किया गया है जिसमें नालों की सफाई के अतिरिक्त अन्य कार्य एवं तनख्वाह भी दी जाती है मानसून पूर्व साफ किये गये नालों का विवरण सूची ''क'' में संलग्न हैं।

(ग) नजफगढ़ नाले में बुराड़ी की ओर से आने वाला कोई नाला नहीं गिरता।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) उपरोक्तानुसार।

सूची 'क'

List of drains desilted – 61 Nos.

List of drains not desilted – Nil

Sl. No.	Name of Drain	Mode of execution	Length desilted (in KM)
1	2	3	4
1(A)	Trunk drain No. 1 RD. 0 to RD. 2870 m.	By Deptt. Machine	2.87
1(B)	RD.2870m. To RD.5260 m.	By contract	2.33

1	2	3	4
1(C)	RD.5260m. To RD. 13387 m.	By contract	8.13
		By Deptt. Machine	3.45
2	Bund Drain	By contract	3.45
3	Karawal Nagar Drain	By contract	2.48
4	Escape Drain No. I	By contract	2.63
		By Deptt. Machine	0.37
5	Escape Drain No. II	By contract	0.45
6	Biharipur Drain	By contract	1.00
7	Relief Drain	By contract	–
8	Shahdara outfall Drain	By deptt. Machine	5.90
9	Trunk Drain No. II	By Deptt. Machine	4.58
10	Gazipur Drain	By Deptt. machine	6.15
11	Civil Military Drain	By contract	2.40
12	Nalla No. 12	By contract	0.22
13	Nalla No. 12 A	By contract	0.16
14	Nalla No. 17	By contract	0.72
15	Shahdara Link Drain	By contract	4.55
16	Jahangirpuri Drain	By Deptt. Machine	5.47
17(A)	Najafgarh Drain RD. 0 to 45316 m.	By Deptt. Machine	7.78
17(B)	RD. 45316 m. to RD. 57400 m.	By deptt. Machine	9.33
18	Pankha Road Drain	By deptt. Machine	3.60

1	2	3	4
19	Palam Link Drain	By contract	1.47
20	Nasirpur Drain	By Deptt. Machine	1.10
21	Palam Drain	By contract	8.78
22	Najafgarh Pond Drain	By contract	1.99
23	Bijwasan Drain	By contract	4.20
24	Shahbad Mohammadpur Drain RD. 0 m. to RD. 225 m.	By contract	0.23
25	Sarita Vihar Drain	By contract	1.30
26	Ali Drain	By contract	2.78
27	Molar Bund Extn. Nallah	By contract	1.38
28	Asola Nallah	By contract	1.30
29	Drain at RD 180 m d/s RME		0.50
30	B.C. Drain RD. 0 m. to RD. 8550 m.	By contract	8.55
31(A)	**Mundella Drain** RD. 0 m. to RD. 6950 m.	–	6.9S
31(B)	RD. 6950 m. to RD. 12550 m.	–	5.60
32	Nangli Sakrawati Drain	–	0.93
33(A)	**Mungeshpur Drain** RD. 0 to 10362 m.	By contract	10.36
33(B)	**Mungeshpur Drain** RD. 10362 m. to 37550 m.	By contract	27.18
34	New Drain	By contract	S.40
35	Burari Creek drain	By contract	3.60
		By contract	0.60

1	2	3	4
36	Burari Drain	By contract	6.04
37	Toe Drain along RME	By contract	4.00
38	Drain No. 6	By contract (3 reaches)	12.73
		By Deptt. Machine	2.00
39	Link drain No. II	By contract	0.75
40	Bawana Escape Drain	By contract (4 reaches)	19.79
41	Bankner Link Drain	By contract	6.43
42	Naya Bans Link Drain	By contract	3.87
43	Khera Khurd Link Drain	By contract	5.20
44	Ghogha Link Drain + New Ghoga Link Drain	By contract	5.68
45	Sanoth link Drain	By contract	3.35
46	Nangloi Drain	By contract	2.10
47	Tikari Khurd Link Drain	By contract	1.94
48	Khera Kalan link Drain	By contract	0.86
49	Alipur Link Drain	By contract	0.88
50(A)	**Bawana Drain** RD. 0 to 9561m.	By contract	9.56
50(B)	Bawana Drain RD. 11395 to 9561 m.	By contract	1.83
51	Bajitpur drain	By contract	8.05
52	Sultanpur drain	By contract	9.20
53(A)	Madanpur Drain RD. 0 m. to 4100 m.	By contract	4.11

1	2	3	4
53(B)	RD. 4100 m. to RD. 8229 m.	By contract	4.11
54	Rasoolpur link drain RD. 0 m. to RD. 750 m.	By contract	0.76
55(A)	Kirari Suleman Nagar drain RD. 0 to 4150m	By contract	4.10
55(B)	RD. 4150 to RD. 7850 m.	By contract	3.70
56	Katewara link drain	By contract	1.86
57	Ladpur link drain	By contract	2.30
58	Jat Khore drain	By contract	3.76
59	Ranhola Pond Drain	–	1.15
60	Nangal Thakran link drain	By contract	0.90
61(A)	Supplementary Drain RD. 0 to 16436	By Deptt. Machine	16.43
(B)	Supplementary Drain RD. 16436 to 22471	By Deptt. Machine	6.03
(C)	Supplementary Drain RD. 22471 to 34500	By Deptt. Machine	0.50
		By contract	12.03

16. श्री सुखबीर सिंह दलालः क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डीएसआईआईडीसी द्वारा मुंडका विधानसभा में विकास कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की अधिग्रहीत भूमि पर विकास की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें?

विकास मंत्री : (क) जी हां।

(ख) डीएसआईआईडीसी द्वारा मुंडका विधानसभा में विकास कार्य हेतु कुल 147 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

इस भूमि पर लघु औद्योगिक ईकाइयों के लिए बहुस्तरीय मेनुफेक्चरिन्ग हब विकास योजना तैयार की गयी है।

इस योजना की साध्यता और परियोजना समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो चुकी है एवंम् ले आउट योजना स्वीकृति हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम को प्रेषित कर दी गई है।

17. क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में वाई–फाई सेवा उपलब्ध कराने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां तो यह सुविधा किन–किन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) शेष जगहों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) सरकार सार्वजनिक स्थानों में वाई–फाई लगाने हेतु कार्य कर रही है।

(ख) वाई–फाई सेवा की शुरूआत पूर्वी दिल्ली (ट्रांस यमुना) के क्षेत्रों से करने की योजना है। विभिन्न विभागों व कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद वाई–फाई सेवा के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी।

(ग) पूर्वी दिल्ली (ट्रांस यमुना क्षेत्र) के पश्चात् वाई–फाई को शेष क्षेत्रों में लागू करने की योजना तैयार की जायेगी।

18. श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में "सिटीजन चार्टर" लागू किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिये क्या व्यवस्था है;

(ग) सिटीजन चार्टर के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के अनुपालन में विलंब के कारण अधिकारियों से कितना जुर्माना वसूल किया गया है; विभागानुसार इसकी विस्तृत विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्री महेन्द्र गोयलः अध्यक्ष जी, विजेन्द्र गुप्ता जी के माध्यम से बाहर रिकार्डिंग हो रही है सदन की कार्यवाही। ये कहां तक उचित है?

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज बैठिए। श्री मनीश सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर रखेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदू क्रमांक संख्या–4 में दर्शाए गए अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

1. नेता जी सुभाष तकनीकी संस्थान की वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की

---

[1]पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर. 15567-15571 पर उपलब्ध।

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सी.ए.जी.) तथा वार्शिक लेखों के हिसाब की अंग्रेजी व हिन्दी प्रति।

2. जियोस्पासियल दिल्ली लिमिटेड की वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की अंग्रेजी व हिन्दी प्रति।

3. भारत रत्न डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के वार्शिक प्रतिवेदनों की अंग्रेजी व हिन्दी प्रति।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सत्येन्द्र जैन जी, ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर रखेंगे।

श्री सत्येन्द्र जैन (ऊर्जा मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदू क्रम संख्या–4 में दशार्य गए अपने विभागों से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं, धन्यवाद।[1]

1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016 (अंग्रेजी व हिन्दी प्रति)

2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 (अंग्रेजी व हिन्दी प्रति)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी आपने कालिंग अटैंशन पर जो शुरू में बात रखी थी इसमें, मेरी रूलिंग समझ लिजिए। आपने कहा था निर्णय दे दीजिए।

---

[1]पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर. 02 व 03 पर उपलब्ध।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

मुझे नियम–54 के अंतर्गत श्री सोमनाथ भारती जी का 10.45 बजे कालिंग अटैंशन नोटिस प्राप्त हुआ था, आपका 10.50 बजे प्राप्त हुआ था, एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद, विषय दोनों का एक ही है। मैंने उनके कालिंग अटैंशन को एक्सैप्ट कर लिया है और आपको इसमें बोलने का अवसर पूरा मिलेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा इतना अनुरोध था, सवाल ये है कि जब विषय एक है तो फिर दोनों को क्लब क्यों नहीं किया जा रहा?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब जो मैंने किया है...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसका अर्थ है आपने एक ले लिया। इसका अर्थ है सदन में एक विषय लिया जा सकता है। अगर दो सदस्य एक विषय पर बात कह रहे हैं, तो दोनों के नाम से कॉलिंग अटैंशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड... एक बार में एक सदस्य का विषय लिया जा सकता है,

माननीय सदस्य चायनीज मांझे के आयात पर रोक लगाने संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत घन्यवाद। आपने मुझे इतने संवेदनशील मुद्दे को उठाने का मौका दिया। मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, मैं आपके जरिए अनुरोध करूंगा कि जो तीन बच्चों की बहुत दुखद मौत हुई, 17 अगस्त की जो रिपोर्ट आई है, अखबार के जरिए हमें मालूम पड़ा है, उसको लेके

अगर सदन में दो मिनट का शौक रखा जाए, आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं, दिल्ली के तीन बच्चे एक मोटर साइकिल पर और दो कार के जरिए, कार पर खड़े थे, चायनीज माझे के कारण उनकी मौत हो गई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि दो मिनट का अगर यह सदन शौक रख सके?

अध्यक्ष महोदयः नही, आप पहले अपनी चर्चा में लाईए ना प्रस्ताव को... पहले पूरा ये पूरा विषय।

श्री सोमनाथ भारतीः क्योंकि चायनीज मांजा आज की मुसीबत नहीं है, मुझे याद है 2013 में मैंने पीटा को रिप्रेजेंट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीटिशन फाईल की थी इसके ऊपर। मेरे पास डिटेल में कि सूरत में कब घटना घटी, अहमदाबाद में कब घटना घटी, किस तरह से कई पक्षी जो दुर्लभ हो गए, ये बहुत संगीन मामला है और उस वक्त भी हमने सुप्रीम कोर्ट में यही डिमांड किया था कि इस पर बैन लगे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री ने जैसा उनका नेचर है बिल्कुल मूल में जाते हैं कि मुसीबत कहॉ है। अगर चायनीज मांजा आ रहा है, तभी तो उसका यूज हो रहा है। वो आ ही क्यों रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक मौतें इस देश में कई हिस्सों में हो रही हैं, मेरे पास कई रिपोर्टस है जिसमें बकायदा डिफरेंट–डिफरेंट शहरों में, सूरत हो, अहमदाबाद हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो..., देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां कि चायनीज मांजा से कोई मौत ना हुई हो। अगर इतनी गहरी मुसीबत है तो इस पर ल्युकवार्म रिस्पॉन्स क्यों? अभी विजेन्द्र गुप्ता जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या इनको अपनी सरकार से डर लगता है? क्या आप अपने मंत्रियों से पूछ नहीं सकते की भई, इसपे बैन क्यों नहीं लगाते? इसकी जो इंपोर्ट है, उसको क्यों नहीं बैन करते? अभी हम कब तक इसका यूज बैन करते रहेंगे? अभी चेन्नई के अन्दर इसके यूज पर बैन लगाया गया था। उसके बावजूद वहां पर

इसका यूज जारी रहा और फिर बच्चों की, लोगों की मौत हुईं और ये जो चायनीज मांजा है, ये इलैक्ट्रीसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। अगर कहीं फंस जाए, किसी बिजली के तार के अंदर और कोई पकड़ ले उसको तो उसकी मौत हो सकती है और ऐसा कई बार हुआ। मेरे पास रिपोर्टस हैं। तो ये इतना संगीन मामला है और विजेन्द्र गुप्ता जी बार–बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, कम से कम वो दिखाते हैं, बड़े संजीदा हैं, बड़े इन्ट्रेस्टेड हैं लेकिन जैसे ही कोई केन्द्र का मंत्री फंसता हो या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी उसमें सुनिश्चित करनी होती हो, वो चुप हो जाते हैं। ऐसा मामला जिसमें कि across the nation there have been so many deaths, मुझे लगता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि भई, इसकी इम्पोर्ट पर ही क्यों ना बैन लगाई जाए, क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री ? अगर उनको तनिक भी इंट्रेस्ट है कि चायनीज मांजा से जो मौते हो रही हैं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, मेरे पास रिपोर्टस हैं, मैं सदन पटल पर रख दूंगा। अगर इसका इम्पोर्ट बैन कर दें तो मुझे लगता है इस विनाशकारी चायनीज मांजा से हो रही मौतों को हम रोक सकते हैं। मैं आपके जरिए माननीय उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल रुट कॉज पर हिट किया है। अगर आएगा ही नहीं और ऐसी बातें और सरकारें नहीं कर पाती और मंत्री नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होता होगा। हमारी सरकार, हमारे मंत्री बिल्कुल बेबाक हो के, प्राब्लम्स के रूट कॉज पर जाकर के हिट करते हैं और जो उन्होंने कहा है, मुझे बार–बार... क्योंकि मैंने जो पेटीशन फाइल किया था, उसके अंदर कुछ नहीं... तो मैंने 26 रिपोर्टस लगाई हुई हैं अपनी पेटिशन पर जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाईल किया था कि किस तरह से देश के डिफरैंट राज्यों में, डिफरैंट शहरों में इसके कारण मौत हुईं। मैं चाहता हूं और मैं सरकार से भी जानना चाहता हूं और विजेन्द्र गुप्ता जी से भई, आप यहां पर उन सारे मुद्दों को उठाते हो जिसका कि पता नहीं, आम आदमी से, या आम जीवन से कुछ लेना–देना है! लेकिन

इतना बड़ा मुद्दा! आपने कोई चूड़ियॉ तो नहीं पहन रखी, आपको क्या डर लगता है अपनी सरकार से! आपको क्या डर लगता है अपने मंत्रियों से! क्या आपको मैन्डेट दिया जाता है कि आपको सिर्फ हमारे विरूद्ध बोलना है! अगर आपको तनिक भी चिंता है कि जी, चायनीज मांजा से हो रही मौते रूकें, चायनीज मांजा एक डिजास्ट्रस एन्टिटी बनके उभर कर आया है देश के अंदर और ये आज से नहीं, बरसों से है। आपकी सरकार मैजोरिटी में है, मैं चाहता हूं कि आप भी इस मुद्दे को उठाकर के केन्द्रीय मंत्री से मिलें और उनसे पूछें कि भई, इसका इम्पोर्ट क्यों नहीं बैन करते और मैं दिल्ली सरकार से जानना चाहता हूं कि जी, आपने बैन तो कर दिया, अभी बैन कितना इफैक्टिव होगा, क्योंकि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, इंफोर्समैंट एजेंसी हमारे हाथ में नहीं है। बैन कितना इफेक्टिव हो, कैसे होगा, उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे? और इसका इम्पोर्ट बंद हो देश के अंदर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर वो इम्पोर्ट ही बंद हो गया तो वो प्राब्लम जैनेसिस में ही खत्म हो जाएगी और इतना जो हम सबको मालूम पड़ा कि जी, जो बैन का नोटिफिकेशन था, उसमें काफी डिले हुआ। ये डिले क्यों हुआ, किसके कारण डिले हुआ और ऐसे कौन से इफैक्टिव मेज़र्स हैं जो दिल्ली सरकार ले रही है कि भई, चायनीज मांजा जैनेसिस पर ही खत्म हो जाए, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, जिस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने दिया, उसका बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में तीन मौत जो हुई, उनको बचाया जा सकता था और इसके अलावा 35 से 40 जो रिपोर्ट आई हैं, जो लोग होस्पिटलाईज हुए, घायल हुए और सैकड़ों हजारों ऐसे जो हताहत हुए। लेकिन दुख और तकलीफ का विषय यह है कि दिल्ली की सरकार ने जानबूझ कर इस विषय में कोताही बरती। मैं सिलसिलेवार कुछ चीजें यहां पर रखना चाहता हूं।

पहला 26 मार्च, 2015 को equal of ethical treatment of animals – एक एनजीओ ने जब ये ध्यान आकर्षित किया सरकार का तो एक मीटिंग होती है 26 मार्च को और उसमें उस विषय पर विस्तार से चर्चा होती है यानि की 26 मार्च 2015 को सरकार के समक्ष ये आया कि चाईनीज मांजा जानलेवा है और इस पर बैन होना चाहिए। इसके बाद इस पूरे मामले में सरकार चाहती तो अंडर सैक्शन 144 एंड 133 उस पर एक इन्फोर्समेंट हो सकता था जो एक्सप्लोर किया जा सकता था और वह यह था कि इसको बैन कर दिया जाए विद इमिजिएट एफेक्ट फॉर स्पेसिफिक पीरिएड एंड टाईम और एक्सटेंडिंग अप–टू वन ईयर जो एक साल तक एक्सटेंड हो सकता है। यानि एक आर्डर पर सरकार के मांजा 26 मार्च, 2015 के तुरन्त बाद भी बैन हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अभी मेरे साथी सोमनाथ जी ने काफी कुछ कहा। यहां मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि ये फन्डामेंटल एंड ओब्लीगेशन है सरकार का... स्टेट गवर्नमेंट का कि वो इस मामले में निर्णय ले। यह फंडामेंटल भी है और कान्स्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन भी है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कि ये फैसला उनको लेना है कि उनके राज्य में उनकी सरकार के तहत मांजे पर बैन होना चाहिए।

मामला जहां से गम्भीर होता है, इस पूरे विषय पर 27 मई, 2015 को अडिशनल सेक्रेट्री एन्वायरन्मेंट कुलानंद जोशी ने इसके बैन के लिए फाईल को फारवर्ड किया। सेक्रेट्री एन्वायरमेंट, चीफ सेकेट्री और मिनिस्टर कन्सर्ड... वो फाईल कहां चली गई ? बैन इम्पोज क्यों नहीं हुआ ? क्यों नही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मई, 2015 में तैयार किया गया ? इसके बाद उसमें कुछ और चौंका देने वाले तथ्य मेरे सामने आए हैं। 28 जुलाई 2016 को यानि कि पूरा मई 2015 से एक साल तक फाईल को जानबूझ कर दबाए रखा गया! इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सरकार में बैठे हुए लोगों की इन्टेंशन थी जो उन्होंने मांजे की बिक्री को जारी रखा ? उसके बाद 28 जुलाई 2016 को एक प्रोपजल जो है... क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया था 01 मई 2016 को पीआईएल दायर की

गई थी मांजे के बैन को लेकर लेकिन सरकार बार–बार मामले को एबेयंस में डाल रही थी। 28 जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को कोर्ट में हियरिंग थी। 28 जुलाई को एन्वायरमेंट मिनिस्टर के पास फाईल आती है ओर वे 28 जुलाई को उस पर लिखते हैं कि इस पर डिस्कस कीजिए। फिर फाईल में कुछ चेजिंज किये जाते हैं और उसके बाद वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार होता है। वो क्या चेजिंज किये गए ? 28 जुलाई की मीटिंग में 'डिस्कस' लिखने के बाद उस प्रपोजल में क्या चेंज हुए जिसके कारण 15 अगस्त तक मांजा बैन नहीं हुआ? यानि मांजा माफिया के आगे कहीं न कहीं सरकार ने घुटने टेके और 15 अगस्त जो स्पेशल काईट फ्लाईंग का फेस्टिवल है, उसको निकलने दिया लेकिन 2 अगस्त को खुद अदालत ने इस पर सरकार से गम्भीर चिंता व्यक्त की और इसकी जानकारी जो सरकार के वकील थे, अनुज अग्रवाल उन्होंने एक मेल के माध्यम से सरकार को दी और उन्होने कहा कि The Hon'ble court is highly concerned about the issue being raised by the petitioner as the same involves risk to human life यानि कि कोर्ट ने खुद कहा कि इसमें लोगों की जान जा सकती है, ये बहुत ही खतरनाक काम शहर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। इसलिए उस पर चिंता व्यक्त की गई लेकिन सरकार ने उस पर कम्पलीट बैन लगाने की बजाए एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें दो साल तक भी बैन नहीं लगेगा। यानि कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, जिस पर इतना हल्ला... और सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की। मैं मंत्री जी से अपने हरेक सवाल का जवाब चाहूंगा कि जब जानें जा सकती हैं, ये हाई कोर्ट खुद बोल रहा है सरकार को तो फिर आपने साठ दिन का ओब्जेक्शन और सजेशन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों निकाला? वो एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो सकता था। आपने 133 और 144 के तहत क्यों नहीं कम्पलीट बैन के लिए इस पूरी 2 अगस्त की सुनवाई के बाद कार्रवाई की, हम एक बात यह जानना चाहते हैं?

दूसरा जो रास्ता आपने अपनाया है...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी कन्कलूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं कन्क्लूड करूंगा। साठ दिन के बाद एक्ट कहता है कि 545 दिन आपको और मिलेगें यानि कि साठ दिन तक आप ओब्जेक्शन एंड सजेशन लेंगे फिर 545 आपको और मिलेंगे जब आप उसमें यानि कि आप अगस्त 2017 का काईट फ्लाईंग फैस्टिवल भी निकालना चाहते हैं और अब 2018 का भी निकालना चाहते हैं। 2015 का आपने निकाला, 2016 का आपने निकाला। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने अपने इस काम में जबरदस्त कोताही बरती है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। जिन लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार पहले भी इस विषय में... 5 तारीख को मैंने सारी जानकारी इक्ट्ठी की, पांच तारीख को शुक्रवार था, 6 और 7 तारीख को शनिवार और रविवार था, 8 तारीख को फाईल उपराज्यपाल के कार्यालय में जाती है। आठ तारीख को वहां से निकलती है 9 तारीख को आपके पास आती है। आप टैक्नीकल चीजों में उसको उलझा करके राजनीतिक ब्यान बाजी करके इतनी बड़ी घटना जिसमें लोगों की जान जा रही है और सरकार का 100 प्रतिशत सोल सब्जेक्ट है इस सरकार का, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने उसके बाद भी 16 अगस्त को, 15 अगस्त के बाद मांजें को बैन नहीं किया। हमने जाकर के जब इस बात की शिकायत की, उसके बाद मांजा 144 में बैन हुआ है लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो उसके अधिकार क्षेत्र में था, 100 प्रतिशत मांजे को बैन क्यों नहीं किया, हम ये जानना चाहते हैं? क्यों इधर–उधर की बात कर रहे हैं? तू इधर–उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा? क्यों लोग मरे ? इसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेगी? क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने में कोताही नहीं बरती? क्या सरकार ने, मंत्री ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने पूरे मामले में कहीं न कहीं मांजां माफिया के प्रति कोई सोफ्ट कार्नर नहीं रखा? ये सारे का सारा विषय गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी कन्क्लूड करिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इसको अन्यथा लेना कदापि ठीक नही है और में कड़े शब्दों में सरकार की भूमिका की निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः अभी जरा कन्क्लूड करिए।

श्री सोमदत्तः अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार बैन क्यों नहीं कर रही? इन्होने इम्पोर्ट में कितना कमीशन खाया है, ये बताएं पहले ? कितने राज्यों में कितनी मौतें हो गई, केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र ऐसे नहीं। बैठिए बैठिए प्लीज। सोम जी बैठिए प्लीज। आप बैठिए तो सही। विजेन्द्र जी। दो मिनट बैठिए। सोमनाथ जी, दो मिनट बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जरनैल जी बैठिए प्लीज। मेहन्द्र जी बैठिए। जरा बैठिए। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, वो बोलेगें, जवाब देगें आप बैठिए तो सही।

श्री सोमनाथ भारतीः मेरे पास कॉपी है।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी। वो बोलेगें, जवाब देगें। सोमनाथ जी, बैठिए जरा दो मिनट। सोमनाथ जी दो मिनट के लिए बैठिए। एक बार बैठिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हां, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं सोम जी? बहुत संक्षेप में।

श्री सोमदत्तः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न मांजा हिन्दुस्तान में आएगा न ये अलग–अलग राज्यों में मौते होगीं। केन्द्र सरकार क्यों नहीं इसको बैन कर देती? क्यों नहीं बैन कर देती केन्द्र सरकार?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप ऐसा नहीं बोले। विजेन्द्र जी ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री सोमदत्तः पूरा अधिकार सम्पन्न सरकार है क्यों नहीं बैन कर देते ये ? ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। बैन नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए–बैठिए। जरनैल जी। सोम जी, दो मिनट बैठिए। मै दे रहा हूं आपको समय। जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस मांजे की मैन्यूफैक्चरिंग कोई दिल्ली में तो हो नहीं रही है कि इस पर बैन लगाते इस तरह से। अगर ये दिल्ली में नहीं होगा, कई राज्यों में नहीं होगा तो ये आयात क्यूं कर रहे हैं? कैसे आयात कर रहे हैं? अगर कोर्ट कर रहा है कि इससे मौतें हो रही हैं तो सिर्फ दिल्ली की मौत की बात कर रहे हैं? क्या मोतें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में नही हो रही है? उसके बारे में आपने एक प्रश्न नहीं किया। क्या आप मोदी जी के पास जाकर अपने आयात मंत्री से कहेगें? आप इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं देगें। आप सिर्फ इल्जाम बाजी करेंगे। आपको मौतों पर राजनीति करनी है क्या? आप वहां पर बात नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः अब और लम्बा समय नहीं। 280 रह जाएगा।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर बैन लग भी जाता, दिल्ली और एनसीआर इस तरीके का है कि दिल्ली के अंदर बैन लगा दोगे, वो नोएडा से ले आएगा, गाजियाबाद से ले आएगा, फरीदाबाद से ले आएगा, गुडगावं से ले आएगा। वहां पर भी कर दोगे तो मेरठ से ले आएगा, बरेली से ले आएगा, कहीं से भी ले आएगा। बात ये है कि यह मांजा एविलेबल क्यूं है? मांजा एबेलेबल इस लिए है कि आयात करने दिया जाता है, इम्पोर्ट करने दिया जाता है। इसको देश में लाने दिया जाता है। अरे! अब तो चाईना ने यूएन में साथ देने से भी मना कर दिया। अब क्यूं चाईना का साथ दे रहे हो ? क्या वजह है कि चाईनीज मांजा तक लेकर आ रहे हो ? अपने मांजा की इंडस्ट्री भी खराब कर रहे हो। लोगों की मौतें भी हो रही हैं और अगुंली दूसरो पर उठा रहे हो कि यार! दो मर गए या तीन मर गए। पूरे देश में इस मांजे की वजह से ... आप के चाईना के सामने घुटने टेकने की वजह से कितने लोग मर गए? एक बार इसका भी हिसाब लगाकर बता देंगे विजेन्द्र जी, तो बहुत बेहतर रहेगा।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अन्तिम बस। सोमनाथ जी बैठिए एक सैकण्ड। महेन्द्र जी, बोलिए, आप बोलिए। सोमनाथ जी, बैठिए दो मिनट। सोमनाथ जी, सिर्फ एक सैकण्ड, अन्तिम महेन्द्र जी फिर उसके बाद सोमनाथ जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा। अभी मैंने वो लिस्ट देखी थी मांजे के जितने व्यापारी हैं, इंपोर्टर हैं, वो देखकर तो सारे के सारे बीजेपी के, सभी के सभी व्यापारी बीजेपी के मिले और ये कहते हैं कि हम सुरक्षा की दृष्टि से उसको बैन कर दें। मैं उनको कहूंगा कि मौत का सामान तुम बिखेरो, मौत का सामान तुम बिखेरो और सुरक्षा हम करें और शायद यह भी इसके अन्दर एक हो, ये काम हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नितिन जी, प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः और यहां तो दिल्ली के पास पुलिस व्यवस्था भी नहीं है। जिसके तहत हम सुरक्षा दे सकें।

अध्यक्ष महोदयः महेन्द्र जी, थोड़ा कुछ गरिमा को समझो जरा।

महेन्द्र गोयलः इनका तो काम वही हो रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप वाली बात वही बिल्कुल सही है और आप लिस्ट मंगा लो उसकी और इस सदन के अन्दर पेश करें और उन व्यापारियों का नाम उजागर करें कि वो दिल्ली सरकार के साथ में मिले हुए हैं या केन्द्र सरकार के साथ मिले हुए है? ऐसी आप व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदयः हां जी। अन्तिम सोमनाथ भारती जी, एक मिनट के लिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, एक चूंकि फेक्टस पे बात रखना अच्छी होगी। 8 मई, 2012 का एक नोटिफिकेशन है बियरिंग नं. एफ. नं. 1/03/20–10–एडब्ल्यूडी(पीटी) ये नोटिफिकेशन अध्यक्ष महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्मेंट इन फोरेस्ट एनिमल वेल्फेयर डिविजन request was made by Under Secretary, Animal Welfare Board of India to ban manjha's use and sale across India and rid our streets, Parks and trees of this indiscriminate killer. क्या हुआ उसका अगर ऐसे प्रोसेजेज हैं तो विजेन्द्र जी बताएं कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है? अगर 23 मई, 2012 का एक प्रोसिजर स्टार्ट हुआ था, उसका क्या हुआ?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वे मेरा नाम लेकर बोले हैं, मैं उसका जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने कहा है। चलिए, दो मिनट बैठिए।

श्री सोमनाथ भारतीः 23 मई, 2012 को एक चिट्ठी और गई है। एनिमल

वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्मेंट ऑफ फोरेस्ट को। मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार अपनी रिस्पोन्सिबिल्टि से भाग नहीं सकती। अगर बकायदा चूंकि मेरे पास सारे डॉक्युमेंट्स हैं वेलेबल... प्लेस कर सकता हूं हाउस के आगे। इसके कि बकायदा प्रोसिजर्स अडॉप्टीड हैं लेकिन उसका इफेक्टिव मेनिफेस्टिशन नहीं है। अगर केन्द्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है... मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं माननीय मनीष जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत जड़मूल की बात कही थी कि भई, इंपोर्ट तो बैन करो। अगर across the nation I have the proofs across the nation कई सौ लोग मरे और हर साल होता है यह और यह बहुत डेडली है ये इलेक्ट्रीसिटी का कन्डक्टर भी बन जाता है ये चाइनीज मांजा। तो मुझे लगता है कि... बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः वो रख दी बात आपने पहले। भई, देखिए, नहीं, विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः चूंकि गंभीर मुद्दा है यह बहुत अध्यक्ष जी, 26, मार्च 2015 से और 16 अगस्त तक एक फाईल पे एक भी नोटिंग है ऐसी क्या, एक बार भी इस बारे में फाईल पर विचार नहीं किया। क्या आपने कहीं केन्द्र सरकार को लिखा... कोर्ट के अन्दर भी जब मामला गया। कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया। आपने कोर्ट को यह कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाइए। पूरे के पूरे मामले के, पूरे थ्रू आउट दो, पौने दो साल, ढेड़ साल में एक बार भी दिल्ली की सरकार ने सिर्फ मांजे वालों को बचाती रही। मांजे वालों के साथ बैठकर... लोगों की मौत हुई तो अब सदन में ये बात कही जा रही है!

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, बैठिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः लेकिन फाईल में कहीं पर भी कार्रवाई क्या... यह कोई बात है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी थी। आपने उसको पूरा नहीं किया और जब उसको पूरा नहीं किया तो फिर आप इधर उधर की बात कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय उप मुख्यमंत्री इसका उत्तर देंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोध हैं। अगर देखें तो, नेता विरोध हैं तो विरोध करना उनका काम भी है और करना भी चाहिए पर जो तीन मौतें चाइनीज मांजे की वजह से हुई हैं और तीन तो इस तरह से रिकॉर्ड में... जिन को नुकसान हुआ, चाहे पक्षियों को नुकसान हुआ है या इंसानी जानमाल को नुकसान हुआ है, वो बहुत दुखद है और हम सबकी, चाहे यहां सदन में बैठ के जो भी पक्ष या विपक्ष की बात कर लें, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की किसी भी संभावना को वक्त रहते रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी इस पे चर्चा हुई, अच्छी बात है कि आज पहली बार नेता विपक्ष सोमनाथ जी के प्रस्ताव पर बात करते हुए कह रहे हैं कि कोई चीज तो आपके अधिकार क्षेत्र में आती है। वरना हमेशा इनका सवाल तो यह था कि यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं, यह आप कैसे कर सकते हो! अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर पीटा एनजीओ की शिकायत की एक अर्जी आई थी और उस पर एक दम एक्शन लेते हुए... मान लीजिए मैं एक थोड़ी सी परिकाल्पनिक स्थिति की बात करूं, बैन कर दिया होता। तो आज विजेन्द्र गुप्ता जी यहीं बैठ के बात कर रहे होते दिल्ली सरकार ने किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत एल.जी. से पूछे बिना, एल.जी. से पूछे बिना ये मांजा बैन कर दिया। दिल्ली में मांजा व्यापारियों का गला घोंट दिया! ये यहां ये बात कर रहे होते। तो अच्छी बात है कि इन्होंने कहा... पहली बार

माना। चलो इसके लिए तो बधाई दे देते हैं। वरना हमेशा यह कहते हैं कि विधान सभा में है ही नहीं। ये तो सरकार के क्षेत्र में ही नहीं है। बिना सरकार के क्षेत्र में आये फलाना काम कर रहे हो, ढिकना काम कर रहे हो। चलिए, पीटा की शिकायत मिली। अध्यक्ष महोदय, उस पर एक्शन लेना सरकार की जिम्मेदारी थी निश्चित रूप से, पर उसके विभिन्न पहलू रहे और सबसे बड़ा पहलू इसमें यही है क्या मात्र दिल्ली में मांजा बैन करने से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है मात्र दिल्ली में! क्योंकि आज आप बैन कर दीजिए, कल को जो बच्चा त्रिलोकपुरी में पतंग उड़ा रहा है, वो तो नोएडा से, अशोक नगर मार्केट से ले आएगा मांजा। क्योंकि वहां तो आप बैन कर नहीं रहे, क्योंकि इस देश में चाइनीज मांजा माफियाओं के साथ मिल के देश की, केन्द्र की सरकार देश में चाइनीज मांजे को इंपोर्ट करा रही है।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, दो मिनट सुन लीजिए।

उप मुख्यमंत्रीः सर, राज्य सरकारें तो करेंगी ही करेंगी। लेकिन क्या इस देश में केन्द्र की सरकार चाइनीज मांजा माफिया के साथ में, उनके राष्ट्रपति को झूला झूलाके अपने यहां पर मौत का सामान इंपोर्ट करवाएंगे क्या? क्या ये उनके झूला राष्ट्रपतियों को उनको नदी के किनारे बिठा के इसलिए झूलाया जाता है कि आप हमारे देश में मौत का सामान बेचिए और हम खरीदेंगे और बाद में राज्य सरकारों को कहेंगे कि इसको बैन करो अपने अपने स्तर पर और पड़ोसियों को बैचने दो। केन्द्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस मजबूरी के तहत इस देश में किलर चाइनीज मांजा को इंपोर्ट करने की परमिशन दे रखी है? कौन सी वो मजबूरियां हैं प्रधानमंत्री जी की, कौन सी वो सहमतियां है प्रधानमंत्री जी की?

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब आप...

उप मुख्यमंत्रीः दिल्ली में अगर कोई किलर चीज बिकेगी तो उस पर सवाल उठाऊंगा और चाहे उसको प्रधानमंत्री जी कहें, मैं उस पर सवाल उठाऊंगा...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब आप बैठिए।

उप मुख्यमंत्रीः दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है। मैं दिल्ली की जनता के लिए प्रधानमंत्री से तो क्या मैं यमराज से भी सवाल उठाउंगा!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये ठीक नहीं है तरीका। विजेन्द्र जी, बैठ जाइए आप। अब आप परेशान हो रहे हैं, जब जवाब सुन रहे हैं तो! अब आप परेशान हो रहे हैं, जब जवाब सुन रहे हैं! बैठिए आप।

उप–मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने जो बोला है, ठीक बोला है। उन्होंने ठीक बोला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। विजेन्द्र जी बैठिए। आप बैठ जाइए। विजेन्द्र जी, एक बार बैठिए। विजेन्द्र जी,मैं एक बात कहना चाह रहा हूं राजनीतिक से ऊपर उठकर... क्या यूपी का नागरिक भारत का नागरिक... बैठ जाइए दो मिनट। नहीं, नहीं बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए। दो मिनट बैठ जाइए। नहीं,

मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे इस विषय पर कुछ नहीं सुनना। विजेन्द्र जी, नहीं आप बैठ जाइए। राज्य सरकार की जिम्मेवारी... आप बैठ जाइए दो मिनट। बैठ जाइए।

उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की बात रखने के लिए चुना है और उसके लिए प्रधानमंत्री जी तो क्या, यमराज से भी अगर जवाब सवाल पूछना पड़ेगा, तो पूछेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने यूपी का मसला उठाया, मैं यूपी का मसला उठा ही नहीं रहा, मैं तो त्रिलोकपुरी का उठा रहा हूं। हमारे राजू धिंगान जी बैठे हैं, इनकी विधान सभा में अगर किसी को पतंग उड़ानी है और हम यहां पर मांजा बैन कर दें और जाके नोएडा की मार्केट से ले आएं। हमारे दूसरे विधायक बैठे हैं बोर्डर एरियाज के, कहीं पूरे सेन्टर में कहीं से भी आए, ये जो पड़ोसी राज्यों में भी बिकता रहेगा और यहां क्योंकि देश में इंपोर्ट करने वाला एक रैकेट काम कर रहा है और उस रैकेट को केन्द्र सरकार संरक्षण देती रहेगी। वो अपना और हम यहां पे बैन करेंगे। बैन करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और हमने इसीलिए कहा कि जिस दिन हमसे हाई कोर्ट ने पूछा 2 अगस्त को कि दिल्ली सरकार अपना रूख बताए। 5 अगस्त तक सरकार ने अपना रूख तय करके एल.जी साहब के पास भेज दिया। 8 अगस्त को एल. जी. साहब ने कहा 9 अगस्त को आप उठा के देख लीजिए कहां ऐसा होता है! मंत्री, उप–मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के हस्ताक्षर कराके तुरंत सचिव के पास में फाइल भेज दी गई। ये छोटी चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय। सेकेण्ड्स में फाइल क्लीयर की है। हमको भी पता है इसकी अरजेंसी। हमको भी समझ में आती है इसकी सेंसिटिविटी। लेकिन क्या इसकी सेंसिटिविटी इस बात से समझ में नहीं आती कि दिल्ली में मांजा बैन करने का एक प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक रूप से चलाया जा रहा है कि इसे दिल्ली में बैन कर दो, नौएडा में बिकता रहेगा। वहां से खरीदते रहेंगे। इम्पोर्ट तो होता ही रहेगा। इम्पोर्ट वालों को तो दलाली मिलती रहेगी। इम्पोर्ट में शामिल लोगों को तो कमिशन मिलता रहेगा। ये इम्पोर्ट का ये जो चाइनिज मांजा का माफिया है, इसके

खिलाफ मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ तुरन्त एक्शन लेते हुए इसको बैन किया जाए पूरे देश में। एक भी शहर में, एक भी गांव में, कहीं भी अगर ये मांजा बिक रहा है तो उस राज्य की सरकार की भी जिम्मेदारी है लेकिन केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इम्पोर्ट हो क्यों? ये इम्पोर्ट स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है और ये बात समझ ले ये इम्पोर्टिड माल है, इम्पोर्टिड किलर चीजें मंगाते हैं, किसलिए मंगाते हैं, क्योंकि आपको राष्ट्रपति जी के साथ झूला झूलना है नदी के किनारे बैठ के और धोखा दे गए। वो सुरक्षा परिषद पर धोखा दे गए वो। तो क्या मजबूरी है ऐसी चीन के साथ में कि हम चीन के ऐसे घटिया किलर सामान को इम्पोर्ट करके सर जी, इम्पोर्ट करने की क्या जरूरत है? उसको जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम 133 लगा दें, पुलिस लगा दें। हमारे पास जिस राज्य में पुलिस भी होगी सर, वहां पर जो चीजें इम्पोर्ट करने की परमिशन दी जा रही हैं, वो कहीं न कहीं से माफिया बेचेगा, चोरी छिपे बिकेंगी, पुलिस शामिल हो जाएगी, अधिकारी शामिल हो जाएगा नीचे के स्तर का। ऐसी चीजों पर तो इम्पोर्ट पर ही बैन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो जाना चाहिए? क्यूं ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही सरकार को?

अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार में खासतौर से एल.जी. साहब की परमिशन के बाद में कुछ स्तर पर देरी हुई और तुरन्त मैंने एल.जी. साहब को लिखकर दिया है कि सर, 8 तारीख को आपकी परमिशन के बाद 9 तारीख की सुबह हमारे पास फाइल आई है। 9 तारीख की शाम तक तीन प्रमुख विभागों, तीन प्रमुख दफ्तरों ने सरकार की मुख्य माने जाने वाले तीन प्रमुख दफ्तरों ने उस पर तुरन्त सिग्नेचर करके भेजा। जहां पर पड़ी हुई है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा क्योंकि हमारे हिसाब से 9 तारीख को अगर हमारे पास फाइल थी तो 9 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। हमने जिम्मेदारी मानते हुए उसमें एल.जी. साहब को कहा है कि हमारे जिस भी साथी ने इसे डिले किया है, उसके खिलाफ एक्शन लें।

लेकिन साथ–साथ इस सदन के माध्यम से, मैं अपील भी करना चाहूंगा केन्द्र सरकार को कि इस देश के किसी भी गांव में... सिर्फ इतना ही नहीं थोड़ा, ब्रूटल होना पड़ेगा। अभी तक जितना इम्पोर्ट हुआ है, पकड़वाइए सब लोगों को, इम्पोर्ट करने वालों को और उनका सारा माल जब्त करके वापिस चाइना भिजवाइए, प्लेन में लादके नहीं तो समुद्र में... समुद्र में भी क्यों फेंक दें? वहां भी जीव–जन्तु मर जायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस पर तुरन्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है और जहां तक सरकार की बात है मैंने एल.जी. साहब को भी लिखा है कि इसमें जहां भी डिले हुआ है जिस भी स्तर पर डिले हुआ है, उन पर एक्शन होना चाहिए।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

अध्यक्ष महोदयः विशेष उल्लेख श्री सोमदत्त जी। बहुत जल्दी–जल्दी संक्षेप में जितना लिखकर दिया है समय का अभाव है इसको उतना ही पढ़ें।

श्री सोमदत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान एल.जी. फण्ड की सेंक्शन आर्डर जो कि डूडा सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये ही यू.डी. के अन्दर सेंक्शन हुआ करती थी जब से डूडा सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट आफिसिज में आई है, इनमें बहुत ज्यादा डिले होने लग गई है। इससे पब्लिक के काम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं। 5–5, 6–6 महीने लग जाते हैं एल.जी. फण्ड के वर्क आर्डर इशू होने में। छोटी–छोटी क्लेरिफिकेशन के लिए महीनों लग जाते हैं। फाइल डूडा के एई से एस.डी.एम. पे जाती है एस.डी.एम. से ए.डी.एम. पे जाती है, ए.डी.एम. से डी.एम. पे, डी.एम. से डिप्कॉम आफिस जाती है और उसके बाद फिर दिल्ली सचिवालय के अन्दर चक्कर काटती रहती है। छोटी–छोटी अप्रूवल के लिए कई–कई महीनों इंतजार करना पड़ता है पहले

ये ही काम दस दिन के अन्दर मैक्सिमम दिल्ली सचिवालय के अन्दर यू.डी. डिपार्टमेंट से हो जाया करता था और अब कई–कई महीनों सेंक्शन की वेट करनी पड़ती है।

मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं आपको। एल.जी. फण्ड से सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रपोजल दिया हुआ है कई महीनों से एस्टीमेट पड़े हुए हैं अभी तक सेंक्शन नहीं हुई है। एक अप्रैल 2016 से डेंगू मशीने खरीदने के लिए एल.जी. फण्ड से प्रपोजल दिया हुआ है। पांच महीने हो गए हैं, अभी तक सेंक्शन नहीं हुई है इसकी। तो पब्लिक के सारे काम डिले हो रहे हैं। कई–कई महीनों डिले हो रहे हैं या तो डूडा को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। पब्लिक सफर नहीं करेगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सारे काम रूके हुए हैं पब्लिक के। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा मिनिमम वेजिज बढ़ाने का एक निर्णय लिया गया था। लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो न्यूनतम दरें हैं, घोषणा एक मई, 2016 को लेबर मिनिस्टर ने भी की थी पर उससे पहले जो दरें थी, वो भी दरों से... 60 लाख मजदूर हैं, उनको मिनिमम वेजिज नहीं मिला। सिर्फ 10 प्रतिशत को ही दिल्ली में जो वर्तमान मिनिमम वेजिज है, वो भी 10 प्रतिशत से ज्यादा को नहीं मिल रही है और सरकार का जो विभाग है– श्रम विभाग उसने पिछले डेढ़ साल में एक भी व्यक्ति को मजदूरों को कम मजदूरी देने पर मिनिमम वेजिज देने पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक भी यानि की खुलेआम मिनिमम वेजिज कानून का उल्लंघन हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। क्या मात्र ये घोषणा है? क्योंकि इसमें दो–तीन बात साफ है जो विभाग है उसमें मात्र 11–12 इंस्पेक्टर हैं जब कि 2 दर्जन के करीब लेबर लॉज है यानि की 60 लाख लोगों के लिए मात्र 11–12 अधिकारी, उसके एन्फोर्समेंट के लिए और दो दर्जन लेबर लॉज है उससे अकर्मण्यता

विभाग की साफ रूप से पता लगती है कि विभाग जो है वो कहां खड़ा है! जो अधिकारियों की और कर्मचारियों की संख्या वो पिछले 40 साल में घटकर के एक तिहाई से भी कम रह गई है। जबकि दिल्ली की आबादी में लगभग पिछले 40 सालों में 5 गुणा वृद्धि हुई है, लगभग 4 से 5 गुणा वृद्धि हुई है। लेकिन लेबर विभाग में मजदूरों की संख्या में भी कई सौ गुणा... मैं कहूंगा कि दिल्ली में वृद्धि हुई है। अब जो आपने मिनिमम वेजिज का फैसला लिया है, उससे दिल्ली से बाहर जो माइग्रेशन का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, उस पर सरकार कैसे रोक लगाएगी? अगर फैक्टरियां दिल्ली से बाहर जा रही हैं, मजदूर दिल्ली से बाहर जा रहा है तो एक तरह से हमने उनको फायदा करने के बजाय उनको एक नुकसान की तरफ धकेल दिया तो सरकार की ये जो घोषणा है, ये मात्र घोषणा है या फिर क्या इसका क्रियान्वयन होगा? क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर सरकार इस सदन के अन्दर पूरी बातचीत लेकर के आए लेकिन एक पब्लिश तरीके से चीजों को लाना...

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात रखिए प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः न होने पर आरोप–प्रत्यारोप करना ये सरकार की नियति रही है। हो सकता है कहीं न कहीं कुछ वो ही सिलसिला जारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, हो गया, पढ़ा गया। त्रिपाठी जी, राजेश जी प्लीज। अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं जो विषय उठा रहा हूं अति महत्वपूर्ण है, एल.जी. फण्ड से संबंधित है। क्योंकि एल.जी. फण्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनधन है जो स्थानीय स्तर पर लोगों को नाली–मोरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दी जाती है। शीघ्रता से जनता को उपलब्ध हो पाए। इसके लिए तमाम एजेंसियां और एल.जी. फण्ड दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं 2014–15 का, पिछले कार्यकाल का एक विषय उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः भई आपने विषय क्या दिया है, बोल क्या रहे हैं ?

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं उसी को बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उतना समय नहीं है। जो विषय दिया है...

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष जी, खत्म हो जाएगा कुल दो मिनट लगेगा।

अध्यक्ष महोदयः अरे! भई अन्य सदस्य रह जायेंगे नितिन जी प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः तमाम कार्यवाही संस्थाएं जिसमें सबसे ज्यादा एम. सी.डी. महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरी क्षेत्र में एम.सी.डी. 95 परसेंट काम करने के लिए उत्तरदायी है। हमें फण्ड उनको देना पड़ता है। आज तक काम नहीं हो पाए। उन्होंने अभी तक नहीं किये और उससे लगातार खिलवाड़ किए जा रहे हैं।

इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण विषय मेरे विधानसभा से संबंधित है। ये तो सबके लिए है कि एम.सी.डी. किस तरीके से एल.जी. फण्ड का यूटिलाइजेशन... 2014–15 की बात कर रहा हूं आज तक 2013–14, 2014–15, 2015–16 तक का आज तक यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से फिक्स नहीं हो पाया। जनरल बातें करें, सबसे संबंधित हैं। पूरे सदन के सदस्य से ताल्लुक रखते हैं और इसी तरह हमारे यहां 2014–15 एल.जी. फण्ड से लगभग एक करोड़ लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए दिया गया, ईसीआईएल एक एजेंसी जो इसे लगाने के लिए जिम्मेदार थी, उसे दिया गया था। क्योंकि यूडी में उस समय एक ही एजेंसी थी जिसके थ्रू लगाया जा सकता था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वो कार्य पूरे नहीं हो पाये। यदि किये गये तो आधे–अधूरे और गुणवत्ता इतनी घटिया है कि उसको

बयां नहीं किया जा सकता। अब हम सदन के माध्यम से ये चाहते हैं कि सदन ऐसे अति–महत्वपूर्ण जनधन पर जो भी लापरवाही संस्थायें कर रहीं हैं, उस पर कोई कमेटी बनाये या कोई जांच के लिए एजेन्सी निर्धारित करे ताकि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके ताकि कोई भी एजेन्सी इस पर कोई लापरवाही करने की कोई कोशिश न कर सके। यही गुजारिश करना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से। क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र में। लोगों को एल.जी. फंड यूटिलाईजेशन कराने में। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री जगदीश प्रधान जी... माननीय मंत्री जी।

श्रम मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष ने न्यूनतम वेतन को लेकर के सवाल उठाये थे। पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार जो कहती है, वो करती है। उन्होंने दो प्रश्न उठाये हैं। इस देश के अन्दर सत्तर साल हो गये आजादी को और देश की राजधानी में जो अपनी मेहनत, खून–पसीने से इस देश को और दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाता है, उसे नौ हजार रूपये में अपना जिन्दगी गुजर–बसर करना पड़ता है जिसकी जिम्मेदारी इस सदन की भी है और इस दिल्ली की सरकार की भी है। आजादी के बाद उसे कुछ मिलना चाहिए और इसलिए सरकार ने जिम्मेदारी के साथ ये फैसला लिया है कि दिल्ली के अन्दर जो साढ़े नौ हजार रूपये न्यूनतम मजदूरी जिनको मिलता था, उसे देश में सबसे ज्यादा बढ़ाकर चौदह हजार रूपये से ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने का फैसला कैबिनेट ने किया है और वो फाईल आगे बढ़ रही है और न्यूनतम मजदूरी को कानून सम्मत तरीके से आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। हमारे पास दिल्ली के तमाम इण्डस्ट्रीज के लोग आये थे। तमाम बिजनेस हाउसेज के लोग आये थे। तमाम व्यापारिक संगठनों के लोग आये थे। उनका कहना ये है कि हम न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ायी जा रही है, पूरे देश में उसी तरह से न्यूनतम मजदूरी बढ़ा

दी जाये जिससे कि लोगों का भी कल्याण हो और हमारे बिजनेस में भी किसी तरह की बाधा न आये। ये उनकी मांग थी और उन्होंने ये मांग उठायी है।

दूसरी बात, जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि पहले जिनको न्यूनतम मजदूरी थी, वो भी नहीं मिलती है। ये सच बात है। इसी सदन के अन्दर हमने ये प्रस्ताव रखा था। इसी सदन के अन्दर मिनिमम वेज एमेन्डमेन्ट का हमने प्रस्ताव रखा था। इस सदन में मिनिमम वेज एमेन्डमेन्ट बिल को पास किया था क्योंकि पहले जो कानून था कि अगर कोई मिनिमम वेज नहीं देता है तो उसे पांच सौ रूपये की पेनल्टी लगेगी। ठेकेदार डरता नहीं था। उसे छः महीने की जेल मिलेगी। ठेकेदार डरता नहीं था। इसी सदन ने पास किया है और बिल हमने सेन्टर को भेजा कि अगर कोई मिनिमम वेज में हड़पमारी करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है तो उसे पचास हजार का जुर्माना और तीन साल की तिहाड़ जेल की सजा के प्रावधान को उसमें पास करके हमने कानून सेन्टर के पास भेजा था। उस फाईल को वापस कर दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है! उस फाईल को वापस कर दिया गया। उसको पास करके नहीं भेजा गया। इसलिए... लेकिन हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अभी हमने ये फैसला किया है कि मिनिमम वेज बढ़ाने के साथ–साथ ही मिनिमम वेज मॉनिटरिंग कमेटी हम बना रहे हैं। ट्राइपारटाइड कमेटी हम बनायेंगे जो इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगी।

दूसरा सरकार ने फैसला किया है कि अब तक जो सिस्टम है मिनिमम वेज को लेकर के, जितने कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे जाते हैं, टेन्डर होता है और एल.वन. जो सबसे कम होता है वो मिनिमम वेज से भी कम पर टेन्डर पास होता है। सरकार ने नई टेन्डर पालिसी लाने का फैसला किया है। पालिसी तैयार हो चुकी है कि मिनिमम वेज में कोई समझौता नहीं होगा और जो भी ठेकेदार मैन पावर प्रोवाईड कर रहा है, उसे साढ़े सात परसेन्ट सर्विस चार्ज अतिरिक्त दिया जायेगा जिससे कि कोई भी, किसी भी कीमत पर मजदूरी के पैसे की हड़पमारी न कर सके और तीसरा, अभी दूबारा हम

उस पूरे फाईल को केन्द्र सरकार को भेज रहे हैं और केन्द्र सरकार के श्रम मंत्री से भी हम मिलने जा रहे हैं। समय मांग रहे हैं। तीन महीने से हम समय लगातार मांग रहे हैं। हमे उम्मीद है कि जल्दी हमें मिल जायेगा। उनसे मिलकर के हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अन्दर हम मिनिमम वेज बढ़ायेंगे भी और हर घर तक पहुंचायेगें भी। ये सरकार का संकल्प है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, राजनीति से उपर उठकर मैं एक बात कह रहा हूं। अर्थशास्त्र का ज्ञान होने के कारण। गरीब की जेब में जब पैसा जाता है तो व्यापार बढ़ता है। एक गरीब का जूता... जेब में पैसा होगा, तभी वो बदलेगा। चाहे टूटा हुआ खेंचता रहेगा, जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं। तो इसको मिनिमम वेजेज को बढ़ाने को कानूनन उन्होंने जवाब दिया। बस अब...वो कानून उन्होंने बनाया, चेन्ज किया, उसको पास करवाइये। चलिए। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान आम आदमी कैन्टीन की तरफ दिलाना चाहता हूं।

सरकार ने बजट घोषणाओं में आम आदमी कैन्टीन को खोलने का निर्णय किया था। यही नहीं, उप राज्यपाल महोदय से भी इस योजना पर पचास करोड़ रूपये व्यय करवाने की घोषणा करवायी थी। पिछले वित वर्ष में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसी प्रकार चालू वित वर्ष में आम आदमी कैन्टीन के लिए दस करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है परन्तु आज तक इन कैन्टीनों का कुछ भी अता–पता नहीं है। ये कैन्टीन सितम्बर, 2015 तक खोले जाने थे। वर्तमान सरकार न केवल इन कैन्टीनों को खोलने में असफल रही है, अपितु कांग्रेस सरकार द्वारा चलाये जा रहे जन–आहार कैन्टीनों को भी बन्द कर दिया। इन कैन्टीनों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को पन्द्रह रूपये में थाली– खाना दिया जा रहा था परन्तु

केजरीवाल सरकार द्वारा आज तक कैन्टीन खोलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन कैन्टीनों से दस लाख मजदूरों, पांच लाख हाकरों और चार लाख झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को लाभ पहुंचने वाला था।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री विभाग को निर्देश दें कि कैन्टीन जल्द से जल्द चालू किये जायें ताकि समाज के कमजोर लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ अगर एक सेकेण्ड का समय दें...

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, रह जायेंगे सारे प्लीज।

श्री जगदीश प्रधानः दो ही मिनट की बात है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ये सारे रह जायेगें। समय देख लो। श्री श्रीदत्त शर्मा जी।

श्री श्रीदत्त शर्माः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि घोण्डा विधान सभा– 66 एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पर लाखों की संख्या में विधान सभा के युवा निवास करते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि शिक्षा के साथ–साथ खेल भी युवाओं के जीवन में बराबर महत्व रखता है। परन्तु आज भी घोण्डा विधान सभा में जगह की अनुपल्बधता होने के कारण एक भी खेल का मैदान नहीं है। जहां पर विधान सभा के युवक खेल प्रतियोगिता व अन्य खेलों की तैयारी कर सकें।

महोदय, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले यमुनाखादर क्षेत्र जिसमें की हजारों एकड़ जगह खाली पड़ी हुई है तथा यह जगह किसी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। महोदय, जैसा कि सरकार दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में काम कर रही है और रिहायशी इलाकों के समीप भी सिटी फारेस्ट बनाने की योजना है, सिटी फारेस्ट में आने वाले सैलानियों के लिए बेंच, बच्चों के लिए झूले, रोशनी के लिए पर्याप्त

स्ट्रीट लाईट, छोटी–बड़ी झील व जॉगिंग ट्रैक बनाये जायेंगे। इसमें स्थानीय नागरिक व्यायाम आदि भी कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत यमुनाखादर में गढ़ी मेढू खादर क्षेत्र में जगह को चिन्हित कर इस खाली पड़ी जगह पर एनटीजी के अनुदेशों का पालन करते हुए युवाओं के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल बना दिये जायें। जिससे कि क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतियोगिता की तैयारी आदि के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े। उनके निकटतम स्थान पर ही खेल आदि के लिए ग्राउन्ड उपलब्ध हो सके , धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री जरनैल सिंह जी (तिलक नगर)

श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर): धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरा विषय भी जो विधायक फंड या डूडा फंड से डवलपमेन्ट के काम होते हैं, उनके डिले से सम्बन्धित है। मई, 2015 में मेरी विधान सभा में मोहल्ला सभा का पायलट प्रोजेक्ट रखा गया था। उसमें लगभग सवा सौ के आसपास काम जनता ने आदेश किये। पर इसमें हैरानी वाली बात ये है कि जो काम दिल्ली सरकार से सम्बन्धित थे, वो तो टाईम के साथ–साथ हो गये पर एम.सी.डी. ज्यादातर सारे कामों में मतलब इन्टेन्सली... हमें समझ आ रहा है कि रोड़े अटका रही है। इसी वजह से एक काम है कि स्ट्रीट लाईट लगनी थी काफी सारी। पिछले सवा साल के फालो–अप के बाद भी आज तक वो बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कभी ये कहते है जी हमारी कोई एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी है, वहां पर फाइल फंसी हुई है। कभी कुछ बहाना बना देते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं। तो सवा साल से मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे को मालूम चला कि क्योंकि 72 अलग–अलग सिर्फ स्ट्रीट लाईट के आर्डर हैं जो इन्होंने दुर्भावना के साथ रोके हुए हैं। तो इनको कोई सख्त आदेश दिये जायें कि कभी आर.आर. चार्जेज के नाम पर रोके जाते हैं काम और कभी... मैं आपको बता ही रहा हूं कि ई.टी.सी. से सम्बन्धित जो विषय हैं, इसको बहाना बनाके रोके जा जाते हैं। तो इनकी एक कोई टाईम बाउन्ड डिलीवरी फिक्स की जाये। वो नियम – कानून तो इन्होंने नहीं पास होने दिया पर सरकार की

तरफ से कोई इनको आदेश जाये ताकि जनता को ये डिले होने की वजह से परेशानी न हो।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री नरेश बाल्यान जी।

श्री नरेश बाल्यानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में जो हायर एजुकेशन के कॉलेज की दिल्ली के अंदर भारी कमी है, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि जे.बी.टी. और बी.एड. करने के लिए दिल्ली के बच्चों को दिल्ली से बाहर यू.पी., मध्य प्रदेश और हरियाणा में जाना पड़ता है और दिल्ली सरकार के पास जगह की कमी है। मेरा मानना है कि दिल्ली के गांव के अंदर जो लालडोरा की जगह है, उन जगहों पर इन कॉलेजों की परमिशन दी जाये। इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने भी वो परमिशन कुछ गांवों में दी थी और कुछ गांव में वो कॉलेज चल रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि यह परमिशन दिल्ली के लालडोरे के गांव में दी जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। बाकी तीन सदस्य श्री अजय दत्त, सुश्री भावना गौड़ जी, जगदीप सिंह जी इनके तीनों के 280 पढ़े मान लिए जाएं। 4.00 बज गए हैं, टी ब्रेक आधे घंटे के लिए। 4.30 बजे पुनः सदन में मिलेंगे। तीनों माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध कर रहा हूं और इसको पढ़ा हुआ माना जायेगा। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही टी ब्रेक हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.35 पर पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय श्री (रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

विधेयक का पुरःस्थापन

अध्यक्ष महोदयः श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप–मुख्यमंत्री दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली विलासित कर (संशोधन) विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हॉ कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

अब माननीय उप–मुख्यमंत्री विधेयक को इस सदन में पुरःस्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले इस विधेयक के संदर्भ में दो पंक्तियों में अपनी बात रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस समय दिल्ली में विलासिता कर के लिए प्रारंभिक सीमा होटल्स में 750 रूपये प्रतिदिन प्रति कमरा का प्रावधान है। कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस प्रारंभिक सीमा को 750 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिदिन प्रति कमरा किये जाने का प्रस्ताव इस बिल में हम रख

रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे नागरिकों और पर्यटकों पर बोझ कम होगा और छोटे होटलों को अपना व्यापार करने में आसानी होगी। इन प्रस्तावों से व्यापार सरल होगा और विलासिता कर विभाग की कार्यप्रणाली में प्रक्रिया संबंधी भारी बदलाव आयेगा। मैं सदन की अनुमति से दिल्ली विलासिता कर संशोधन विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, भारत रत्न डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत रत्न डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

अब माननीय उप–मुख्यमंत्री विधेयक को इस सदन में पुरःस्थापित करेंगे।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से भारत रत्न डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2016 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदयः अब सुश्री भावना गौड़ जी दिल्ली में शासन से संबंधित मामलों के संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च–न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 को दिये गये निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ करेंगी।

सुश्री भावना गौड़ः शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत गंभीर विषय और मैं चाहूंगी कि इस विषय की शुरूआत में एक कवि की चंद बहुत ही गंभीर पंक्तियों से करूंः–

''अनेकों साल से बुनियाद में जो सीलन है,

यही वजह है कि इमारत में कहीं दरकन है।''

समाज, व्यवस्था में जो अनबन है,

कहीं तनाव है ,कहीं क्रंदन है,

दया की भीख न दो मुझको,

मेरा हक दे दो।

यही लड़ाई है मेरी,

यही मेरा निवेदन है''

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में भारत के अंदर संविधान को लागू किया गया यानि जनतंत्र की स्थापना की गई। जनतंत्र का सीधा–सीधा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि अगर हम सभी लोगों की परिभाषा में कहें तो एक ऐसा शासन जो जनता का हो, जो जनता के लिए हो और वो

शासन जनता के द्वारा चुना जाए। उसे हम अपनी भाषा में जनतंत्र कहते हैं। देखिये, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार भारतवर्ष में हर 5 साल बाद में चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, लोग वोट देते हैं और अपनी सरकार का चयन अपने आप करते हैं। सरकार लोगों के लिए काम करेगी, लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलवायेगी, उनको सुख पहुंचायेगी और दुख का निवारण करेगी। इस तरह से सरकार अपने आप में प्रतिबंधित होती है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 1993 से चुनी हुई सरकारें आ रही हैं। 15 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया पांच साल लगभग बीजेपी की सरकार भी रही। एक ऐसी पार्टी ... अध्यक्ष महोदय, जिसने 15 साल शासन किया लेकिन आज इस सदन के अंदर इसका एक भी प्रतिनिधि उस पार्टी का नेतृत्व करने के लिये यहां पर नहीं है। ठीक उसी प्रकार पांच वर्ष बीजेपी ने भी शासन किया और मुझे लगता है कि चुनाव से आठ महीने पहले पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी आंधी चल रही थी और उस आंधी के बावजूद 70 में से केवल 3 विधायक चुन कर के इस सदन के अंदर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जनता ने क्या सोचा? किस तरह का निर्णय लिया? भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति करने वाले ये दो बडी बडी राष्ट्रीय पार्टियां क्या सच में दिल्ली की जनता इनसे परेशान हो गई! एक ऐसा निर्णय जो जनता ने दिया, मुझे लगता है कि ये बड़ी–बड़ी पार्टियां जो देश के आजाद होने के बाद में भारतवर्ष के संविधान के अंदर घुस कर के जड़ की तरह से काम कर रही थी, इन दोनों ही पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपना आधार खत्म कर लिया, उसको समाप्त कर लिया और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को शायद बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा विकल्प इस समय से पहले नहीं मिला अन्यथा ये बीजेपी और कांग्रेस

की सरकारें, ये लगभग डेढ साल और तीन साल के पीरियड से पहले ही समाप्त हो चुकी होती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इनके क्रिया कलापों से परेशान होकर के दिल्ली की जनता ने ये फैसला किया अपने आप में कि विधानसभा में हम इनको चुनकर के नहीं भेजेगें और विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पर उन्होंने अपना पूर्ण विश्वास जताया और हमें लगभग 67 की संख्या में यहां दिल्ली विधानसभा में जिता कर के भेजा।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 239एए के अनुसार दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। इस बीच में लोगों ने अनेकानेक संघर्ष किये। दिल्ली में बहुत सारे लोग समुदाय बना बना कर के निकल कर के बाहर आये कि जब सारे प्रदेश उनको राज्य होने की सहूलियतें मिल सकती हैं तो दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश क्यों है? जब बहुत सारे समुदायों में इस तरह का संघर्ष किया तो हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली पार्लियामेंट जो अपने आप में सुप्रीम पावर रखती है, उसने दिल्ली को लेकर के बहुत सारे ऐसे संशोधन किये जिसके अंदर 69 में संशोधन के अंदर दिल्ली केवल यू.टी नहीं है अर्थात दिल्ली केवल केन्द्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि दिल्ली यू.टी. लेजीसलेटिव है यानि दिल्ली विधानसभा और केन्द्र शासित प्रदेश दोनों को एक बताया है। यह जो नया संशोधन इस संविधान के अंतर्गत किया गया, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जीएनसीटी एक्ट आया, इसके बाद में टी.बी.आर. यानि ट्रांजैक्शन आफ बिजनस रूल आया जिसके अंदर सीधा सीधा एल.जी. और गर्वनमेंट दोनों की कार्य प्रणाली क्या रहेगी, उसको सीधा सीधा इसके दवारा परिभाषित किया।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान अगर ये चाहता कि दिल्ली में केवल केन्द्र शासित प्रदेश रहेगा, दिल्ली को केवल केन्द्र शासित प्रदेश माना

जायेगा तो मुझे लगता है दिल्ली को भी चंडीगढ़ की तरह से चलाया जाना था, दिल्ली में भी वैसा ही शासन होना चाहिये जो दमन के अंदर जिस प्रकार से उसकी प्रक्रिया को चलाया जाता है। दिल्ली के अंदर लक्षदीप जैसी शासन पद्धति को अपनाना चाहिये था और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, बात केवल यहीं आकर के खत्म नहीं होती... सन 2009 के अंदर राईट टू ऐजूकेशन एक्ट भी आया और इसके अंदर सीधा सीधा यू.टी. के अलग से उसके स्टेटस का व्याख्यान उसके अंदर किया गया है। इसके बाद दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम एक्ट आया। आप दिल्ली नगर निगम के एक्ट को पढिये। वो कहते हैं: दिल्ली सरकार के अधिकार अलग अलग हैं, दिल्ली नगर निगम के अधिकार अलग हैं, एल.जी. के अधिकार अलग हैं और इसके बाद में उन्होंने इस बात को अलग अलग करके उसको डिफाइन करने का प्रयास अपने संविधान के माध्यम से किया है।

अध्यक्ष महोदय, कहने का अर्थ है कि संविधान के अनुसार दिल्ली सरकार को अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत सरकार चले उसके लिये कुछ अलग से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी तक कोर्ट का कोई उन्होंने नाम नहीं लिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये, आपको समय मिलेगा, आप बोल लीजियेगा। कोई इस ढंग से उन्होंने हाई कोर्ट का नाम नहीं लिया कहीं किसी प्रकार का निर्णय का नाम...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये ठीक है बैठिये प्लीज बैठिये।

सुश्री भावना गौड़ः अब प्रश्न ये है कि दिल्ली में विधायक चुनकर के क्यों आते हैं? और उससे अगला प्रश्न ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाये ही क्यों जाते हैं? क्यों इस तरह से सरकार का चयन किया जाता है एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाया जाता है लाखों और करोड़ों रूपये की तादाद में खर्चा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत इतनी सारी व्यवस्थाएं जो डाली हैं, वो क्यों हैं? इन सब प्रश्नों के ऊपर अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बहुत बड़े वाला प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जिसका उत्तर शायद हम जीते हुए प्रतिनिधियों को भी पा पाना, अपने आप में बहुत असंभव सा लगता है। सचिवालय बने हैं, विधानसभायें बनीं हैं, लाखों हजारों कर्मचारी इसके अंदर काम कर रहे हैं लेकिन इस सदन में बैठने वाली सरकार जो संविधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के मत के अनुसार एक भारी संख्या में बहुमत लेकर के जीतकर के आती है, एक ऐसी सरकार को पंगु बनाकर के रख दिया है। आज ये सरकार डिसीजन लेने के बाद बावजूद अभी 280 के अंदर मैंने ठेकेदारी प्रथा पर एक प्रश्न लगाया था। समय कम होने के कारण वो मैं बोल नहीं पाई। लेकिन मैं जानकारी रखती हूं इस बात के बारे में। हमारी सरकार में, कैबिनेट में उसके उपर एक फैसला लिया और उस फैसले की फाईल कुछ एक ऐसे स्थान पर जाकर रूक गई जो लोग जानते हैं कि उनके घर में अगर कोई काम करने आता होगा तो सफेदी वाला आता है उनके घर में कोई काम करता होगा तो प्यून काम करता है, वो सब अधिकार और कानून कायदे उनके ऊपर भी लागू होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1933 के अंदर जब अंग्रजों का कार्यकाल इस देश के अंदर था तो उस समय अंग्रेजों ने गवर्नमैंट आफ इंडिया एक्ट लागू किया और उस एक्ट के अंतर्गत भारत में रहने वाली जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया लेकिन केवल अधिकार दिया, वो अधिकार के साथ–साथ में उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर

पायेगें, वो सरकार नहीं बना पायेगें और ना ही सरकार को चला पायेगें तो मुझे तो ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, आज जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं तो दिल्ली के अंदर वो संविधान नहीं है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। दिल्ली के अंदर तो वो संविधान है जो 1933 में अंग्रेजों ने लागू किया था। सरकार है, प्रतिनिधि हैं पर उनको अधिकार नहीं है काम करने का।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लोग अपना प्रतिनिधि तो चुन सकते हैं, दिल्ली के लोग अपना मंत्री तो चुन सकते हैं, दिल्ली के लोग अपना मुख्यमंत्री तो चुन सकते हैं लेकिन सरकार कौन चलायेगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र में , हरियाणा में, छत्तीसगढ हो, चाहे मध्यप्रदेश में जब व्यक्ति वोट डालकर के अपनी सरकार का चयन करता है तो उस समय कहीं ना कहीं बंधी हुई होती हैं वो सरकारें, वो दुनिया भर के विकास कार्य अपने क्षेत्र में करती हैं, अपने राज्य में करती हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से जब दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और लोगों ने हमें जिता कर के इस हाउस के अंदर भेजा तो हम लोगों से वो सारे अधिकार क्यों छीन लिये ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, अपने आप में प्रश्नचिन्ह है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ न्यायसंगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, और एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह अपने आप में इस बात पर भी है कि दिल्ली में रहने वाले लोग, उनकी वोटों की वैल्यू, अन्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के वोट की वैल्यू से कम क्यों है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है!

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो नागरिक रहते हैं, क्या वो पूर्ण नागरिक नहीं है? क्या वो देश के आधे–अधूरे नागरिक है? अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति क्या टैक्स कम देता है? क्या दिल्ली में रहने वाला नागरिक अपने आप में कम देशभक्त है? देखिए, अध्यक्ष महोदय, बीस साल तक दूसरी पार्टियों का शासन रहा। बीस साल तक

मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को कोई परेशानी नहीं आई। बहुत कुछ सब मस्ती से चल रहा था, 'खुद खाओ और दूसरों को खाने दो' ये शायद इनका पहला फार्मूला था। देखिए, आज दिल्ली के अंदर एक सच्ची, एक ईमानदार, एक अच्छी नीयत से काम करने वाली पार्टी है, उनके चुने हुए लोग हैं लेकिन इस पार्टी के पर कैसे कतरे जाएं, विधायकों के भविष्य को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर के, उनके परिवारों को लेकर, उनके स्वयं को लेकर के किस तरह से उन पर कालिख पोती जाए, केवल एक यही व्यूह रचना रची जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए, केवल हमारा यही गुनाह था। ए.सी.बी. दिल्ली सरकार के पास होती थी सन् 1993 से लेकिन हमने ये गुनाह किया कि एक पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हमने पकड़ा, इन्होंने एसीबी को हमसे छीन लिया।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सचिवालय लगभग बीस साल तक ट्रांसफर्स और पोस्टिंग का एक अड्डा बना हुआ था अपने आप में, लोग विकास कार्यों के लिए नहीं आते थे वहां, उसकी ट्रांसफर कर दो, उसकी पोस्टिंग कर दो, इसका इतना लगेगा, इसका उतना खर्च होगा। मुझे लगता है कि शायद इन सब बातों के अलावा वहां कोई चर्चा नहीं होती थी। अपने आप में एक अड्डा था। इस तरह के भरपूर काम वहां पर होते थे। आज जब हमारी सरकार ने उन सब चीजों को रोकना चाहा तो मुझे लगता है कि क्राइसिस यहीं से शुरू हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे डी.सी., हमारे एस.डी.एम्स, हमारे वैट अधिकारी सब अच्छे से काम कर रहे थे लेकिन सर्विसिस दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेगी, ऐसा तय किया गया है।

अब देखिए, मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय, कि जो लोग बार–बार ये चिल्लाते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दो, हमसे पहले जब इनकी सरकारें थी तो भी यहीं बात करते

थे, पूर्ण राज्य का दर्जा दो–पूर्ण राज्य का दर्जा दो... पूर्ण राज्य के दर्जे के अंदर इनको सरकार तो चाहिए लेकिन इनको ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार में होते हुए भी जिनकी जुबान बंद हो। जो बिल्कुल भी बोल ना पाए और मुझे तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग बुद्धि और विवेक तो रखते हों लेकिन फैसला ना ले पाएं, इस तरह की सरकार इनको दिल्ली के अंदर चाहिए। आज हम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाते हैं तो इन लोगों को रास नहीं आता। आज हम ट्रांसफर्स को, पोस्टिंग्स को, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार फैला है, उसको रोकने का काम करते हैं तो शायद इन लोगों को रास नहीं आता।

सीएनजी घोटाले को लेकर के दिल्ली सरकार जांच नहीं कर पाएगी। ये अपने आप में देखिए, ये सब क्या हो रहा है? एक घोटाला हो रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए लेकिन हम उसकी जांच नहीं कर पाएंगे! ये तो वहीं हालत हो गई चुनकर के भेज दिया हमें, हमारे हाथ पैर बांध दिए, हमारी जुबान को सील कर दिया और कहा कि ऐसे ही बैठकर के आप अपनी सरकार को चलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों के बारे में बात करती हूं। किसान से जब सरकार कोई जमीन लेने के लिए जाती है तो कहती है कि पचास लाख में जमीन दे दो, वो ही जमीन अगर कोई प्रोपर्टी डीलर खरीदता है तो उनसे पचास लाख में खरीदता है, तीन करोड़ में– चार करोड़ में जाकर के उसको बेच देता है। दिल्ली सरकार ने क्या किया? यहीं तो कहा कि ये गलत हो रहा है। किसान का जो हक... पूरा तीन करोड़ का– चार करोड़ का है, वो राशि उसको क्यों नहीं दी जाती? हमने तो इस काम का, जो ये नियम बना हुआ था, जो चला आ रहा था, उसका केवल दिल्ली सरकार ने विरोध किया। हमें लगा और हमने कहा कि किसान को उसकी जमीन की पूरी कीमत मिलनी चाहिए और हमारी इस तरह की नीति बनाना इन्हें कहीं पसंद नहीं आया।

देखिए डी.डी.सी.ए. के घोटाले को लेकर के देखिए। अपने आप में कितना बड़ा घोटाला! इस घोटाले की जांच की बात जब दिल्ली सरकार करती है तो उसको भी रोक दिया जाता है। अब बताइये ? नए–नए खिलाड़ी जो हमारे, अभी आज खेल को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई हैं सवालों के बीच में लेकिन जो ऐसी नौजवान पीढ़ी जो खेलों के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहती है, मुझे लगता है कि इस निर्णय ने उनके भविष्य को बनने से पहले ही कहीं न कहीं चौपट कर दिया है!

अध्यक्ष महोदय, बिजली कंपनियों के अंदर हम बोर्ड ऑफ डारेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा दिल्ली सरकार नहीं करेगी जबकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथियों को जानकारी है, सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई जिसके अंदर क्लीयर ये कहा गया कि आठ करोड़ रूपए का घोटाला इन बिजली कंपनियों के मार्फत हुआ है लेकिन चोर को चोर कहना मुश्किल हो रहा है। खुलम–खुल्ला जिसकी रिपोर्ट आ रही है, कमेटी उसकी रिपोर्ट पेश कर रही है और उसको जब हम जनता के सामने ले जाकर रखते है तो हमारी जुबान को बंद कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आठ हजार करोड़ थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जिनको भगवान ने थोड़ा सा कम दिया है, उन लोगों की जिन्दगी में बहुत कुछ देने का प्रावधान हमें कानून के अंदर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास का मॉडल केवल गरीब और अमीर को देखकर के तय नहीं होता। गांधी जी ने कहा था कि हम जब भी कोई काम करें तो अंतिम छोर के पर जो आखरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको ध्यान में रखकर के काम करें।

अध्यक्ष महोदय, आज पूरी दिल्ली एक मॉडल के रूप में काम कर रही है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यों की चर्चा हो रही हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी

अनेकों प्रदेशों के अंदर बहुत सारी सरकारें काम कर रही हैं लेकिन दिल्ली सरकार ने एक ऐसा कार्य किया है, जहां वो पहले पायदान के ऊपर खड़ी होती है। दिल्ली में चल रहे जितने भी सरकारी अस्पताल है, उनके अंदर मरीजों की फ्री में देखभाल करते हैं और उनको दवाइयां फ्री मिलती हैं, उनको इलाज फ्री मिलता है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य अगर कोई बना है तो दिल्ली बना है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। पिछले डेढ़ साल से दिल्ली की दो करोड़ जनता ने जब हमें जिताकर कर के यहां पर भेजा तो आज वो हमसे इस बात पर प्रश्न करती हैं कि हमने आपको जिताकर के भेज दिया, अब आप हमारे लिए क्या कर रहे है? अध्यक्ष महोदय, वो आज हमसे पूछते है कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब हम उन्हें क्या बताए? जनता ने बड़ी उम्मीदों से हम लोगों को चुनकर के भेजा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जनता ने जब हमें चुनकर के भेजा तो स्वाभाविक तौर पर जनता के दिमाग में ये रहा होगा कि आम आदमी पार्टी के नए लागों को, नई पार्टी को, नई सरकार को अगर हम सत्ता में लेकर आएंगे तो व्यवस्था बदलेगी, राजनीति का स्वरूप बदलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। बिजली कंपनियों ने जो घोटाले किए हैं, उस घोटाले में लिप्त व्यक्तियों को सजा मिलेगी। बिजली सस्ती होगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। सरकारी स्कूल सुधरेंगे। अस्पतालों की हालत सही होगी और सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में होगी कि दिल्ली में जो इंसपेक्टर राज चल रहा है, कहीं न कहीं उससे हमें निजात मिलेगी, उससे निवारण होगा उसका।

अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली सरकार के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा–सीधा हस्तक्षेप जो रहा है, उससे यहां बैठे हमारे सभी साथी बहुत गमगीन अवस्था में है। हमने सबने मिलकर के जनता से वायदा किया था कि हम दिल्ली के अंदर एक ऐसी

सरकार का निर्माण करेंगे और ऐसी सरकार का और ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जिसमें दिल्ली वासी कम से कम आत्मविश्वास से भरे होंगे, मुझे अपने साथियों से एक ही बात कहनी है कि हमारा लक्ष्य अत्यंत कठिन है और हमारा दायित्व भी अत्यंत कठिन है इसीलिए आप सब लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा कि यह पद नहीं है, दायित्व है, आज हम सब एम.एल.ए. बन गए, आज हम में से कोई मंत्री है कोई मुख्यमंत्री है लेकिन ये पद नहीं है ये दायित्व है हमारे ऊपर। ये प्रतिष्ठा नहीं है ये हमारी परीक्षा है, ये प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी ये परीक्षा की घड़ी है हम सब लोगों के लिए ये अधिकार नहीं है, ये अवसर है हम सब लोगों को एम.एल.ए. बनाया है। पब्लिक ने हम सब लोगों को सेवक बनाया है इसलिए हमें उनके कार्यों पर, उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरना है। इसलिए ये अधिकार नहीं है। ये अवसर है, सत्कार नहीं है, ये चुनौती है। इसीलिए मैं अपने सभी साथियों को कहूंगी कि हम सभी संगठित हों और ईश्वर ये कार्य करने के लिए जो प्रभु ने हम सबको इतने भारी बहुमत से जिता के इतनी भारी संख्या में यहां पर भेजा है, उस सबके ऋणी ... हम सब इसी तरह से लगे रहे, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

अध्यक्ष महोदयः श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः थैंक्यू अध्यक्ष महोदय, इस बहुत ही गम्भीर विषय पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं पहले भी कई बार जब भी बोला हूं तो मैंने हमेशा यही बताया है कि हमेशा वो बात रखने की कोशिश करता हूं जो मेरी विधान सभा के लोगों से मेरी बातचीत होती है। उनके प्रश्न होते हैं, उनकी परेशानियॉ होती हैं। उन्हीं को सामने रखने की कोशिश करता हूं और अब आजकल बहुत सारे नये प्रश्न मेरी विधान सभा के आप सब की विधान सभा के भी लोग विजेन्द्र जी, आपकी विधान सभा के लोग भी पूछते होंगे आपसे और अब तो बच्चे–बच्चे भी पूछने लगे हैं कि हमारे स्कूलों की हालत सुधर गई है, स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है तो वहां के बच्चे–बच्चे भी सिविक्स पढ़ते हैं

तो वो पूछते हैं कि अंकल सिविक्स में कॉस्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ाया जाता है और कॉस्टिट्यूशन 'वी द पीपुल' से शुरू होता है। 'वी द पीपुल ऑफ इण्डिया', 'हम भारत के लोग', 'हम भारत के लोग' इस कॉन्सीटयूशन को बनाते हैं... इस कान्सीटयूशन के निर्माता जनता से ऊपर इस कॉन्सीटयूशन में कुछ भी नहीं है, और 'हम जो भारत के लोग' या जो कॉन्सीटयूशन के निर्माता... उन्होंने ये डिसाईड किया था कि हम डैमोक्रेसी में रहेंगे लोकतन्त्र में रहेंगे और ओटोक्रेसी तानाशाही नहीं सहेंगे। हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि हम किस तरह का डेवलपमैन्ट चाहते हैं, सरकार से हम क्या चाहते हैं, इस चीज को हम लोग खुद चूज कर सकें वनिस्पत इसके कि कोई भी तरीके का डेवलपमैन्ट, कोई भी स्कीम, कोई भी बात हमपे थोपी जाए। क्योंकि हम लोकतंत्र में है, हम पांच साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हम राजा तो नहीं चुनते, प्रतिनिधि वो जो जाके हमारी बात आगे उठा सकें, हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़ा हो, हमारे प्रॉब्लमस को सॉल्व कर सके, हमारे विकास में हाथ बटाए, मेहनत कर सके, हमारे क्षेत्र को बेहतर कर सके तो वो जो गवर्नमेन्ट चूज करता है, जो प्रतिनिधि चूज करता है जो मंत्री चूज करता है और मंत्रियों की मिल के जो गवर्नमेन्ट बनती है. उनकी जवाबदेही किसको होती है? उनकी जवाबदेही उस वोटर को होती है जिसने उसको वोट दी, जिसके दिये हुए टैक्स के पैसे ये गवर्नमेन्ट चल रही है या उस एक एडमिनिस्ट्रेटर को होती है, गवर्नमेन्ट की जवाबदेही जो ना आज तक उस जनता के पास कभी गया, ना जनता से कभी बात की, ना जनता के सपने सुने, हर जनता के, हर हिस्से के अपने–अपने सपने होते हैं, अपनी–अपनी परेशानी होती है। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि इसलिए हैं कि उनको हम पे एक लेवल का विश्वास है कि जो वो हमसे इंस्पायर करते हैं, जो हमसे सोचते हैं कि हम लोग उनको दे पाएंगे, बेहतर उनकी जिंदगी को कर पाएंगे। हम लोग एक मैनेफेस्टो बनाते हैं। मैनेफेस्टो में हम बहुत सारे वायदे करते हैं। उन वायदों की जवाबदेही किसको और किसकी है? जवाबदेही

गवर्नमेन्ट की है या एक एडमिन्सट्रेटर की। सर हमारे कॉस्टिट्यूशन में साफ–साफ लिखा हैः गवर्नमैन्ट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाई द पीपुल... यही लिखा है। इसके बाद किसी एक आदमी के पास ऐसा हक कैसे हो सकता है कि वो अकेला खड़ा हो के बिना चुने हुए ये कह सके कि मैं अकेला गवर्नमेन्ट हूं। सर, ये जो गवर्नमेन्ट है, हमारी जो सरकार है, हमारा दायित्व किसकी खुशी के लिए है? क्या इसका दायित्व जनता की खुशी के लिए है या किसी एक आदमी कि विह्मस एण्ड फैन्सीज के थ्रू उसको खुश करने के लिए? सिर्फ एक आदमी के लिए उसकी बातों के लिए, उसकी पोजिशन के लिए, उसको खुश करने के लिए हमेशा काम करने की बात करें हम लोग या जनता से हमने जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करने का काम करें, ये अकेले मेरे सवाल नहीं हैं सर, कहीं बीच में विजेन्द्र जी उठके कह दें ये तो कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। ये जनता के सवाल हैं सर, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, जब भी मान लेते हैं कि हमें हर फाइल देनी पड़ती है एक फॉरमैल्टी है या जो भी वजह है... देनी पड़ती है और कोई माला फाइड इन्टैन्शन भी नहीं है पर उसके बावजूद जब फाइलें डिले होती है तो जिसने वायदे किए हैं, वो किसको जवाब देगा और कैसे जवाब देगा? हम डैमाक्रेसी में रहते है, लोकतंत्र में रहते है, राजतंत्र में तो नहीं रहते, जो, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे! कल को हमारे किए हुए वायदे अगर पूरे नहीं होते क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग दुबारा नहीं चुने जाएंगे पर उन पांच साल के लिए उस विकास का क्या होगा जिस विकास के नाम पे केंद्र में भी सरकार बैठी है, वो तो कोई भी सरकार हो, अपने वायदों को जुमला कह सकती है। मुझे नहीं लगता हम जो सच्चाई की लड़ाई लड़के यहां पर आये हैं, अपने किसी एक छोटे से छोटे वायदे को भी जुमला कह पाएंगे?

सर, एक छोटा सा सवाल और है Will the people be given the choice of the development that they want or any scheme in the name of development would be forced upon them? क्या डेवलमैंट के नाम पे कुछ भी उनके ऊपर

थोपा जाएगा? आज हम विकास की बात करते हैं कि हो सकता है कि हमारी परिभाषा दूसरी हो, हमारी परिभाषा एक छोटे से छोटे इन्सान के साथ शुरू होती है, एक बच्चे के साथ शुरू हो होती है, एक आम आदमी के साथ शुरू होती है, हमारी विकास की परिभाषा में बड़े–बड़े फलाईओवर, बुलेट ट्रेन नहीं हो शायद, पर हमारी विकास की परिभाषा में ये जरूर है कि हर वो आदमी जो टैक्स देता है... और हर आदमी टैक्स देता है क्योंकि हम माचिस की डिब्बी में भी टैक्स वसूलते हैं, हम शैंपू की शीशी में भी टैक्स वसूलते हैं, हम तेल की शीशी में भी, पैट्रोल में, डीजल में, हर चीज में टैक्स वसूलते हैं। लोगों से उनको पढ़ाई का और स्वास्थ्य का हक तो हम दे सकते हैं, हर एक के घर तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे, ये विकास के लिए हम अनिवार्य समझते हैं। हमारी विकास की परिभाषा यहां से शुरू होती है। लोगों का डेवलमैंट, लोगों का विकास भी यहीं से शुरू होता है। एक झुग्गी में रहने वाले आदमी को कोई इंटरैस्ट नहीं है कि मैट्रो के 6 डब्बे चलें या 8। उसका बच्चा पढ़ जाए,उससे बेहतर निकल जाए ये उसका सपना होता है। उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसको हाथ न फैलाना पड़े, उसका इलाज हो जाए, ये उसका सपना होता है। उसके लिए विकास वही ही है और आपको आश्वस्त करता हूं 80 प्रतिशत से ज्यादा दिल्ली वही ही है।

सर, ये जो जनता जिनकी इतनी सारी एस्पॉयरेशन्स है, इतनी सारी सारी क्लासेज, इतने अलग–अलग विभिन्न तरह से ये लोग रहते हैं क्योंकि दिल्ली में तो विभिन्न प्रान्तों से आए लोग रहते हैं। हरेक को अपना रिप्रजंटेशन चाहिए होता है, अपना रि–प्रजेंटेटिव चुनते हैं वो लोग। उनकी जो नीड्स है, उनकी जो गोल्स हैं, उनकी जो रिक्वारमेंटस हैं, उनके ऊपर प्लॉन कर सकें, उनको सुन सकें, उनको लागू कर सकें। लोगों की जिंदगी में कुछ सुधार ला सकें। people's interest is supreme in democracy मेरे ख्याल से इससे भी हम लोग सब सहमत होंगें। जो जनता उनका जो इन्ट्रेस्ट है, उससे ऊपर और कुछ नहीं। हमारा कॉस्टिट्यूशन भी इसी फ्रेमवर्क के ऊपर बना हुआ

है। जनता का बनाया हुआ कॉस्टिट्यूशन है। जनता के बारे में सोचे वो। जब पूरी की पूरी जनता का इन्ट्रेस्ट सुप्रीम है तो किसी एक जो कि चुना भी नहीं गया, सेलेक्टिड एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्ट्रेस्ट सुप्रीम कैसे हो सकता है?

अध्यक्ष महोदयः नीतिन जी कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री नितिन त्यागीः सर, थोडा सा। सर, आज बहुत जगह पर बहुत से लोगों से बार–बार बात हुई। कई बातों पर, कई विषयों पर बात हुई। वो अपने आप को बहुत चीटेड महसूस करते हैं। चीटेड इसलिए महसूस करते हैं कि उन्होंने एक सरकार चुनी। उनको आज तक ये पता था कि वो डेमोक्रेसी में रहते हैं, वो लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो। यहां प्रतिनिधि तो चुन लिया परन्तु उसके बाद कहा जा रहा है कि यह प्रतिनिधि किसी काम का नहीं है। इसको कोई हक नहीं है तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने का ! इसको कोई हक नहीं है तुम्हारे हक की बात करने का ! इससे कोई हक नहीं है कोई भी ऐसा काम करने का जिससे तुम्हें फायदा होता हो ! वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, सरकार नहीं करेगी। क्यों नही करेगी? वो इस लिए नहीं करेगी क्योंकि ये चुनी हुई सरकार, ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार किसी बात पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। ये भ्रष्टाचार पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इस सरकार में अपनी सच्चाई की वजह से इतनी हिम्मत है कि वो केन्द्र सरकार की आंख में आखं डालकर उससे पूछती है कि तुम भ्रष्टाचारियों का साथ क्यों देते हो ? तुम इन गरीबों का हक क्यों मारते हो ? तुम इन किसानों का हम क्यों मारते हो ? दिल्ली के हो, दिल्ली में रहो, दिल्ली के बारे में बात करो। दिल्ली पूरे देश की जनता से बना है। हरेक की बात की जाएगी। सिर्फ एक ये वजह है कि अभी ए.सी. बी. छीन ली तो कभी कुछ छीन लिया। आज न जाने कितने हमारे एल.जी. गिरफ्तार किये जाते हैं। झूठे–झूठे मुकद्दमे उनके ऊपर किये जाते हैं। कोर्ट पोलिटिकल

बाध्यता तक कह देता है। परन्तु उसके ऊपर चर्चा तक नहीं होती, कोई बोलता नहीं है। सर, दो मिनट और लूंगा प्लीज।

अध्यक्ष महोदयः आठ वक्ता हैं, समय कम रह जाएगा।

श्री नितिन त्यागीः सर, देखिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जितना भी सब हो रहा है, यहां तक लोगों ने कहा कि ये आपके खिलाफ एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। विपक्ष के द्वारा एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। किस तरीके से आपके विश्वास को तोड़ा जाए। किस तरीके से आपका जो कमिटमेंट है, हम लोगों की तरह उसको तोड़ा जाए। तो सर, मैं यह कहना चाहूगां ये अरविन्द केजरीवाल की सरकार है और अरविंद केजरीवाल अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है, चक्रव्यूह भेद भी देंगे, तोड़ भी देंगे और दिल्ली को जिता भी देगें।

सर, हर टीवी के चेनल पर यह दिखाया गया अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि केजरीवाल को झटका, केजरीवाल सरकार को झटका! सर, ये झटका केजरीवाल सरकार को! केजरीवाल सरकार थी क्या? हम लोग थे क्या ? हम लोग कहां से आए? मैं तो जब सर, पार्टी बनी थी, मुझे ये भी नहीं पता था, कि मैं कौन से वार्ड नम्बर में रहता हूं। हमारा पोलिटिकल न कोई इंक्लाइनेशन था, न इन्ट्रेस्ट था। सर, हमारे को किस बात का झटका ? झटका उस आदमी को जिसकी अगर बिजली नहीं आती तो बिजली कम्पनी को हम लोग जिम्मेदार नही ठहरा सकते। झटका उस आदमी को जिस बच्चे की फीस बिना वजह स्कूलों में बढा दी गई थी और उसकी फीस माफ नहीं होगी, उसकी फीस वापिस नहीं होगी। आज मंहगी फीस देनी पड़ेगी। झटका उस आदमी को जिसके यहां पर पानी फ्री जा रहा था। झटका उस आदमी को जिसे न्याय मिलने की आशा थी। झटका उस आदमी को जिसका वेतन बढ़ने की आशा थी। झटका उन प्रेस रिर्पोटर्स को... भाई लोग सुन रहे होंगे, मिडिया कमेटी लागू करने

की बात की थी, वो लागू नहीं होगी। हमारा तो क्या झटका हो सकता है ? भई, ज्यादा से ज्यादा विधायकों की तनख्वाह बढनी थी, नहीं बढी। परन्तु सर, इस चीज को..... मिनिमम वेजेज... वही मिनिमम वेजिज भी विधायक की तनख्वाह से ज्यादा है, कोई बात नहीं। इसका कोई मलाल नहीं है सर! हमारा कैरियर थोड़े ही है ये!

तो सर, I want to request the Govt. chosen by the people to knock the doors of the Hon'ble Supreme Court because we believe completely in the judicial system of our country. Knock the doors of the Hon'ble Supreme CourtAnd help save the democracy the way we know it.

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। राजेन्द्र पाल गौतम जी।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। महत्वपूर्ण इस लिए बन गया है चूंकि 1991 से पहले दिल्ली में एक्जीक्यूटिव कांउंसलर्स होते थे। उन्हीं के माध्यम से दिल्ली का विकास होता था तो कोई तो बात रही होगी दिल्ली की जनता यह चाहती थी और दिल्ली की जनता की तरफ से डिमांड भी थी कि हमारे पास अपनी एक विधान सभा होनी चाहिए जिसे हम खुद चुने, जो हमारे विकास के बारे में काम करे और मैं समझता हूं, 1991 में जो केन्द्रीय सरकार सत्ता में थी, उसने दिल्ली की जनता की भावनाओं को देखते हुए 1991 में एक 9th अमैन्डमैन्ट लोकसभा में, संसद के अंदर लेकर आए। उस पर लम्बी चौडी डिस्कशन हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी हिस्सा लिया जिसमें कांग्रेस के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। उस वक्त की जो जनता दल थी, उनके सांसदों ने भी हिस्सा लिया जो सी.पी.आई., सी.पी.एम. थी, उनके सांसदों ने भी हिस्सा लिया। मुझे आज भी याद है उस डिबेट के अंदर हमारी जो ओपोजिशन है दिल्ली विधान के अंदर उस पार्टी के सांसदों ने तो यहां तक कहा था कि यह अधिकार कम

है। दिल्ली को पूरी सरकार का, पूरे स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन एक लम्बी चौडी बहस के बाद वो एमेडमेंट पास हुआ और वो एक्ट पास होने के बाद, वो बिल पास होने के बाद 1992 में वो नोटिफिकेशन हुआ और उस नोटिफिकेशन के तहत 1993 में दिल्ली की पहली सरकार, चुनी हुई सरकार बनी। मैं समझता हूं 1991 से पहले की स्थिति में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से जनता ने डिमांड की थी और इसी वजह से वो अमेंडमेंट आया और दिल्ली एक स्टेट बना और स्टेट बनने के बाद दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की बजाय नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में अमेंडमेंड करके नाम दिया गया और इतना ही नहीं, जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसको भी चेंज करके लैफटिनेन्ट गवर्नर किया गया। लेकिन आज स्थिति बडी कन्फयूजन पैदा कर रही है। जनता बड़ी हताश और निराश होती है और जब जनता हमारे सामने सवाल करती है कि हम भी भारत के नागरिक हैं। हमने भी दूसरे राज्यों की तरह वोट दिया। आखिर हमारे वोट की कीमत यूपी, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों के लोगों से कम क्यों है और फिर जनता कहती है कि भाई, बड़ी आशाएं हैं, आपने जगाई थी। उस आशा के हिसाब से आपने काम भी शुरू किया था आखिर अब ये काम रूक क्यों रहा है? हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है लेकिन फिर थोड़ा हौसला आपने अन्दर हम पैदा करते हैं और हौसले के तहत कभी–कभी तो मैं जनता से कहता हूं:

हौके मायूस न यू शाम से ढलते रहिए,
जिंदगी भौर है, सूरज से निकलते रहिए।
एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे,
धीरे–धीरे ही सही राह पे चलते रहिए।।

इसके तहत मैं फिर लोगों को कहता हूं कि आप विश्वास रखिए। दिल्ली की जनता को हर हाल में न्याय मिलेगा। वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की जनता का

न्याय करेगा। चूंकि भारत में कानून का शासन है कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है और दिल्ली का कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हो, जनता से ऊपर कोई नहीं है और भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है और हमारा, अपने देश के संविधान में, अपने देश के ज्यूडिशल सिस्टम में पूरा भरोसा है और हम अपने ज्यूडिशल सिस्टम को पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। फिलहाल की जो स्थिति है, वो ये है कि दिल्ली की सरकार को जैसे एक छोटे बच्चे को टॉफी दे दी जाती है और टॉफी देकर कहा जाए कि अगर खाई तो पिटाई करूंगा। तो दिल्ली की सरकार तो चुन दी। लेकिन काम करने में उसके जिस तरह की रूकावटें पैदा की जा रही है, वो वास्तव में, बेहद शर्मनाक है। हमारे भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पोलिसी है। एक तरफ फंडामेंटल राईट्स हैं और दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पोलिसी है फंडामेंटल राईट्स एक सीटिजन का अधिकार है और वो अधिकार न मिले तो कॉन्सटिट्यूशनल रैमिडीज में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। दिल्ली के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है या जो जिस स्टेट है, वो वहां का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पोलिसी है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरीके से सरकारों को गाईड लाईन दी है। क्या आप जनता के विकास के लिए ये स्टेट पोलिसीज को फॉलो कीजिए और यही हमारी दिल्ली की सरकार ईमानदारी से... देखा जाए आजादी से आज तक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पोलिसीयों को ईमानदारी से इफेक्टिव तरीके से अगर किसी ने उसको फॉलो किया या उसको लागू करने कि कोशिश की है तो वो दिल्ली की सरकार ने की है। जिसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को बधाई भी दूंगा। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद इस तरीके से एजूकेशन सिस्टम में सुधार की कोशिश की जा रही है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने खुद एज एन एडवोकेट इनकम टैक्स के खिलाफ जो

इनकम टैक्स का केस था, ऐंटी करप्शन ब्रांच में मैंने खुद लड़ा है। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं बींग ए एडवोकेट कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी ऐंटी करप्शन ब्रांच में केसेज दर्ज होते रहे हैं। पिछले 40 सालों से, इनकम टैक्स के खिलाफ भी होते रहे हैं, डीडीए के खिलाफ होते रहे हैं... तो आज अचानक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा क्या हो गया जो व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, उस व्यवस्था को आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों चूरचूर किया जा रहा है? क्यों बदला जा रहा है? कौन सी जरूरत आ पड़ी? इसका मतलब सीधा–सीधा देखने में आता है कि दिल्ली की जनता ने...

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः दिल्ली की सरकार को केवल करप्ट, विशेष रूप से करप्शन को खत्म करने के लिए चुना था और उसको खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए जिस तरह दिल्ली की सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, जिस तरीके से ये परवाह किए बिना कि सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा है, उसके खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज की और जांच शुरू की। इससे उन लागों में बोखलाहट आ गई जो लोग बड़े–बड़े पूंजीपतियों अरबपतियों के सामने नतमस्तक थे और वो कार्रवाई करने देना नहीं चाहते थे जिसकी वजह से सारी स्थिति जो आज दिल्ली की सरकार के सामने है, ये स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार में बैठे हुए लोग जो ईमानदारी का जज्बा ले के आए हैं, वो लोग भी उन्हीं पुराने पॉलिटिशिएन्स जैसे हो जाएं और वो ईमानदारी से काम न कर पाएं, भ्रष्टाचार को खत्म न कर पाए। इसीलिए बैरियर्स डाले जा रहे हैं, उनके काम में बाधाएं पहुंचाई जा रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता सब देख रही है, देश की जनता सब देख रही है। न्याय हर हाल में होगा और ये व्यवस्था ज्यादा लम्बे समय तक नहीं चलेगी, मुझे ऐसे पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री कैलाश गहलोत जी, नहीं, श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे मित्र विजेन्द्र गुप्ता जी कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट का हवाला दे रहे थे। मैं थोड़ा सा उनकी याददाश्त के लिए बताउं कि पार्लियामेंट के अन्दर बहुत दिनों तक कॉलिजियम सिस्टम की चर्चा चली। जिसके अन्दर सरकार अपना एन.जी.एस.सी. का बिल पुश करने की कोशिश कर रही थी। अगर इन दायरों में देखा जाए तो लगातार कई दिनों तक सरकार द्वारा लोकसभा के अन्दर इस तरीके का कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट और काफी सुर्खियों में रहा और जहां तक जी.एन.सी.टी. एक्ट के सेक्शन्स का हवाला है, वो एक्ट जो है ये कहता है कि "No discussion shall take place in the Legislative Assembly irrespective to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duties and as far as we understand that we are discussing, we are not discussing about any conduct of any of judges of Supreme court or the hon'ble High court. This is the discussion about the status of Delhi about the administrative structure of NCT of Delhi and the House is within its powers and duties to discuss such administrative issues and they are of key importance to all of us." और कई बार अखबारों वगैरह के अन्दर ये चर्चा होती है और हम लोग भी, जैसा नितिन जी ने बोला, बड़ा अच्छा बोला। पूरी की पूरी हमारी डेमोक्रेसी है, पूरी की पूरी जब प्रजातंत्र है फिर एकाउंटेबिल्टी जवाबदेही के ऊपर है कि जो आदमी चुन के आता है, उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति और अगर जो वायदे उन्होंने किए हैं, वो वायदे वो पूरे नहीं करते। तो जनता कहती है कि इसको इस बार सबक सिखाएंगे और वो उसको चुन के नहीं भेजती। उसी तरीके से सरकार अपना इलेक्शन मेनिफेस्टो बनाती है। दिल्ली के अन्दर भी भाजपा ने अपना इलेक्शन मेनिफेस्टो बनाया था, कांग्रेस

ने बनाया था, आम आदमी पार्टी ने बनाया था। मुझे नहीं याद कि नजीब जंग जी ने भी अपना कोई इलेक्शन मेनिफेस्टो बना के लोगों को बताया हो कि ये मेरा इलेक्शन मेनिफेस्टो है। तो जिसने इलेक्शन मेनिफेस्टो बनाया, उसके पास तो पॉवर ही नहीं है उसको पूरी करने की और जिसके पास पॉवर है, न तो कभी बनाया, न तो उसने कभी किसी को दिखाया। तो बहुत हास्यस्पद स्थिति है। मुझे लगता है कि हमारे भाजपा के मित्र आज उस तरह बैठे हैं, वो इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ये बात इस छोटी राजनीति से बहुत बड़ी बात है ये बात प्रजातंत्र की बात है कि आप अपने कुछ हितों के कारण आप पूरी की पूरी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, देश में उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के लोग आपको इन चीजों के लिए माफ नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजें मुझे याद है 2014 में जब हमारा चुनाव हुआ, उससे पहले भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी और मेरा यह पर्सनल मानना है कि इस तरीके की चीजें हमेशा से बेकफायर करती हैं। कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा प्रजातंत्र की बात करते हैं, प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो आम जनता को ये बात समझ में नहीं आती।

मेरा ये पर्सलन मानना है और मैंने तजुर्बा करके देखा है कि आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे, उनके बीच छोटी–छोटी सभाएं करें। वो आपको बताएंगे कि इस बार वाटर लॉगिंग हो गई हमारी गलियों में, हमारी सड़के अभी भी नहीं बनी, पार्कों के अन्दर माली नहीं आया जी, एल.ई.डी. लाईट जो मोदी जी ने लगाई थी, वो अब जलती नहीं है। पता नहीं कोई भाग्यशाली होगा तो उसकी कांस्टिट्युएन्सी में जलती होगी, हमारे यहां तो जलनी बन्द हो गई है। तो आज से जब जनता ये सारा का सारा संवाद करें तो आप अपने एल.जी. फंड का पूरा का पूरा हिसाब ले के जाओ। मैंने भी ले रखा है और उसके अन्दर सभी लोगों ने मुझे लगता है कि दो तिहाई और उससे भी ज्यादा का फंड हमने एम.सी.डी. को दिया। तो आप हाथ जोड़ के जनता को बताओ

कि भाइयो, देखो, ये जो इंटरनल सड़के हैं, वो हमारे पास नहीं आती, एम.सी.डी. के पास आती हैं। ये जो आपके नाले हैं एम.सी.डी. के पास आते हैं, ये जो झाड़ू की व्यवस्था है, कूड़े की व्यवस्था है ये एम.सी.डी. के पास आती है, माली की व्यवस्था है, एम.सी. डी. के पास आती है। एल.ई.डी. लाईट की व्यवस्था इनके पास आती है। फिर भी आप लोगों के कहने पर मैंने अपना फंड जितना हो सकता था, उससे ज्यादा एम.सी.डी. को दिया। ये सारे कामों का ब्यौरा है और उसके अन्दर डेट वाईज बिल ले जाओ कि ये देखो जी, इनको 7 महीने हो गए, जिनको सड़क के लिए पैसे दे रखे हैं। पैसे इनको मिल चुके हैं, ये चैक नम्बर है। इन्होंने काम नहीं किया। नाली के लिए पैसा दिया था, वो नहीं किया। ओपन जिम के लिए दिया था, वो नहीं किया, तो लोग झल्ला जायेंगे और लोग कहेंगे फिर तुम किस काम के? जब ये सारा काम ही एम.सी.डी. का है, तो तुम क्या हो? तो आप कहो जी सरकारी अफसर को आप कैसे डरा सकते हो ? हमारा कोई दबाव तो है नहीं एम.सी.डी. के उपर। ना हम उसका तबादला कर सकते, ना हम उसे सस्पेंड कर सकते। न हमारे पास एन्टी करप्शन ब्रांच है जो हम कहें कि वो अपना काम नहीं कर रहा, करप्शन कर रहा है। लोगों की समझ में आता है कि ये तो बड़ा अजीब सा सच है दिल्ली का जो सारी की सारी चीजें जो जनता से सीधी जुड़ी हुई है वो एम.सी.डी. के पास हैं और एम.सी.डी. के अन्दर जो लोग हैं, वो काम नहीं कर रहे। ऊपर जो कानून व्यवस्था है, वो सेन्ट्रल गर्वमेंट के पास है और ये मैसेज धीरे–धीरे सभी विधायक अपनी–अपनी जगहों पर करेंगे तो मैसेज धीरे–धीरे जाएगा। जो ये षडयंत्र केन्द्र सरकार कर रही है, आप देखोगे आने वाले चुनाव में इनके ऊपर बैकफायर करेगा। लोग इनको घरों में से ढूंढकर निकालेंगे। बताओ, तुमने दिल्ली के साथ क्या किया और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं इनके सारे के सारे षडयंत्र इन्होंने पिछले चुनाव से भी पहले जो कुछ किया था, वो इनको बैकफायर किया। ये सारी की सारी चीजें बैकफायर करेंगी। आखिरी में क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र हैं,

भाजपा के वो संविधान की बात जरूर करेंगे। ये कहेंगे जी, ये संविधान को नहीं मानते। तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि अभी तो हाई कोर्ट से ही फैसला आया है। उसका जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकी तारीफ में बहुत कुछ कहा कुछ ही दिनों पहले। एक बार तो इन्होंने अरूणाचल प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा दी! उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में बड़ी–बड़ी महान बातें कही हैं। दूसरी बार इन्होंने उत्तरांचल के अन्दर चुनी हुई सरकार गिरा दी और दोनों ही मामलों में इन्होंने प्रजातंत्र के खिलाफ षड़यंत्र करके चुनी हुई सरकार गिराई और सबसे ज्यादा कसमें लोकसभा में प्रजातंत्र की और संविधान की इन्होंने ही खाईं और उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ लो कि कपड़े ही नहीं उतारे, बाकी सब कुछ उतार दिया! धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद सौरभ जी। श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज की जो दिल्ली की स्थिति हो गई है, वो ऐसा लगता है कि शायद केन्द्र की सरकार इस दिल्ली की सरकार से ऐसा बदला लेना चाहती है जिससे लोगों में मैसेज जाए कि सरकार काम नहीं करना चाहती बल्कि केवल झूठे वायदे, झूठी शान, ढकोसले और प्रदर्शन पर आधारित चलता है। तो जान–बूझकर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाता है। 1993 के बाद जितनी भी सरकारें आयीं, उनके साथ केन्द्र ने कभी ऐसा टकराव न तो किया न तो किसी मुद्दे पर देखना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो और केन्द्र में सरकार कांग्रेस की रही हो। परन्तु ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला जहां हर मुद्दे पे... जहां कहीं लगता है कि दिल्ली की सरकार कुछ प्रूव करना चाहती है। कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहती है जो जनता के हक में हैं। उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की जाती है।

चाहे वो सीएम के दफ्तर पर छापा हो, चाहे वो ए.सी.बी. को छीन लेने का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, परन्तु हर बार सेन्टर की कोशिश होती है कि ये काम न हो और कहीं न कहीं इस सरकार को काम से रोका जाए। हाल के जितने फैसले हुए हैं– कानून में पब्लिक आर्डर, लैंड और पुलिस ये तो सेन्टर के पास है कानून इजाजत नहीं देता सरकार को परमिशन भी नहीं लेने देते। परन्तु एक–एक करके सब फैसले एल.जी. के द्वारा होने लगे। ये जानबूझ कर के नई परिपाटी चाहते हैं, सर्विसिज मैटर को एक अध्यादेश के तहत छीन लिया गया। आज के दिन अगर चुनी हुई सरकार अपने आफिसर्स को किसी काम पर लगाने के लिए अगर बदली भी करे तो शायद उसमें भी एल.जी. महोदय के आदेश की जरूरत है। उस आफिसर्स के रैंकों में अगर कोई आफिसर निकम्मा हो, कोई आफिसर काम नहीं कर रहा, कोई आफिसर करप्शन में लिप्त है तो इसका सरकार के पास कोई ऐसी पॉवर नहीं छोड़ी गई जिससे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। ए.सी.बी. जो दिल्ली सरकार के पास हमेशा थी, वो जबरदस्ती छीन ली गई। इससे ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कोई काम न हो सके जिसकी वजह से दिल्ली में भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये सरकार इसको रोकने की बार–बार कोशिश कर रही है। विकास के कार्यों में जबरदस्ती टांग अड़ाई जा रही है। एम.सी.डी. के जितने काम हैं, उनको हमें करने में जितनी दिक्कत आ रही हैं, उतनी शायद आज से पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी तंत्र ने नहीं झेली होंगी और कॉआपरेशन मिलता है एम.सी.डी. को सेन्टर का। आज अगर एम.सी.डी. के किसी आफिसर की शिकायत करें तो न तो उनके खिलाफ एक्शन होता है न उसकी सुनवाई होती है और विपक्ष भले ही तीन रह गया हो सिर्फ पॉलिटिक्स के खातिर उसमें लगातार अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं।

महोदय, आज के लिए दिल्ली सरकार जितना ज्यादा काम करना चाह रही है, उससे ज्यादा उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। परन्तु ये यह बात भूल जाते हैं कि इन्हीं

के इन्हीं कारणों की वजह से जो लोगों ने पिछली बार की जो दिल्ली की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, उसके साथ जो बर्ताव किया था! ये भूल जाते हैं कि उसका परिणाम था ये 32 से 3 रह गए और अगर यही हालत रही तो आने वाले टाइम में शायद 3 राज्य भी न बचें। कानून अपना टाइम भी लगाएगा परन्तु कानून की व्याख्या हमें विश्वास है कि सरकार के हक में जरूर आएगी क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम पब्लिक के उन कामों को करना चाह रहे हैं जो पब्लिक के लिए जरूरी हैं। उसमें चाहे सेन्टर के नुमाइंदे, चाहे उनके एजेंट कितनी ही दिक्कत पैदा करें, विकास के कार्य बिल्कुल नहीं रूकेंगे, ये चलते रहेंगे और इसके लिए हमें जो भी कदम उठाने होंगे, ये सरकार, यहां के सारे विधायक उन कदमों को जरूर उठायेंगे और आज के दिन पब्लिक ये जानती है कि वास्तव में काम करने से क्यों रोका जा रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से आज इन सबको विदित कराने की जरूरत है कि केन्द्र की सरकार इस राज्य के साथ जो यूनियन टेरिटरी है, केपिटल टेरिटरी के नाम से जानी जाती है, के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जबरदस्ती हर रोज ऐसे कारण पैदा करती है जिससे विकास के कार्य न तो हों और न लोगों को उसका फायदा मिले, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। अभी सौरभ भाई ने और जब माननीय मदन लाल जी बोल रहे थे तो कहा कि मदन लाल जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी की शोक सभा हो तो मैंने कहा क्योंकि शोक सभा तो है ही भई, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। दिल्ली के अन्दर तो शोक सभा ही थी और मुझे लगता है कि साथियों ने बड़े विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी हैं और उसमें काफी बहुत सारे पहलू कवर कर लिए।

अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे अरूण जेटली जी का 'आज तक' पे इन्टरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने पता नहीं, कानून की ही समझ है या क्या? लेकिन आज एक तरह से नम्बर दो हैं पूरे देश के अन्दर और पढ़े लिखो में नम्बर एक। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी और छत्तीसगढ़ सारे एक ही तरह से They are in the same basket. Puducherry, Delhi and Chandigarh. बड़ा अच्छा आपने करेक्ट कर दिया नहीं तो वो... एक तरह से हैं तो सिक्सटी नाईन्थ एमेन्डमेन्ट का क्या होगा। 239एए का जो इंसर्सन हुआ संविधान के अन्दर, उसका क्या होगा? उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ चढ़के ये भी कह दिया साथ–साथ में कि आम आदमी पार्टी की सरकार most irresponsible and the worst हैं। कुछ नहीं पूरा किया। अगर उनसे कोई पूछता कि भई, आपने क्या पूरा कर लिया? आपने कितनी चीजें पूरा कर लीं? पन्द्रह लाख आ गया क्या?। सिक्योरिटी देश में हो गयी क्या? पाकिस्तान डर गया क्या? जम्मू–कश्मीर शान्त हो गया क्या? महिलाएं सुरक्षित हो गयीं क्या? हुआ क्या? जुमलेबाजी, डी.डी. सी.ए. की जांच हो गयी। एम्बोल्डन्ड हैं जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के आर्डर हैं। judgtement emboldened है, तो डी.डी.सी.ए. की जांच तो बंद हो गई।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि दिल्ली, पांडिचेरी और चंड़ीगढ़ एक ही तरह से हैं। क्या फर्क है? इन शब्दों के साथ तो ये लगता है कि कॉस्टीट्यूशन, भारत का संविधान, भारत देश और प्रजातंत्र का इससे बड़ा माखौल नहीं उड़ा सकते वो ! दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है हमें। एम.एच.ए. ने लास्ट ईयर 2015 में में एक नोटिफिकेशन जारी किया। मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर कहें कि काला दिवस, संवैधानिक प्रोविजन्स को जिस तरह से सववर्ट किया गया कि एक नोटिफिकेशन के जरिये दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी, इन दोनों को जो जेल में भेजने की ताकत दिल्ली सरकार के पास थी, उसको कर्टेल करने का प्रयास किया। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भावना गौड़ ने बड़े अच्छे तरीके से रखा कि जब देश आजाद हुआ 1947 में और जब भारत का संविधान बना तो बकायदा ये शक्तियॉ, ये ताकत, ये पावर जनता को सौंपी गयीं। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अभी बकायदा बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस देश की मालिक जनता है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है तो कोई अगर इस अकड़ में बैठ जाये कि हम मालिक हो गये तो उसका समाधान अगले चुनाव में हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कभी कहा और बड़ा सटीक कहा कि जब हम चुन के आये थे तो हमें पता था कि हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास पब्लिक आर्डर नहीं है और लैण्ड नहीं है। लेकिन हमें ये पता था कि हमारे पास सर्विसेज है। हमें ये पता था कि हमारे पास ए.सी.बी. है। क्योंकि जिस क्लाइम्ब पर हम जीतकर आये वो क्लाइम्ब तो ये था कि भई, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे! लेकिन आते के साथ ही माननीय मोदी जी ने सबसे पहले ये काम किया। जीते और उसके तुरन्त बाद ही ए. सी.बी. की ताकतों को उन्होंने कर्टेल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये क्यों किया गया और ऐसी क्या मजबूरी थी? अध्यक्ष महोदय, अभी तक सरकारें चल रही थीं दिल्ली के अन्दर। कभी भा.ज.पा. के साथी कहते हैं कि अब तक तो सरकारें चल रहीं थीं। किस तरह से चल रहीं थीं ? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और भा.ज.पा के अन्दर जो समन्वय है, जो उनकी समरसता है, वो बिल्कुल हसबैण्ड–वाईफ की समरसता है। एक के पास दूसरे के सीक्रेटस हैं और दूसरे के पास उसके सीक्रेटस हैं। ढाई साल हो गया माननीय मोदी जी को आये हुए। छाती पीट–पीटके आये थे कि हम कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेगें। 56 इन्च का सीना दिखाया था। एक भी नहीं गया जेल में आज तक! जेल छोड़िए, एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं हुआ। तो ये इन दोनों के अन्दर जो बहुत, बहुत अच्छा चल रहा है कि भई तुम अपने छुपाओ, हम अपने छुपायेंगे। तुम सुरक्षित रहो, हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए अब तक मुसीबत नहीं आयी। लेकिन जब हमारी सरकार

आयी, जब हमारे विधायक आये तो ये तो सर पर कफन बांध के आये कि हम तो वो सारे काम करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ होगी और तकलीफ होगी अध्यक्ष महोदय, इन्हीं कारणों से। और हुआ क्या ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि पावर ऑफ वोट, जो दिल्ली की जनता पावर रखती है अपने वोट के जरिये क्या छत्तीसगढ़ की जनता के वोट से वो कम पावर है ? और सौरभ ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भई, जो जनता आती है हमारे पास, वो ये सुनना नहीं चाहती कि तुम्हारे पास एम.सी.डी. नहीं है, तुम्हारे पास पुलिस नहीं है। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। अब तो एक और सुनना पड़ेगा कि जी हमारे पास एल.जी. महोदय सरकार हैं। हम नये मुख्यमंत्री। तो बोलेंगें कि तुम चुन के क्यों आये थे ? हमने क्यों तुम्हें वोट दिया ?

अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है कि पैराडाइम शिफ्ट हुई है। दिल्ली के अन्दर पहली बार कोई सरकार आयी जिसने मूलभूत बदलाव करने का प्रयास किया। शिक्षा के अन्दर जो क्रान्ति घट रही है, उप मुख्यमंत्री यही बैंठे हैं। अस्पतालों के अन्दर जो क्रान्ति घट रही है, मुझे लग रहा है कि ये बौखलाहट है, बेचैनी है कि इनके हाथ से इतने काम हो गये तो क्या होगा? इतने काम हो रहे हैं, उससे बेचैनी है। बार–बार ये कहा जाता है कि जी, आप तो एक तरफ कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं दूसरे तरफ कहते हो कि हमसे शिक्षा में ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। आपके लाख कोशिशों के बावजूद हम इतना कर पा रहे हैं। अगर न रोकते होते तो दिल्ली जन्नत बन गयी होती। दिल्लीवासी आपको कोसेंगे और उनके श्राप से न पंजाब जीतोगे, न गोवा जीतोगे। उनका श्राप लगेगा। उनके काम आपने रोके हैं। अध्यक्ष महोदय, गुजरात भी... और जब गुजरात हारोगे, तब मालूम पड़ेगा हुआ क्या ! घटना कहां घटी? अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में जब फाईनेन्स मिनिस्टर की तरह उन्होंने अपने बजट को पेश किया था। पहली बार कहा था ... मुझे नहीं लगता

देश के इतिहास में किसी फाईनेन्स मिनिस्टर ने इस तरह से अपने मैनिफेस्टों के बारे में कहा हो। कहा था, हमारे लिए मैनिफेस्टो कान्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है और साफ–साफ शब्द में दूसरी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, हमारे लिए मैनिफेस्टो जुमला है! तो जब जुमला और कान्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में जब चर्चा होगी तो नेचुरल सी बात है बौखलाहट तो होगी ही। लेकिन इस बौखलाहट को अगर उन्होंने दिशा नहीं दी तो जनता उनकी दशा खराब कर देगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन जो करके जाती हैं, उसे जनता याद रखती है। सरकारी स्कूलों में जब पी.टी.एम. हुआ, सरकारी स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा के स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है। मैं तो मुबारकबाद देता हूं उप मुख्यमंत्री को कि मुझे आज सबेरे ही किसी ने बोला कि जी, जो अभी आपने चुनौती शुरूआत की है, वो एक ऐसा कदम है क्योंकि उसमें हुआ क्या कि भई पहचाना हमने। कौन सा बच्चा कमजोर है, उसके लिए स्पेशल क्लास करेंगे। इस तरह के वन–टू–वन कॉरसपान्डेन्स, वन–टू–वन ट्रीटमेन्ट... जब सरकार दे रही है तो जहां–जहां ये बातें पहुंच रहीं है, इनको इसकी चिन्ता है कि भई, तुम क्यों प्रचार करते हो ? क्यों इतना प्रचार करते हो? अरे भई, हम प्रचार ही करते हैं तो क्या करें ? भई, प्रचार के जरिये पहुंचायेंगे अपनी बात को। अब ये जिस तरह कि माननीय मुख्यमंत्री कल गोवा में थे। गोवा में जिस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को रिस्पान्स मिल रहा है , जहां–जहां रिस्पान्स मिलता है, बौखलाहट बढ़ जाती है। एकाध केस और। एकाध केस और लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि हम तो कफन बांध के आये हैं भई। तुम केस करो, एफ.आई.आर. दर्ज करो, कुछ करो। हम तो जो करने आयें हैं, करके रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, बारह लाख बच्चों के पैरेन्ट्स ने पी.टी.एम. में भाग लिया। भारत बन कहां रहा है ? स्कूलों में बन रहा है। जो मेरा दिल... मैं बहुत बार स्कूलों में जाता हूं, देखता हूं कि हो क्या रहा है ? भारत बन रहा है स्कूलों में और वहां किसकी नजर

गयी ? शिक्षा के अन्दर बदलाव जो हो रहा है, उससे जो देश को आगे फायदा पहुंचने वाला है। मुझे लगता है उससे बहुत बौखलाहट है भाजपाइयों के अन्दर। एक हमारी सरकार है। सारी की सारी माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, "We are literally bothered the most about the poor and after that, the middle class and then, the rich class" और बड़े मजे की बात है कि जो–जो काम हम पुअर के लिए कर रहे हैं वो एक तरह से धनी को भी फायदा पहुंचा रहा है कि जो डिवाईड है divide between the rich and the poor which was widening day by day. यह जो डिवाइड है between rich and the poor which was bargaining day by day. अगर वो कम नहीं होता है तो सबसे गरीब आदमी सबसे धनी आदमी को दुश्मन मानता है। आज जो गरीबी कम हो रही है, उससे धनी आदमी की जिन्दगी भी सुरक्षित हो रही है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपने भाषण में सारे शब्दों को, सरकार की सारी बातों को रखा, उससे बहुत बौखलाहट है, दो–चार और अरेस्ट होने वाले हैं। जब मैं कोर्ट के अंदर अपने 2009 के अंदर आर.टी.आई. पर आर्ग्युमेंट कर रहा था, मनीष जी, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो हलवाई अपनी मिठाई खुद न खा सकें, वो मिठाई बेचने लायक नहीं है। वही शिक्षा का हाल था। मेरा ख्याल है, कोई मुश्किल से ही सरकारी आदमी सोच पाता कि हम अपने बच्चे को वहां डाले। लेकिन जो काम हमारी सरकार कर रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है एडमिशन्स की लाइन यहां लगेगी, सरकारी स्कूल में। इसके लिए मैं बहुत–बहुत मुबारकवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, जो चीजें सरकार ने अभी 50 परसेंट मिनिमम वेजेज के अंदर इंक्रीज करके दिया है। यह इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है, इसकी शब्दों में प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, दिल्ली के अंदर 9 हजार में क्या होगा? उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, इसके कारण जो पूरे देश में एक लहर फैली है कि गरीबों की सरकार, असली सरकार आम आदमी पार्टी की जो आई है, जब–जब, जिस–जिस राज्य में मौका मिलेगा, वहां उसको वोट मिलेगा। वहां उसकी सरकार बनेगी।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। अब बैठिये प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। अभी पिछले दिनों में 15 अगस्त के मौके पर उस वक्त वहां के काउंसलर भी थे, मैंने बड़े खुले दिल से कहा कि भई दिल्ली के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सबसे टॉप पर सांसद है, फिर विधायक आता है, फिर काउंसलर आता है। मैंने एक ओपन चैलेंज दिया कि सांसद डी.डी.ए. और पुलिस संभाल लें, विधायक पी.डब्ल्यू.डी. और जल बोर्ड संभाल लें और बाकी काम काउंसलर संभाल लें। इतना सुनते ही शायद वो भाग गये। भई, आपने जनता की सेवा करनी है कि अपनी राजनीति करनी है। इनका मन काम करने का नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो कुछ भी, काउंसलर वो शैलेन्द्र सिंह मोंटी इनके चेयरमैन हैं आज कल, अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन पढ़ूँगा, जो एक जजमेंट से है, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। अध्यक्ष महोदय, इनको कोर्ट की बड़ी चिंता है, अब कोर्ट में क्या है, बताता हूं आपको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड कीजिए प्लीज। विजेन्द्र जी, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, 239एए का जो इंटरप्रिटेशन है हाई कोर्ट ने एक तरीके से दिया है, हाई कोर्ट से हम असहमत हैं, उनका मान करते हैं, आदर करते हैं। इसी संविधान के अंतर्गत जिसको आप बार–बार रेफर करते रहते हो, उसके अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था भी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां देखेंगे क्या होता है। जिस तरह से आपको लेट राइट, सेंटर बड़ा इस वक्त अरुणाचल और उत्तराखंड के मामले में, आप अपनी देखिये, हम अपना देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, दो जजमेंट्स में एज जस्ट रेडआउट... और यह जजमेंट्स हैं यूनियन टेरिटरीज को लेकर के। अगर यूनियन टेरिटरीज के इतने पावर दे रखे हैं कोर्ट्स ने, तो सोचे कि अगर Union Territory is a legislator तो क्या पॉवर होगी। इसमें लिखा है Though Union Territory are the centrally administered under the provisions of this article did not become merged with the central Govt. and they do not form part of any state and its territory of union, the union territories do not entirely lose their existence as an entity even though large control is exercised by the Central Govt. The Union territories are centrally administered but they retain their independent entity. अगर इस तरह के विचार ऑनरेबल कोर्ट्स के एक यूनियन टेरिटरी को लेकर के हैं, जब हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आगे जाएंगे, जब अपनी बात रखेंगे, जनता हमें चुनकर भेजती है, काम कराने के लिए भेजती है और इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं। करना क्या चाह रहे हैं, ये वेस्टेट इंट्रेस्ट को सर्व करते हैं, कांग्रेस भाजपा एक ही थाली के चट्टे–बट्टे हैं, जब तक ये दोनों जहां रहेंगे तब तक कोई मुसीबत नहीं आएगी। हजबैंड वाइफ ...मैंने कह दिया पहले ही। यह मुसीबत तब आएगी जब हमारी जैसी सरकार आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ इस भाव से कि जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां हमें न्याय मिलेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, सभी ने काफी डिटेल में बता दिया, मेरे पास और कुछ ज्यादा रहा नहीं, पर मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि मुझे खुद हिंदुस्तान की राजनीति में दो दशक से अधिक का समय हो गया है। लेकिन लोकतंत्र की धज्जियाँ जिस तरह से इस बार उड़ाई जा रही हैं, मैंने अपने दो दशक की राजनीति में नहीं देखा। 1993 में 18 साल के हुए तो लगा कि 18 साल में वोट का अधिकार मिला है। उस वोट की अहमियत को बताया गया कि एक वोट का जो अधिकार है, वो कितना बड़ा अधिकार होता है कि आप अपनी सरकारों को चुनते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जो आपके फैसले लेता है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है, आपकी व्यवस्था को बदलने का काम करता है। अध्यक्ष जी, बहुत गर्व से अपने आपको, बहुत से मेरे जैसे होंगे, आज तक भी अपने आपको वोटर रजिस्टर्ड कराया और इंतजार करते रहे, पांच साल में चुनाव आएगा और अपनी एक मजबूत सरकार, अपनी सरकार चुनेंगे। अध्यक्ष जी, हम यहां पर जनप्रतिनिधि ही नहीं, मतदाता भी हैं। मैंने खुद, चांदनी चौक की मैं जनप्रतिनिधि जरूर हूँ, लेकिन गिरीश सोनी जी के लिए मैंने वोट किया है। मैं गिरीश सोनी जी को भी देखती हूँ इस विधान सभा में बैठे हुए विधायक के तौर पर कि क्या इस सदन के अंदर हम वो सब कर पा रहे हैं, जो वायदे हम करके आए थे, जिन उम्मीदों से हमारी इस सरकार को चुनकर भेजा है। हमने उतनी ही ताकत से अपनी सरकार को चुना और आज गर्व है उस सरकार के ऊपर कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो सरकार कोई समझौते नहीं कर रही है। यह प्रश्न

बार–बार उठता है कि आज से पहले तो यह सब स्थितियां पैदा नहीं हुई। भाजपा की जब दिल्ली में सरकार थी, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस की दिल्ली में आई तो केन्द्र में भाजपा की सरकार होगी तब भी बहुत तालमेल से चला, क्योंकि आप लोग समझौतों की राजनीति ही करने आए थे। आप मेरा भ्रष्टाचार छुपाइये, मैं आपका भ्रष्टाचार छुपाऊँगी। ठीक पूछा सोमनाथ भारती जी ने कि पिछले दो साल से अधिक का समय हो गया, केन्द्र में बैठी मोदी सरकार से पूछना चाहूँगी कि कितने भ्रष्टाचारियों को आपने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुँचाया है? जिन्हें सलाखों में होना चाहिए था, वो तो आज़ाद होकर यू.पी. में जाकर बैठ गये हैं। क्योंकि उन्हें पता है, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। मोदी जी का तो यह भी है कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में जिन्होंने फंड दिये, उनको कहा गया कि ब्याज समेत लौटाऊँगा और आज हकीकत भी है कि जिन्होंने उनके चुनाव के लिए पैसा दिया, आज उनको आर.बी.आई. का गवर्नर तक बनाकर सौंप दिया है। इस तरीके के समझौते जो हैं, इस देश के अदंर हो रहे हैं। अखबारों की कटिंगों पर अगर आप नजर दौड़ाये, 'दिल्ली में एल.जी. की ही चलेगी', 'एल.जी. ही है दिल्ली के सुपर बॉस', 'दिल्ली सरकार की कई अधिसूचनाएं' रद्द कर दी गईं। आज अध्यक्ष जी, चेहरों पर लालियाँ खिली हुई हैं भाजपा कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर। लाली का कारण क्या हैं चेहरों पर, क्योंकि साफ कर दिया गया है एल.जी. के द्वारा कि कोई भी चाहे सी.एन.जी. फिटनेस स्कैम ले लीजिए, उसकी न्यायिक जांच आयोग हम सब ने, इस सदन ने बहुमत से पारित किया कि न्यायिक जांच आयोग जो है वो सी.एन.जी. फिटनेस स्कैम हो, डी.डी.सी.ए. का घोटाला हो, उनके खिलाफ जांच आयोग बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सदन के सामने उसकी रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। लेकिन एल.जी. साहब ने एक मिनट नहीं लगाया, उन्हें नल एंड वाइड करके, ऐसे सारे जांच आयोग को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इसलिए भाजपा कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर लाली आना तो बिल्कुल वाजिब है कि

आएगी। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इनका कोई भी, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन में जो विधायक बैठे हुए हैं, हम जाकर मतदाताओं को क्या बतायें कि जिस चीज के लिए आपने चुनकर भेजा है? सबसे बड़ा जनलोकपाल कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार चुनने के कुछ दिन के बाद ही हम सब लोगों ने जनलोकपाल कानून वो ताकत के साथ, मजबूती के साथ यहां से पारित करके भेज दिया है। आज डेढ़ साल करीब लगभग होने वाले हैं केन्द्र की सरकार ने उसे ठण्डे बस्ते में रखा हुआ है वो कानून नहीं पारित हो पा रहा। मुझे लग रहा है कि जब इस सदन में कानून हमें बनाने का हक ही नहीं है, हम किसी भी भ्रष्टाचार की जांच करके न्यायिक जांच आयोग नहीं बिठा सकते, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी तो इस सदन का मतलब क्या रह जाता है ? आज लोगों में बहुत निराशा है। मैं कहूंगी और फिर भी सरकार को कहूंगी सरकार ने अपना विश्वास लोगों में बनाया हुआ है चाहे बिजली और पानी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर सरकार ने इतनी मजबूती से काम न किया होता अध्यक्ष जी, तो केन्द्र सरकार की पूरी कोशिशें थीं कि आम जनता का, आम आदमी का दिल्ली के लोगों का जो विश्वास है, वो इस सरकार से पूरी तरह से डगमगा जाए और किसी तरह से अस्थिर किया जाए। आज भावना जी ने अपनी बात में कहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में 15 अगस्त को कहा कि दिल्ली के मतदाता के एक वोट की ताकत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के मतदाता से कम कैसे हो सकती है। मैं कहती हूं दूसरे राज्यों में मत जाइये। मैं यही पूछना चाहूंगी कि 2015 से पहले की मतदाता के वोट की जो ताकत थी, वो आज उसी वोट की, उसी मतदाता की, दिल्ली की ताकत क्यों नहीं है? हम बाहर नहीं जाएं, हम अपने आप में ही झांक लें कि पन्द्रह के बाद ऐसा क्या हो

गया जो एक वोट की ताकत 2015 से पहले बीस साल कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के शासनों में फैसले लिए जाते थे, तब थी, आज वो नहीं है। ये साफ है कि यहां पर एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो कत्तई भी भ्रष्टाचारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाली है। आज मुख्यमंत्री यहां नहीं हैं क्योंकि मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं पंजाब में, गोवा में, गुजरात में इनकी पीड़ा वो है, इनका दर्द वो है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें यहीं उलझा के रख दीजिए। इनके सामने घुटने टेक दें, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री । आप गुजरात भूल जाइये, पंजाब और गोवा भूल जाइये, घुटने टेक दीजिए, समझौता कर लीजिए, आप डी.डी.सी.ए. की जांच भूल जाइये, आप सी.एन.जी. घोटाले की जांच भूल जाइये, आप बैठ जाइये, समझौते कर लीजिए लेकिन मुझे गर्व है अपनी सरकार के ऊपर और कहना चाहूंगी ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन है और मैं ये कहूंगी लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद से भेजा है। हम इसी तरह डटे रहें, लड़ते रहें तो जीत जरूर हमें हासिल होगी लेकिन अगर हम इन भ्रष्टाचारियों के सामने कत्तई भी झुक गये, समझौता कर लिया तो दिल्ली की आम जनता हमें कत्तई भी माफ नहीं करेगी, जयहिन्द, जयभारत ।

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। विजेन्द्र जी एक सेकेण्ड, आधा घण्टा सदन का समय बढ़ाया जाए इसकी मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं। सब सहमत हैं पूरे सदन की इस कार्यवाही के लिए जो चल रही है ?

(सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट करने पर)

श्री विजेन्द्र गुप्ता जी ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, संविधान में सबके अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित हैं । अभी यहां पर चर्चा में कुछ लोगों ने एम.सी.डी. के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की बात की या यू कहूं तो कि पंचायती राज्य व्यवस्था को कमजोर करने का एक विषय आता है क्योंकि जब हम निकायों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर अपना अधिकार बताने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं एक सामंतवादी मानसिकता साफ रूप से झलकती

है। कभी केन्द्र के अधिकारों में हस्तक्षेप की बात की और अगर कुल मिलाकर इस चर्चा का एक निचोड़ में कहूं तो हम वो सब काम करेंगे जो असंवैधानिक होंगे, ऐसी एक भाषा इसमें से निकलकर आ रही है वैसे राजेन्द्र गौतम जी ने जो सरकार की एक तुलना की, एक कन्क्लूजन जो बताया, उस पर अगर मैंने विचार किया तो शायद ये चर्चा पूरी सार्थक है, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बच्चे और टाफी की तरह है तो हम टाफी खाना चाहते हैं, हमको टाफी खाने से रोका जाता है, तो वास्तविकता यह है कि ये सरकार वास्तविकता में बच्चों का व्यवहार कर रही है और टाफी खाने की मात्र ये लड़ाई है जो संविधान इजाजत नहीं देता उस पर सारा तो इसलिए टाफी और बच्चे से अपनी सरकार की तुलना की है। शायद यह सार्थक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं आपके समक्ष देखिये, कोई भी देश हो और ये हम 125 करोड़ का देश है इसका अपनी एक व्यवस्था है और इन्फ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो कहीं न कहीं 125 करोड़ लोगों को हम किसी मुसीबत में डालने का काम करेंगे या उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल करने जैसी स्थिति न हो। वास्तविकता यह है कि कन्फ्रन्टेशन का रास्ता इस सरकार ने चुना है और वो लगातार उस कन्फ्रन्टेशन के रास्ते पर चलना चाहती है। अदालत के फैसले कुछ भी आएं, यहां पर मैंने जब कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की चर्चा के नाम पर यहां कहीं न कहीं कंटेमप्ट आफ कोर्ट हो रहा है, उसको नजरअंदाज किया गया लेकिन जो कुछ भी यहां कहा जा रहा है, मैं उसका सिलसिलेवार कम से कम शब्दों में व्याख्या करना चाहता हूं। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि हम यूनियन टेरेटरी हैं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि It becomes manifest that Delhi continues to be a U.T. even after the constitutional amendment 69 amendments Act, 1991 inserting article 239AA making special provisions with respect to Delhi यानि की 239एए हमारे युनियन टेरेटरी का जो

हमारा एक कांस्टीट्यूशनल एक एस्पेक्ट है, उसमें 239एए को इन्सर्ट किया गया है यानि की union territory with special provisions तो ये हमारा स्टेटस है। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि article 239 of the constitution continues to be applicable to NCT of Delhi and insertion of article 239AA has not diluted the application of article 239 in any manner. यानि कि 239एए की इन्सर्सन से कोई 239 इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट ने जो जो दुविधाएं थीं, उसको स्पष्ट किया है लेकिन चूंकि दिल्ली के विकास में सरकार की रूचि होती तो वो जरूर एक पूरक का काम करती। सरकारें किसी भी दल की हों, इस देश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार है, कम्युनिस्टों की भी सरकार है। इसमें ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में हैं, उनकी भी सरकार है जिनसे भारतीय जनता पार्टी का कोई वैचारिक धरातल हो ही नहीं सकता! एकदम जिसको कहते हैं कि 36 का आंकड़ा या ये कहिए कि वर्टिकल डिविजन है वैचारिक तौर पर लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक क्योंकि सरकारों के अपने एक चरित्र होते हैं, पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है। सरकारें मिलकर काम करती हैं और उनका एक ही ध्येय होता है– जनता के हित में काम करना और अपनी–अपनी जिम्मेदारियों का एक पूरक के रूप में उसको पूरा करना लेकिन इस सरकार का काम ध्येय एक पॉजीटिविटी के साथ नहीं है। उनको लगता है कि जितनी कन्फ्रन्टेशन दिल्ली में होगी, जितने हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे, जितने हम विषयों को घुमाएंगे, उतना हमको बाकी राज्यों में लाभ मिलेगा। तो अब जब इस थ्योरी पर आप काम कर रहे हैं और बेसिक कान्सेप्ट माइंड का और फंडामेंटल सोच आपकी ये हो गई है कि कन्फ्रन्टेशन करो, कन्फ्रन्टेशन किया, 29 लोग जीते, कन्फ्रन्टेशन किया, 67 लोग जीते, कन्फ्रन्टेशन किया सरकार आ जाएगी तो कन्फ्रन्टेशन करो। बिना काम के कन्फ्रन्टेशन करते जाओ, अपना काम आगे बढ़ाते जाओ तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? इस सोच पर क्योंकि हाईकोर्ट के आर्डर में बहुत साफ

रूप से उन तमाम प्रश्नों को समाप्त कर दिया जो प्रश्न बार–बार आप उठा रहे थे और आज भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठा रहे हैं। अब कोर्ट ने कहा कि जो एल.जी. है, वो in relation to the matter in repect of the powers to make laws has been conferred on the legislative assembly of NCT of Delhi under section 3 A of article 239 of constitution is without substance and can not be accepted यानि एल.जी. की पावर पर जो आपने प्रश्न उठाये उसके बारे में भी the contention of the Govt. of NCT of Delhi that the LG of NCT of Delhi bound to act only on the aid and advice of the Council of ministers in relations to the matter इस पर भी कोर्ट ने बड़ा साफ कर दिया कि जो आपकी सब्सटान्स हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। इसके बाद आपके सामने अभी आपने यहां पर मामला उठाया सर्विसेज का, हम सब जानते हैं 36 सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी इस सरकार को तमाम फैसले विधेयक पास करने का और कानून बनाने का पूरा अधिकार है पर डेढ़ साल में आपने एक कानून नहीं बनाया क्योंकि आपने हमेशा संविधान के विरूद्ध जाकर यहां पर कन्फ्रन्टेशन के रास्ते को अडाप्ट किया और हर बार वो फैसले किये, हर बार वो तरीके लिए जिस पर सवाल उठते थे। सर्विसेज के बारे में आप कहते हैं, कोर्ट कहता हैः 'The matter connected with services fall outside the purview of the Legislative Assembly of NCT of Delhi.' साफ तौर पर ये हाईकोर्ट के आर्डर में लिखा हैः 'Therefore the direction in the inpugned notification dated 21st May that the LG of the NCT of Delhi shall inspect of matter connected with services exercise the powers and discharge the functions of the Central Govt. to the extend delegated to him from time to time by the President is neither illegal not unconstitutional.'" अब ये इतना साफ कोर्ट लिखता है कि

ये सर्विसेज के मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिये उनका आपको पालन करना चाहिये और वो भी क्या प्रपोजल आप देगें, फैसला वो करेगें । लेफटीनेंट गवर्नर कोई सीधा आर्डर नहीं निकालते। मेरी जानकारी के अनुसार एल.जी. के पास सरकार प्रपोजल भेजती है, उसमें माईनस प्लस करने का अधिकार उनके पास है **...(व्यवधान)...** एक सैकिण्ड... एक सैकिण्ड... आप बाद में बोलियेगा लेकिन यहां पर इस तरह की तस्वीर पेश की जाती है। इसी सदन में उपराज्यपाल के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहा है, वो भी हम सबको शर्म सार करता है । आपने ए.सी. बी. की बात की। इसके बारे में साफ तौर पर हाईकोर्ट कहता हैः The directions in the impugned notification dated क्योंकि आपने 21st May 2015 Government of India's notification को चैलेंज किया था और उसमें जो चैलेंज किया था उसी पर आधारित ये कोर्ट का आदेश है। इसमें कोर्ट कहता है किः "The directions in the impugned notification dated so and so is reiterated in the notification dated 21st May that the ACP (Police Station) shall not take any cognizance or offensive against the officers employee and functionaries of the central govt. is in accordance with the constitutional scheme and warrants सबके अधिकार क्षेत्र बंटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक एम्पलाई के खिलाफ एक ऐजेंसी काम नहीं कर सकती तो उसके खिलाफ कोई ऐजेंसी काम नहीं कर सकती ? सबके लिये ऐजेंसीस हैं और वो ऐजेंसीस... लेकिन काम बंटे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र बंटे हुए हैं । आप सोचिये, अगर हम सब एक दूसरे के अधिकारों में इन्टरवीन करेंगें तो क्या कोई व्यवस्था बन पायेगी ? क्या कोई किसी मुकाम पर हम पहुंच पायेगें? इसलिये सारा मामला है अधिकारों की व्याख्या का... उसके क्षेत्र का, उसकी टैरेटरी का और ये व्यवस्था एक डिसीप्लिन बनाने के लिये है। डिसीप्लिन का पालन करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए लेकिन अगर आप डिसीप्लिन

करके ये कहें कि हमको काम करने से रोका जाता है तो शायद ये आपकी सोच को बदलने की जरूरत है।

आपने कमीशन ऑफ इन्क्वारी की बात की। कमीशन ऑफ इन्क्वारी पर हाई कोर्ट कहता हैः Commision of Inquiry at 1952 appointing the Commission of Inquiry for inquires into all aspects of work related to grant of CNG fitness certificate in the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi is illegal since the same was issued without seeking the view concurrence of the LG as provided under rule 10 and rule 23 read with Chapter-V of Transaction of Business Rules 1993. साफ रूप से कहता है कि ये कमीशन ऑफ इन्क्वारी का गठन करना है, ये दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये हाई कोर्ट के आर्डर पढ़ रहा हूं मैं। ये कोई मैं केन्द्र सरकार का नोटिफिकेशन नहीं पढ रहा हूं जिस पर आप आरोप लगायें फिर उसके बाद आप बोर्ड की बात की जा रही थी–नॉमिनी डायरेक्टर्स एप्वाइंट नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हाई कोर्ट ने साफ कहा है "The appointment of nominee director of the Govt. of NCT of Delhi on board of the BSES (Rajdhani) वगैरह वगैरह on the basis of recommendations of the Chief Minister of Delhi without communicating the decision of the Chief Minister to the LG of Delhi for his view is illegal." अगर आप उपराज्यपाल को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था हैं, तो वो इलीगल होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये सरकार डीआरसी के बारे में फिर उसके बाद आपने स्टाम्प डयूटी के बारे में जो फैसले लिये, आपने जितने फैसले लिये डीडीसीए के बारे में भी कोर्ट ने बोला है, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता for the same notification dated 21.12.2015 जो यहां पर बनाया गया और हमने तब भी कहा था कि इलीगल एक्ट है the Directorate of Vigilance, Govt. of NCT of Delhi under rule under section 3 of the Commission of

Inquiry at 1952 appointing the Commission of Inquiry to enquire into the allegations regarding irregularties in the functioning of Delhi & District Cricket Association is also declared as illegal. ये हाई कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जायें, बहुत अच्छी बात है और मैं तो इतना कहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आये तो फिर स्पीकर साहब एक बार फिर से सदन जरूर बिठाइयेगा। क्योंकि ये देश कानून से चलता है और कानून की अवहेलना करके कन्फ्रन्टेशन की राजनीति कर आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेगें इस माइंड से दिल्ली के लोगों के लिये आप काम कर रहे हैं तो ये दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बडा धोखा है। अपनी सोच को बदलिए, अपनी कार्य शैली को बदलिए और एक नई शुरूआत कीजिए जिससे दिल्ली का भला हो सके और फिर उस नई शुरूआत में अगर कहीं लगता है कि कोई कमी है तो मैं आपको दावे से कहता हूं, वायदा करता हूं, रिकार्ड कीजिये हम आपके साथ खडे हैं उस काम को करने में और करवाने में लेकिन आप अगर नाटक और नौटंकी करकें, यहां अभी चर्चा हुई माजें पर। किस तरह मंत्री जी ने पूरी बात को घुमाने की कोशिश की तो उससे तकलीफ होती हैं कि सरकार सीधे रस्ते पर चलना ही नहीं चाहती है, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ही नहीं चाहती है इसलिये बच्चे और टाफी की स्थिति से बाहर आइये, लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी कीजिये। घड़ी की सुई बहुत तेजी से चलती है अभी छह बजे थे अब सवा छह बज गये हैं थोडी देर में साढे छह बज जायेगें कल तारीख बदल जायेगी कुछ दिनों में साल बदल जायेगा और 2020 सामने नजर आ जायेगा। जनता की अदालत में आपको फिर जाना होगा और फिर आप किस मुह से जायेगें अगर दिल्ली की जनता को बताने के लिये आपके पास चंद काम भी नहीं होगें तो सिर्फ यही रोना होगा, यही इमोशनल ब्लैकमेल होगा तो फिर लोग सुनने वाले नहीं हैं, लोगों के गले उतरने वाला नहीं है । धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः माननीय उपमुख्य मंत्री राजेश जी आप प्लीज नही, नहीं, मैं राजेश जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ना । माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी चर्चा का उत्तर देगें।

उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज विजेन्द्र गुप्ता जी खुल के कह देगें कि हम पूर्ण राज्य का समर्थन करते हैं, पर बोले नहीं। करते हैं कि नही! अच्छा बता दो चलो दिल्ली को पूर्ण राज्य का समर्थन करते हो कि मना करते **...(व्यवधान)...**

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप का गैर–जिम्मेदाराना **...(व्यवधान)...** उस आंदोलन को कमजोर कर रहा है ।

उप मुख्यमंत्रीः चुनाव के समय पर सिर्फ पूर्ण राज्य का समर्थन करते हैं, उसके बाद में जब हार जाते हैं तो फिर क्या बात करते हैं, उसका पूरा रिफलेक्शन विजेन्द्र जी की बातों में, वो मान लिया इन्होंने, तो अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक चीज और साफ कर दूं कि आज ये जो चर्चा भावना जी ने शुरू की और कई और साथियों ने भी रखा जिसमें विजेन्द्र जी ने भी पूरा हाई कोर्ट का आर्डर वर्बटिम पढ़ के सुनाया कि ये चर्चा एक्चुली हाईकोर्ट के आर्डर पर नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को हम विधानसभा में चर्चा में लायेगें और उस पर चर्चा करेगें, कोई ऐसा किसी ने आर्डर की लाईन, मुझे लगता कि किसी ने बात **...(व्यवधान)...** टापिक पर उसके संदर्भ में है चर्चा वो स्तर नहीं है। उसके संदर्भ में है तो अब क्योंकि हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में क्या कहा गया है, क्या नही कहा गया है, उसको विधानसभा में डिस्कस करके कि उसकी लाईन–ब–लाईन हम... ये ठीक नहीं है तो यहां उसका कोई इरादा नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय ने, जो लाईनें आपने अभी पढी, एल.जी. साहब के अधिकार पर एक निर्णय दिया है। हमारी सरकार माननीय उच्च न्यायालय

और माननीय सर्वोच्य न्यायालय इस देश की न्यायालय को रूलाने का काम नहीं करती, हम उसके सम्मान का काम करते हैं। हम ऐसा काम करते हैं जिस पर अदालत को भी गर्व होगा। हम अदालतों को रूलाने का, जजेज को रूलाने का काम नहीं करते हैं तो इसलिये माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है कि भई एल.जी. साहब के अधिकार हमारे हिसाब से हैं, हम भले ही उससे असहमत हों, लेकिन हम उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसको फोलो कर रहे हैं और क्योंकि उससे असहमत होने का अधिकार हमें हैं, लोकतंत्र में इसलिये हम बड़ी अदालत में भी जायेगें लेकिन सवाल इसका नहीं है। यहां पर न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए सवाल तो इस बात का है कि केन्द्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली को राष्ट्रपति शासन के तरीके से चलाना चाहती है और हकीकत तो ये है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में है, जैसा इन्होंने अरूणाचल में किया, जैसा इन्होंने उत्तराखंड में किया और बार बार अदालत से फटकार ले के वापिस आये। वैसा ही दिल्ली में करने की ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अभी विजेन्द्र गुप्ता जी बात कर रहे थे कि भई, आप की ये सोच और ये कार्य शैली हमारी सोच और कार्य शैली को पसंद करके ही दिल्ली की जनता ने आपको तीन दिये हैं और हमको 67 दिये हैं। ये ध्यान रखियेगा। ये जो परंपरागत सोच है राजनीति की, ये कुर्सी बची रहे, लाल बत्ती बची रहे, आगे खाकी बची रहे, पीछे चार खादी के बचे रहें और हम चलते रहें और हम कहते रहें... और जनता जितना दुखी रहती रहे, रहे, इस सोच को बदलने की सोच हमारी है और वही कार्य शैली और उस सोच को बदलने की जो कार्य शैली चाहिए, उस कार्य शैली पर भरोसा करके दिल्ली की जनता ने 67 बिठाये हैं यहां पर। दिल्ली की जनता ने इस पर भरोसा करके 67 नहीं बिठाए की जाओ, लाल बत्ती पे जा के बैठ जाओ, वहां जा के बड़ी–बड़ी जुमला बाजी करो, जो कहा, उसको जुमला कह देना बाद में। दिल्ली की जनता ने इसलिए भेजा है यहां पर कि जो कुछ मैनीफैस्टो

में लिखा है, जान दे देना लेकिन उसको पूरा करके आना, पूरा करने की कोशिश करना। चाहे विपक्ष से टकराना हो या केन्द्र सरकार से टकराना हो, हिलना मत, हिम्मत मत हारना, ये हमारी कार्यशैली है, ये हमारी सोच है और ये सोच और यही कार्यशैली जनता के लिए है, ये जनता के भले के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली की इस विधान सभा की... पहले तो हालांकि बहुत पुराना है, हमने आदरणीय चरती लाल गोयल जी को आज श्रंद्धांजली दी है, लेकिन उनके समय से देखें और आज तक तो ये दिल्ली की विधान सभा की कार्यशैली दो हिस्सों में बंट गई है या उससे निकली हुई सरकार की कार्यशैली, एक 1993 से 2015 तक एक तरफ और 2015 से आज तक एक तरफ। 14 फरवरी, 2015 उसमें एक सरकार बनी। मेरे कई साथियों ने जिक्र किया, मैं बहुत लम्बे में नहीं दुहराना चाहता कि वो सरकार जो 14 फरवरी, 2015 को बनी, कैसे दिल्ली के लोगों के लिए आधे दाम पर बिजली बड़ी संख्या को मिल रही है, बहुत बड़ी संख्या को पीने का पानी फ्री मिल रहा है, मोहल्ला क्लीनिक दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आए दिन दुनिया भर के... कभी फ्रांस के, कभी अमेरिका के पत्रकार आ के देख रहे हैं कि ये है क्या? ये पब्लिक हैल्थ सिस्टम का ऐसा क्या मॉडल है जिसमें आठ लाख लोगों का इलाज ऐसे हो गया, इतने शानदार तरीके से हो गया और इतने भरोसे से एक प्रोफेशनल तरीके से हो गया! स्कूल शिक्षा, सरकारी स्कूलों में पहली बार सबके लिए, 2–4 बच्चे तो पहले भी निकलते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पहले कभी कुछ नहीं हुआ, दो–चार बच्चे कहीं ना कहीं से निकलते रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से ये प्राईवेटाईजेशन टीचिंग शॉप का दौर चला, उससे पहले तो यहां बैठे हुए तमाम लोग बहुत लोग हैं जो हमारी सरकार में बहुत लोग है जो सरकारी स्कूलों से निकल के आए हैं तो सरकारी स्कूल हमेशा से खराब नहीं थे। जानबूझ के जब से सरकारी स्कूलों को खराब किया गया, लेकिन अब ये सरकार वापस कह रही है कि नहीं जी, टीचिंग शॉप

को कंट्रोल करो, गवर्नमेन्ट स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ाओ, सबके लिए पढ़ाई का माहौल बनाओ, इस पर लोगों की नजर लगी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले कई वर्षों के इतिहास में और कम से कम जब से दिल्ली की ये वाली विधान सभा चल रही है, ये वाली! 1993 से जब से यहां सरकारें चल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राईवेट स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस, ना सिर्फ वापस ली बल्कि कई जगह तो लोटाई भी, अगले महीने में एडजैस्ट की है और सरकार ने कहा कि आप हमसे पूछेंगे फीस बढ़ाने से पहले। कई स्कूलों ने हिम्मत दिखाई जब हमने कहा, खाते दिखाओ तो कई स्कूल अब लिख के दे रहे हैं कि हमने नहीं बढ़वानी, पहली बार हो रहा है ऐसा।

पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पर काम हो रहा है, पुल बनाने में कमिशन से लेकर राशन कार्ड की रिश्वत तक रूक गई है, घूसखोरी बंद हो गई। इस कार्यशैली में किसानों की सोच है विजेन्द्र गुप्ता जी। इस कार्यशैली में मजदूरों की सोच है, इसलिए इस कार्यशैली से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कार्यशैली और ये सोच मजदूरों के बारे में निर्णय लेती है, ये कार्यशैली और ये सोच सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के बारे में निर्णय लेती है, फ्री में इलाज कराने की इच्छा और फ्री में इलाज नहीं मिलने से, सस्ते में इलाज नहीं मिलने पर, प्राईवेट अस्पतालों में दम तोड़ने वाले गरीब लोंगों के बारे में निर्णय लेती है ये सोच। इसलिए इस सोच और कार्यशैली से घबराये हुए यहां कुछ लोग, इसका जवाब नहीं है आप लोगों के पास में। किसानों के बारे में सोचती है। एक बड़े विजन से काम चल रहा है, ये नेता लाल बत्ती की गाड़ियों में नहीं घूमते, बड़ी–बड़ी सिक्योरिटी फोर्स लेकर नहीं घूमते, ये सारे विधायक ऐसे हैं... हम लोग कहीं गए हुए थे। हम और दिनेश मोहनिया जी पिछली बार में तो किसी ने इनसे कहा, ये जीप पर लटक के जा रहे थे कहीं, पब्लिक जीप जो चलती है, किसी ने इनसे कहा कि ए भई लाल तू भी विधायक है, इन्होंने कहा कि हॉ जी, भी विधायक हूं। बोला आई कार्ड दिखा। पहली बार किसी विधायक से आई कार्ड! वर्ना विधायक कब... आई कार्ड तो

उसके साथ चार चल रहे सरकारी वाले और 10 चल रहे प्राईवेट वाले, मोटे–मोटे गनर होते हैं जिनके पिस्टल रखी होती है उसको देख के आदमी सोच लेता है पीछे वाला कोई विधायक ही होगा, ना हो तब भी लगने लगता है यहां विधायक से पूछ रहे हैं कि भई, तुम विधायक हो, हॉ जी, आई कार्ड दिखा। ऐसे आई कार्ड मांगा जैसे श्याम लाल कॉलेज में पढ़ने वाले से कोई रैड लाईट वाला आई कार्ड मांग रहा हो, अच्छा कॉलेज में पढ़ता है आई कार्ड दिखा, वैसे एक विधायक से आई कार्ड मांगा गया। क्या हो गया! ये सोच और ये कार्यशैली है जिसके सामने ये परम्परागत राजनीति जिसने इस देश की जड़ों में मट्ठा डाल दिया था, लोकतन्त्र की जड़ों में मट्ठा डाल के रखा हुआ था, वो घबरा गई है अध्यक्ष महोदय, वो घबरा गई है ये सोच और कार्यशैली ही है जिसको इस देश की जनता बहुत देर से इन्तजार कर रही थी और अब इसको लाने के लिए दिल्ली में बेताब हुई दिल्ली में लेकर आई, पंजाब, गोवा, गुजरात में भी लेकर आएगी। अध्यक्ष महोदय, अगर इस कार्यशैली और सोच से घबराए हुए लोगों की बात करूं और उनका बस चले तो कलेंडर में से पन्ने फाड़ दें कि ये तारीखें तो आई ही नहीं, बोले की दिल्ली के इतिहास में 10 फरवरी, 2015 के बाद की डेट ही नहीं आई, 10 फरवरी को रिजल्ट आया था। बोले कलैंडर को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे ये लोग! बोलेंगे यहां तो चुनाव ही नहीं हुए जी, क्या बात कर रहे हो! अगर इनके पास वो फिल्मों वाली टाईम मशीन होती तो ये वापस घुमा देते अब तक उसका चक्कर, बोले 14 फरवरी, 2015 की तो डेट ही नहीं आने देनी इतिहास में, क्योंकि उस दिन ये कमबख्त सरकार आई थी और इसकी कार्यशैली और इसकी सोच ने हमारा जीना हराम कर दिया, जीना दूभर कर दिया, लोग पूछने लगे हैं कि यार! तुम भी वैसे क्यों नहीं करते हो? तुम इतने दिन सत्ता में रहे, तुम इतने सारे राज्यों में सत्ता में हो, तुम से सरकारी स्कूल ठीक नहीं होते , तुम इतने दिन से सत्ता में हो तुमसे पब्लिक हैल्थ सिस्टम ठीक नहीं हुआ। अभी कल बाढ़ का हवाई निरीक्षण नया वाला देखा हमने, एक मोदी सरकार है, एक

गोदी सरकार है, बाढ़ का हवाई निरीक्षण पहली बार ऐसा देखा हमने हवाई जहाज में तो बैठे हुए देखे थे, ट्वीटर पर चल रही थी, विदेशी नेताओं की फोटो आधे–आधे पानी में, उनके भी मंहगे सूट हैं, हमसे ज्यादा मंहगे जूते पहनते होंगे वो लोग! लेकिन पता नहीं ऐसे क्या मंहगे सूट और मंहगे जूते पहने हैं उस कार्यशैली और सोच वाले नेता कि उनको अपने जूते सुरक्षित रखने के लिए कहीं दाग ना लग जाए, बेचारे सिपाहियों की गोदी में बैठना पड़ता, तब बाढ़ का निरीक्षण करते हैं। चलो हमने अपने देश में भी हवाई निरीक्षण बहुत देखे थे पर ये गोदी में बैठके बाढ़ का हवाई निरीक्षण पहली बार देखा है, तो ये जो कार्यशैली और सोच है अध्यक्ष महोदय, ये कार्यशैली और सोच राजनीति की इस वाली सोच से घबरा गई है इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये कार्यशैली और सोच बदलो। अरे! क्यों बदलें जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच धक्के खाते हैं, जनता के बीच काम करते हैं और विधान सभा में बैठके जनता के लिए बात करते है, इसलिए बिल्कुल नहीं बदलेंगे! ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और जिस दिन हम बदल जाएंगे, उस दिन जनता के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक देश में लोकतंत्र को लेकर मानसिकता चल रही है कि पंचायतों को मजबूत नहीं होने देना है, अभी बात की पंचायती राज की, किन पंचायतों की बात कर रहे हैं? वो पंचायतें जिन्हें कानून ने थोड़े–थोड़े अधिकार तो दिये लेकिन कुल मिला के डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेट का गुलाम बना के रखा हुआ है, आज किसी गांव में चले जाइये देश के, ये जो पंचायत के बड़े–बड़े पैरोकार बैठे हुए है ना, इन्होंने ऐसी पंचायतें बनाके रखी हुई हैं देश में कि पंचायतों, ग्राम सभाओं को, कलैक्टरों का गुलाम बना के रखा हुआ है। नगर–निगम, नगर पालिकाओं को कमिश्नरों का गुलाम बना कर रखा हुआ है। वहां के फैसले लागू नहीं होने देते। वहां ग्राम सभाओं में फैसले लागू होते हैं? मैं तो गया बहुत राजनीति में आने से पहले ऐसे ही धक्के खा रहे थे, देखें जी, ग्राम पंचायतों में क्या हो रहा है? नगर–निगमों में क्या हो रहा है? देखा ग्राम सभाओं

में लोग फैसले लेते हैं। ग्राम पंचायतों में फैसले लेते हैं। क्लैक्टर बोलता है, ''नहीं–नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, कैमरा खरीदा जाएगा, कैमरा खरीदने का रेजल्यूशन पास करके।'' गुलाम बना के रखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को, नगर–पालिकाओं को और यही मानसिकता, यही मानसिकता यहां पर चलाना चाह रहे हैं कि चुनी हुई विधान सभा किनारे, हमारा एल.जी. सबसे ऊपर हैं । वही आदेश देते हैं वहां से होम मिनिस्टरी से बैठके, अब करावल नगर में, कपिल भाई चले गए, दिनेश मोहनिया की विधान सभा में, हम में से किसी भी विधान सभा में कहीं कोई ऐसी घटना–दुर्घटना हो, कोई सिपाही रिश्वत ले, कोई रजिस्ट्रार रिश्वत ले, उसका ट्रांस्फर उसके ऊपर हाकिम जो है वो एल.जी. साहब है, वो होम मिनिस्टरी के अंडर में आएंगे, चुनी हुई सरकार क्या भजेगी? उन्होंने ठीक कहा है टॉफी खाएगी, टॉफी पे झगड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करना चाहता हूं उस कार्यशैली और उस सोच को जिसका इनको अहंकार है कि छोटा बच्चा जान के मत ऑख दिखाना। बच्चे जरूर हैं राजनीति में लेकिन कच्चे नहीं है। अगर जनता को परेशान करोगे तो कच्चा चबा जाएंगे अगर जनता को दुखी करोगे, जनता के काम नहीं होने दोगे और जिस सोच और जिस कार्यशैली से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता ने सरकार में बैठाया है, उस काम को नहीं होने दोगे, उस काम में अड़चन डालोगे तो बच्चे भले ही हैं राजनीति में लेकिन कच्चा चबा जाएंगे, इतनी हैसियत रखते है!

अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे लोग है इनको लोकतंत्र में यकीन ही नही है। इनको मेजिस्ट्रेटी में यकीन है, इनको कलैक्टरी में यकीन है। एल.जीशिप में यकीन है, कमीशनरी में यकीन है वो ही पावरफुल होगें। इसीलिए मैंने कहा ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सभी में अधिकार सारे वही भर रखे हैं। यहां भी एल.जी. साहब को दे दिये। हमारी लडाई तो इसी के खिलाफ है। सरकार किसी की भी हो। हमे प्रॉबल्म है इस कुर्सी पर जो बाकी पार्टियों के, इनकी पार्टियों के भी बैठे थे और दूसरी पार्टियों के

भी बैठे थे, क्यूं इतने कमजोर थे वो लोग कि चुने हुए होने के बावजूद, एलेक्टिड होने के बावजूद सलैक्टेड की कुर्सी के सामने कॉर्निश बजाते रहे? क्यूं इतने कमजोर थे वो लोग? प्रॉलब्म यह है कि अगर तब बोल गए होते तो आज 20 साल बाद यहां चुनी हुई सरकार को इन चीजों के लिए नहीं लड़ना पड रहा होता! परन्तु तब तो कम्प्रोमाईज चलता है, सैटिंग चलती थी। दो तुम्हारे ट्रांसफर, तुम भी देख लेना कितने लोगे? पांच हमारे ट्रांसफर हम देख लेते है, कितने लोगे? तुम मत पूछना हमसे, हम नहीं पूछेगें तुमसे, ऐसे चलता था अध्यक्ष महोदय । तो उनको लोकतंत्र में यकीन नहीं । बात करते हैं, बात लोकतंत्र की करेगें अंदर से अगर कोई ब्रेन सेन्सिंग जैसी कोई चीज होती और वो आ गई होती तो कम्प्यूटर पर तो वहां से निकलता बात तो लोकतंत्र की कर रहे हैं अदंर से निकलकर आता जुमला ही तो है, कह दो क्या जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, जब हम चुनाव में गए थे, तब भी और जब हमने यह तय किया था दिल्ली का चुनाव लड़ना है और दिल्ली के लिए वादे किये थे, दिल्ली के लिए योजनाएं बनाई थी, हर वक्त हमको ये मालूम था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। हमको यह भी मालूम था... ये घोषणापत्र में भी कहते हैं पर हमको यह भी मालूम था कि इनके लिए यह जुमला है। पूर्ण राज्य भी जुमला है। हमको यह मालूम था कि तीन सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के पास नहीं होगें, दिल्ली की इस चुनी हुई विधान सभा के पास नहीं होगें। पुलिस नहीं होगी, पब्लिक आर्डर नहीं होगा और लैंड नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ पूर्ण राज्य होने का मतलब सिर्फ इतना है। और अभी विजेन्द्र जी ने कहा कि हमारा तो ममता बैनर्जी से भी तालमेल है, सबसे तालमेल है। हम भी तो यही कह रहे हैं। इन तीन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी में भी वैसा ही तालमेल कर लें जैसा ममता बनर्जी के साथ है, क्या दिक्कत है? हम सब राज्य हैं बाकी भी राज्य हैं। पूर्ण राज्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। पूर्ण राज्य का मतलब है कि इन तीन को छोड़कर बाकी हैं और वो कमजोर है, उस की कही इन्ट्रप्रेटेशन में कमी है। उसकी कोई

ट्रेडिशन में कमी है। कन्वेन्शन्स में कमी है, उसको करेगें । उसके लिए लडेगें, क्योंकि यह हमारे लिए... इसीलिए मैने शुरू में कहा कि यह लड़ाई हाई कोर्ट के फैसले की नहीं है। विधान सभा में हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। औचित्य इस चीज का बनता है कि लोकशाही..... मैने कहा कि कोई भी पार्टी हो, यहां किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार होगी, हम कल को वहां बैठे हों या बाहर बैठे हों। हमारा मन यही है, हम यही हैं कि यहां बैठे आदमी के पास में पॉवर होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है आम आदमी चुने हुए लोगों से बड़ा चाहिए और चुना हुआ आदमी इलैक्टेड आदमी, सलैक्टेड से बड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र का सीधा सा फ्लो चार्ट है। चुनने वाला चुने हुए से बड़ा होना चाहिए और चुना हुआ इलैक्टेड, सलैक्टेड से बड़ा होना चाहिए। ये लड़ाई इस बात की है। ये लोकशाही और राजशाही में अंतर है। हम तो इतिहास पढते रहे हैं थोड़ा बहुत, पी. एच.डी., रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं। हमारे पास बहुत बड़े–बड़े रिसर्च स्कॉलर्स भी नहीं है कि इतिहास की ज्यादा रिसर्च कर लें, हमारे पास को धक्के खाने वाले सब लोग हैं, जंतर–मंतर से इधर आ गए है सीधा, रामलीला मैदान से... अधिकतर लोग वो हैं। लेकिन फिर भी इतिहास में देखा लोकशाही और राजशाही की लडाई रही । राजशाही वो थी जहां कोई वंशानुगत आ गया। वंशानुगत इनके यहां भी बहुत है और दूसरी वाली आजकल यहां नहीं, उनके यहां भी बहुत है। वो भी राजशाही थी एक तरह की और एक राजशाही वो थी जो लड़े–भिड़े, चार घोड़े दौड़ाए, चार हाथी दौड़ाए, पकड़ लिया सत्ता को, जाकर राजा बनकर बैठ गए। अध्यक्ष महोदय, लोकशाही की स्थापना करने के लिए लड़ रहे हैं। इस विधान सभा की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। इस विधान से निकली हुई सरकार और वो सरकार जो सचिवालय में बैठती है, उसकी पावर के लिए लड़ रहे हैं और उस सचिवालय से विधानसभा से जो दिल्ली की जनता आंखे गड़ाए बैठी है कि यहां से हमारे लिए कुछ निकले, उसके लिए लड़ रहे हैं। जनता के वोट

के महत्व के लिए लड़ रहे है। अलका जी ने ठीक कहा उत्तर–प्रदेश से आए हुए, हरियाणा से आए हुए लोग जब दिल्ली में आकर वोट देते हैं तो उनके वोट की कीमत कम कैसे हो जाती है? उनके वोट की कीमत कम कैसे हो सकती है! तीन सब्जेक्ट को छोडकर उनके वोट की भी उतनी ही कीमत होनी चाहिए, वो संविधान का विषय है। जब पूर्ण राज्य में यह भी कहेंगे कि जुमला नहीं है और हम भी कहेगें कि जुमला नहीं है और कांग्रेस भी कहे कि जुमला नहीं है, फिर तीनो मिलकर.. वहां से लोकसभा में किस लिए निकलेगा पूर्ण राज्य? निकलेगा। लेकिन जब तक पूर्ण राज्य नहीं है तब तक राज्य तीन सबजेक्ट को तो छोड़कर राज्य है। उसके लिए तो लड़ना है । तीन सब्जेक्ट को छोडकर भी राज्य नहीं है, इस पर भी सहमत नहीं हैं। वैसे पूर्ण राज्य की बात करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, चुनाव की ताकत के लिए, लोकतंत्र की ताकत के लिए, दिल्ली के आम वोटर की ताकत के लिए हमको लड़ना है और ये लड़ाई हम लोग करेंगे। हम लोग इस लड़ाई के लिए तब निकले थे, जब कोई न पद था, न पहचान थी और आज लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। आज उस भगवान की ताकत की वजह से पहचान भी है और पावर भी है। इस पावर का इस्तेमाल भी करेंगे, इस पहचान का इस्तेमाल भी करेगें।

अध्यक्ष महोदयः मनीष जी समय थोड़ा सा सदन का बढा.....।

उप मुख्यमंत्रीः बस दो मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। इसके लिए लड़ेगें।

अध्यक्ष महोदय, अन्तिम बात मैं यहीं कहना चाहता था कि हमें पता था कि यह लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। ये एक्सफैक्टो अप्रूवल ले लेगें। ये तो थोडी देर में कह देगें कि एल.जी. साहब से ले लो जाकर अप्रूवल। आपके पास भी नहीं छोड़ेगें इसकी ताकत ये। तो अध्यक्ष महोदय, मैं..... अभी गोपाल भाई बता रहे थे हमने मिनिमम वेजेज बढाने का फैसला था, ऐतिहासिक वृद्धि करी दो दिन बाद अखबार में मैं देख रहा था,

केन्द्र सरकार भी बढाने जा रही है। अच्छी बात आपको मजबूर तो किया सोचने पर। यही हमारी सोच और यही हमारी कार्यशैली है। तो अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र की मतबूती की लड़ाई है इसको हम लड़ते रहेगें। मैने कहा हम तब भी लड़ रहे थे जब जंतर मंतर पर बैठे थे, जब रामलीला मैदान में बैठे थे तब भी लड़ रहे थे, जब दिल्ली विधान सभा में बैठे हैं तब भी लड़ते रहेगें। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही 23 अगस्त 2016 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही 23 अगस्त 2016 तक के लिए स्थगित की गई।

Blank

विषय सूची

सत्र–4 भाग (2) सोमवार, 22 अगस्त, 2016/31 श्रावण, 1938(शक) अंक–35

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	3–4
3.	रियो ओलम्पिक, 2016 पर बधाई	4–6
4.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	6–7
5.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	7–123
6.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	123–130
7.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	130–160
8.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	160–205
9.	सदन पटन पर प्रस्तुत कागजात	205–206
10.	ध्यानाकर्षण (नियम–54)	207–224
	(चाइनीज माझे के उपयोग से उत्पन्न स्थिति पर)	
11.	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	224–233
12.	विधेयक का पुरःस्थापनः	234–235
	(दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक, 2016 का विधेयक सं. 4)	
13.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)	236–289
	(दिल्ली शासन संबंधी मामलों के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर)	

Blank